स्विट्जरलण्ड और सोवियत संघ का विधान

लेखक—

विश्वनाथराय एम. ए., एल-एल. बी.
प्राध्यापक, राजनीति विभाग
डी. ए. वी. (डिग्री) कालेज, काशी

प्रकाशक—

राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर काशी

प्रकाशक—

राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर

काशी

प्रथम संस्करण—फरवरी १९५०

मूल्य ३)

मुद्रक
गोपाल
का

Kolekar

सादर समर्पित

काशी विश्वविद्यालय, राजनीति-विभाग के श्रद्धेय गुरुजनों को,
जिनके प्रसाद से इस पुस्तक के प्रणयन की
शक्ति प्राप्त हुई।

[illegible]
B.A. (Hons)
B.H.U.
Varanasi



Kolekar.

प्रस्तावना

स्विस देश और सोवियत संघ दोनों अपनी-अपनी दृष्टि से पृथक् देश हैं। स्विस देश बहुत छोटा है। सोवियत संघ बहुत बड़ा है। यह दुनियां का सबसे बड़ा राज्य है।

स्विस देश एक लोकतंत्रात्मक गणतन्त्र है। इस देश की कुछ संस्थायें विशेषतः स्थानीय स्वायत्त शासन के क्षेत्र बहुत ही पुराने हैं। यहाँ की शासन प्रणाली बहुत पुरानी है। इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की परिपाटी है। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की प्रणाली संघीय शासन-व्यवस्था तथा कैन्टन में भी है। लोकतन्त्र के विरोधियों के लिए स्विस देश का शासन-विधान पठनीय है।

दूसरी तरफ सोवियत संघ का संघात्मक राज्य है। साथ ही साथ वहाँ की शासन-प्रणाली एक ही राजनीतिक पार्टी के द्वारा परिचालित है। यों तो वह संघ लोकतन्त्रात्मक है पर वास्तव में वह अधिनायकतन्त्र ही है। आज दुनियाँ की दृष्टि सोवियत देश की तरफ है। अतः उस देश के शासन-विधान का वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक है। ऊँची कक्षाओं के विद्यार्थियों के समक्ष बिना किसी रंग के चढ़ाये हुए सच्चा समीक्षात्मक विधान का प्रस्तुत होना वांछनीय है।

अपने देशमें लोकतन्त्र एक नयी व्यवस्था है। नया सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र है। देश के शिक्षित समुदाय के ऊपर ही लोकतन्त्र की रक्षा है। अतः नवयुवकों के समक्ष दुनियाँ की विभिन्न शासन प्रणालियों का विवेचन अपनी भाषा में होना आवश्यक है।

हिन्दी में उपयुक्त शब्दों की कमी तथा उनके अर्थों में अनुपयुक्तता जैसी प्रतीत होती है। अतः कुछ ऐसे शब्दों को जिनका अर्थ ठीक-ठीक नहीं बैठता था उन्हें मैंने अंग्रेजी में ही प्रयोग किया है।

हिन्दी में कितने ही लोग Plebiscite और Referendum में भेद नहीं मानते। दोनों पृथक् शब्द हैं और उनके अर्थ में भेद है।

Referendum के लिए कोई जनमतसंग्रह लिखता है या कोई—'लोकमत-संग्रह' लिखता है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है।

उसी तरह Initiative के लिए 'प्रस्तावाधिकार' शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ लोगों ने किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। एक सामान्य रूप से स्वीकृत शब्द नहीं है। अतः मैंने 'इनिसियेटिव' शब्द का ही प्रयोग किया है। 'Republic' के लिए 'प्रजातन्त्र' तथा 'जनतन्त्र' दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। भारत-सरकार की तरफ से जो विधान निकला है उसमें 'Republic' के लिए 'गणतन्त्र' आया है।

अतः शब्दों के विषय में मतभेद हैं। पुस्तक के दूसरे संस्करण में शब्दों की कठिनाइयाँ दूर हो जायँगी। मुद्रक की कृपा से पुस्तक में कुछ अशुद्धियाँ रह गयी हैं। पाठकवृन्द उन अशुद्धियों को ठीक करके पुस्तक की उपादेयता स्वीकार करें।

राजनीति के अध्ययन में आचार्य प्रवर श्री गुरुमुख निहालसिंह जी, आचार्य श्री मुकुटबिहारीलाल जी तथा आचार्य श्री कन्हैयालाल जी के प्रसाद से मुझे जो कुछ उत्साह प्राप्त हुआ उसी के बल पर यह छोटा सा ग्रन्थ लिखने का साहस किया है। उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूँ। गुरुओं से कोई उऋण नहीं हो सकता।

हस्तलिपि के संशोधन में श्री ठाकुरप्रसाद सिंह एम० ए० (प्राध्यापक बलदेव इण्टर कालेज, बड़ागाँव) और श्री श्रीनाथ देव एम० ए० (प्राध्यापक, डी० ए० वी० डिग्री कालेज, काशी) से बड़ी सहायता मिली है। अतः मैं उनलोगों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। इस पुस्तक के प्रूफ संशोधन में प० कमलाप्रसाद शर्मा ने पर्याप्त परिश्रम किया है, अतः वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। अन्त में मैं उन सब विद्वानों और आचार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनकी पुस्तकोंसे मुझे उत्साह और लिखने की पर्याप्त सामग्री मिली।

महाशिवरात्रि — निवेदक—

सं० २००६ — विश्वनाथराय

काशी।

Kolekar.

विषय सूची

स्विट्ज़रलैण्ड

पहला भाग

पृष्ठ संख्या

सोवियत-संघ

दूसरा भाग

पृष्ठ संख्या

स्विट्ज़रलैण्ड

(पहला भाग)

स्विट्ज़रलैण्ड

स्विस् देश का राजनीतिक विकास

दुनिया के प्रमुख जनतंत्रों में स्विट्ज़रलैण्ड का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। पूरे अर्थ में स्विट्ज़रलैण्ड ही एक ऐसा जनतंत्र देश है जहाँ जनता के द्वारा शासन होता है। अब्राहम लिंकन के प्रसिद्ध जनतंत्र* की परिभाषा के अनुरूप स्विट्ज़रलैण्ड ही आदर्श जनतंत्र है। यह एक पुराना जनतांत्रिक देश है जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ इतनी पुरानी हैं जितनी किसी देश में नहीं हैं।

स्विस् देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को जानने के लिए आवश्यक है कि स्विस् देश के निवासियों, उनकी भौगोलिक परिस्थिति तथा प्राकृतिक साधनों को जानें। प्राकृतिक साधन किसी राज्य या राष्ट्र के निर्माणमें कदाचित् सहायक न प्रतीत हों, पर स्विस् देश के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। स्विस् देश के लोग विशाल आल्पस् पर्वत के दोनों तरफ निवास करते हैं, जो उत्तर की तरफ एक लम्बे चौड़े प्लेटों की तरह फैला हुआ है। बाकी लोग पर्वतमाला की घाटियों में बसते हैं जिनमें बड़े पहाड़ों की चोटियां और बर्फीले मैदान हैं। जर्मनी से उन्हें पृथक करने वाली कोई प्राकृतिक सीमा उत्तर और पूरब में नहीं है। पश्चिम में फ्रान्स से और दक्षिण में इटली से लगा हुआ पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ों से घिरे हुए इस पहाड़ी प्रदेश में करीब-करीब तीन प्रमुख जातियाँ हैं।

---

* Democracy is a government of the people by the people and for the people.

तेरहवीं सदी के अन्त में लूज़रन झील के दक्षिण और दक्षिण-पूरब में रहनेवाली तीन छोटी ट्यूटनिक जातियों ने आपस में एक रक्षात्मक संघ स्थापित किया कि वे आपस में मिलकर उत्तर से आनेवाले बड़े जमींदारों के आक्रमण रोक सकें। पहाड़ियोंके दुर्गम स्थानों के कारण वे अपने आक्रमणकारियों को दबाने में प्रायः सफल रहे। हैप्सबर्ग वंश के बड़े जमींदारों के आक्रमणों को उन्होंने रोका।

ये पहाड़ी जातियां अपनी भूमि को जोतकर अन्न पैदा करती थीं और अपना जीवन यापन करती थीं। जंगलों और हरे भरे मैदानों को अपने लिए सुरक्षित रखना अपना कर्त्तव्य समझती थीं। इनकी समस्याएँ थोड़ी थीं। इनकी संख्या भी बहुत बड़ी नहीं थी। प्रत्येक परिवार के लोग आपस में मिलकर किसी प्रश्न को सुलझा लेते थे। सब लोगों की आपस में बैठकें होती थीं। यही लोकतंत्र का प्रारम्भ था।

कुछ समय बाद इन पहाड़ी और देहाती जातियों में कुछ नयी जातियों के लोग और कुछ नगर भी आ मिले। ज़ुरिच और लूज़रन रोमन लोगों के समय से व्यवसायिक केन्द्र हो गये थे। बर्न एक पहाड़ी दुर्ग रूप में शत्रुओं से रक्षा करने के लिए बन गया था। इस तरह १३५३ में बर्न के संघ में सम्मिलित होनेके समय संघ में आठ कैन्टन* हो चुके थे। १५१३ में अपेनजेल (Appenzell) के सम्मिलित होनेतक तेरह कैन्टन हो गये। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति तक तेरह कैन्टनों का रक्षात्मक संघ शक्तिशाली पड़ोसी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए बचा रहा।

धर्म-सुधार के आन्दोलन के समय धार्मिक प्रश्नों को लेकर आपस में मतभेद हो गये। करीब-करीब आधे कैन्टन प्रोटेसटैण्ट हो गये और बाकी आधे रोम के पोप तथा रोमनचर्च के साथ चिपके रह गये। धार्मिक मतभेद के होते हुए भी उनकी सर्वोच्च आवश्यकता जो अपने प्रदेश की रक्षा थी, उसीने संघ को जीवित रखा। संघ टूटा नहीं।

---

* कैन्टन स्विस्देश का शासकीयक्षेत्र है। भारत के प्रान्त की तरह कैन्टन समझना चाहिये। पर कैन्टन का क्षेत्र भारत के जिलों से बड़ा नहीं होता क्योंकि स्विटज़रलैण्ड छोटा देश है।

१६४८ में वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा संघ को मान्यता मिल गयी और वह एक स्वतंत्रराज्य के रूप में गिना जाने लगा। इस तरह हैब्सबर्ग साम्राज्य की नाम मात्र की सत्ता भी समाप्त हो गयी।

संघ के अन्तर्गत विभिन्न कैन्टनों में भिन्न-भिन्न तरह की राजनीतिक पद्धतियां थीं। देहाती कैन्टनों में शुद्ध जनतंत्र था, क्योंकि वे जनता की सभा के द्वारा शासन करते थे। नगरों में सामन्तशाही पद्धति थी या कहीं सामन्तशाही के साथ-साथ जनतांत्रिक पद्धति भी थी। संघ तो केवल बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए ही था। संघ की सभा में जिसे (डायट) कहते थे केवल पर‍राष्ट्र सम्बन्धी विषयों तथा उन विषयों पर जिनमें कैन्टन का संयुक्त सम्बन्ध था, विचार होता था। उनमें आनेवाले प्रतिनिधि अपने कैन्टन से प्राप्त आदेशों के आधार पर ही कार्य करते थे। कोई केन्द्रीय शासक-मण्डल नहीं था। कुछ कैन्टनों के अधीन ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें उन लोगों ने जीता था और क्षेत्रों को किसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उन क्षेत्रों के निवासियों के ऊपर कैन्टन का शासन प्रजा के रूप में होता था। १७९८ में फ्रान्स की सेना स्विस् देश में घुस आयी। पूरा संघर्ष हुआ। पुरानी पद्धति कुछ दिन के लिए समाप्त हो गयी। एक केन्द्रीय हेलवेटिक जनतंत्र की स्थापना हुई जिस केन्द्रीय पद्धति को नेपोलियन ने संघ-पद्धति में १८०३ में परिणत कर दिया। पुनः १८१५ में एक नया और वृहत्तर राज्य-संघ की स्थापना हुई। लेकिन इसके बाद भी बहुत दिनों तक मतभेद और संघर्ष चलता रहा जब १८४७ में सौन्डरबन्ड युद्ध (जो प्रोटेस्टैन्ट और कैथोलिक कैन्टनों में हुआ) अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गया और संघ के लिए घातक सिद्ध होने लगा। परन्तु इस युद्ध में कैथोलिक हार गये और प्रोटेस्टैन्टों की जीत हो गयी। १८४८ में स्विस देश का नया विधान बना। इस विधान के अनुसार स्विट्ज़रलैण्ड स्वतंत्र राज्यों का एक संघ मात्र ही नहीं रहा बल्कि एक संघराज्य के रूप में परिणत हो गया।

१८४८ का नया विधान

१८४८ का विधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान से बहुत कुछ मिलता है।

पुनः १८७४ में यह विधान बहुत वादविवाद के अनन्तर परिवर्तित और

संशोधित हुआ। स्विस् देश का यही संशोधित १८७४ का विधान है। इसी विधान से स्विट्ज़रलैण्ड का शासन-प्रबन्ध होता है। उसके बाद भी बहुत से परिवर्तन संशोधनों के द्वारा विधान में हुए हैं और परिस्थितियों के कारण नयी प्रथा भी विधान का अंग बन गयी पर आज भी स्विटज़रलैण्ड का आधारभूत विधान वही १८४८ का विधान है जो १८७४ में संशोधित हुआ।

१८७४ का संशोधन

स्विट्ज़रलैण्ड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। कुछ अधिकृत क्षेत्र जो परतंत्र थे, उन्हें भी स्विस् देश की पूरी नागरिकता प्राप्त है, और वे भी अर्द्ध-स्वतंत्र कैन्टन के रूप में परिणत हो गये हैं। आज भी उनमें मतभेद हैं। करीब दो-तिहाई लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बाकी लोग फ्रेन्च, इटालियन और थोड़े से लोग रोमेन्स* या लैडिन† बोलते हैं। धर्म के आधार पर भी लोग दो भागों में बँटे हुए हैं—प्रोटेस्टैन्ट और कैथोलिक। अन्य तरह के भी मतभेद हैं। पर इतना होते हुए, स्विस देश की एकता विचित्र है। उनमें देशभक्ति प्रथम दर्जे की है। देशभक्ति और देश के कर्त्तव्य के सामने वे अपने मतभेद भूल जाते हैं। उनकी देशभक्ति अब ६०० वर्ष पुरानी है।

———

* Romansch

† Ladin

संघ-विधान

संघ विधान

स्विस् जनतंत्र पचीस कैन्टनों का राज्य-संघ है। वहाँ का विधान संघात्मक है जिसका निर्माण १८४८ में हुआ था और १८७४ में पर्याप्तरूप में संशोधित हुआ। इनके बाद भी कितने ही छोटे मोटे संशोधन हुए। १९१८ तक इसमें बारह संशोधन हुए थे जिनमें पांच जनता के मतदान द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये।

विधान में संशोधन

विधानमें संशोधन जनताके बहुमत तथा कैन्टनोंके बहुमतसे हो सकता है। व्यवस्थापक-मण्डल की दोनों सभाएँ यदि सहमत हों तो विधान में परिवर्तन का निश्चय कर सकती हैं। पुनः विधान में परिवर्तन करने के बाद जनता की स्वीकृति जनता के मतदान द्वारा प्राप्त हो सकती है। विधान के संशोधन पर जनता की स्वीकृति आवश्यक है।

यदि संशोधन के पक्ष में व्यवस्थापक मण्डल की एक ही सभा हो या ५०,००० वोटरों के हस्ताक्षर से संशोधन की माँग हो तो विधान में उक्त संशोधन हो या न हो जनता के मतदान द्वारा निश्चित होगा। यदि मतदान देने वाले नागरिकों का बहुमत संशोधन के पक्ष में हो तो व्यवस्थापक-मण्डल के नये निर्वाचन के बाद दोनों सभाएँ विधान में परिवर्तन करेंगी। इस तरह परिवर्तित विधान जनता की स्वीकृति के लिए पुनः जन-मतदान की प्राप्ति के लिए दिया जायगा। यदि इस परिवर्तित विधान को नागरिकों का बहुमत प्राप्त हो जाता है तथा साथ ही साथ कैन्टनों का भी बहुमत हो जाता है तो इस संशोधन को स्वीकृत समझना चाहिये।

यदि विधान में पर्याप्त परिवर्तन न हो, केवल कोई एक विशेष संशोधन मात्र हो, जिसका प्रस्ताव दोनों सभाओं के द्वारा हुआ हो, या ५०,००० वोटरों

के हस्ताक्षर से माँग हो तो जनता की प्राथमिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वह संशोधन व्यवस्थापक-मण्डल के द्वारा स्वीकृत होकर जनता की स्वीकृति के लिए जायगा। जनता के हस्ताक्षर द्वारा प्रेषित माँग में संशोधित वाक्य, पद, शब्द का ही उल्लेख हो सकता है या केवल संशोधन के सिद्धान्त का ही उल्लेख हो जिसमें व्यवस्थापक-मण्डल के द्वारा उपयुक्तरूप में स्वीकार करने की माँग हो।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संघ-विधान की अपेक्षा स्विस् विधान एक लम्बा विधान है। परन्तु स्विस् विधान अमेरिकी विधान के आधार पर ही अधिकतर निर्मित है।

कार्यों का विभाजन

राष्ट्रीय और कैन्टन के सरकारों में कार्य का विभाजन अमेरिका और आस्ट्रेलिया के विधान की तरह है। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की नाईं स्विस् विधान में भी अधिकार और कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उनका उल्लेख हुआ है। राष्ट्रीय सरकार को परराष्ट्र सम्बन्ध का प्रबन्ध और नियंत्रण प्राप्त है। कैन्टन-सरकारों को संघ-सरकार की सहमति से एक दूसरे के साथ अथवा पड़ोसी विदेशी राज्यों के साथ सीमा तथा सीमा पर पुलिस के प्रबन्ध सम्बन्धी समझौता करने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु समझौता का स्वरूप राजनीतिक नहीं वरन् शासन या प्रबन्ध सम्बन्धी ही होना चाहिये।

राष्ट्रीय सरकार युद्ध-घोषणा, शान्ति-स्थापना तथा सन्धियाँ कर सकती है। इसे राष्ट्रीय सैन्य-संचालन का अधिकार प्राप्त है। कोई भी कैन्टन-सरकार संघ-सरकार की आज्ञा के बिना तीन सौ से अधिक की सेना नहीं रख सकती।

राष्ट्रीय सरकार ही संघ की सारी रेलवे की अधिकारी है तथा उसका संचालन करती है। कुछ रेलवे पर संघ-सरकार का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय सरकार संघ की सारी सम्पत्ति का प्रबन्ध करती है। पोस्ट और टेलीग्राफ, कापी राइट (स्वत्वाधिकार) करेन्सी, राष्ट्रीय राजस्व (आर्थिक व्यवस्था), बैंक, कस्टम ड्यूटी (आयात-निर्यात टैक्स), जल-शक्ति का नियन्त्रण, बारूद का एकाधिकार (Monopoly of guu powder) और अलकोहोल का उत्पादन—इन सभी पर संघ का अधिकार है। व्यवसाय पर कानून बनाने

का अधिकार, कानट्रैक्ट (भूमि के अतिरिक्त) और पूर्ण सिविल कोड (दीवानी कार्य-विधि) भी राष्ट्रीय सरकार के अधीन है। विधान के अर्थ करने का अधिकार भी राष्ट्रीय सरकार को ही प्राप्त हैं। ये अधिकार राष्ट्रीय सरकार के हैं जिनमें कैन्टन की सरकारों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

राष्ट्रीय सरकार को कुछ सम्मिलित अधिकार,(concurrent powers)प्राप्त हैं जिनमें वह कैन्टन की सरकारों के साथ भागीदार है। सम्मिलित अधिकारों में व्यवसायिक परिस्थितियाँ (Industrial condition) इनश्योरेन्स, राजमार्ग (Highways) प्रेस और शिक्षा का प्रवन्ध इत्यादि है। जब राष्ट्रीय सरकार अपने सम्मिलित अधिकारों का प्रयोग करती है तो राष्ट्रीय सरकार का कानून कैन्टन के कानून के समक्ष लागू होता है।

विधान में जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है जिसे अमेरिका में बिल आफ राइट्स (Bill of Rights) कहा जाता है। जूरी के द्वारा न्याय का उल्लेख भी नहीं है पर राजनीतिक अपराधों के लिए फांसी की सजा नहीं दी जाती ! स्विट्ज़रलैण्ड में बहुत दिनों तक रोमन चर्च तथा प्रोटेस्टैन्ट दलों में विरोध था जिसके फलस्वरूप स्विस् राष्ट्रीय जीवन अस्तव्यस्त था और गृह-युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी थी। अतः विधान में धर्म सम्बन्धी अधिकारों का उल्लेख हुआ है।

प्रत्येक कैन्टन में "विश्वास की स्वतंत्रता" और "पूजा की स्वतंत्रता" सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त है। राष्ट्रीय सरकार की अनुमति के विना कोई बिसपरिक की स्थापना नहीं हो सकती। धर्म सम्बन्धी अधिकार-क्षेत्र की कोई चर्चा स्विटज़रलैण्ड में नहीं है। नागरिक अधिकारियों के हाथ में श्मशान या कब्रगाह (Burial place) का प्रबन्ध है। धार्मिक या आर्थिक आधार पर शादी करने के अधिकार में नियंत्रण नहीं है। जेसुइट या उनसे सम्बन्धित किसी दूसरी संस्था की स्थापना नहीं हो सकती। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना या उसका प्रचार विधान द्वारा निषेध है। परन्तु इन नियमों के कारण राज्य की तरफ से स्थापित चर्च की कोई मनाही नहीं है। बल्कि कितने ही प्रोटस्टैन्ट कैन्टनों में कैन्टन अधिका

रियों की तरफ से चर्च स्थापित हैं जिन्हें संचित कोष तथा नियमों के द्वारा संचालित किया जाता है।

मुनरो ने* लिखा है कि स्विस् सरकार के तीन अंग है—व्यवस्थापक-मण्डल, शासक मण्डल और न्याय विभाग। लार्ड ब्राइस† ने लिखा है कि

राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप

स्विटज़रलैण्ड की संघ सरकार में चार अधिकारी हैं—१—व्यवस्थापक-मण्डल, २—शासक-मण्डल, ३—न्याय-विभाग या संघीय न्यायालय, ४—राज्य-संघ की जनता—जिसे अपने प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा देश के कानून पर नियंत्रण और कानून के द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। स्विट्ज़रलैण्ड ही एक ऐसा सच्चा जनतंत्र है जहाँ जनता को प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अतः जनता भी शासनतंत्र का एक आवश्यक अंग है।

संघीय व्यवस्थापकमण्डल

स्विटज़रलैण्ड के राष्ट्रीय व्यवस्थापक-मण्डल में दो सभाएँ हैं—राष्ट्र-परिषद और राज्य-परिषद। स्विसदेश की एक भाषा नहीं होने से इन सभाओं को नाम भाषा की दृष्टि से अलग अलग हैं।

Federal assembly दोनों सभाओं में एक प्रथम गृह या जनता की प्रतिनिधि सभा और दूसरी द्वितीय गृह या द्वितीय सभा है। प्रथमसभा का नाम नेशनलराथ § या कनसिल ‖ नेशनल या नेशनल काउन्सिल या राष्ट्र-परिषद है।

राष्ट्रपरिषद का निर्वाचन कैन्टनके नागरिकों के द्वारा आनुपातिक‡ प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। चुनाव के लिए कैन्टन जिलों में बँटे हुए हैं। सब से

---

* मुनरो—गवर्नमेण्टस् आफ यूरोप—पृष्ठ ७७९।

† ब्राइस—माडरन डेमोक्रैसिज—प्रथम वालुम पृष्ठ ३८५।

§ National Rath

‖ Conseil National

‡ Proportional representation

छोटे कैन्टन तथा छोटे छ अर्द्ध-कैन्टनों को एक एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। बर्नके बत्तीस तथा जूरिच के पचीस प्रतिनिधि हैं। कुल मिलाकर प्रथम सभा के सदस्यों की संख्या लगभग दो सौ है। ब्राइस() ने ठीक संख्या १८९ दी है। इस देश में पुरुष बालिग मताधिकार है। प्रत्येक स्विस् देश का पुरुष जिसकी उम्र बीस की हो चुकी है मतदान का अधिकारी है। प्रत्येक पुरुष जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है, यदि वह किसी चर्च का अधिकारी या पादरी नहीं है तो सदस्यता के लिए उम्मीदवार हो सकता है। स्विटज़रलैंड में स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है और यह प्रश्न कभी राष्ट्रीय उलझन का प्रश्न नहीं रहा है।

प्रथम सभा का कार्यकाल

राष्ट्र-परिषद् का कार्यकाल तीन वर्ष का है। अतः हर चौथे वर्ष अक्टूबर के महिने में अन्तिमसभा का निर्वाचन होता है। सभा को बर्खास्त * करने का अधिकार नहीं है। प्रति वर्ष चार बार बैठकें होती हैं—मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में। प्रत्येक सेसन के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। एक ही व्यक्ति दूसरे सेसन में उसी पद के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। मार्ग-व्यय को छोड़कर प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन की बैठक के लिए २५ फ्रांक मिलता है। सभाएँ ८ बजे प्रातःकाल ग्रीष्म ऋतु में, और नव बजे शरद ऋतु में प्रारम्भ होती हैं। प्रत्येक सेसन अधिक से अधिक तीन सप्ताह या चार सप्ताह तक चलता है।

द्वितीय सभा

काउन्सिल आफ स्टेटस् या राज्य परिषद् में अमेरिका की सिनेट की तरह प्रत्येक कैन्टन से दो सदस्य आते हैं। प्रत्येक कैन्टन में वे अपने नियमों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कुछ कैन्टनों में जनता के द्वारा तथा कुछ कैन्टनों में कैन्टन की काउन्सिल के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक कैन्टन के सदस्यों की अवधि भी भिन्न-भिन्न होती है जो उनके नियमों के द्वारा निश्चित रहती है। कुछ में

() ब्राइस-माडरन डेमोक्रैसिज ३८५

* Dissoluiton

एक वर्ष के लिए, कुछ में तीन वर्षों के लिए तथा वैलेस※ में दो वर्ष के लिए चुनाव होता है। द्वितीय सभा के सदस्यों की तनख़ाह प्रत्येक कैन्टन के द्वारा दी जाती है।

दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक कुछ कार्यों के लिए होती है। संघ की शासन-परिषद् के सदस्यों, अध्यक्ष, चान्सलर, सेनापति तथा संघीय न्यायालय के सदस्यों (जजों) का चुनाव संयुक्त बैठक में होता है। किसी कानूनी या वैधानिक प्रश्नों को सुलझाने या उसपर निर्णय देने तथा क्षमा प्रदान के लिए भी संयुक्त बैठक होती है। सयुक्त बैठक राष्ट्रीय असेम्बली के रूप में होती है जिसमें राष्ट्रीय परिषद् का अध्यक्ष चेयरमैन का काम करता है।

दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक

दोनों सभाओं के तीन अधिकार हैं—कानून सम्बन्धी, शासन-सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी। दोनों के समान अधिकार हैं। परन्तु व्यवहार में द्वितीय सभा का, जो कैन्टन का प्रतिनिधित्व करती है, कम अधिकार है। यदि दोनों सभाओं में मतभेद हो तो विधान में भेद निवारण की कोई विधि नहीं है पर भेद बहुधा नहीं होते और न भेद वैसे गम्भीर ही होते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय-परिषद से राज्य-परिषद अपनी निर्वाचन-विधि के कारण अनुदार मनोवृत्ति या प्रतिक्रियात्मक वृत्ति का द्योतक नहीं है। कानून पर अन्तिम निर्णय करने का अधिकार जनता को है। इस कारण दोनों के मतभेद निवारण की विधि का उल्लेख न होने का कोई महत्त्व नहीं है। प्रायः द्वितीय सभा राष्ट्रीय परिषद की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को संवरण कर लेती है। कभी जब राज्य-परिषद राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रस्तावित बिल को अस्वीकार करना चाहती है तो अस्वीकृत हो ही जाता है। स्विस् राज्य-परिषद को अमेरिकी सिनेट की शक्ति और मर्यादा प्राप्त नहीं है। परन्तु फ्रान्स की सिनेट से अधिक प्रभावशाली रही है।

दोनों सभाओं का अधिकार

※ Valais—एक कैन्टन जहां से राज्य-परिषद के सदस्य दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

सभा के सदस्य किसी भी तीन भाषाओं में बोल सकते हैं—जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। कोई भी दर्शक व्यवस्थापक-मण्डल की बैठकों में तीनों भाषाओं का प्रयोग सुन सकता है। इससे कोई भी व्यवहारिक कठिनाई नहीं होती। प्रत्येक शिक्षित स्विस् नागरिक तीनों भाषाओं को जानता है। तीनों भाषाएँ स्विस् देश की राज्य या सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत हैं। प्रायः सभी सरकारी प्रकाशन तीनों भाषाओं में होते हैं।

कार्य करने की विधि

स्विस् देश का नागरिक बहुत ही व्यवहारिक होता है। वह ठोस, चतुर और समझदार होता है। वह भावुक नहीं होता। इस कारण स्विस् पार्लमेण्ट में लच्छेदार, लम्बे भाषण नहीं होते। उनके वादविवाद में गर्मी और तनातनी नहीं होती। बिलकुल बातचीत के ढंग पर सरल ढंग से कार्यों का सम्पादन होता है। सभा में बड़े भाषण तो कम होते हैं और किसी को साधुवाद शायद ही मिलता है। भाषणों के समय रुकावटें अथवा आपत्तियां कम होती हैं। काम लायक थोड़े से भाषण होते हैं। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य खड़े होकर बोलते हैं तथा राज्य-परिषद के सदस्य अपने स्थान से ही बोलते हैं।

कोई सरकारी लेखनकर्त्ता नहीं होता जो भाषाओं को लिख लेता हो। अतः सभा के भाषण शायद ही समाचार-पत्रों में प्रकाशित होते हैं। कभी-कभी सभा की आज्ञा से महत्त्वपूर्ण भाषण लिख लिये जाते हैं और प्रकाशित भी हो जाते हैं। प्रत्येक सभा का आकार अर्द्धवृत्ताकार है। एक दल के सभी सदस्य एक साथ ही नहीं बैठते। प्रायः कैन्टन के हिसाब से बैठते हैं। एक प्रान्त के सदस्य एक साथ बैठते हैं। मंत्रिमण्डल या विपक्षी दल की कोई बेंच नहीं होती। क्योंकि वहां विपक्षी दल नहीं होता। शासकमण्डल के सदस्य या मंत्री लोग अध्यक्ष के दाहिने और बाएं एक मंच पर बैठते हैं। चूँकि मंत्री लोग सभा के सदस्य नहीं होते अतः वे विभिन्न पार्टियों के नेता नहीं होते। इस तरह इंग्लैण्ड या फ्रान्स में पद की लालसा से बैठने और बोलने वालों की कमी स्विस् पार्लमेण्ट में रहती है। वहां का सारा वातावरण शान्त और व्यवहारिक प्रतीत होता है। सदस्यों की उपस्थिति प्रायः ठीक और बराबर रहती है। बिना किसी विशेष कारण के अनुपस्थित रहने पर वह सदस्य

कर्तव्य-च्युत समझा जाता है और उसे उस दिन की तनखाह नहीं मिलती। स्विस् पार्लमेण्ट के निर्वाचन में भी अन्य देशों की तरह वह सरगरमी औ चहल-पहल नहीं होती। किसी तरह का अशान्त वातावरण पैदा नहीं होता प्राय: जो प्रतिनिधि पुनर्निर्वाचन के लिए उठ जाता है वह निर्वाचित हो जात है। क्योंकि स्विस् जनतंत्र में परिवर्तन कम होता है। एक बार जिस प्रतिनि में विश्वास प्रकट कर दिया गया और यदि उसने अपने कार्य को निवाहा, तब कोई उसके विरुद्ध शिकायत नहीं हुई तो उसका पुन: निर्वाचित होना कोई कठि नहीं है। स्विस् लोग अपने अनुभवी, योग्य व्यवस्थापकों, मंत्रियों, जजोंको अधि से अधिक अवसर सेवा का देते हैं। उन्हें बार-बार चुन कर अपने शासन में स्थायित्व प्रदान करते हैं।

इंग्लैण्ड या फ्रान्स की तरह पार्टियों का कार्य स्विट्ज़रलैण्ड में अधि नहीं है। पार्टियों की कोई सरकार भी स्विस् पार्लामेण्ट में देखने को नह मिलती। क्योंकि मंत्रियों को पार्लामेण्ट की सदस्यता प्राप्त नहीं है। वे बैठ और बोलते हैं पर वोट नहीं देते। यदि उनकी बात नहीं मानी गयी तो अविश्वास नहीं मानते और न उन्हें पदत्याग की आवश्यकता है। दोनों सभा में पार्टियों का संघटन ढीला है। यद्यपि प्रत्येक दल का अगुआ होता है पर उस कार्य और अधिकार बहुत कम हैं। वहां पर पार्टी ह्विप* नहीं होते और सदस्यों को बुलाने के लिए प्रतिदिन 'समनूस' भेजने की आवश्यकता पड़ती है किसी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव या बिल पर पार्टियों के प्रमुख नेताओं में एक साधार सहमति हो जाती है अन्यथा प्रत्येक सदस्य को अपनी इच्छा के अनुसार वो देने का अधिकार है।

प्रत्येक बिल दोनों सभाओं में एक ही साथ प्रस्तावित होते हैं। अन्य देशों से यह भिन्न व्यवस्था है। सोवियत यूनियन में भी यह पद्धति है

बिलोंका पस होना

इस पद्धति का गुण यह है कि कोई प्रस्ताव या बिल एक ह साथ और एक ही समय में दो भिन्न व्यवस्थापक सदस्यों द्वारा सुना और विचार किया जाता है। अमेरिका में को बिल यदि सिनेट में प्रस्तावित हुआ और वहीं अस्वीकृ

* चेतक।

हो गया तो फिर वह प्रतिनिधि-सभा में नहीं जा सकता। इसी तरह प्रतिनिधि-सभा में अस्वीकृत बिल सिनेट में नहीं जा सकता। पर ऐसी बात स्विस् पार्लमेण्ट में नहीं होती। दोनों सभाएँ एक साथ ही विचार करती हैं।

स्विस् पार्लमेण्ट का कोई सदस्य कोई बिल प्रस्तावित कर सकता है। परन्तु महत्त्वपूर्ण सभी बिल मंत्रिमण्डल के द्वारा प्रस्तावित होते हैं। प्रायः

संघीय काउन्सिल (मंत्रिमण्डल) का प्रभाव

दो तरह के कार्य सभा के समक्ष आते हैं। प्रथमतः वे कार्य जो मंत्रिमण्डल आवश्यकता के अनुसार सभा के समक्ष ले आते हैं। दूसरे वे जिन्हें जनता मांग करती है या सभा के व्यक्तिगत सदस्य चाहते हैं या कोई दल विशेष चाहता है। कोई सभा अपने प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमण्डल से प्रार्थना कर सकती है। किसी विशेष विषय पर वह उपयुक्त बिल पार्लमेण्ट में प्रस्तावित करे। इस पर मंत्रिमंडल उस बिल का प्रारूप* तैयार कराता है और तब वह मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के द्वारा सभाओं में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य के आर्थिक और राजस्व-सम्बन्धी बिलों का प्रबन्ध और सभा में प्रस्तुत करने का कार्य मंत्रिमण्डल के ऊपर ही रहता है। स्विट्ज़रलैण्ड की पार्लमेण्ट में प्राइवेट बिल या प्राइवेट मेम्बरस् बिल, जैसा इंग्लैण्ड में होता है या लोकल बिलस् जैसा अमेरिका में होता है, जैसी कोई चीज नहीं है। स्विटज़रलैण्ड में ऐसी वस्तुओं के लिए प्रबन्ध है जो प्रायः राजकीय आदेश† हो जाता है। पार्लमेण्ट का बहुमूल्य समय छोटी-छोटी बातों में खर्च नहीं होता।

स्विस् पार्लमेण्ट की दोनों सभाएँ अधिक कार्य कमेटियों के द्वारा करती हैं। कमेटियों में प्रत्येक राजनीतिक दलके सदस्य मनोनीत रहते हैं। कार्यक्रम,‡

---

* Draft

† Executive order राजकीय आदेश

‡ agenda

के सभी कार्य या प्रश्न पहले कमेटियों को दिये जाते हैं। जब कमेटी अपना कार्य समाप्त कर लेती है अर्थात् अपना निर्णय कर लेती हैं तो एक रिपोर्टर सभा में रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त होता है। यदि कमेटी में मतभेद हो तो एक दूसरा भी रिपोर्टर दूसरे पक्ष को रखने के लिए नियुक्त होता है। प्रायः संघीय काउन्सिल के द्वारा प्रस्थापित बिल कमेटियों के द्वारा परिवर्तित या अस्वीकृत नहीं होते। स्विट्ज़रलैण्ड में मंत्रिमण्डल व्यवस्थापक-मण्डल का उतने ही प्रभावशाली ढंग से नेतृत्व करता है जितना इंग्लैण्ड में होता है बल्कि कुछ विषयों में तथा स्विस परिस्थिति के कारण मंत्रिमण्डल का अधिक प्रभाव व्यवस्थापक-मंडल के ऊपर है।

समितियों की नियुक्ति

संघीय शासक-मण्डल

स्विट्ज़रलैण्ड का शासक-मण्डल अपने ढंग का निराला है। सोवियत यूनियन को छोड़कर दुनिया के प्रायः सभी देशों में शासन का अधिकारी जिसे विधान की दृष्टि में शासन सत्ताधारी कहा जा सकता है एकात्मक है। अर्थात् एक व्यक्ति चाहे वह राजा, सम्राट, राष्ट्रपति या अधिनायक कोई भी हो, उसीको विधान शासन का प्रधान मानता है। वह प्रधान शासक होता है। व्यवहार में वह स्वयं शासन न करता हो परन्तु विधान के द्वारा अथवा लोगों की दृष्टि में वही शासक है।

स्विट्ज़रलैण्ड में मण्डलात्मक† या समितिप्रधान‡ शासन है। संघीय काउन्सिल (बुन्डेसराथ ❁) स्विटजरलैण्ड की वह संस्था है जो अपने ढंग की अकेली और निराली है। किसी भी आधुनिक जनतंत्र में शासन का अधिकार एक काउन्सिल के हाथ में नहीं है और किसी भी स्वतंत्र देश में शासन-परिषद✿ दलगत राजनीति के प्रभाव से उतना मुक्त नहीं है जितना स्विस् देश की। शासन-परिषद या समिति इंगलैण्ड के मंत्रिमण्डल या कैबिनेट की तरह नहीं है। क्योंकि यह व्यवस्थापक-सभा का नेतृत्व नहीं करता। परन्तु यह व्यवस्थापक-सभा से अमेरिकी शासक-मण्डल की नाईं स्वतंत्र भी नहीं है। स्विसदेश की शासन-पद्धति में इंगलिश और अमेरिकी पद्धति दोनों मिली

---

† Plural executive

‡ जहा शासन समिति के हाथ में हो।

❁ Bundesrath

✿ शासन परिषद, शासन समिति, फेडरल काउन्सिल या बुन्डेसराथ एक ही अर्थ में प्रयोग किये गये हैं।

जुली हैं और साथ ही साथ उसकी अपनी एक अलग विशेषता भी है। यहाँ की शासन-समिति पार्टी के कार्यों से बिलकुल सम्बन्धित नहीं है। यह पार्टी के कार्य करने के लिए नहीं चुनी जाती और न पार्टी के सिद्धान्तों को ही निश्चित करती है फिर भी पार्टी का कुछ न कुछ प्रभाव या रंग उसपर रहता ही है। Federal council

इस शासन-समिति में सात सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति स्विस पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में प्रत्येक नये चुनाव के बाद पूरे चार वर्ष के लिए होती है। यदि प्रथम सभा अर्थात् राष्ट्रीय परिषद् अपने कार्यकाल के पहले ही भंग हो गयी तो उसके नये निर्वाचन के बाद पुनः नयी शासन-समिति की नियुक्ति होगी। विधान के नियम में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है कि संघीय मंत्रियों की नियुक्ति स्विस् पार्लमेण्ट के सदस्यों में से ही हो पर व्यवहारतः सदस्यों से ही मंत्री चुने जाते हैं। मंत्री चुने जाने पर वे सदस्य पार्लमेण्ट की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं और उन स्थानों की के लिए विशेष चुनाव होता है। एक कैन्टन से एक ही मंत्री चुना जाता है। प्रथा के अनुसार बर्न और ज़ुरिच से एक एक मंत्री अवश्य लिये जाते हैं। रोमन कैथोलिक कैन्टनों से भी एक मंत्री नियुक्त होता है और एक इटालियन भाषी क्षेत्र से मंत्रियों की नियुक्ति में पार्टी का कोई प्रश्न नहीं रहता। समिति में विभिन्न दल के लोग चुने जाते हैं।

उन्हीं सात सदस्यों में से एक व्यक्ति एक वर्ष के लिए स्विस पार्लमेण्ट की संयुक्त बैठक में प्रति वर्ष काउन्सिल (शासन समिति) का अध्यक्ष चुना जाता है।

राज्यसंघ का अध्यक्ष

शासन समिति का अध्यक्ष राज्यसंघ का राष्ट्रपति या अध्यक्ष समझा जाता है। राज्यसंघ के अध्यक्ष की हैसियत से वह स्विस् देश का प्रथम नागरिक है और सभी राजकीय अवसरों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह शासन–समिति की बैठकों में अध्यक्ष का काम करता है। उसे किसी विषय या प्रश्न पर समान-मत* हो जाने पर एक अधिक

* Tie

वोट या कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। उसे कोई महत्त्वपूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे कर्मचारियों को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वह किसी बिल को अस्वीकृत नहीं कर सकता और न उसे राजनीतिक या कूटनीतिक समझौता करने का अधिकार है। वह केवल राज्य-संघ का नाम मात्र का प्रधान है। परन्तु प्रथा के अनुसार वह एक सब के ऊपर मैनेजर या ओवरसियर की तरह हो गया है। उसे विभिन्न शासन-विभागों को निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। संघ की शासन-समिति ने अपनी तरफ से इस कार्य को करने का भार अध्यक्ष को दे दिया है। परन्तु अध्यक्ष किसी भी अर्थ में प्रधान मंत्री नहीं समझे जाते और न माने जा सकते हैं। उन्हें अपने सहयोगियों की नियुक्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न उनके ऊपर कोई अधिकार ही है। अध्यक्ष के वैधानिक अधिकार उतने ही हैं जितने अन्य संघीय काउन्सिल के सदस्यों के हैं।

उपाध्यक्ष

स्विस पार्लमेण्ट अपनी संयुक्त बैठक में एक वर्ष के लिए संघीय काउन्सिलरों अर्थात शासन-समिति के सदस्यों में से एक व्यक्ति को राज्य-संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का काम करता है। दूसरे वर्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष हो जाता है। विधान के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाला अध्यक्ष पुनः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष भी पुनः उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि बारी बारी से शासन-समिति के सभी सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिल जाता है। पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है यदि कम से कम एक वर्ष का समय व्यतीत हो चुका हो। अतः जो मंत्री शासन-समिति का सदस्य बहुत समय तक बना रहता है उसे दो या तीन बार अध्यक्ष होने का अवसर मिल जाता है।

सदस्यों का पुनर्निर्वाचन

शासन-समिति के सदस्यों का पुनर्निर्वाचन हो जाता है और वे जब तक रहना चाहें रह सकते हैं। १८४८ से १९३७ तक केवल छप्पन फेडरल काउन्सिलर (शासन-समिति के सदस्य) हुए हैं। यद्यपि वे कर्मठ राजनीतिज्ञ रहते हैं फिर भी

वे अपनी शासन सम्बन्धी योग्यता के कारण चुन लिये जाते हैं। चूँकि राष्ट्रीय असेम्बली जन-सेवा का स्कूल है, जहाँ लोग अपनी योग्यता सेवा तथा कार्य के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण सभा अपने हो में से योग्य व्यक्तियों को मंत्री पद से विभूषित करती है। सुन्दर अथवा प्रभावशाली व्याख्यानदाता की आवश्यकता नहीं होती बल्कि ऐसा व्यक्ति जो शासन की पेचीदी बातों से विज्ञ हो, समझदार हो, जिसका मस्तिष्क विविध राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं को शीघ्र ही ग्राह्य करने वाला हो तथा ठंढे दिमाग का हो, वही मंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है।

फेडरल काउन्सिल की मंत्रि-मण्डल से समानता

स्विस् जनतंत्र के प्रधान शासक होने के कारण फेडरल काउन्सिल के केवल शासन सम्बन्धी ही कार्य नहीं हैं बल्कि कानून निर्माण सम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी कार्य भी हैं। स्विस् सरकार अमेरिकी पद्धति के अनुसार अधिकारों के पृथक्करण के सिद्धान्त पर निर्मित नहीं है। फेडरल काउन्सिल एक मंत्रि-मण्डल है क्योंकि स्विस् पार्लमेण्ट की कार्यकारिणी समिति का यह कार्य करता है।

पार्लमेन्ट फेडरल काउन्सिल को नियंत्रित करती है और उसे दोनों सभाओं के द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को मानना आवश्यक है।

उत्तरदायित्व का स्विस् सिद्धान्त

यदि फेडरल काउन्सिलरों का कोई प्रस्ताव पार्लमेण्ट के द्वारा अस्वीकृत हो जाय तो वे इंगलैण्ड और फ्रांस की तरह पद-त्याग नहीं करते बल्कि वे अपना अभिमान पी जाते हैं और पार्लमेण्ट की आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य करते हैं। स्विस् इस सिद्धान्त को मानते हैं कि यदि मंत्रियों का कार्य पर्याप्त रूप से सन्तोषजनक है तो कोई कारण नहीं कि किसी एक बात पर पार्लमेण्ट से मतभेद होने पर उन्हें पदत्याग के लिए बाध्य किया जाय।

फेडरल काउन्सिल की बैठक में संघराज्य का अध्यक्ष चेयरमैन का कार्य करता है। निर्णय बहुमत के द्वारा होता है। अल्पमत के लोगों को पदत्याग की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वे किसी प्रधान मंत्री के द्वारा मनोनीत नहीं किये जाते और न किसी एक ही दल या पार्टी के लोग रहते हैं।

एक तरह से शासन समिति विभिन्न दलों का संयुक्त मंत्रिमंडल है। किसी प्रश्न पर मतभेद रखनेवाले अल्पमत सदस्यों को अधिकार है कि वे फेडरल काउन्सिल के निर्णय के बाद पार्लमेण्ट की बैठक में अपने विचार प्रकट करें।

दुनिया के अन्य मंत्रिमण्डलों की तरह स्विस् फेडरल काउन्सिल को भी सामूहिक और व्यक्तिगत कार्य और उत्तरदायित्व है।

फेडरल काउन्सिल और कैबिनेट में तुलना— इसकी बैठकें बराबर होती हैं। इसकी काररवाई गुप्त रखी जाती है। निर्णय बहुमत से ही होता है। अध्यक्ष स्वयं काउन्सिल का एक सदस्य है और साथ ही साथ मंत्री भी है अतः उसका सदस्य होने के नाते एक वोट होता है तथा किसी प्रश्न पर समान मत हो जाने से एक अधिक वोट उसे प्राप्त है। पर कैबिनेट के अर्थ में स्विस् काउन्सिल कैबिनेट नहीं है। कैबिनेट के लिए पार्टी की एकता आवश्यक है जो स्विस् काउन्सिल के पास नहीं है। इसके सदस्य एक ही दल से नहीं लिये जाते। और न वे आवश्यक रूप से किसी कार्यक्रम पर सहमत होते हैं। पार्टी के हित की दृष्टि से या पार्टी के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वे नहीं चुने जाते।

१९३१ के विधान संशोधन के द्वारा फेडरल काउन्सिल के लिए एक चान्सरी या सेक्रेटेरियट (सचिवालय) की स्थापना की गयी है। जिसका प्रधान एक चान्सलर होता है। चान्सलर फेडरल काउन्सिल का सेक्रेटरी का कार्य करता है। चान्सलर की नियुक्ति स्विस् पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में ही होती है। वह सिविलसरविस का प्रधान भी होता है।

काउन्सिल के सदस्यों को सामूहिक कार्य के साथ व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कार्य भी करना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य

काउन्सिलरों का व्यक्तिगत कार्य किसी विभाग का प्रधान अवश्य होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी विभाग दिये जाते हैं। कार्य का विभाजन विभागों से मालूम पड़ता है। (१) राजनीतिक विभाग (जिसमें परराष्ट्र विभाग भी सम्मिलित है (२) राजस्व और जकात (३) न्याय और पुलिस (४) गृह-विभाग (५) सैन्य-विभाग (मिलिटरी विभाग) (६) पोस्ट और रेलवे (७) पब्लिक इकानामी

(कृषि, व्यवसाय, व्यापार और श्रम)।

राजनीतिक विभाग में नागरिकता से सम्बन्ध रखनेवाला कार्य, संघीय निर्वाचन, देश से बाहर जाना या भीतर आना, प्रत्येक विभाग ब्यूरो में बटा हुआ है। ब्यूरो का कार्य स्विस् सिविल सर्विस के कर्मचारियों के द्वारा सम्पादन होता है।

संघराज्य के प्रधान शासक होने के नाते फेडरल काउन्सिल परराष्ट्र सम्बन्ध का संचालन करती है। कानूनों को कार्य रूप में परिणत करती है। सैन्य संचालन का प्रबन्ध करती है। संघ के उन

फेडरल काउन्सिल का शासन संबन्धी† कार्य

कर्मचारियों को नियुक्त करती है जिनकी नियुक्ति स्विस पार्लमेण्ट के द्वारा नहीं होती। प्रति वर्ष संघ की आमदनी का अनुमान-पत्र तैयार करती है। आय-व्यय का यह अनुमान पत्र स्विस् पार्लमेण्ट की सभाओं में राजस्व मंत्री के द्वारा उपस्थित किया जाता है। उक्त मंत्री को उस अनुमान-पत्र की व्याख्या करनी पड़ती है, उसके पक्ष में बोलना पड़ता है। अनुमान-पत्र के पार्लमेण्ट से स्वीकृत हो जाने पर फेडरल काउन्सिल को टैक्सों की वसूली और खर्च का निरीक्षण करना पड़ता है। प्रति वर्ष काउन्सिल पार्लमेण्ट को परराष्ट्र सम्बन्धी तथा गृह कार्य सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट देती है।

फेडरल काउन्सिल के सदस्यों को कानून निर्माण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। दोनों सभाओं के विचारार्थ बिलों को तैयार करना पड़ता है। कभी कभी पार्लमेण्ट के प्रस्ताव, अथवा

कानूनी संबन्धी कार्य

प्रार्थना पर ही मंत्रियों को आवश्यक बिलों की तैयारी करानी पड़ती है। पार्लमेण्ट की प्रार्थना प्रस्ताव के रूप में होती है जिसे पासचुलेट ‡ कहते हैं। बिल तैयार करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा ही बिल तैयार कराया जाता है जो विशेषतः इसी

† Executive function

‡ Postulate

कार्य के लिए नियुक्त रहते हैं। जब पार्लमेण्ट के सदस्य द्वारा कोई बिल प्रस्तावित होता है तो वह बिल किसी मंत्री को उसकी राय जानने के लिए दे दिया जाता है जिसके विभाग से सम्बन्ध रखता है। व्यवहार में स्विस पार्लमेण्ट में कोई बिल जब तक शासन-विभाग की तरफ से या उसके द्वारा अनुमोदित या उपयुक्त रूप में नहीं आता तब तक पास नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं है कि फेडरल काउन्सिल को कानून-निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप में विटो करने का अधिकार है। व्यवहारतः स्विस् प्रथा के अनुसार प्रत्येक बिल या कानून पर फेडरल काउन्सिल की राय आवश्यक इसलिए है कि वे शासन की कठिनाइयों से परिचित रहते हैं। देश की आवश्यकता प्रति दिन के शासन में भाग लेने से मालूम रहती है। बहुत बार ऐसे कानून पास हुए हैं जिन्हें फेडरल काउन्सिल नहीं चाहती रही है।

बहुत पहले फेडरल काउन्सिल वैधानिक कानूनों पर मतभेद होने पर या कोई संघर्ष होने पर निर्णय करती थी। और राज्य-संघ के सर्वोच्च शासकीय न्यायालय का कार्य करती थी। परन्तु विधान के संशोधित नियमों के द्वारा वैधानिक मुकदमों का निर्णय अब संघीय न्यायालय के द्वारा ही होता है। शासकीय कानूनों सम्बन्धी मुकदमों का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। अतः फेडरल काउन्सिल के न्याय-सम्बन्धी अधिकार समाप्त प्रायः हो गये हैं।

न्याय सम्बन्धी कार्य

संघीय न्यायालय

स्विटज़रलैण्ड संघात्मक राज्य-संघ है। इसका विधान लिखित है। अतः संघीय न्यायालय का एक महत्त्वपूर्ण स्थान देश की राजनीति में होना चाहिये पर संघीय न्यायालय बहुत महत्त्वपूर्ण संस्था नहीं है।

केवल एक ही संघीय न्यायालय* है। इसकी शाखाएँ या इसके अन्तर्गत कोई दूसरी संघीय अदालतें नहीं हैं जैसी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। इसमें चौबीस न्यायाधीश रहते हैं और नव ऐसे न्यायाधीश † होते हैं जो स्थायी न्यायाधीशों के कार्य न करने की अवस्था में उनका स्थान ग्रहण करते हैं।

उनकी नियुक्ति केवल छः वर्ष के लिए स्विस् पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में होती है। परन्तु व्यवहार में उनके कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद उन्हें पुनः नियुक्ति मिल जाती है और इस तरह जितने दिन चाहें उतने दिन वे कार्य कर सकते हैं।

न्यायालय तीन भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग उन मुकदमों को देखता है जो विधान सम्बन्धी हैं। इस में संघीय न्यायालय का मौलिक अधिकार‡ है। अर्थात् ये मुकदमे दूसरी अदालतों में नहीं हो सकते। इन मुकदमों में संघीय सरकार तथा कैन्टन की सरकारें वादी या प्रतिवादी के रूप में अधिकतर आती हैं।

दूसरा भाग कैन्टन की अदालतों से आनेवाली अपीलों को सुनता है। संघीय न्यायालय का यह अपेलेट अधिकार है।

---

* इसे जर्मन भाषा में Bundesgericht कहते हैं।

† इन्हें अंग्रेजी में substitute जज कहते हैं। स्थानापन्न।

‡ Original jurisdiction

तीसरा भाग वह है जो शासकीय अदालत❀ का कार्य करता है। इसमें ऐसे मुकदमे आते हैं जिनमें राजकर्मचारी और नागरिक सम्बन्धित हैं। यदि कोई राज-कर्मचारी अपना कार्य करते समय कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसमें किसी नागरिक को अपने नागरिक अधिकारों पर आघात सा प्रतीत होता है तो उस नागरिक को अधिकार है कि वह उक्त कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग शासकीय अदालतों में प्रस्तुत करे। इंग्लैण्ड की तरह यूरोप के अन्य देशों में ऐसे मुकदमे सर्वसाधारण की अदालत में नहीं जाते। इसके लिए ही शासकीय अदालतें बनी हुई हैं।

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति स्विस् संघ के सर्वोच्च न्यायालय को संघ के कानूनों को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कैन्टन के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है यदि संघीय न्यायालय को यह प्रतीत हो कि कोई कैन्टन का कानून संघ के कानून से संघर्षशील है। केवल इसे संघ के कानूनों के ऊपर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। विधान में साफ साफ यह लिखित है कि संघीय न्यायालय संघीय असेम्बली द्वारा पास किये कानून को प्रयोग में लायेगी। संघीय न्यायालय का स्थान लासाने‡ में है। संघीय असेम्बली के भवन और उसके कार्यालय बर्न में स्थित हैं।

❀ Administrative court
‡ Lausanne

स्थानीय संस्थाएँ

कैन्टन

स्विस् देश राज्य-संघ है। अर्थात् स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है। कभी ये स्वतन्त्र राज्य सचमुच स्वतन्त्र थे। परन्तु परिस्थितियों के कारण इन स्वतन्त्र राज्यों ने आपस में मिलकर एक नये स्वतन्त्र राज्य का निर्माण किया। इन राज्यों को कैन्टन कहते हैं। भारतवर्ष में इनका स्थान प्रान्तों जैसा है। भेद यही है कि कैन्टन स्वतन्त्र राज्य थे और भारत के प्रान्त अंग्रेजों की देन हैं। भारत के नये विधान के अनुसार प्रान्तों को राज्य कहा जायगा। स्विस् देश का विधान संघीय विधान है। अतः शासन के विषय तथा कार्य दो भागों में विभक्त हैं। जिसका उल्लेख दूसरे अध्याय में हो चुका है। यों तो विषयों की तीन लिस्ट हैं, संघीय, कैन्टन और संयुक्त लिस्ट। कैन्टन बहुत ही पुराने शासन के क्षेत्र हैं। कुछ तो बहुत ही पुराने हैं। कैन्टनों में आपस में समानता नहीं है। यों तो सभी मिलाकर पचीस कैन्टन हैं जिनमें बाईस पूरे तथा तीन अर्द्ध-कैन्टन। सबकी अपनी-अपनी सरकारें हैं। क्षेत्रफल और जन संख्या दोनों तरह से कैन्टन एक दूसरे से भिन्न हैं।

ग्रिस्नस का क्षेत्रफल २७७३ वर्ग मील, बर्न २६५७ वर्ग मील तथा जग केवल ९२ वर्ग मील है। १९१५ में बर्न की जन संख्या ६६५,०००,जूरिच की ५३८,०००, और ग्लेरस की केवल ३४००० थी। पन्द्रह कैन्टनों में जर्मन भाषा,तीन में फ्रेंच, एक में इटालियन, दो में सम्मिलित भाषाएँ तथा बर्न में जर्मन अधिक और फ्रेंच कम—इस तरह कैन्टन की भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं।

कैन्टन के अधिकार अमेरिका के राज्यों की तरह हैं पर कनाडा के प्रान्तों से अधिक हैं। संघ को जो अधिकार नहीं दिये गये हैं उन अधिकारों के सम्बन्ध में कैन्टन पूर्ण रूप से सत्ताधारी हैं। कैन्टन को पूर्ण सत्ता प्राप्त है जहाँ संघीय विधान के द्वारा कैन्टन की सत्ता सीमित नहीं है और इस तरह संघ सरकार

को जो अधिकार नहीं दिये गये हैं वे सब कैन्टन को प्राप्त हैं। इन में विशेषतः कर लगाना (जकात करके अतिरिक्त), शिक्षा व्यवसायिक कानून, कान्ट्रैक्ट सम्बन्धी कानून (व्यापार और व्यवसाय सहित) और फौजदारी के कानून (जो संघ सरकार के अधिकार में नहीं है)—सभी कैन्टन के विषय हैं।

शासन की दृष्टि से कैन्टन दो तरह के हैं—

(१) जहाँ शासन प्रत्यक्ष रूप में जन-सभाओं के द्वारा होता है (२) प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं के द्वारा।

उरी और ग्लेरस तथा चार अर्द्ध-कैन्टन में जन-सभा के द्वारा शासन होता है। प्रत्येक वयस्क पुरुष जन-सभा का सदस्य है और बोल सकता है तथा अपना वोट दे सकता है। इस सभा की बैठक वर्षमें एक बार खुली हवामें होती है। इसका अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो एक वर्ष के लिए कैन्टन का शासक चुना जाता है उसे लेण्डमान (Landamman) कहते हैं। यह सभा कानून बनाती है, प्रस्ताव पास करती है, काउन्सिल के द्वारा बनाये हुए नियमों को स्वीकार करती है, आर्थिक तथा जन-कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय करता है, और प्रधान कर्मचारियों, जजों तथा एक प्रबन्ध-कारिणी समिति को चुनतो है।

उन कैन्टनों में जहाँ शासन प्रतिनिधियों के द्वारा होता है वहाँ—एक बड़ी काउन्सिल* होती है। यह बड़ी काउन्सिल कैन्टन की व्यवस्थापिका-सभा है। शासनके कार्य के लिए एक छोटी काउन्सिल होती है जिसे शासन समिति या क्लीनरराथ (Kloiner Rath) कहते हैं। शासन समिति में पाँच से तेरह सदस्य होते हैं। समिति के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। बड़ी काउन्सिल बड़े जजोंको नियुक्त करती है। कहीं कहीं जजोंका भी निर्वाचन ही होता है। कैन्टन के द्वारा पुलिस का प्रबन्ध होता है जिसे संघ के कानूनों को भी कार्यरूप में लाना पड़ता है।

कैन्टनल काउन्सिल का निर्वाचन डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होता है। इसका कार्य काल तीन या चार वर्ष का होता है। इसके बाद प्रायः इनका पुनर्निर्वाचन हो जाता है। इनकी तनखाह बहुत कम होती है। इस काउन्सिल की बैठक

* Grand Council

साल में दो बार होती है। कैन्टन के शासन पर इसका नियंत्रण रहता है। कैन्टन के आय-व्यय के अनुमान पत्र को पास करता है। शासन का प्रबन्ध एक छोटी शासन-समिति के द्वारा होता है। छोटी समिति नियम के अनुसार बड़ी काउन्सिल के अन्तर्गत होती है। बड़ी काउन्सिल के आदेश के अनुसार छोटी समिति को कार्य करना पड़ता है। छोटी समिति के निर्णयों को बदलने का भी अधिकार बड़ी काउन्सिल को प्राप्त है। छोटी समिति के सदस्यों को बड़ी काउन्सिल की बैठकों में बोलने का अधिकार है। छोटी समिति के प्रभाव, उसके सामाजिक गौरव तथा अनुभव और ज्ञान का असर बड़ी काउन्सिल पर होता है। छोटी समिति अपनी रिपोर्ट बड़ी काउन्सिल को पेश करती है। अन्य प्रस्ताव तथा बिल को तैयार करके प्रस्तुत करती है। छोटी समिति के पास वह शक्ति है जो उसे आफिस में स्थायित्व प्रदान करने से अनुभव के रूप में प्राप्त है क्योंकि इसके सदस्य अपने कार्यकाल के समाप्त हो जाने पर पुनः बार-बार चुन लिये जाते हैं। पर सभी कैन्टन में ऐसा ही नहीं होता। राजनीतिक पार्टियों के कार्य या स्थानीय समस्याओं के कारण पार्टियों की शक्ति में हेर-फेर हो जाता है। लार्ड ब्राइसके शब्दों में शासन-समिति एक व्यवहारिक बोर्ड है जिसमें राजनीतिक रंग की कमी होती है। और जहाँ पर बड़ी तथा छोटी काउन्सिल और समिति को जनता ही चुनती है वहाँ दोनों में काफी अच्छा व्यवहारिक सम्बन्ध रहता है। चूँकि छोटी समिति का चुनाव जनता के द्वारा होता है इसलिए बड़ी काउन्सिल के प्रस्तावों या कार्यों के प्रति उपेक्षा की दृष्टि होगी, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा अल्प संख्यक को भी प्रतिनिधित्व व्यवस्थापक सभा और शासन समिति दोनों में प्राप्त हो जाता है। स्विस् देश के लोगों का यह ख़्याल है कि अल्पसंख्यक का भी उचित प्रतिनिधित्व और मान आवश्यक है। कितने ही कैन्टनों में 'जेनरल टिकेट[1]' पर भी एक या दो अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को प्रवेश मिल जाता है। स्विस् देश में लोग पार्टियों के प्रचार और बहकावे में कम आते

[1] जिन कैन्टनों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है वहाँ पर जेनरल टिकेट पर अल्प संख्यक भी चले जाते हैं।

हैं। पार्टियों का प्रभाव उन शहरों में अधिक हैं जहाँ मजदूर वर्ग ज्यादा है। लोग व्यक्ति के गुण, योग्यता, अनुभव, ईमानदारी को देखकर वोट देते हैं। अतः कोई उम्मेदवार बहुमत दल का हो इसी कारण वोट नहीं प्राप्त कर लेता। यदि उसके मुकाबले में अल्पसंख्यक दलका उम्मेदवार अधिक योग्य है तो उसी को लोग वोट देते हैं। स्विस् कैन्टन बहुत बड़े नहीं हैं। योग्य लोगों को लोग जानते हैं। सभी लोग एक दूसरे से परिचित रहते हैं। अतः ऐसी अवस्था में निर्णय करना कठिन नहीं हैं कि कौन व्यक्ति कैन्टन के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होना चाहिये।

स्विस् देश में कैन्टन की सेवा करना कर्तव्य समझा जाता है पर उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। पुराने समय में लोगों को पबलिक पद स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। आज भी कितने कैन्टन में वोट न देने पर जुर्माना होता है।

कम्युन

कैन्टन में शहर, नगर, गांव सभी पाये जाते हैं। छोटे-छोटे गांवों से लेकर जेनेवा और जूरिच जैसे बड़े शहर भी हैं। ऐसे नगर हैं जो गांवों से बड़े हैं पर ये शहर नहीं हैं। पर शहर, नगर या गांव सभी के लिए एक ही पद का प्रयोग होता है। ये कम्युन कहे जाते हैं। कम्युन का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ स्थानों में कम्युन कैन्टन की तरह पुराने हैं और कुछ स्थानों में कैन्टन से भी पुराने हैं। कम्युन पुराने समय से ही स्विस् देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में एक विशेष स्थान रखता रहा है। कम्युन के सामूहिक जीवन में वहां के निवासी अपना पूरा समय देते थे। अधिक से अधिक उत्साह के साथ भाग लेते थे। कम्युन के सामूहिक जीवन में प्रारम्भ से ही प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार था। आज भी राष्ट्र के राजनीतिक जीवन का 'प्रथम-क्षेत्र' या यूनिट है। स्थानीय लोक-जीवन का यही केन्द्र है। यदि कोई व्यक्ति स्विस् देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रथम किसी कम्युन में रहना आवश्यक होगा। किसी कम्युन में सदस्य होने पर उसे कैन्टन और राज्य-संघ की नागरिकता प्राप्त होगी।

छोटे-बड़े सभी मिलाकर स्विस् देश में ३१६४ कम्युन हैं। कम्युन अमेरिका के टाउनशिप के समान हैं। इनका क्षेत्रफल और इनकी जनसंख्या में काफी भिन्नता है। स्थान विशेष की आवश्यकता और महत्ता के अनुसार कार्य करते हैं। प्रायः इन्हें स्थानीय समस्याओं से ही अधिक सम्बन्ध है—शिक्षा, पुलिस, गरीबों की सहायता (Poor-relief) तथा पानी का प्रबन्ध—कहीं कहीं कैन्टन अधिकारियों की सहायता से करते हैं। कम्युन सम्पत्ति का भी अधिकारी होता है। देहाती कम्युन कम्युन के जंगल और चरागाह की देख-रेख और निरीक्षण का प्रबन्ध करते हैं।

जर्मनभाषी कैन्टनों के देहाती और छोटे नगर वाले कम्युनों में सारे वयस्क नागरिक सभा में एकत्र होकर कम्युन की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते तथा निर्णय करते हैं। इन कम्युनों में प्रायः प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की पद्धति है। कम्युन-सभा या नगर-सभा या ग्राम-सभा के द्वारा ही सारा कार्य होता है। बड़े-बड़े कम्युन तथा फ्रेंच भाषी कम्युन में नागरिक एक कम्युनल या म्युनिसिपल काउन्सिल का निर्वाचन करते हैं। म्युनिसिपल काउन्सिल ही कम्युन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। काउन्सिल का चेयरमैन या मेयर (Maire) होता है जिसके विशेष कार्य और अधिकार होते हैं। काउन्सिल का चुनाव तीन वर्ष के लिए होता है। शहर की म्युनिसिपल काउन्सिलों को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं जैसे—गैस, बिजली, पानी का प्रबन्ध तथा कितने ही शहरी कम्युन के अपने ट्रामवेज भी हैं। कम्युन के कर्मचारी अधिक तनख्वाह नहीं पाते पर बड़ी योग्यता और ईमानदारी से काम करते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप बड़े शहरी कम्युन में भी नहीं पाया जाता। टैक्स भी अधिक नहीं हैं पर पहले की अपेक्षा अब अधिक होते जा रहे हैं। स्कूल अध्यापक भी जनता के द्वारा थोड़े ही समय के लिए चुने जाते हैं।

शहरों में चुनाव के समय पार्टियां कार्य करती हैं। पर अधिकतर संघर्ष नहीं हो पाता, क्योंकि प्रत्येक पार्टी के प्रमुख या योग्य सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। देहाती क्षेत्रों में दलगत राजनीति कम देखने में आती है। स्विस् देश में स्थानीय स्वायत्त शासन की बुनियाद बहुत ही प्राचीन समय से रही है। जनता ने इसमें प्रारम्भ से ही अपने हित को पहचाना और उसमें भाग लिया। अतः ये संस्थाएं स्विस् देश के नागरिक जीवन में बहुत महत्व् रखती हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन केवल शासन की प्राथमिक यूनिट ही नहीं हैं बल्कि नागरिकता तथा देश-प्रेम और राजनीति की सबसे सुन्दर ट्रेनिंग यहीं प्राप्त होती है। संघके व्यवस्थापक और मन्त्रियों को पहले यहीं ट्रेनिंग प्राप्त होती है। स्विस देश की जनतांत्रिक संस्थाओं की सफलता और स्थायित्व का यही कारण है कि स्विस् देश के नागरिकों को अपनी स्थानयी स्वायत्त शासन की संस्थाओं में पर्याप्त दीक्षा मिल जाती है।

सिविल सरविस और सेना

संघ के राज-कर्मचारी राजधानी में तथा सारे देश में फैले हुए हैं। उनकी नियुक्ति फेडरल काउन्सिल के द्वारा होती है (उनको छोड़कर जो राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा नियुक्त होते हैं) बड़ी जगहों पर नियुक्ति केवल तीन वर्ष के लिए होती है। परन्तु पुनर्नियुक्ति के कारण सरविस को स्थायी ही समझा जाना चाहिये। राजनीतिक कारणों के लिए शायद ही कोई बर्खास्त किया जाता है। नियुक्ति में भी राजनीतिक विचार नहीं रखा जाता यद्यपि मनोवृत्ति हो सकती है कि बहुमत दल के लोगों की नियुक्ति हो। अमेरिका की भ्रष्ट पद्धति (speoil system) जैसी कोई चीज स्विस् देश में नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां तनखाहें बहुत कम दी जाती हैं। युद्धजनित समस्याओं के कारण तनखाहों में वृद्धि हुई है तथा इतने पर भी संतोष नहीं है। लेकिन वृद्धि होने पर भी अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। सरकारी नौकरी में प्रवेश के लिए कोई आकर्षण धन-प्राप्ति का नहीं है। वहां जनमत भी जागरूक है। यदि दलगत राजनीति के कारण अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की चेष्टा हो तो जनमत उसे स्वीकार नहीं करेगा। संघ के अन्तर्गत पोस्टल, जकात विभाग, रेलवे, सेना, परराष्ट्र विभाग के अफसर होते हैं। स्विस् देश में अफसरों की संख्या बहुत कम है। वे थोड़े लोगों से अपना काम चला लेते हैं।

संघ के कर्मचारी संघ असेम्बली के सदस्य नहीं हो सकते। उसी तरह कैन्टन के कर्मचारी कैन्टन की व्यवस्थापक-सभा में नहीं बैठ सकते। पर कैन्टन के कर्मचारी संघ असेम्बली में आ सकते हैं। संघ और कैंटन के कर्मचारियों को राजनीति तथा चुनाव में काम करने का अधिकार है। परन्तु उनसे

यह आशा नहीं की जाती कि वे किसी दल के संघटन और प्रचार में सबसे प्रमुख भाग लेंगे।

कैन्टन में कर्मचारियों की नियुक्ति शासन-समिति के द्वारा होती है। ये कर्मचारी अधिकतर पुलिस, पब्लिक वर्क्स विभाग तथा कर वसूल करने वाले होते हैं। इनकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है। अतः सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का खिंचाव नहीं है।

स्विट्जरलैण्ड चारो तरफ बड़े प्रभावशाली राज्यों से घिरा हुआ है। एक समय था जब एक तरफ हैबसबर्ग साम्राज्य, दूसरी तरफ फ्रांस, तीसरी तरफ इटली के छोटे-छोटे राज्य; बाद में जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रांस तथा इटली। प्रथम युरोपीय युद्ध के बाद जर्मनी, फ्रान्स और इटली। हिटलर और मुसोलिनी के प्रभावशाली दिनों में स्विस् देश के लोगों के लिए बड़े बुरे दिन थे। पर सदैव से ही अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए ये लड़ते आये हैं। इनके देश और राष्ट्र का निर्माण ही इसी बुनियाद पर हुआ। अतः स्विट्जरलैण्ड में प्रत्येक नागरिक को बीस वर्ष की उम्र से लेकर बत्तीस वर्ष की उम्र तक सेना में काम करना होता है। इसमें प्रत्येक नागरिक को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके बाद प्रति वर्ष इन्हे कवायद करना अथवा सेना में आकर रहना पड़ता है। इस तरह के दल को एलाइट या आसजग (elite or auszug) कहते हैं। बत्तीस वर्ष की उम्र के बाद वे रिजर्व फोर्स में चले जाते हैं और इस तरह बयालीस वर्ष की उम्र तक इसमें भी रहना पड़ता है। स्विस् देश को कोई नया प्रदेश नहीं जीतना है। उसे अपनी स्वतन्त्रता तथा अपनी निष्पक्षता की रक्षा करनी है। यूरोप में यही एक देश है जो नयी भूमि की इच्छा नहीं रखता। जनमत संग्रह † से स्वीकृत १९०७ का सैन्य कानून ही आधारभूत कानून है। इसके द्वारा कैन्टन के लोग मेजर तक की नियुक्ति करते हैं। मेजर के ऊपर संघ काउन्सिल के द्वारा नियुक्ति होती है। संघ की १।३ आय रक्षा विभाग में खर्च होती है।

स्विस् देश के पास कोई मार्ग ऐसा नहीं है जिससे वह दुनिया के अन्य देशों से अपना सम्पर्क स्थापित कर सके। यह देश चारो ओर अन्य देशों से

† Referendum.

घिरा हुआ है। इसके पास कोई समुद्र नहीं है और न सामुद्रिक मार्ग ही है। इसलिए जर्मनी की सदिच्छा पर इसे निर्भर रहना पड़ता है। अपने भोजन और कोयले के लिए जरमनी से सहायता लेना अनिवार्य है। दुनिया के बाजार से सम्बन्ध रखने का एकमात्र तरीका जरमनी से होकर ही है। हवाई जहाज के युग में भी दूसरे राज्य से होकर गुजरना आवश्यक है। परराष्ट्र सम्बन्ध के ऊपर स्विस् लोगों में मतभेद नहीं है।

जनता के द्वारा कानून-निर्माण की व्यवस्था

स्विट्जरलैण्ड जनता के द्वारा कानून-निर्माण की व्यवस्था का प्राचीन गृह है। किसी न किसी रूप में ये संस्थाएं स्विस् देश के कैन्टन और कम्युन (स्थानीय नगर और गाँवों) में बहुत ही प्राचीन समय से चलती आयी हैं। यहीं से दुनियाँ के अन्य देशों में अनुकरण के रूप में ली गयी हैं। सचमुच लोकतन्त्र की संस्थाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं। इन संस्थाओं के द्वारा व्यवस्थापक-सभा के रहते हुए भी जनता अपनी इच्छा के अनुसार कानून बना सकती है। आधुनिक लोकतन्त्र के विद्यार्थी के लिए स्विस् राजनीतिक पद्धति में अन्य कोई महत्त्व की वस्तु नहीं है।

पुराने समय में राज्यों की सीमाएं छोटी थीं। अर्थात् ग्रीकनगर-राज्य या भारत में प्राचीन ग्राम पंचायतें प्रारम्भ के राज्य थे। इन राज्यों में विशेषतः भारतीय ग्राम पंचायतों में ग्राम-सभा के माध्यम से सारा कार्य होता था। जब राज्य बड़े होने लगे तो ये ग्राम-सभाएँ भी समाप्त हो गयीं। क्योंकि राज्य के बड़े हो जाने पर सभी लोगों का एक स्थान पर इकट्ठा होना कठिन हो गया। मध्यकालीन युग में ये संस्थाएं समाप्त हो गयीं। बड़े राष्ट्रों का आविर्भाव हुआ। इस तरह जब वैधानिक स्वतन्त्रता लोगों को मिली तब अधिकार प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं को प्राप्त हुए। परन्तु स्विस् देश के कुछ कैन्टन और देहाती कम्युन में यह प्रथा चलती रही और जनता के द्वारा प्रत्यक्षतः शासनमें हाथ बटाने की भावनाको उन्होंने जनाया और जाग्रत किया। स्विस् देश के सामन्तवादी कैन्टन विशेषतः बर्न और ज़ुरिच में शासन के गम्भीर विषयों पर लोगों की राय जानने के लिए शासकलोग प्रबन्ध करते थे। जेनेवा में जनता के अधिकार को सदैव सुरक्षित रखने के लिए सामन्तवादी शासन और जनता में सदैव संघर्ष चलता रहा। यह अठारहवीं सदी तक की

घटना है। रूसो का विश्वास था कि कोई सरकार अपने को जनता की सरकार नहीं कह सकती जब तक जनता प्रत्यक्षरूप से शासन में हाथ नहीं बटाती।

फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति के अस्थयी प्रभावों के समाप्त होने के बाद स्विस् देश के देहाती कैन्टन में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष शासन की व्यवस्था पुनः चालू हो गयी। उन्हें यह प्रथा पुराने समय से मालूम थी। उसी के अनुसार उनके यहाँ कार्य होता था पर फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति तथा केन्द्रीकरण की पद्धति से यह संस्था कुछ समय के लिए बन्द हो गयी थी पर पुनः प्रारम्भ हो गयी। १८३० से लेकर १८४८ के परिवर्तन-काल के भीतर कैन्टनों के विधान बने और व विधान जनता की स्वीकृति के लिए दिये गये और उनके मतदान (वोट) के द्वारा निर्माण हुए। सारे स्विस् देश के लिए एक संघ-विधान भी जनता की स्वीकृति के लिए १८०२ में दिया गया था पर जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। पुनः १८४८ में कैन्टनों की जनता ने ही संघ-विधान को स्वीकृत किया जो आज भी संघ का आधारभूत विधान है। १८३१ में ही सेन्ट गैलन ने यह नियम बनाया था कि कैन्टन की असेम्बली के द्वारा पास किया हुआ कानून कम्युन के वोट के द्वारा अस्वीकृत हो सकता था। इस प्रकार के 'विटो' * किसी न किसी रूप में अन्य कैन्टनों के द्वारा भी मान लिये गये।

अन्त में इसी प्रथा के अनुसार सभी प्रान्तों (कैन्टनों) की जनता को व्यवस्थापक-सभा के द्वारा प्रेषित कानून को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। इसी को रेफरेन्डम कहते हैं। इसका नाम रेफरेन्डम इसलिए पड़ा कि पुराने राज्य-संघ की असेम्बली (Dict) में जो कैन्टन के प्रतिनिधि आते थे वे असेम्बली के किसी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक वे अपने कैंटन को उस प्रस्ताव के ऊपर स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रेषित करके उनकी राय न जान लेते। स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रेषित विधि ही को रेफरेन्डम कहते हैं।

* Veto—वह अधिकार है जिसके द्वारा किसी बिल को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

कानून-निर्माण में जनता की स्वीकृति वाली प्रथा के साथ एक दूसरी प्रथा भी चली जिसमें जनता को यह अधिकार था कि वह व्यवस्थापक-सभा की सहमति के बिना स्वयं कोई बिल या प्रस्ताव प्रस्तुत करे। १८४५ में वाड ❀ ने अपने विधान में यह धारा स्वीकृत किया कि ८००० वोटर अपने हस्ताक्षर से यह माँग कर सकते हैं कि कैन्टन की काउन्सिल किसी कानून पर जनता की स्वीकृति या अस्वीकृति जनता के मतदान द्वारा प्राप्त करे और धीरे धीरे दूसरे कैन्टनों ने भी इसे स्वीकार किया। १८४८ से ही जनता को यह अधिकार प्राप्त था कि ५०,००० वोटरों के हस्ताक्षर सहित प्रार्थनापत्र के द्वारा विधान में संशोधन की माँग हो सकती थी। १८९१ के विधान में इस तरह का संशोधन हो हो गया कि ५०,००० वोटरों के हस्ताक्षर सहित प्रार्थनापत्र के द्वारा विधान में किसी निर्देशित संशोधन की व्यवस्था जनता के वोट के द्वारा हो सकती है। इसे वैधानिक इनिसियेटिव कहते हैं। इसमें इसकी विशेषता यह है कि इस विधि के द्वारा निश्चित हस्ताक्षर सहित प्रार्थनापत्र के द्वारा जनता की माँग किसी कानून के पास करने या विधान में संशोधन के लिए होती है। इस माँग पर संघ या कैन्टन की सरकार इसे जनता के मत के लिए भेजती है।

इन दोनों विधियों के द्वारा जनता को प्रत्यक्षरूप में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है।

पुराने समय में नगरों और ग्रामीण प्रजातन्त्रों में नागरिक सभा या ग्राम सभा का होना सम्भव था पर अब तो आधुनिक शहरों में जहाँ लोगों की संख्या लाखों तक हो गयी है एक स्थान में मिलना सम्भव नहीं है। फिर बड़े राज्यों में तो असम्भव ही है। अतः प्रार्थनापत्र के द्वारा जनता की माँग तथा राष्ट्रीय व्यवस्थापक-सभाओं से बिलों के पास होने पर जनता की राय के लिए प्रेषणविधि से जनता के प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का प्रयोग होता है।

रेफरेन्डम † की प्रयोग-विधि

(क) संघ में रेफरेन्डम—(संघीय व्यवस्थापक-मण्डल के द्वारा कोई

❀ Vaud एक स्विस् देश का कैन्टन (प्रान्त)

† जन-मतदान-प्रेषण

बिल या प्रस्ताव पास होने पर जनता के मतदान के द्वारा स्वीकार या अस्वीकार के लिए प्रेषण को रेफरेन्डम कहेंगे।)

जनता के मतदान के लिए यह प्रेषण विधि—निम्न लिखित अवसरों पर प्रयोग में आती है—

(१) संघीय विधान के किसी भी संशोधन पर।

संघ के विधान में संशोधन तभी हो सकता है जब जनता के मतदान द्वारा बहुमत प्राप्त हो तथा कैन्टनों का भी बहुमत हो।

(२) सभी संघ के कानूनों तथा प्रस्तावों पर जनता के मतदान की आवश्यकता होती है जब ३०,००० मतदाताओं (Voters) के हस्ताक्षर से प्रार्थनापत्र के द्वारा रेफरेन्डम की माँग की गयी हो अथवा आठ कैन्टनों ने किसी प्रस्ताव या कानून पर रेफरेन्डम की माँग की हो।

(ख) कैन्टन में रेफरेन्डम—

(१) कैन्टनों के विधान में किसी तरह के परिवर्तन के लिए जनता की स्वीकृति आवश्यक है।

(२) कैन्टनों की व्यवस्थापक-सभाओं द्वारा पास किये गये प्रस्तावों तथा कानूनों पर निम्नलिखित क्रम से (अ) आठ कैन्टनों में सभी प्रस्तावों और कानूनों पर। (इसे अनिवार्य-जनमत संग्रह* कहते हैं।)

(ब) सात कैन्टनों में निश्चित संख्या में मतदाताओं की माँग पर (प्रत्येक कैन्टन में संख्या पृथक् पृथक् है)। इसे वैकल्पिक जनमतसंग्रह ‡ कहते हैं।

(स) तीन कैन्टनों में रेफरेन्डम कुछ कानूनों और प्रस्तावों के लिए अनिवार्य है और कुछ के लिए वैकल्पिक।

(द) एक कैन्टन (फ्रिबर्ग) में साधारण कानूनों पर कोई रेफरेन्डम की व्यवस्था नहीं है।

जिन कैन्टनों में नागरिकों की प्राइमरी असेम्बली के द्वारा शासन होता है वहाँ रेफरेन्डम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी नागरिक असेम्बली के सदस्य हैं।

जो प्रस्ताव अत्यन्त आवश्यक (urgent) हैं वे जनता की स्वीकृति के लिए नहीं भेजे जाते। आय-व्यय का अनुमान पत्र तथा शासकीय निश्चय सम्बन्धी प्रस्ताव भी जनता की स्वीकृति के लिए नहीं जाते।

* Obligatory Referendum. ‡ Optional Referendum

इनिसियेटिव

इनिसियेटिव वह पद्धति है जिसके द्वारा निश्चित संख्या में जनता किसी कानून के निर्माण के लिए अथवा विधान में संशोधन के लिए प्रार्थनापत्र के द्वारा जनता के मतदान कराने की माँग प्रस्तुत करे।

(क) राज्य-संघ में—

पचास हजार (५०,०००) नागरिकों के हस्ताक्षर से विधान में परिवर्तन के लिए मांग करना। यह मांग किसी निश्चित प्रस्ताव के रूप में संशोधन के लिए राष्ट्रीय असेम्बलीके पास भेजा जाता है और राष्ट्रीय असेम्बली उसे जनता के मतदान के लिए भेजती है। या असेम्बली को ही किसी संशोधन को तैयार करने की मांग के रूपमें प्रस्ताव हो सकता है। जिसके ऊपर असेम्बली जनतासे ऐसे संशोधन करने या करानेकी स्वीकृति लेती है तथा उस संशोधन के असेम्बली द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर पुनः जनता के मतदान के लिए दोबारा भेजा जाता है।

(ख) (जेनेवा के अतिरिक्त) सभी कैन्टनों में—

(१) किसी निश्चित संख्या में नागरिक विधान का साधारण संशोधन या किसी विशेष संशोधन की मांग प्रार्थना पत्र के द्वारा उपस्थित कर सकते हैं।

(२) (लूजरन, फ्रिवर्ग, तथा वैलेस) को छोड़कर सभी कैन्टनों में—

किसी निश्चित संख्या में नागरिक अपने प्रार्थना-पत्र के द्वारा एक नया कानून का प्रस्ताव या कोई नया प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं या कैन्टन की ग्रैन्ड काउन्सिल को किसी सिद्धान्त के आधार पर कानून बनाने का आग्रह कर सकते हैं। इसके ऊपर ग्रैन्डकाउन्सिल उस प्रस्ताव के आधार का कोई कानून बने या न बने जनता की प्रारम्भिक स्वीकृति जनसाधारण के मतदान के द्वारा लेती है। पुनः उक्त आधार पर कानून बनाकर अन्तिम स्वीकृति के लिए जनता के मतदान के लिए वह भेजा जाता है।

अतः जनता के द्वारा प्रत्यक्षनियम-निर्माण की पद्धति संघ में इस प्रकार प्रयोजित है—

(१) असेम्बली के द्वारा प्रस्तावित विधान में संशोधन।

(२) प्रार्थनापत्रके द्वारा ५०,०००नागरिकोंकी माँग पर विधानमें संशोधन।

(३) किसी साधारण कानून पर रेफरेन्डम की माँग ३०००० जनता अथवा आठ कैन्टन के द्वारा हो। कैन्टन में यह प्रयोग-विधि अधिक व्यापक है—

(१) जनता के मतदान के लिए कैन्टन की काउन्सिल के द्वारा प्रस्तावित वैधानिक संशोधन पर।

(२) निश्चित संख्या में नागरिकों के प्रार्थनापत्र पर वैधानिक संशोधन के लिए कैन्टन में—

(अ) व्यवस्थापक के द्वारा प्रस्तावित सभी कानूनों पर।

(ब) निश्चित संख्या में नागरिकों के प्रार्थनापत्र के द्वारा सभी साधारण कानूनों पर।

पद्धति का व्यवहारिक रूप—किसी कानून या प्रस्ताव पर संघ में रेफरेन्डम—जब कोई कानून राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा पास होता है तो वह सरकारी गजट या पत्र में प्रकाशित हो जाता है और प्रत्येक कैन्टन में कम्युन के द्वारा प्रचार के लिए भेजा जाता है। प्रकाशित होने के नब्बे दिन के बाद कानून कार्यरूप में परिणत होता है। इन्हीं नब्बे दिनों के भीतर आठ कैन्टन अथवा ३०,००० जनता प्रार्थना-पत्र के द्वारा उस कानून को जनता के मतदान के लिए माँग कर सकते हैं। कैन्टन की सरकारें अधिकतर ऐसा काम नहीं करतीं।

प्रस्तावित कानून के विरोधी जनता में हस्ताक्षर के लिए दौड़ते हैं। कभी-कभी उसके लिए अस्थायी संघटन भी स्थापित हो जाता है। हस्ताक्षर करावे के लिए एजेन्ट भी रखे जाते हैं। और प्रत्येक हस्ताक्षर के हिसाब से उन्हें खर्च भी मिलता है। कभी कभी बहुत से हस्ताक्षर गलत रहते हैं। एक ही हाथ से किये हुए हस्ताक्षर मिल जाते हैं या हस्ताक्षर पर कम्युन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर के रूप में प्रमाण नहीं रहता। इस तरह कितने हस्ताक्षर अप्रमाणित

घोषित कर दिये जाते हैं। जब संघीय काउन्सिल (संघ की शासन-समिति) हस्ताक्षरों को पर्याप्त समझकर उसे स्वीकार कर लेती है तो कैन्टन की काउन्सिलों को सूचना भेज दी जाती है। सारे देश में वह कानून प्रकाशित कर दिया जाता है। उस कानून के प्रकाशित होने और चारो तरफ बाँटने के चार सप्ताह के बाद जनता के मतदान के लिए दिन निश्चित हो जाता है। इसके बाद विभिन्न दलों की तरफ से उस कानून की आवश्यकता के अनुसार आन्दोलन पक्ष या विपक्ष में प्रारम्भ हो जाता है। बिना किसी टीका-टिप्पणी के कानून की एक प्रति प्रत्येक नागरिक-मतदाता के पास भेजा जाता है। सभाएँ होती हैं जहाँ असेम्बली के सदस्य अपने विचारों का प्रचार जनता में करते हैं। इतना होने पर भी जनता में बहुत उत्साह नहीं रहता क्योंकि कानून को अच्छी तरह समझना सहज नहीं है। उसके पास समझने का साधन भी नहीं रहता। यदि कानून किसी टेकनिकल विभाग से सम्बन्धित है तो जनता के समझने में और भी कठिनाई होती है। मतदान का प्रबन्ध कैन्टन के अधिकारियों के द्वारा होता है। कानून की प्रति और मतदान-पत्र (Ballot papers) संघ सरकार की तरफ से तैयार होता है। मतदान सारे देश में एक ही दिन होता है। प्रायः मतदान में शान्ति रहती है। कोई विशेष क्षुब्ध वातावरण नहीं रहता।

कैन्टनों में भी प्रायः यही तरीका रेफरेन्डम के सम्बन्ध में होता है। कैन्टन को शासन-समिति को अधिकार है कि वह ऐसे प्रस्तावों को जो अस्थायी हों तथा शासकीय प्रबन्धों से सम्बन्धित हों तो जनता की स्वीकृति के लिए न भेजे। आय-व्यय का अनुमान पत्र कुछ निश्चित रकम के बाद जनता के मतदान के लिए भेजा जाता है।

जिन कैन्टनों में सभी कानूनों को जनता की स्वीकृति के लिए दिया जाता है वहाँ जनता के ऊपर काफी बड़ा बोझ लद जाता है। कितनी जगहों में दो या तीन बार के मतदान में कितने ही कानूनों पर स्वीकृति या अस्वीकृति की मोहर देनी पड़ती है।

यदि किसी कैन्टन में कोई कानून जनता के मतदान द्वारा स्वीकृत हो जाता है पर वह कानून संघ के किसी कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित है, संघ के

किसी कानून से संघर्ष में आ जाता है तो उस कानून को संघ की राष्ट्रीय असेम्बली अवैधानिक घोषित कर सकती है।

लार्ड ब्राइस ने लिखा है कि इस पद्धति के प्रयोग से यह कहा जा सकता है कि जनता ने इस अधिकार का दुष्प्रयोग नहीं किया है। इस पद्धति के प्रयोग से जनता में स्वतंत्र भावना का आविर्भाव हुआ है। नागरिकों में किसी प्रश्न को समझने की शक्ति आयी है। किसी प्रश्नके पक्ष और विपक्ष पर विचार करने का अवसर प्राप्त होने से स्वतंत्र विचार और निर्णय की भावना का विकास हुआ है। लोगों में मितव्ययिता की भावना का प्रसार हुआ है। स्विस् देश के निवासी सरकारी खर्च बढाने में या टैक्स-वृद्धि में कभी सहमत नहीं होते। उनका ख्याल है कि सरकारी कर्मचारियों को अधिक तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं है जब कि वे उससे अधिक उपार्जन नहीं कर सकते थे यदि उन्हें कृषि सम्बन्धी या अन्य व्यवसाय सम्बन्धी कार्य करना होता। स्विस् देश के नागरिक सरकारी कर्मचारियों की वृद्धि या नये विभाग खोलने या सरकारी कार्यक्षेत्र की वृद्धि करके नौकर शाही की शक्ति और उनके प्रभाव को अत्यधिक महत्त्व देना कभी पसन्द नहीं करते। इस तरह के कितने ही कानूनों को जनता ने अपने वोट से अस्वीकृत किया है और राज्यतन्त्रात्मक समाजवाद को बढ़ने से रोका है। जनता ने अपने वोट से केन्द्रीय सरकार को कैन्टन के कार्य-क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका है। परन्तु जहाँ देश हित की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाना है, वहाँ स्विस् देश के नागरिकों ने देश-प्रेम का परिचय दिया है।

प्रत्यक्ष कानून-निर्माणपद्धति ने स्विस् देश के नागरिकों में कुछ विशेष गुणों को पैदा किया है। स्विस् देश की जनता में ठंढे दिमाग से निर्णय करने की क्षमता है। जैसा अनेक लोकतन्त्रात्मक देशों में देखा गया है कि निर्वाचन के समय जनता में एक प्रकार का निर्वाचन-ज्वर सा चढ़ जाता है, वातावरण गरम बन जाता है, वैसी चीज स्विस् देश में नहीं है। जनता किसी भी प्रश्न को बड़े ठंढे दिमाग से निरीक्षण करती है। मतदान के दिन

माडर्न डेमोक्रेसी—प्रथम भाग पृष्ठ ४२६

काफी शान्ति देखने को मिलती है। उनमें क्षणिक भावुकता लेशमात्र भी नहीं होती। अधिक दिनों के अनुभव ने उनमें शान्ति-पूर्ण ढंग से वोट देने की आदत डाल दी है। स्विस् देश शिक्षित राष्ट्र है। यही नहीं कि सभी लोग पढ़ सकते हैं पर सभी पढ़ते हैं। उनका दिमाग बड़ा ठोस होता है। वे कभी किसी बात में जल्दबाजी नहीं करते। बहुत सोचकर आगे बढ़ते हैं।

किसी नयी चीज की तरफ वे आगे नहीं बढ़ जाते। उनका कदम धीरे-धीरे उठता है। व्यवस्थापक-सभा के सदस्य किसी नयी माँग को नये युग के धर्म के अनुसार समझ जाते हैं पर विशेषतः देहाती और पहाड़ी प्रदेश की जनता इन नयी समस्याओं को नहीं समझती। अतः कितने ही नये नये कानून अस्वीकृत हो जाते हैं। इससे इतना ही कहा जा सकता है कि स्विस् जनतन्त्र बहुत ही ठोस और स्थायी है। ✓

संसार के अन्य देशों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष कानून-निर्माण व्यवस्था की तरफ काफी ध्यान आकर्षित हुआ है। लोगों का ख्याल है कि यह पद्धति पार्लमेण्टरी सरकार की अपूर्णताओं को पूरा करती है। जनता में राज्य सत्ता की भावना के आधार पर ही यह प्रयोग विधि अवलम्बित है। जनता के द्वारा कानून निर्माण की व्यवस्था का पहला प्रयोग फ्रान्स में हुआ था जब १७९३ का विधान जनता की स्वीकृति लिए दिया गया था। इसी आधार पर स्विस् देश में १८०२ में जनता की स्वीकृति के लिए विधान का प्रारूप दिया गया था। पुनः छोटी छोटी अल्पाइन श्रेणियों और घाटियों में रहनेवाली जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। सारी देहाती जनता साधारण सभा (प्राइमरी असेम्बली) में सम्मिलित होकर कानून पास करती थी। जब जनता की संख्या अधिक हो गयी और स्विस् देश की विभिन्न जातियाँ एक संघ में संघटित हो गयीं तो उस कानून बनाने की प्राचीन ग्रामीण प्रणाली को रेफरेन्डम का रूप दिया गया। अब सभी जनता एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकती थी। अतः अपने ही स्थान से वोट देने का क्रम प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार राज्य के कानून-निर्माण में जनता के नागरिक स्वरूप का मान बढ़ा। जनता भी यह सोचने लगी कि कानून उन्हीं का कानून है क्योंकि उसके बनाने में उनका भी हाथ है। स्विस् देश के निवासियों का यह ख्याल था कि जब जनता का प्रत्यक्ष

नियन्त्रण स्थानीय-शासन-प्रबन्ध में सफलता पूर्वक प्रयोग हो सकता है तो वह कैन्टन तथा संघ में अच्छी तरह प्रयोग में लाया जा सकता है।

इस व्यवस्था के प्रारम्भ करने में एक ध्यान यह भी था कि प्रतिनिधि सभाएँ पूर्णरूप से जनता की माँगों अथवा जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। स्विस् देश की प्रतिनिधि-सभाओं के प्रति किसी तरह का दोषारोपण नहीं था फिर भी जनता की भावना थी कि जनता अपने प्रतिनिधियों की अपेक्षा अपना हित और लाभ अधिक जानती है। जनता के द्वारा अथवा जनता की इच्छा से बने हुए कानून को अधिक नैतिक शक्ति तथा मान प्राप्त होता है। इस तरह संघ–सरकार के ऊपर आर्थिक दबावों का प्रत्युत्तर दिया जा सकता है। पुनः इस व्यवस्था के प्रयोग से जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनसे भी यह कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था सुन्दर तथा आवश्यक है।

असेम्बली के द्वारा पास किये गये जिन प्रस्तावों तथा बिलों को जनता ने अपने वोट (मतदान) के द्वारा अस्वीकृत कर दिया, इससे यह बात प्रकट हो जाती है कि उन विषयों के सम्बन्ध में जनता की इच्छा का असेम्बली ने आदर नहीं किया अथवा जन-मत को समझा ही नहीं। असेम्बली का मर्यादा में कोई अन्तर नहीं हुआ है बल्कि इससे इसके कार्य में सहायता मिली है। असेम्बली किसी बिल के पास करने के पहले उस पर अच्छी तरह विचार-विनिमय, काट-छाँट, जनता की होनेवाली असुविधाओं तथा आपत्तियों (objections) को ध्यान में रखती है। क्योंकि असेम्बली समझती है कि जनता कानून को समझ सकती है और अन्त में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार उसी को है।

इस प्रयोग से जनता में देश-प्रेम तथा देश की समस्याओं के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का प्रसार होता है। जनता अपने को राज्य का एक आवश्यक अभिन्न अंग समझती है। इससे जनता में राजनीतिक तथा नागरिक शिक्षा का प्रचार होता है। शासक इस पद्धति के कारण जनता के अधिक सम्पर्क में आते हैं और उनकी नौकरशाही मनोवृत्ति का लोप होता है तथा जन-सेवा की भावना जिसे लोकतंत्रीय भावना कहते हैं, विकसित होती है। इस पद्धति से देश में राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव कम होता है क्योंकि जन-

प्रत्येक प्रश्न या कानूनको उसके गुण और उपादेयता के आधार पर विचार करती है। जनता इसका ध्यान नहीं करती कि किस व्यक्ति ने इस बिल का समर्थन किया था या किस दल ने इसे पास कराया था।

१. किसी बिल के जनता द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत होने से असेम्बली की मर्यादा में कोई भेद नहीं होता और न उसके ऊपर कोई दायित्व ही होता है।

2. कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी विशेष दल के कुछ कार्यों के कारण जनता में असन्तोष रहता है। और यदि उस दल के द्वारा कोई कानून पास हुआ है तो उसका प्रभाव जनता के मतदान के समय हो सकता है। जनता किसी कानून को किसी विशेष दल के द्वारा सम्बन्धित होने से अस्वीकृत कर सकती है या किसी विशेष दल के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होने से किसी कानून को स्वीकार भी कर सकती है। पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है ऐसी बातें कम होती हैं। स्विस् देश के राजनीतिक जीवन में राजनीतिक दलों का उतना प्रभाव नहीं है जितना प्रभाव फ्रान्स या इंग्लैण्ड में है। जनता कानून की उपादेयता के आधार पर ही अपना निर्णय प्रायः देती है।

प्रतिनिधि मूलक लोकतन्त्र में व्यवस्थापक-सभा के ऊपर नियंत्रण आवश्यक है। स्विटज़रलैण्ड में अमेरिका की तरह कार्य-कारिणी को व्यवस्थापक-मण्डल के कार्यों पर 'विटो' (Veto) प्राप्त नहीं है। स्विस् देश की राष्ट्रीय असेम्बली के दोनों भवनोंके निर्माण तथा उनके विचार और मत में बहुत भेद नहीं होता जिससे प्रथम सभा के द्वारा शीघ्रता में अथवा किसी विशेष हित के ध्यान से कोई कानून पास करना चाहे तो द्वितीय सभा उसके ऊपर अपने नियन्त्रण के अधिकार (power to Check) या संशोधन और परिवर्तन के द्वारा कानून की एकपक्षता को दूर कर दे। इस प्रकार राष्ट्रीय असेम्बली के कार्यों पर नियंत्रण का एक ही मार्ग है—जनता के द्वारा कानून में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना। प्रत्येक शासन-व्यवस्था में कोई ऐसी शक्ति तो होनी ही चाहिये जिसे अन्तिम निर्णय देने का अधिकार हो जहाँ से अपील नहीं हो सकती। लोकतन्त्र में ऐसी शक्ति तो जनता के ही हाथ में होनी चाहिये जो सभी प्रश्नों पर अपना अन्तिम निर्णय देकर विवाद समाप्त कर दे। इस व्यवस्था के विपक्ष में भी कुछ बातें हैं जो विचारणीय हैं—

3. स्विस् देश में भी जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि प्रत्येक कानून के के ऊपर अपना निर्णय दे सके। संघ के एक अध्यक्ष वेल्टी* ने कहा था कि सोचिये जब एक गाय चराने वाला या एक लड़का जो घुड़-साल में काम करता है कमर्शियल कोड पर वोट देने के लिए जाता है। जनता चतुर हो सकती है और अपने कर्त्तव्य-पालन को उत्साहित हो सकती है पर उसे उस कमर्शियल कोड पर निर्णय देने के लिए प्रर्याप्त बुद्धि और ज्ञान नहीं है और न हो सकता है। समाचार-पत्रों में लिखने, छोटे छोटे पर्चों के बांटने तथा राजनीतिक नेताओं के एक ही प्रश्न पर अलग अलग ढंगसे विचार प्रकट करने से जनता इस योग्य नहीं हो जाती कि वह जटिल समस्याओं और प्रश्नों को समझ सके। असेम्बली में दिये गये पक्ष और विपक्ष के भाषणों से भी उसे कोई लाभ नहीं होता। पुनश्च असेम्बली के भाषणों को प्रकाशित करने की व्यवस्था नहीं है। जनता की जितनी संख्या मतदान के लिए आती है उससे भी पता चलता है कि
4. बहुत से लोग अपने नागरिक कर्त्तव्यों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते या अपनी अयोग्यता को स्वयं जान कर मतदान के लिए नहीं जाते। इस प्रकार जो लोग प्रत्यक्ष जन मतदान में भाग नहीं लेते और इनकी संख्या भी पर्याप्त रहती है तो यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक तथा नागरिक शिक्षा जो इस पद्धतिसे हो पाती है, जनताका मतदान सर्वदा जनता की सच्ची इच्छाका द्योतक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मतदान तो कितनी ही बातों पर निर्भर करता है। कितने वोट देने नहीं जाते। जो जाते हैं, वे नेताओं तथा दलोंके नारों या प्रचारों से प्रभावित हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि किसी बिल के किसी अंश से असन्तुष्ट होकर पूरे बिल को ही अस्वीकृत कर दें क्योंकि बिल को संशोधित नहीं कर सकते। मतदान तो केवल 'हाँ' या 'नहीं' में देना है।

5. बहुधा जन-मत संग्रह के प्रयोग होने से जनता भी परेशान हो जाती है और मतदान एक बोझा-सा मालूम पड़ने लगता है। लोग अन्यमनस्क हो जाते हैं और कभी कभी बिना विचारे वोट देते हैं। बहुधा इस पद्धति के प्रयोग से राज्य का खर्च भी बढ़ जाता है जिसका प्रभाव जनता के ऊपर भी पड़ता है। राजनीतिके अतिरिक्त अन्य आवश्यकीय वस्तुएँ हैं जिनके ऊपर ध्यान देना होता

* मडर्न डिमोक्रेसी — (ब्राइस प्रथम भाग) पृष्ठ ४४२

है पर जन-मत संग्रह का आन्दोलन और एक अव्यवस्थित वातावरण शान्त प्रकृति के व्यक्तियों के लिए बवड़ाहट का कारण बन जाता है।

कोई बिल जनता के मतदान के द्वारा पास हुआ हो और उसमें केवल तीस प्रतिशत लोगों ने ही भाग लिया हो, तो ऐसी अवस्था में 'बिल' के पक्ष वालों की संख्या और भी कम होगी। इस प्रकार से जनता के वोट के द्वारा स्वीकृत कानूनों में कितनी नैतिक शक्ति होगी। जहाँ व्यवस्थापक के द्वारा कानून पास होता है, वहाँ कोई यह पूछने नहीं जाता कि कितने बहुमत से यह कानून पास हुआ है पर जब जनता के समक्ष कोई कानून आयगा तो जनता का एक पक्ष उसके विपक्ष में हो जायगा और वह पक्ष उस कानून का विरोध करेगा। पास हो जाने पर भी जनता में उसके विरोध करने की भावना बनी रहेगी। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि जनता का इससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास रुक जाता है। क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं होती। जनता अधिकांश प्रतिक्रियात्मक भावों से भरी रहती है। जनता में थोड़े ही लोग अपनी शिक्षा, जीवन-स्तर या वातावरण के कारण प्रगतिशील विचार वाले होते हैं।

पर स्विस् देश के विचारशील व्यक्तियों की यह सम्मति है कि इससे कोई हानि नहीं हुई है। प्रत्येक पद्धति में कुछ न कुछ दोष होता है। इंग्लैण्ड और फ्रान्स जैसे देशों में पार्लमेण्ट के सदस्यों पर स्थिर-स्वार्थ-वर्ग के लोगों का दबाव पड़ता है और प्रगतिशील कानूनों के निर्माण में अनेक बाधाएँ पड़ती हैं। इसलिए स्विस देश की इस पद्धति से स्थिर-स्वार्थियों का प्रभाव जनता के ऊपर नहीं पड़ सकता।

प्रत्यक्ष मतदान पद्धति का प्रभाव वैधानिक क्षेत्र में भी पड़ता है। व्यवस्थापक और शासक-मण्डल का पार्थक्य पूर्ण हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि व्यवस्थापक और शासक-मण्डल दोनों ही जनता के मतदान से अस्वीकृत बिल या प्रस्ताव पर पदत्याग नहीं करते। वे अपने स्थान पर बने रहते हैं। जहाँ पर कानून-निर्माण की अन्तिम व्यवस्था और अधिकार व्यवस्थापक-मण्डल से हटकर जनता के पास आ जाता है, वहां जनता ही व्यवस्थापक मण्डल का काम करती है। प्रतिनिधियों का कार्य प्रस्ताव या बिल को तैयार करना और उसके ऊपर विचार करने के बाद जनता की स्वीकृति के

लिए भेजना तथा शासन-परिषद के सहयोग से राष्ट्र के शासन सम्बन्धी विषयों का प्रबन्ध करना है। अर्थात् शासन-परिषद और राष्ट्रीय असेम्बली को बदलने की इसीलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके बनाये हुए कानून या प्रस्ताव को जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता उनके नियमों और प्रस्तावों को उसी तरह अस्वीकार करती है जिस तरह से कोई बड़ा व्यवसायी अपने मैनेजर के किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। अतः मैनेजर को पदत्याग करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसकी बात उसके स्वामी ने नहीं मानी। इसी तरह असेम्बली के द्वारा भेजे हुए बिल या प्रस्ताव के जनता द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर पद त्याग की आवश्यकता नहीं है। जब तक शासन-परिषद के सदस्यों का व्यक्तिगत चरित्र और उनकी योग्यता में विश्वास है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं और शासन का कार्य सुचारु ढंग से चलाते रहते हैं।

इंग्लैण्ड और फ्रान्स में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मंत्रिमण्डल को पार्लमेण्ट के द्वारा किसी बिल या प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने पर पदत्याग करना पड़ता है।

संघ या कैन्टन में कहीं भी रेफरेन्डम के समाप्त करने की बात नहीं है। जो लोग रेफरेन्डम को केवल विशेष कानूनों तक ही सीमित रखना चाहते हैं वे भी जानते हैं कि कानूनों को साधारण और असाधारण अथवा वैधानिक और अवैधानिक दो भागों में बाँटना कठिन है। जनता इस अधिकार को अपना विशेष अधिकार समझती है। और इसके लिए गौरव और मान है। यह पद्धति स्विस् देश की एक स्थायी संस्था के रूप में हो गयी है। जो हो रेफरेण्डम के कारण आवश्यक तथा लाभप्रद कानूनों के बनने में विलम्ब होने से जो हानियां हुई हैं। उनसे अधिक लाभ जनता की स्वीकृति प्राप्त करने से हुई है। जहाँ जन-मत सन्देहात्मक हो, या किसी बिल पर पर्याप्त रूप से भेद और असन्तोष हो गया हो ऐसी परिस्थिति में जनता का मतदान इन सब के लिए निर्णायक होता है। परिस्थिति साफ और शान्त हो जाती है। इस पद्धति ने राजनीतिक दलों के आपसी झगड़े और द्वन्द्व से कानून को बचाया है। क्योंकि कानून के आधार पर ही सारे देश और राष्ट्र का शान्तिमय विकास होता है। छोटे छोटे स्थानों में विशेषतः कम्युन (शहरी अथवा देहाती कसबों) में जहाँ जनता

को हर विषय से जानकारी है वहाँ इस पद्धति से पूरी सफलता मिली है।

इससे राष्ट्रीय असेम्बली या कैन्टन की व्यवस्थापक-सभाओं की योग्यता के स्तर में कोई कमी नहीं हुई है। इसके कारण योग्य व्यक्ति व्यवस्थापक सभाओं में जाने से हिचकते हों ऐसी कोई बात नहीं है। इस पद्धति से शासन को स्थायित्व प्राप्त हुआ है। क्योंकि इस व्यवस्था ने व्यक्ति और कानून को पृथक् कर दिया है। यही कारण है कि शासन-परिषद् में योग्य और अनुभवी व्यक्ति कार्य करते हैं। इस पद्धति से दलगत राजनीति के कारण देश में जो विभेद और क्षुब्ध वातावरण पैदा हो जाता है वह नहीं हो पाता। व्यवहार में इससे इन बुराइयों की वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है। इस पद्धति से स्विस् देश के लोकतंत्र को वह बल प्राप्त हुआ है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र और राज्य के कार्य में भाग ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति और दल ने राज्य की व्यवस्था में भाग लिया है। किसी के असहयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। इस तरह स्विस् देश केहि लोकतंत्र ने देश में एकता पैदा की है और लोगों में नागरिक-चेतना का आविर्भाव किया है। लार्ड ब्राइस के शब्दों † में जनता बहुत प्रगतिशील नहीं बन पायी तो इसका कारण केवल सँभल कर पग उठाने की भावना थी न कि उनमें तर्कशून्यता और किसी परिवर्तन के प्रति अविश्वास था। रेफरेन्डम की सफलता के लिए स्विस् देश की परिस्थिति परम्परा तथा देश का छोटापन, छोटी संख्या और दलगत भावनाओं की उग्ररूप में अनुपस्थिति उत्तरदायी है।

इनिसियेटिव-नागरिकों का वह अधिकार है जिसके द्वारा उन्हें किसी प्रस्ताव या बिल को प्रार्थना पत्र के रूप में उपस्थित करके जनता के मतदान के द्वारा कानून बनवाने की व्यवस्था हो। जनता की सार्वभौमिकता का यह व्यवहारिक रूप में आवश्यक विकास है। जनता अपनी आवश्यकताओं को जानती और समझती है। कानून बनाने का उसे अधिकार प्राप्त है तो तार्किक स्तर पर उन्हें कानून प्रस्तावित करने का भी अधिकार उपयुक्त और संगतिप्रद है। जनता सच्चे अर्थ में शासन नहीं कर सकती यदि उन्हें केवल प्रतिनिधियों के द्वारा ही कार्य करना हो।

† माडर्न डेमोक्रेसी (प्रथम भाग) पृष्ठ—४४८

नागरिकों की व्यक्तिगत इच्छा का प्रतिनिधित्व तो अपने ही शब्दों अथवा वोटके द्वारा हो सकता है। उसका प्रतिनिधि उसे जाने या अनजाने गलत प्रतिनिधित्व कर सकता है। रेफरेन्डम के द्वारा उसे किसी ऐसे कानून से बाध्य नहीं होना पड़ता जिस पर उसे अपने विचार प्रकट करने का अवसर न मिला हो। परन्तु इस व्यवस्था से उसे केवल अप्रत्यक्ष रूप से अक्रियात्मक अधिकार ही प्राप्त होता है। उसे सक्रिय अधिकार की भी आवश्यकता है जिससे वह प्रत्यक्ष रूप में अपनी इच्छा और विचार को लोगों के समक्ष प्रकट कर सके। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता रक्षित रह सकती है।

पुनः सिद्धान्त की दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि प्रतिनिधि-मूलक सभाएँ किसी वर्ग या वर्ग हित से प्रेरित होंगी। उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि जनता की इच्छा के अनुकूल प्रस्ताव या कोई बिल वे पास करेंगी। जिस तरह रेफरेन्डम व्यवस्थापकों द्वारा की हुई गलतियों से जनता की रक्षा करता है, उसी तरह इनिसियेटिव उनके द्वारा छोड़े हुए या भूले हुए अथवा उपेक्षित कार्यों की रक्षा करता है। व्यक्तियों को अच्छे से अच्छे विचारों, या प्रस्तावों को सभाओं तथा पत्रों के द्वारा व्यक्त करने और उसकी आवश्यकता के लिए व्यवस्थापकों का ध्यान आकर्षित करने का अवसर तो रहता है पर यदि जनता को शासन करने का अधिकार है तो उसे जनता के समक्ष किसी प्रस्ताव को लेकर जाने का अधिकार अवश्य होना चाहिये। जनता ही में राज्य-सत्ता या सार्वभौमिकता निहित है। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार रेफरेन्डम और इनिसियेटिव एक दूसरे के पूरक हैं।

इन पद्धतियों को स्विस् देश में पर्याप्त रूप से सफलता मिली है। स्विस् देश की जनतामें इस व्यवस्था के प्रति उत्साह और इसे एक अमूल्य जनाधिकार समझने की प्रवृत्ति है। लोगों की रग-रग में जनतंत्र की भावना व्याप्त है। प्राचीन समय से ही देहाती जातियों में प्रचलित स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रथा तथा ऐतिहासिक परम्परा ने इस प्रयोग को सफल होने में सहायता दी है। स्विस् देश में आर्थिक तथा सामाजिक समानताओं और देश भक्ति एवं देश के प्रति कर्त्तव्य की भावनाएं भी इस व्यवस्था की सिद्धि में कार्यगत हुई हैं।

राजनीतिक दल और जनमत

स्विस् देश में कितने ही राजनीतिक दल हैं। उनमें प्रमुख वामपक्षीय लोकतान्त्रिक (Radical Democratic), समाजवादी लोकतान्त्रिक (Social Democratic), कैथोलिक अनुदार दल (Catholic Conservative) किसान और मजदूर दल (Farmer and Workers's Parry) हैं। पहला दल (रैडिकल लोकतांत्रिक) समुन्नत, मध्यम वर्गीय तथा परम्परायुक्त है। परन्तु अपने नाम के अनुसार बहुत वामपक्षीय नहीं है। दूसरा समाजवादी लोकतांत्रिक दल मार्क्स के सिद्धान्तों का अनुगामी है पर तृतीय अन्तर्राष्ट्रिय (Third International) से सम्बद्ध नहीं है। कैथोलिक अनुदार दल में दो वर्ग हैं, एक पुरातन की तरफ दूसरा ईसाई धर्म से अनुमोदित समाजवाद की तरफ झुकाव रखता है। किसान और मजदूर दल वामपक्षीय लोकतांत्रिक दल से ही निकला है। यह दल अधिक अनुदार अथवा प्रतिक्रियात्मक है जो व्यवसाय और कृषि में संरक्षण चाहता है और उसी के लिए प्रयत्नशील रहता है। किसी एक दल का बहुमत स्विस् संघीय असेम्बली में नहीं है।

स्विस् देशमें भिन्न-भिन्न जातियाँ, भिन्न-भिन्न धर्म और सम्प्रदाय के मानने वाले रहते हैं। उनकी भाषाएं भी भिन्न-भिन्न हैं। इसी कारण स्विस् देशकी एक राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। लोगों के व्यवसायिक और आर्थिक स्वार्थ भी भिन्न है। फिर भी स्विस् देश एक राष्ट्र के रूप में संगठित है। इतनी तरह की भिन्नताओं के रहते हुए दूसरे देशों में बहुत तरह की पार्टियाँ बन जातीं हैं और राजनीतिक जीवन तथा वातावरण विषाक्त बन जाता है। परन्तु पार्टियों के कारनामों से स्विस् देश की राजनीति कभी विषाक्त नहीं हुई। देश के

राजनीतिक जीवन में शान्ति तथा व्यवस्था और नीति में स्थायित्व इस देश की परम्परा है। स्विट्ज़रलैण्ड में १८४७ में गृहयुद्ध हुआ था जिसमें सात रोमन कैथोलिक कैन्टन संघ से पृथक् होना चाहते थे पर कैथोलिक कैन्टन बिना रक्तपात के शान्त कर दिये गये और उन्हें कोई दण्ड भी नहीं हुआ। उस समय १८४८ में संघ का जो विधान बना, वही आज तक आधारभूत विधान है। जिन लोगों के द्वारा वह विधान बना था वे अधिकतर उदारवादी (लिबरल) थे और उनका बहुमत अधिक दिनों तक रहा। उदारवादियों ने स्विस् देश की राज्य-व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया। लोकतांत्रिक परम्पराओं का निर्माण किया जो आज भी इस देश में प्रचलित हैं। उनकी नीति से देश में शान्ति हो गयी और गृह युद्ध से उत्पन्न द्वेष समाप्त हो गया।

बहुत दिनों के बाद विचार और मनोवृत्तियों के झुकाव के कारण लिबरल पार्टीमें भेद हो गया। जिनकी संख्या अधिक थी और समय के अनुसार प्रगतिशील थे वे वामपक्षीय या रेडिकल कहलाये। थोड़े जो प्रगति के पक्ष में शीघ्रता नहीं चाहते थे वे लिबरल कहलाते रहे। उनकी संख्या बहुत थोड़ी रह गयी थी और धीरे-धीरे राजनीतिमें उनकी शक्ति बहुत कम हो गयी। गृह-युद्धके बाद थोड़े से जो कैथोलिक रह गये थे, उन लोगों ने एक कैथोलिक या क्लेरिकल पार्टी की स्थापना की। १८८० के बाद मार्क्स के सिद्धान्तों का प्रभाव स्विस् देश में भी पड़ा और विशेषतः व्यवसायिक केन्द्रों में अधिक। इस तरह एक नये दल का जन्म हुआ। वह समाजवादी दल के नाम से प्रचलित हुआ। थोड़े समय के बाद रेडिकल पार्टी के उग्र विचार वाले उससे पृथक् हो गये और एक अलग लोकतांत्रिक दल की स्थापना ई। पर ये अलग नहीं रह सके। समाजवादियों से मिलकर लोकतांत्रिक*समाजवादी दल का-इन्होंने स्थापना की।

पार्टियों के निर्माण में सब से अच्छी बात यही है कि जाति या भाषा के आधार पर इनका निर्माण नहीं हुआ है। रेडिकल पार्टी की अधिक शक्ति जर्मन क्षेत्रों तथा प्रोटेस्टेन्टों में अधिक है, फिर भी फ्रेंच-भाषी क्षेत्रों में जैसे वाड और जेनेवा में इनके सहायक हैं। क्लेरिकल के भी सहायक जर्मन क्षेत्र (लूजर्न

*—Social Democratic †—Vaud

और फ्रेंच-क्षेत्र (फ्रिबर्ग) में हैं। समाजवादियों का प्रभाव जूरिच और थोड़े बहुत आरगाऊ,* थूरगाऊ,† और सेंट गैलन में भी है।

प्रारम्भ में धर्म के प्रश्न पर ही लोगों में दो दल हो गये थे। ज्विंग्ली के समय से ही धर्म ने स्विस् देश को दो भागों में बाँटा था। तेरह कैन्टनों के पुराने संघ को धार्मिक प्रश्न ने छिन्न-भिन्न कर दिया था। मानव स्वभाव के अनुकूल कुछ लोग संभलकर धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहते थे जो प्रायः कैथोलिक या कनजरवेटिव लिबरल कहलाये और जो परिवर्तन के पक्ष में थे वे रेडिकल हुए। रेडिकल पार्टी में पढ़े-लिखे लोग हैं। स्विस् देश के रेडिकल क्लेरिकल पार्टी के विरोधी हैं। इंग्लैण्ड की लिबरल पार्टी तथा फ्रान्स के लेफ्ट सेन्टर और डेमोक्रेटिक लेफ्ट से स्विस् देश के रेडिकल मिलते जुलते हैं।

स्विस् देश में गृह युद्ध (Sonderbund) के बाद से शान्ति रही है। राजनीतिक दलों का प्रभाव और संगठन इस देश में वैसा नहीं है जैसा अन्य देशों में है। संघ का राजनीतिक जीवन प्रायः शान्त रहता है। केवल कैन्टन की राजनीति में विशेष चहल-पहल तथा कभी-कभी झंझटें भी रहती हैं। पहाड़ी और खेतिहर क्षेत्रों में कैथेलिकों की प्रधानता है और जनता को प्रायः स्थानीय प्रश्नों में ही अधिक दिलचस्पी रहती है। केवल किन्हीं स्थानों में क्रान्तिकारी विचारों तथा पुराने विचारों में संघर्ष हो जाता है अन्यथा स्विस् देश के राजनीतिक जीवन में एक क्रमिक गति और शान्ति रहती है।

पार्टी-भावना इस देश में उतनी दृढ़ नहीं है जितनी अन्य लोकतंत्रों में है। बहुत ही कम प्रश्न ऐसे आते हैं जिनसे जनता में कोई विशेष गर्मी और चहल-पहल दिखलाई पड़े। यही कारण है कि राजनीतिक संगठन उतने अच्छे ढंग से संघटित नहीं हैं जितने अन्य देशों में। केवल समाजवादी दल के क्रियात्मक कार्यक्रम तथा मजदूर संघ बने हुए हैं। उनके प्रचार में भी शक्ति और उत्साह रहता है। समाजवादियों में वर्ग-संगठन और अपने कार्यक्रम और उद्देश्य के प्रति विशेष आकर्षण होने से उनमें आपस में मेल रहता है। निर्वाचन के समय पार्टी की सभी मशिनरी काम पर लग जाती है। इनके पास कार्यकर्त्ताओं

* Argau † Thurgau

की कमी नहीं है। समाजवादी दल राष्ट्रीय, कैन्टन, म्युनिसिपल और कम्युन सभीके लिए अलग कार्यक्रम तथा सभी निर्वाचनमें अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं।

समाजवादियों के बाद संघटित दल क्लेरिकल पार्टी है। इस दल को चर्च संघटन से सहायता मिलती है। प्रत्येक कम्युन में प्रिस्ट (पादरी) तथा इनकी सहायता करने के लिए पीछे से विशाप लोग भी रहते हैं। फ्रिवर्ग और लूजरन में इनका काफी प्रभाव है।

रेडिकल पार्टी का प्रभाव संघ की राजनीति में सदैव रहा है। बहुत दिनों तक इनकी पार्टी सब से बड़ी पार्टी संघ असेम्बली में थी। रेडिकल पार्टी के संगठन में एक केन्द्रीय कमेटी है जिसमें बत्तीस सदस्य होते हैं।

इनका चुनाव पार्टी के साधारण सभा (कांग्रेस) के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। पार्टीकांग्रेस के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव कैन्टन के पार्टी अधिकारियों के द्वारा होता है। प्रत्येक कैन्टन में भी एक कैन्टन कमेटी होती है जो एक छोटी-सी कार्यसमिति चुनती है। बड़े-बड़े शहरों तथा देहाती क्षेत्रों में भी स्थानीय कमेटियां बनी हुई हैं। लिबरल पार्टी की भी कमेटियां कितने ही स्थानों में हैं पर कुछ स्थानों में इनकी कमेटी नहीं बन पायी है और कुछ स्थानों में इनकी कमेटी बहुत कमजोर है।

स्विस् देश में पार्टियों के पास अपना पार्टी फन्ड (कोष) नहीं होता। यहाँ जितनी सस्ती राजनीति है उतनी सस्ती अन्य देशों में नहीं है। यहां के लोग पार्टी के कामों के लिए खर्च करना नहीं चाहते। क्योंकि किसी पार्टी के जीतने से क्या मिलता है। स्विस् देश में बड़े-बड़े पदाधिकारियों की तनखाहें भी बहुत कम हैं। इसलिए बहुत कम लोग इसके लिए इच्छुक रहते हैं। अर्थात् गहरी प्रतिद्वन्द्विता नहीं है।

स्विट्ज़रलैण्ड में इंग्लैण्ड और फ्रान्स की अपेक्षा अधिक निर्वाचन होते हैं। असेम्बली या अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यकाल बहुत थोड़ा रहता है। संघ, कैन्टन, म्युनिसिपल तथा कम्युन तक न जाने कितने निर्वाचन हैं। इस से जनता का ध्यान और आकर्षण राजनीति की तरफ बना रहता है। लोगों में दिलचस्पी पैदा होती है। नागरिकता की भावना का उदय होता है। दूसरी तरफ जनता को बार-बार निर्वाचन के लिए परेशान करने, भिन्न-भिन्न

तरह के उम्मीदवारों को चुनने तथा समस्याओं के समझने से लोग घबड़ा जाते हैं। एक थकावट-सी लोगों को हो जाती है। किसानों और मजदूरों की परेशानी, काम की हानि तथा उनके अवकाश पर प्रहार इत्यादि बातों से लोगों में एक अनचाह-सी पैदा हो जाती है।

समाजवादी दल को छोड़कर अन्य पार्टियाँ मतदाताओं को अपना मत (वोट) देने के लिए बहुत अधिक दबाव नहीं देतीं और न उतना परिश्रम ही करती हैं। वहाँ पर वयस्क व्यक्तियों (पुरुषों) को वोट देने का अधिकार है। ऐसी दशा में जितने लोग अपना वोट देने आते हैं, उनके आँकड़ों से यह पता लगता है कि अन्य देशों की अपेक्षा स्विस् देश के मतदाता अधिक संख्या में वोट देने के लिए आते हैं। संघ की अपेक्षा कैन्टन के वोट में और अधिक लोग वोट देते हैं। जूरिच में वोट देनेवालों की संख्या करीब ७० या ८० फी सदी होगी। अपेनजेल * (कैन्टन) की काउन्सिल के चुनाव में जो लोग पर्याप्त कारण के बिना वोट देने से अनुपस्थित रहेंगे उन्हें दस फ्रांक के लगभग जुर्माना होता है। जनता की स्वतन्त्र इच्छा वोट के द्वारा जानी जाती है, यदि जनता को अपने मत के प्रकट करने में किसी प्रकार का डर या दबाव न हो। जहाँ तक किसी प्रकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डर या दबाव का प्रश्न है, स्विस् देश में ऐसी चीज़ का नामोनिशान नहीं है। वोट में किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। वोट देने और दिलाने के लिए कोई घूस नहीं देता और न लेता है। घूसखोरी का बिलकुल नाम नहीं है। वोट के गिनने-गिनाने या गायब करने या अफसरों का पक्षपात या दबाव या और किसी तरह की अड़ंगेबाजी नहीं है। निर्वाचन बहुत शान्तिपूर्वक होता है। प्रायः सभी लोग इस बात की प्रशंसा करते हैं कि स्विस् देश में सब से अधिक ईमानदारी से निर्वाचन होता है।

निर्वाचन में उम्मीदवारों का बहुत कम खर्च होता है। इतना कम खर्च होता है कि वह एक आदर्श और अनुकरणीय वस्तु समझा जा सकता है।

जिस तरह इंग्लैण्ड में भावी उम्मीदवार अपने निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के पहले रुपये खर्च करते हैं—चन्दा देने में, अथवा किसी संस्था के चलाने में

* Appenzell

सहायता हो अथवा किसी तरह का दान ही हो जिसे निर्वाचन क्षेत्र की तिमारदारी (नर्सिंग) कहते हैं—जैसी कोई वस्तु स्विस् देश में नहीं है। वहाँ राजनीति में भाग लेने वालों को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। केवल अपने समय का नुकसान तथा अपने गृह या गाँव से कुछ समय के लिए बाहर रहना पड़ता है। किसी उम्मीदवार को किसी काउन्सिल का सदस्य होने पर अपने क्षेत्र की कोई विशेष सेवा या लाभ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती और न किसी को कोई पद अथवा पदवी या मान-चिह्न मिलता है।

निर्वाचन में पार्टी का कार्य उम्मीदवार चुनने से प्रारम्भ होता है। इंग्लैण्ड और अमेरिका की अपेक्षा इस देश में उम्मीदवारों के चुनने में उतनी कठिनाई नहीं होती। स्थानीय पार्टी कमेटी किसी व्यक्ति को जिसे योग्य समझे चुन लेती है और पार्टी की बड़ी बैठक में स्वीकृति के लिए उपस्थित करती है। बैठक में दूसरे व्यक्तियों के भी नाम प्रस्तावित हो सकते हैं परन्तु कमेटीके द्वारा मनोनीत व्यक्तिका नाम प्रायः स्वीकृत होजाता है। यह कार्य और भी सरल है जब किसी व्यक्ति का नाम पुनः स्वीकृत हो जाता है क्योंकि उसकी योग्यता और ईमानदारी से उसका पुनः निर्वाचित होना आवश्यक समझा जाता है। उम्मीदवारके चुनने में स्थानीय व्यक्ति ही चुना जाता है। दूसरे कैन्टन का रहनेवाला व्यक्ति किसी कैन्टन में शायद ही चुना जाता हो। प्रत्येक पार्टी अच्छा से अच्छा उम्मीदवार चुनने की कोशिश करती है क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश के मतदाता अधिक स्वतंत्र हैं। वह व्यक्ति की अधिक परवाह करते हैं बनिस्बत उसकी पार्टी के टिकट की। जिस व्यक्ति के चरित्र और ख्याति से लोग परिचित हैं, उसे अधिक पसन्द करते हैं। उसकी राजनीति नापसन्द करते हुए भी, चरित्र की निर्मलता, सेवाभाव तथा सफलताओं से प्रभावित होते हैं। कभी-कभी तो जब निर्वाचन का समय आ जाता है तो प्रमुख पार्टियों के नेतागण मिलकर उम्मीदवारों की सम्मिलित लिस्ट तैयार करते हैं क्योंकि उनका ख्याल रहता है कि प्रत्येक वर्ग का सच्चा और पूरा प्रतिनिधित्व का रहना आवश्यक ही नहीं वरन् अधिकार है। किसी स्थान के प्रमुख व्यक्ति जिनकी सेवाओं, त्याग और चरित्र की निर्मलता से लोग परिचित हैं चुन लिये जाते हैं जो कि शायद पार्टी के टिकट पर सफलता नहीं मिलती। स्विस् देश और अन्य देशों में भेद

इसीसे जाना जा सकता है कि निर्विरोध चुनावों की संख्या इस देशमें अत्यधिक होती है। कितने वर्षों तक राष्ट्रीय काउन्सिल की आधी से अधिक जगहों पर कोई संघर्ष नहीं हुआ। कभी किसी एक पार्टी का स्थायी बहुमत रहा या कभी निर्वाचन के लिए कोई समस्या न रही तो मतदाता अपने यहाँ से सब से अच्छे नागरिकों के द्वारा प्रतिनिधित्व अधिक पसन्द करते हैं बनिस्बत उनके द्वारा जिनके विचारों से वे सहमत हैं। कभी-कभी रेडिकल और लिबरल कैन्टन और संघ के चुनाव के लिए सम्मिलित लिस्ट बना लेते हैं। मतदाताओं को पार्टी सदस्यता से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं रहता और वे अधिकतर अपने पुराने प्रतिनिधि को ही चुनना पसन्द करते हैं।

व्यवस्थापक-सभाओं के भीतर जब किसी प्रश्न पर वोट देने की बारी आती है तो पार्टी का नेता अपनी पार्टी के सदस्यों को आदेश नहीं देता बल्कि उनकी आपसी बैठक होती है जिसमें निश्चय होता है कि पार्टी के लोग अमुक प्रश्न पर किस प्रकार वोट दें। कोई भी प्रश्न उसकी आवश्यकता के अनुसार विचारित होता है। पार्टी के हित की बात नहीं होती क्योंकि किसी भी प्रश्न का अन्तिम निर्णय तो जनता के हाथ में है। अतः पार्टी के हित की अपेक्षा देश के हित की भावना ही सब से दृढ़ होती है। पदाधिकारियों का चुनाव कुछ पार्टी के हित और अनहित की दृष्टि से निश्चित होता है। संघ की शासन-परिषद सिविल और मिलिटरी अफ़सरों की नियुक्ति में कभी-कभी पार्टी के दृष्टिकोण से कार्य करती है परन्तु प्रतिदिन के कार्य में इससे कोई अड़चन नहीं होती। यद्यपि यह मंत्रिमण्डल की नाईं ही कार्य करता है परन्तु अंग्रेजी कैबिनेट की एकता इसमें नहीं होती। फिर भी इसके सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं, पार्टी के भेद रहते हुए भी। बहुमत का निर्णय ही काउन्सिल का निर्णय समझा जाता है। काउन्सिल के उन सदस्यों को जिन लोगों ने काउन्सिल में निर्णय का विरोध किया हो राष्ट्रीय असेम्बली में भी विरोध करने का अधिकार प्राप्त है।

जनता कानूनों पर अपने मत (वोट) का प्रयोग करती है जब उसके सामने निर्णय के लिए कोई बिल राष्ट्रीय असेम्बली से आता है। ऐसी अवस्था में पार्टियाँ अपने मत के अनुसार जनता में प्रचार करती हैं पर जनता पार्टियों

के प्रचारात्मक बहकावे में बहुत नहीं आती। हर एक बिल पर जनता का मत उसकी आवश्यकता के अनुसार होता है। जहाँ जनता को प्रश्न में उलझन या कुछ नवीनता सी मालूम होती है या विभिन्न तरह के विचार प्रचारित हो रहे हों तो जनता प्रायः पुराने ढंग पर ही जाना पसन्द करेगी। समाजवादी दल और कैथोलिक कन्ज़रेटिव दल का वोट एक मत होकर पड़ता है।

पार्टी की अपेक्षा जनता के निकट सम्पर्क में रहनेवाले नेताओं का अधिक प्रभाव जनता पर पड़ता है। कैन्टन के चुनाव में ही पार्टियों में अधिक सरगरमी और चहल-पहल होती है। निर्वाचन में लोग अधिक भाग लेते हैं। रेफरेन्डम में वोट देने के लिए अपेक्षाकृत कम लोग आते हैं। पार्टियों का प्रभाव अत्यधिक क्यों नहीं है?—लार्ड ब्राइस ❀ ने इसके कई कारण बतलाये हैं—

स्विस् विधान की प्रारम्भावस्था में कम से कम आधी शताब्दी तक राष्ट्र के समक्ष कोई ऐसा राष्ट्रीय प्रश्न नहीं था जिसके ऊपर नागरिकों में कोई मौलिक या बहुत बड़ा मतभेद हो। फ्रान्स में जैसा लोकतंत्र बनाम राजतंत्र, संयुक्तराज्य अमेरिकामें दास प्रथा अथवा उस से पहले रिपब्लिक और फेडरलिज्म का प्रश्न था वैसा कोई प्रश्न इस देश में नहीं था। शासन की पद्धति या स्वरूप निश्चित हो चुका था और लोकतंत्र की जड़ दृढ़ हो गयी थी। कोई उपनिवेश इत्यादि का प्रश्न नहीं था।

आर्थिक परिस्थिति से कोई बहुत असन्तोष नहीं है। समाजवाद की भावना स्विस् देश में गरीबी और कष्ट के कारण नहीं है बल्कि सैद्धान्तिक विचारों के कारण है। परिश्रम के फल को सामान्य रूप से वितरित करने की इच्छा ही समाजवाद की आधारभूत भावना है। जनता का अत्यधिक भाग सन्तुष्ट है।

पुराना धार्मिक झगड़ा समाप्त हो गया। यों तो अभी तक कैथोलिक कुछ न कुछ आरोप धर्म के सम्बन्ध में लगाते हैं पर वह बहुत शक्तिशाली नहीं है। संघ में धार्मिक समानता का अधिकार स्वीकृत है। विधान के अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार धार्मिक विचारों के लिए हैं। कैथोलिक कैन्टन में उन्हें अपने धर्म के सम्बन्ध में कार्य करने की स्वतन्त्रता है।

❀ माडर्न डेमोक्रेसी—प्रथम भाग, पृष्ठ ४७२

वर्ग द्वेष या घृणा नाम मात्र को भी नहीं है। सम्पत्ति में विभेद है पर वहाँ करोड़पति नहीं हैं जिसे देखकर लोगों के मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो। सब को एक कर देने की भावना तथा मजदूर वर्ग को शासनारूढ़ करने की भावना ने एक आक्रामक दल को जन्म दिया है पर यूरोप के अन्य देशों की भाँति जनता में उस दल के प्रचार के बावजूद घृणात्मक या द्वेषात्मक भाव नहीं है।

अन्य स्वतन्त्र देशों की अपेक्षा स्विस् देश में व्यक्तिगत आकांक्षाएँ या व्यक्तिगत नेतागिरी की प्रथा बिलकुल नहीं है। लोग व्यक्तियों के पीछे नहीं चलते। वे लोगों की योग्यता को मानते हैं और उसी पर विश्वास करते हैं जिसकी ईमानदारी और साहस का परिचय मिल चुका रहता है। नागरिकों के स्वभाव में वीर-पूजा की भावना नहीं है। किसी राजनीतिज्ञ ने अपने नाम में किसी दल की स्थापना नहीं की है। वहाँ पिट, ग्लैडस्टोन, जफरसन और ओकोनेल तथा पारनेल नहीं हुए।

लोगों में अथवा पार्टी के संचालकों में "खेलाड़ी की भावना" * नहीं है जिससे प्रेरित होकर इंगलैण्ड में लोग अपनी पार्टी को जिताने के लिए काम करते हैं। स्विस्वासियों के लिए राजनीति एक गम्भीर वस्तु है जिसका सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन और मरण से है। उनके लिए यह एक खेल (game) नहीं है।

नागरिक जीवन में काम करने वालों के लिए कोई बड़ा पुरस्कार नहीं है। तनख़ाहें छोटी हैं। इसलिए सरकारी नौकरियों की तरफ कोई विशेष आकर्षण नहीं है।

कोई गम्भीर प्रश्न संघ या कैन्टन का हो उसका अन्तिम निर्णय जनता के वोट के द्वारा होता है। इसलिए किसी एक पार्टी के प्रभुत्व का कोई अर्थ नहीं होता। किसी पार्टी की प्रधानता से देश का कोई हित या अनहित नहीं हो सकता।

एक ही दल का बहुत दिनों तक प्रभुत्व रह जाने से अन्य पार्टियों को पनपने का अवसर नहीं मिला। अतः अन्य पार्टियाँ बहुमत दल को पदच्युत करने के बजाय उसके द्वारा बनाये गये विभागों की आलोचना या विरोध करने तक ही रह गयीं।

---

* Sporting instinct

अन्त में यह कहा जा सकता है कि देशभक्ति और देश-प्रेम की भावना स्विस् देश के नागरिकों में सर्वोपरि है। देश-प्रेम के समक्ष भीतरी-भेद लुप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने वाले, भिन्न-भिन्न धर्म के मानने वाले इस तरह शान्तिपूर्वक संगठित होकर रहते हैं। शक्तिशाली पड़ोसियों से आच्छादित इस देश ने आपसी भिन्नताओं के रहते हुए भी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए सदैव सभी प्रश्नों को गौण रखा जिस कारण इस देश में पार्टियों का प्रभुत्व नहीं जम सका।

"प्रोफेसनल राजनीतिज्ञ" की कमी—

व्यवस्थापक-सभाओं और शासन-परिषदों में विरोधी भावनाओं की अनुपस्थिति में शासन का कार्य तथा कानून-निर्माण सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से शान्तिपूर्वक चलते हैं। जिन देशों में विरोधी दल का कार्य केवल आलोचना ही नहीं बल्कि काम में अड़चनें पैदा करना या अड़ंगा लगाना होता है, उन स्थानों की अपेक्षा स्विस् देश की प्रणाली सराहनीय है। नारवे देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में स्विट्ज़रलैण्ड की तरह कम पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। स्विस् देश में पेशेवर राजनीतिज्ञ होते नहीं। इनका कोई वर्ग ही नहीं है। कोई व्यक्ति गैर सरकारी राजनीतिक मशिनरी के कार्य में नहीं लगा रहता। ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस इत्यादि की तरह यहाँ राजनीतिक एजेन्ट नहीं होते जो स्थानीय, प्रान्तीय या राष्ट्रीय पार्टी संगठन में कार्य करते हैं। स्विस् देश में राज-कर्मचारियों की नियुक्ति निर्वाचन के द्वारा होती है पर लोग इसकी बहुत चाह में नहीं रहते क्योंकि रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं। पुनर्निर्वाचन की पद्धति से स्थान बहुत कम खाली होते हैं। साधारण मतदाता भी उम्मीदवार की राजनीति से प्रभावित नहीं होता।

व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का चरित्र और योग्यताः—

व्यवस्थापक सदस्यों के लिए राजनीति जीवन-व्यवसाय नहीं है। व्यवस्थापक की सदस्यता से इन्हें कुछ भी लाभ नहीं है क्योंकि एक औसत दर्जे का सदस्य अपने औसत दर्जे की योग्यता के साथ किसी दूसरे व्यवसाय में सदस्यता की आय से अधिक उपार्जन कर लेगा। संघ में तो थोड़े ही पद हैं

जैसे संघ शासन-परिषद की सदस्यता जो तीन वर्ष और संघीय न्यायालय की सदस्यता जो छः वर्ष के लिए होती है—उस पर भी लोग पुनः निर्वाचित हो जाते हैं—अतः इनकी लालसा या आकांक्षा कम लोगों को होती है। इसके लिए अवसर भी कम आते हैं। कोई व्यक्ति राजनीति में धन पैदा करने की इच्छा से नहीं आता। कौन सा योग्य व्यक्ति बीस शिलिंग प्रतिदिन के हिसाब से उस पर भी वर्ष में केवल सोलह सप्ताह के लिये आवेगा। एक वकील बोलने में प्रवीणता दिखलाकर या अपने स्थान में राजनीति में कार्य के द्वारा ख्याति प्राप्त करके अपनी आमदनी पर प्रभाव डाल सकता है। एक व्यापारी अपने व्यापार में अपनी साख स्थापित कर सकता है। कुछ तो पद अवश्य ऐसे हैं कि यदि कहीं कोई गुंजाइश न हो तो कुछ आमदनी तो हो ही सकती है। पर यह बात तो सत्य ही है कि राजनीति स्वयं पेशा नहीं हो सकती। प्रायः प्रत्येक व्यवस्थापक-सभा के सदस्य का अपना कुछ न कुछ पेशा और व्यवसाय है जिससे वह अपना जीवन-यापन करता है।

जिन भावनाओं से वह जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेता है वे वही हैं जो अन्य देशों में पायी जाती हैं। देश की विभिन्न समस्याओं में दिलचस्पी होती है और लोग अपने विश्वास के अनुसार सेवा करने की इच्छा करते हैं। कुछ चाह या आकांक्षा तो होती है जिसे बुरा नहीं कहा जा सकता। यश प्राप्त करने की इच्छा होती है। शक्ति प्राप्त करने की भावना रहती है। राजनीति के द्वारा समाज में मान प्राप्त करके उससे अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने की भावना का होना भी हो सकता है।

प्रायः सभी वर्ग के लोग व्यवस्थापक-सभा की सदस्यता में आते हैं। सबसे अधिक संख्या वकीलों की रहती है। अधिकांश सदस्य अच्छी तरह पढ़े लिखे होते हैं। कुछ कैण्टनों के पुराने और अनुभवी कर्मचारी भी रहते हैं। पुराने सामन्तशाही परिवारों के लोग तो प्रायः समाप्त हो गये और जो रह गये हैं वे कभी राजनीति में भाग नहीं लेते।

अधिक सदस्य साधारण स्तर के और सादा जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। मध्यम वर्ग से आये हुए योग्य व्यक्ति होते हैं। असेम्बली दूसरे देश की असेम्बलियों की तरह योग्यता में कम नहीं है। हाँ केवल बड़े-बड़े

भाषण देने वालों की कमी होती है। लोग संघ और कैन्टन की सभाओं के सदस्यों का आदर तथा विश्वास करते हैं। भ्रष्टाचार और घूसखोरी बहुत कम है। बल्कि नाममात्र की होती है। शायद ही कोई इसमें पड़कर अपनी जिन्दगी चौपट करे।

राष्ट्रीय असेम्बली में कारवाई बहुत ही साधारण ढंग से होती है। फ्रांस और इङ्गलैण्ड की तरह परम्परागत प्रथाओं की भव्यता नहीं है। कोई विशेष ढंग नहीं है। असेम्बली के नेताओं के विशेष मान और मर्यादा की परम्परा भी नहीं है। शहरी और बनावटीपन की झलक नहीं मिलती। वाद-विवाद या भाषण में कडुवापन या विरोधियों को नीचा दिखाने की मनोवृत्ति नहीं है। "वहाँ एक स्वाभाविक सादगी और मर्यादित परम्परा जो राष्ट्रीय स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भावनाओं की सूचक हैं देखने को मिलती है।"* सदस्य ठोस और विचारशील होते हैं जो सदैव ठंडे मस्तिष्क से देश की समस्याओं को हल करते हैं। एक दूसरे के प्रति समानता और आदर की भावनाओं से भरा वातावरण रहता है। सदस्य अपने सहयोगियों का आदर करते हैं। एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछालने की प्रवृत्ति नहीं है। सदस्य संघ के शासकों (मंत्रियों) का विश्वास करते हैं। जनता दोनों का विश्वास करती है।

जनमत जनता की मानसिक और नैतिक भावनाओं, वृत्तियों और इच्छाओं की प्रतीक होता है। स्विस् देश में भिन्न-भिन्न धर्म, जाति और भाषा के बोलने वाले निवासी हैं। पर वहाँ के जीवन में विचार परम्परा और राजनीतिक जीवन के स्तर में साम्य और एकरूपता है।

यह समानता और स्वतन्त्रता का प्रतिफल है। स्विस् देश के नागरिक स्वतन्त्रता की भावनाओं से प्रेरित होते हैं—जो नागरिक, धार्मिक और राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सभी के अर्थ में है। किसान या मजदूर अपने पैरों पर खड़ा होता है और, अपने मार्ग से जाता है। उसे मार्ग-दर्शक की आवश्यकता हो सकती है पर वह उनके द्वारा पशुओं की नाईं ले जाया

* माडर्न डेमोक्रेसी, प्रथम भाग ४७६।

नहीं जा सकता। उसने स्वतन्त्रता के दो पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिये हैं—अर्थात् दूसरे के अधिकारों का आदर तथा मान करना और दूसरा अधिकार के साथ कर्तव्य का सम्बन्ध स्थापित करना। इस तरह स्विस् नागरिक विरोध को सुनते हैं। हिंसात्मक उत्तेजना नहीं होती और विरोधी के तर्क को मान लेने और समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। स्वतन्त्रता की भावनाओं ने जितना इस देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति आदर और मान का प्रचार किया है तथा विचारों के आदान-प्रदान के द्वारा संतुलन की स्थापना की है उतना अन्य देशों में नहीं। अन्य क्षेत्रों में विभिन्नता के रहते हुए भी राजनीति में उनकी एकता सराहनीय है।

जनता का अत्यधिक भाग गांवों में रहता है। खेती के द्वारा अपना निर्वाह करता है। इस कारण उनमें एक देहाती भाव है जो उन्हें परिवर्तन, या सुधार की शीघ्रता की तरफ नहीं बल्कि धीरे-धीरे पैर फूँक कर चलने की आदत को ही प्रसन्द करता है। स्विस् देश का किसान मूर्ख नहीं है पर वह धीरे-धीरे आगे बढ़ना पसन्द करता है। जीवन की आदतों से ही नयी भावनाओं को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते। इसे देहाती कनजरवेटिज्म (प्रतिक्रियात्मक भाव) कहते हैं।

प्राचीन समय से ही स्थानीय स्वायत्त शासन की प्रथा और परम्परा जो पुराने देहाती कैन्टनों में रही और वह अब सारे राष्ट्र में पूर्णरूप से प्रचलित हो गयी है। स्वशासन की परम्परा और भावना ने स्विस् नागरिकों को स्वतन्त्र, समझदार और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया है। उनमें प्रत्येक प्रश्न को अपनी शक्ति और उपयोगिता के आधार पर निर्णय करने की आदत पड़ गयी है। इस कारण व्यक्तिगत नेताओं तथा पार्टियों के प्रभाव कम होते गये हैं। यही कारण है कि देश का इतिहास केवल थोड़े से वीरों और राजनीतिज्ञों की कहानी नहीं है पर जनता का इतिहास है। इस देश का इतिहास वीरों की कहानियों में नहीं लिखा जा सकता। ज्विगंली के अतिरिक्त किसी एक व्यक्ति ने इस देश के इतिहास में राष्ट्रीय वीरों का पद नहीं प्राप्त किया है। नागरिकों के स्थिर स्वभाव के कारण इस देश में राजनीतिज्ञों के लिए कोई फलने फूलने की गुंजाइश नहीं है।

सामाजिक समानता और स्वतन्त्रता स्विस् देश में बहुत पहले से ही स्थापित हो चुकी थी। यह भावना अब राष्ट्रीय चरित्र का अंग बन गयी है। यही कारण है कि स्विस् देश में किसान और श्रमिक वर्ग में थोड़े से पुराने सामन्तवादियों और धनिक व्यक्तियों के प्रति घृणा का भाव नहीं है। प्रत्येक व्यक्तिका मूल्य उसके पैसेसे नहीं बल्कि उसकी नागरिकता और नागरिक योग्यता से आंका जाता है। हर वर्ग में जीवन का स्तर एक समान और सरल है। वे योग्यता का मान करते हैं। यही कारण है कि कोई व्यक्ति एक बार एक पद पर हो गया और यदि उसने अपनी सचाई, सेवा-भाव तथा योग्यता का प्रमाण दिया तो वह किसी विचार या दल का क्यों न हो स्विस् देश के निवासी उसकी सेवा को पुनर्नियुक्ति के द्वारा चालू रखते हैं।

अधिकांश जनता नयी भावनाओं से जल्दी प्रेरित नहीं होती। रूसो जेनेवा का रहने वाला था परन्तु उसके सिद्धान्त का प्रभाव फ्रान्स पर अधिक हुआ। स्विस् देश में जो कुछ प्रभाव पड़ा वह फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति या रूसो का नहीं। इसी प्रकार समाजवाद का प्रचार भी जर्मन श्रमिकों के स्विस देश में आने से तथा प्रचार के द्वारा हुआ है।

स्विस् देश के नागरिक अपने देश की राष्ट्रीय, कैन्टन तथा कम्युन की समस्याओं में व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते हैं। दुनियाँ के अन्य देशों की तरह बड़े बड़े व्यवसायिक केन्द्र, अन्ताराष्ट्रिय झगड़े, औपनिवेशिक उत्तरदायित्व अथवा अन्य बड़े-बड़े खेल और तमाशे नहीं हैं। इनके पास कुछ अवकाश रहता है। अतः अपने देश की समस्याओं पर विचार करने और सुलझाने की भावना रहती है। स्विस् देश के नागरिक केन्द्री-करण और समाजवाद के अधिकतर विरोधी होते हैं। पर उन्हें देश का सामूहिक हित प्रतीत हो तो नयी वस्तुओं के ग्रहण करने में हिचकते नहीं। स्वभाव से ही वे मितव्ययी होते हैं। किसानी से आमदनी कम होती है, वहाँ कर भी कम रहे हैं। यही कारण है कि कर बढ़ाने के प्रस्ताव पर स्विस् देश के लोग जल्दी तैयार नहीं होते।

धार्मिक भावना अभी थोड़ी बहुत है। पर उसका रूप उग्र नहीं है। प्रोटेस्टैन्ट आज भी जेसुइट आडर से डरते हैं। अतः जेसुइट अपना कोई संघटन स्थापित नहीं कर सकते। जिओ और जोन्स ... के सिद्धान्त पर है

स्विस् देश का जनतंत्र संगठित है। बहुमत का अत्याचार नाम-मात्र को भी नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत के अत्याचार से भयभीत होने की कोई बात स्विट्जरलैण्ड में नहीं है।

राजनीति में काम करने वालों के साथ जनता का सबम्न्ध बहुत ही मधुर और विश्वास-जनक होता है। जनता अपने देश के कार्यकर्त्ताओं को अच्छी तरह पहचानती है। यदि उसने विश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया तो उन पर से विश्वास जल्दी उठता नहीं। जनता का निर्णय अधिकतर नैतिक होता है। प्रेस और पत्र का ढंग भी बहुत अच्छा है। विदेशो दर्शकों ने स्विस देश के प्रेसों की बड़ी प्रशंसा की है। पत्र बहुत अच्छे ढंग से निकाले जाते हैं। अखबारों का स्तर ऊँचा है। वे किसी को नीचा दिखाने या व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार के लिए सत्य को तोड़-मरोड़ कर घटनाओं का उल्लेख नहीं करते। छोटा देश होते हुए भी इस देश में बहुत से पत्र और पत्रिकाएँ निकलती हैं। सभी लोग पत्र पढ़ते हैं। पत्रों ने राजनीतिक विचारों का स्तर ऊँचा रखा है। जनता के मार्ग का प्रदर्शन करना अपना कर्तव्य समझते हैं।

रेफरेन्डम या इनिसियेटिव के फल से जनता की सच्ची इच्छा हर समय नहीं मालूम होती। जनता के वोट में कई शक्तियाँ कार्य करती हैं। पार्टी का कुछ तो प्रभाव अवश्य ही रहता है। परिस्थितियाँ भी काम करती हैं। जब कोई किसान किसी प्रश्न पर 'नहीं' में अपना वोट देता है तो इसका यही अर्थ है कि वह अभी उस पर 'हाँ' कहने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह किसी प्रश्न पर वोट के कम मिलने से ही अन्तिम निर्णय नहीं कहा जा सकता। जनता की दिलचस्पी से ही एक होशियार व्यक्ति कह सकेगा कि कितने दिनों के बाद अमुक प्रश्न पर जनता अपनी सम्मति दे देगी। प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था जनता की इच्छा जानने के लिए अब तक के जितने तरीके रहे हैं उनमें सब से अच्छा है। इसके द्वारा जनता के नेताओं को मालूम हो जाता है कि किसी विषय पर जनता किस ढंग से सोच रही है।

स्विस विधान की विशेषताएँ
और
तुलनात्मक अध्ययन

स्विस देश के विधान का अध्ययन करने के बाद उसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है। हर देश का विधान अपने इतिहास, जनता की सांस्कृतिक परिस्थिति और मनोविकास, उसकी सभ्यता और विकास का प्रतीक और स्वरूप होता है। राजनीति शास्त्र में शासन-पद्धतियों के जो सिद्धान्त स्थिर किये जाते हैं उनमें इतिहास की सहायता ली जाती है। विभिन्न देशों की शासन-प्रणालियों को तुलनात्मक दृष्टिसे विश्लेषण करके जो सामान्य पद्धति होती है उसको राजनीति शास्त्र में सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है। पर किसी देश की विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कुछ पद्धतियाँ उस देश की अपनी विशेषता के रूप में रह जाती है। राजनीतिक पद्धतियाँ वैज्ञानिक रूप में अध्ययनविषय होती हैं। परन्तु किसी देश की विशेष परिस्थिति में अंकुरित और विकसित कोई प्रणाली दूसरे देश में प्रारम्भ की जाय तो कोई आवश्यक नहीं कि वह प्रणाली दूसरे देश में उसी प्रकार फले और फूले। यूरोपीय महायुद्ध के बाद यूरोप के कितने ही नये राज्य में जैसे यूगोस्लाविया, पोलैण्ड, आस्ट्रिया तथा जर्मनी इत्यादि देशों में कैबिनेट प्रणाली या पार्लमेण्टरी सरकार पद्धति प्रारम्भ हुई पर प्रायः एकाध देश को छोड़ कर सभी देशों में असफल रही। अतः कोई पद्धति किसी विशेष परिस्थिति में सफलीभूत होती है। स्विस देश की शासन प्रणाली स्विस देश की विशेष परिस्तियों में, वहाँ की जनता के विशेष गुणों के कारण विकसित हुई है।

स्विस देश का निर्माण धीरे-धीरे हुआ है। स्वतन्त्र कैन्टन अपनी रक्षा के लिए आपस में रक्षात्मक लीग के रूप में संघटित हुए थे। १८०३ में कैन्टनों का वृहत्तर राज्य संघ बना और १८४८ में विधान का नया स्वरूप हुआ।

आज भी स्विट्ज़रलैण्ड राज्य-संघ है।

अतः स्विट्ज़रलैण्ड का विधान संघात्मक है। विधान में संघ-सरकार के अधिकार और कार्य दिये गये हैं। इस अर्थ में स्विस् देश संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है। अमेरिका भी स्वतंत्र उपनिवेशों का संघ है। संघ-सरकार को विधान-सभा ने जो अधिकार दिये थे वे ही विधान में लिखित हैं। बाद में संघ-सरकार के अधिकारों में वृद्धि हुई। संघीय न्यायालय के निर्णय, संघीय व्यवस्थापक-मण्डलके कानूनों, प्रथाओं, संशोधन और अन्य आवश्यकताओं के फलस्वरूप अमेरिका की संघ-सरकार को इस समय अत्यधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। स्विस् सरकारके अधिकार विधान में लिखित हैं जो संघ-विधान के वर्णन में दिया जा चुका है। बाद में आवश्यकताओं के कारण संशोधनों के द्वारा संघ-सरकार को और भी अधिकार दिये गये हैं। पर अब भी स्विस् सरकार के अधिकार और कार्य-क्षेत्र की अभिवृद्धि उतनी नहीं हुई है जितनी अमेरिकी सरकार की हुई है। अमेरिका की संघ-सरकार के अधिकार और कार्य-क्षेत्र बहुत बढ़ गये हैं।

संघात्मक विधान है

संघ-सरकार के विधान में लिखित कार्य और अधिकारों के अतिरिक्त शेष शासन सम्बन्धी कार्य और अधिकार कैन्टनों को प्राप्त हैं। कैन्टनों के कार्य और अधिकार विधान में लिखित नहीं है। संघ को कार्य और अधिकार देने के बाद जो अवशेष रह जाता है उन सब पर कैन्टनों का अधिकार है। अमेरिका में भी अवशेष अधिकार राज्यों को प्राप्त है।

अवशिष्ट अधिकार कैन्टन को प्राप्त हैं

स्विस् देश की संघ-सरकार के दो प्रकार के कार्य और अधिकार हैं। एक विशुद्ध संघीय कार्य और अधिकार और दूसरा जिस में संघ और कैन्टन का सम्मिलित अधिकार है। सम्मिलित कार्य-क्षेत्र में संघ और कैन्टन के कानूनों में संघर्ष होनेपर संघ कानून ही सर्वोपरि समझा जाता है। अमेरिका में संघ-सरकार को राज्यों के साथ सम्मिलित * कार्य और

संघ का कैन्टनके साथ सम्मिलित अधिकार

* Concurrent

अधिकार प्राप्त नहीं हैं। भारतवर्ष की संघ-सरकार को १९३५ तथा १९४९ के विधान द्वारा राज्यों के साथ सम्मिलित कार्य और अधिकार प्राप्त हैं।

संघीय न्यायालयको कानूनों की वैधता पर निर्णय का अधिकार नहीं है

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पास किये गये कानूनों की वैधता पर निर्णय देने का अधिकार है। राज्यों की व्यवस्थापक-सभाओं के द्वारा पास किये गये कानूनों पर भी निर्णय देने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। स्विस् देश के संघीय न्यायालय को संघ की व्यवस्थापक-सभा द्वारा पास किये गये कानूनों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

संघ का व्यवस्थापक-मण्डल कैन्टन के द्वारा पास किये गये कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है।

मौलिक अधिकारोंका उल्लेख विधान में नहीं है

विधान में जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। जिसे अमेरिका में बिल आफ राइट्स कहा जाता है। स्विट्ज़रलैण्ड में राजनीतिक अपराधियों के लिए फांसी की सजा नहीं दी जाती।

संघ-सरकार को जनता पर प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार नहीं है। केवल अप्रत्यक्ष साधनों से ही संघ-सरकार अपनी आय की वृद्धि कर सकती है। फिर भी यदि उसे संघ की आवश्यकताओं के लिए आय चाहिये तो कैन्टन की सरकारें आनुपातिक रूप में देंगी। स्विस् संघ में सरकार के तीन अंग हैं—व्यवस्थापक-मण्डल, शासन-परिषद और संघीय न्यायालय।

संघ का अध्यक्ष

संघ का अध्यक्ष संघ की शासन-परिषद का सदस्य होता है। संघ का व्यवस्थापक-मण्डल शासन परिषद के एक सदस्यको एक वर्षके लिए संघ का अध्यक्ष चुनता है। संघ के अध्यक्ष को कोईअधिकार नहीं है। बिलों पर हस्ताक्षर करने या न करने का कोई अधिकार नहीं है। संघके अध्यक्ष होनेके कारण केवल राजकीय उत्सवों पर राज्य का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। अन्य देश के राजदूतों का परिचय-पत्र लेने का अधिकार है।

अमेरिकी संघ का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता है। वह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चार वर्ष के लिए चुना जाता है। वह शासन का प्रधान अधिकारी है। अपने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों की नियुक्ति करता है। और ये उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चार वर्ष के लिए शक्तिशाली शासक है। कांग्रेस का कोई अधिकार उसके ऊपर नहीं है। उसे कांग्रेस के द्वारा पास किये गये बिलों पर प्रतिषेधात्मक अधिकार प्राप्त है।

स्विस् देश के अध्यक्ष को संघ के व्यवस्थापक मण्डल के प्रति सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होना होता है। वह अन्य मंत्रियों की तरह एक मंत्री भी है। उसे व्यवस्थापक-मण्डल की सभाओं में जाकर बैठना और बोलना पड़ता है पर वोट देने का अधिकार नहीं है।

वह अपने अन्य सहयोगी मंत्रियों को नहीं चुनता। उनके ऊपर अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। उसे केवल शासन-परिषद की बैठकों में अध्यक्षता करने का अधिकार है। किसी प्रश्न पर बराबर मत हो तो इन्हें एक वोट देने का अधिकार है।

संघ का व्यवस्थापक मण्डल—इस में दो सभाएँ हैं।

(१) राष्ट्र-परिषद (राष्ट्रीय काउन्सिल)

(२) राज्य-परिषद (राज्य-परिषद)

दोनों सभाओं के अधिकार समान हैं। परन्तु जब कोई बिल किसी सभा के द्वारा पास होने के बाद दूसरी सभा में स्वीकृत न हो या उसमें संशोधन हो जाय तो दोनों सभाओं की एक समिति के द्वारा मतभेद का निवारण होता है। इस तरह प्रायः मतभेद समाप्त हो जाता है। ऐसा भी होता है कि द्वितीय सभा (राज्य-परिषद) राष्ट्र-परिषद के विचारों का आदर करती है और राष्ट्र-परिषद की इच्छाओं का विरोध नहीं करती। यह अमेरिकी सिनेट की तरह शक्तिशाली नहीं है पर अन्य देशों की द्वितीय सभाओं से प्रभावशाली है। यह सभा प्रतिक्रियात्मक नहीं है। स्विस् राज्य-परिषद के विषय में यह कभी नहीं कहा गया कि यह प्रगतिशील नहीं है। यह प्रगति के चक्र में ब्रेक का काम नहीं करता।

दोनों सभाओं के समान अधिकार

राज्यपरिषद् में अमेरिकी सिनेट की तरह प्रत्येक कैन्टन से दो सदस्य आते हैं। सिनेट के सदस्य अपने-अपने राज्यों की जनता के द्वारा छ वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्य-परिषद् के सदस्य कुछ कैन्टनों में कैन्टन की बड़ी सभा के द्वारा और कुछ कैन्टनों में जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल भी अलग-अलग होता है। एक वर्ष से लेकर चार वर्ष तक के लिए होता है।

राज्यपरिषद्—और सिनेट

सिनेट को कुछ विशेष अधिकार हैं—राष्ट्रपति के द्वारा की गयी नियुक्तियों को स्वीकार करना, संधियों को स्वीकार करना, इमपिचमेन्ट सुनना (राज्यद्रोह के अभियोग सुनना)

स्विस् राज्यपरिषद को इस तरह के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

निर्वाचन-अधिकार

स्विस् देश में प्रत्येक वयस्क पुरुष मतदाता होता है। बीस वर्ष की अवस्था हो जाने पर लोग वयस्क हो जाते हैं। कोई क्लर्जी (पादरी) मतदाता होते हुए भी उम्मीदवार नहीं हो सकता। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार स्विस् देश में नहीं है।

दोनों सभाओं में एक साथही बिलोंका प्रस्तावित होना

दोनों सभाओं की बैठकें एक साथ प्रारम्भ होती हैं। कोई बिल एक ही समय या एक ही साथ दोनों सभाओं में प्रस्तुत होता है। प्रायः और देशों में एक सभा में बिल के पास हो जाने के बाद दूसरी सभा में जाता है। आर्थिक बिल तो पहले (प्रथम सभा) प्रतिनिधि-सभा में ही प्रस्तावित होता है। पर स्विस् देश में ऐसी प्रद्धति नहीं है। दोनों सभाओंमें एक साथ ही बिल प्रस्तावित होता है। इसका लाभ है। किसी बिल पर दो पृथक्-पृथक् सभाओं को स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर मिल जाता है। अमेरिका में यदि कोई बिल प्रतिनिधि-सभा में समाप्त या अस्वीकृत हो गया तो वह फिर सिनेट में नहीं पहुँच सकता।

स्विस् देश की शासन-परिषद अन्य देशों से भिन्न है। इस देश की इस समन्ध में अपनी विशेषता है। अन्य देशों में शासन का एक प्रधान होता है।

मण्डलात्मक शासन

अध्यक्षात्मक सरकार में अध्यक्ष शासन का प्रधान होता है। पार्लमेण्टरी सरकार में प्रधान मंत्री होता है। स्विस् देश में कोई अध्यक्ष या प्रधान मंत्री नहीं है। शासन-परिषद ही शासन के लिए उत्तरदायी है। शासन-परिषद का अध्यक्ष ही संघ का भी अध्यक्ष माना जाता है। संघ के अध्यक्ष की हैसियत से उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

शासन-परिषद कैबिनेट नहीं है

शासन-परिषद कैबिनेट नहीं है क्योंकि इसका निर्माण प्रधान मंत्री के द्वारा एक पार्टी से नहीं होता।

शासन-परिषद का उत्तरदायित्व सम्मिलित और पृथक-पृथक् भी है

शासन परिषद का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय असेम्बली के प्रति संयुक्त रूप से तथा अलग अलग भी है।

मंत्रियों का चुनाव

राष्ट्रीय असेम्बली की दोनों सभाएँ अपनी संयुक्त बैठक में मंत्रियों का चुनाव करती हैं।

संघीय न्यायालय के सदस्यों का चुनाव

संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चुनाव दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में छ वर्ष के लिए होता है।

पुनर्निर्वाचन पद्धति

मंत्रियों और न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति हो जाती है यदि वे अपने कार्य और चरित्र से अपनी कीर्ति और ख्याति बना रखे हों।

जनता द्वारा कानून निर्माण की व्यवस्था

स्विट्ज़रलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष कानून निर्माण की व्यवस्था है। इस देश में जनता का राज्य, जनता के द्वारा और जनता के लिए सच्चे अर्थ में स्थापित है। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था के साथ-साथ जनता के द्वारा कानून निर्माण की पद्धति—प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि मूलक शासनको मिलाकर स्विस लोकतंत्र को सच्चे अर्थ में लोकतंत्र बनाया गया है। अब तक ऐसा आदर्श लोकतन्त्र व्यवहार में नहीं आया है।

संक्षिप्त में (१) स्विस् देश का विधान लोकतंत्रात्मक है। इसका निर्माण जनता द्वारा किया गया है और जनता स्वयं अपने हित में इसका संचालन करती है।

(२) यह प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। अर्थात् शासन का कार्य जनता के द्वारा चुने हुए व्यवस्थापकों, शासकों तथा न्यायाधीशों के द्वारा होता है।

(३) प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के साथ-साथ उस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था भी की गयी है। कम्युनों (गाँव और नगर) में जनता प्रायः अधिक से अधिक कार्य स्वयं करती है। संघ तथा कैन्टन में कानून निर्माण या प्रस्तावित बिलों पर जन सम्मति की आवश्यकता है।

(४) यहाँ का विधान संतुलन के सिद्धान्त के आधार पर बना हुआ है। अर्थात् पार्लमेण्टरी तथा अध्यक्षात्मक सरकार की पद्धतियों को मिलाकर बना है। फ्रांस के तृतीय प्रजातंत्र के अध्यक्ष की तरह स्विस् शासन-परिषद् का निर्वाचन् राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा होता है और फ्रेंच कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) की तरह स्विस् शासन-परिषद् स्विस् देश का वास्तविक शासन-मण्डल है। राष्ट्रीय असेम्बली के कार्य काल तक स्थायी अवधि के कारण यह अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह भी है।

स्विस् शासन पद्धति ने पार्लिमेण्टरी और अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों के गुण को ग्रहण किया है और उनके दोषों से मुक्त है।

(५) यह विधान संघीय है। यों तो यह राज्य-संघ है, संघ राज्य नहीं है। परन्तु विधान के विकास और संघ के स्थायित्व तथा दृढ़ और शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की स्थापना से यह संघ पूरे अर्थ में है। अब यह स्वतंत्र कैन्टनों की रक्षात्मक लीग या राज्यों का संघ मात्र नहीं है।

(६) यह विकेन्द्रित राज्य है। अर्थात् राज्य की शक्ति का एक स्रोत नहीं है। संघ-सरकार तथा संघ के अन्तर्गत विभिन्न कैन्टनों को अपने-अपने क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।

(७) विधान का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा होता है। पर शासन में एक ही दल का शासन नहीं होता। शासन-परिषद में विभिन्न राजनीतिक दलों की संयुक्त सरकार होती है।

(८) विधान ही सर्वोपरि है। पर विधान का संशोधन जनता के मतदान के द्वारा होता है। अतः स्विस् देश में रेफरेन्डम और इनिसियेटिव के द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण शासकों और क़ानून बनाने वालों पर रहता है।

(९) स्विस् देश में संघीय न्यायालय को विधान की धाराओं पर निर्णय करने का अथवा राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा बनाये गये क़ानूनों की वैधता पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है।

(१०) विधान में जनता के मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है पर जनता के अधिकारों की समुचित व्यवस्था है। जनता अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। अपने कर्तव्यों का पालन करके वह अपने अधिकारों की रक्षा करती है।

स्विस् शासन-पद्धति और ब्रिटिश शासन पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन—

दोनों शासन-पद्धतियों के तुलानात्मक अध्ययन के पहले स्विस् देश और बृटिश देश के राज्यों का संक्षिप्त तुलानात्मक ज्ञान आवश्यक है।

(१) स्विट्जरलैण्ड संघ राज्य है।

ब्रिटेन केन्द्रीय राज्य है।

(२) स्विट्जरलैण्ड में कोई राजा नहीं है। यह एक नृपशून्य लोकतंत्र है।

ब्रिटेन में राजा है। अतः यह राजतंत्र या नृपतंत्र है। पर साथ ही साथ ब्रिटेन दुनियाँ का सर्व प्रसिद्ध प्रजातंत्र है। अतः ब्रिटेन प्रजातंत्रात्मक राजतंत्र है। इसे वैधानिक या सीमित राजतंत्र भी कहते हैं।

(३) स्विस् देश का विधान लिखित है। अतः लचकदार नहीं है।

ब्रिटेन का विधान प्रधानतः अलिखित है और साथ ही साथ कुछ अंशों में लिखित है। लिखित और अलिखित होते हुए यह विकासात्मक और लचकदार है।

(४) स्विस् राज्य में न्यायालयों के निर्णय, प्रथा, प्रचलन, परम्परा, प्रयोग, नजीर इत्यादि की प्रधानता नहीं है। ब्रिटेन में इन सबकी प्रधानता ही नहीं वरन् ब्रिटिश विधान के ये आवश्यक अंग हैं।

(५) स्विस् देश की राष्ट्रीय असेम्बली संघ को दिये गये विषयों तथा कुछ सम्मिलित विषयों पर ही अधिकार कर सकती है। अर्थात् इसके अधिकार विधान के आधार पर सीमित हैं। इस सीमित क्षेत्र के भीतर भी राष्ट्रीय असेम्बली जनता के अधिकारों (रेफरेन्डम और इनिसियेटिव) द्वारा नियंत्रित है।

बृटिश पार्लमेण्ट और ब्रिटिश नरेश कानून की दृष्टि में सर्वोपरि हैं। राज्य सत्ता ब्रिटिश पार्लमेण्ट और नरेश में निहित है। यों तो ब्रिटिश पार्लमेण्ट कानून की दृष्टि से सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ कानून बनाने वाली असेम्बली है। इसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। पर पार्लमेण्ट जनता के मत का ख्याल अवश्य करती है।

वैधानिक दृष्टि से पार्लमेण्ट ही सर्व सत्ताधारी है।

बृटिश और स्विस् देश की शासन पद्धतियों की तुलना—

ब्रिटिश देश में शासन का प्रधान राजा है।

राजा नाम मात्र का ही प्रधान है।

स्विस् देश में शासन-परिषद का चेयरमैन संघ का प्रधान माना जाता है।

राजा अपने जीवन काल तक गद्दी का अधिकारी बना रहता है। उसके कुछ अधिकार भी हैं और वह अपने अनुभव तथा सामाजिक महत्व के कारण शासन में सहायक होता है। वह विभिन्न डोमिनियन राज्यों को इंग्लैण्ड से मिलाने का एक मात्र कड़ी था स्मृति-चिह्न है।

स्विस् देश का अध्यक्ष वास्तव में अध्यक्ष नहीं। वह शासन-परिषद का चेयरमैन है और साथ ही साथ एक मंत्री भी है। संघ के अध्यक्ष के नाते वह राजकीय उत्सवोंमें संघ का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों से आये हुए राजदूतों का स्वागत करता है तथा उनका परिचय-पत्र प्राप्त कर लेता है। वह केवल एक वर्ष के लिए ही संघ का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का और कोई अधिकार नहीं है। इंग्लैण्ड का राजा स्वयं नाम मात्र का प्रधान है। पर स्विस् देश का अध्यक्ष इंग्लैण्ड के राजा से भी कम प्रधान रहता है।

(१) स्विस् देशमें शासन का कार्य संघीय शासन-परिषद्के द्वारा होता है। इसमें सात सदस्य होते हैं। इनका निर्वाचन स्विस् देश के व्यवस्थापक-मण्डल की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में होता है।

बृटिश शासन-परिषद् को कैबिनेट या मंत्रि-मण्डल कहते हैं। इसी मंत्रि-मण्डल की नियुक्ति राजा के द्वारा होती है। पर वास्तव में राजा के अधिकार इसमें सीमित हैं। विधान की प्रथा के अनुसार राजा हाउस आफ कामन्स (साधारण सभा) के नये निर्वाचन के बाद बहुमत दल के नेता को निमंत्रित करता है। राजा के निमंत्रण पर बहुमत दल का नेता मन्त्रिमण्डल बनाना स्वीकार करता है। बहुमत दल का नेता प्रधान मंत्री बनाया जाता है और उसकी सिफारिश पर अन्य मंत्री नियुक्त होते हैं। मंत्रि-मण्डल में करीब करीब बीस सदस्य होते हैं। इनके साथ अनेक उपमंत्री और पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी होते हैं जिनकी संख्या पचास या पचहत्तर तक चली जाती है।

इस प्रकार कैबिनेट में अधिकतर साधारण-सभा के सदस्यों में से लिये जाते हैं और कुछ सरदार-सभा से भी लिये जाते हैं।

(२) स्विस् देश की शासन-परिषद कई पार्टियों से बनती है। उसमें कोई प्रधान मंत्री नहीं होता। परिषद् का चेयरमैन केवल एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा चुना जाता है। इंगलैण्ड में कैबिनेट केवल एक बहुमत राजनीतिक दल का होता है। दल का नेता प्रधान मंत्री होता है। प्रधान मंत्री कैबिनेट की बैठकों में अध्यक्ष होता है। प्रधान मंत्री साधारण सभा के कार्यकाल तक यदि उसका बहुमत बना रहा तो रह सकता है।

(३) स्विस् देश की शासन-परिषद के चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं होता। वह एक मंत्री है। यदि किसी प्रश्न पर परिषद् की बैठक में बराबर मत हो जाय तो उसे एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार है।

इंगलैण्ड में प्रधान मंत्री दल का नेता होता है। अन्य मंत्री उसी की सिफारिश पर चुने जाते हैं। कैबिनेट में प्रायः वोट नहीं लिया जाता। बातें होती हैं और आपस में तय कर ली जाती हैं। प्रधान मंत्री की प्रधानता सभी प्रश्नों के निर्णय में होती है। इंगलैण्ड में प्रधान-मंत्री का आधिपत्य होता है। उसकी आज्ञाओं, सलाहों को मानना प्रत्येक मंत्री का कर्त्तव्य हो

जाता है। यदि वह चाहे तो अपना त्याग-पत्र देकर अन्य मंत्रियों का त्याग-पत्र करा सकता है। सिद्धान्ततः प्रधान मंत्री के त्यागपत्र का अर्थ सभी मंत्रियों के त्याग पत्र से होता है।

स्विस् देश में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। फेडरल काउन्सिल का चेयरमैन केवल चेयरमैन है। प्रधान मंत्री नहीं है।

(४) स्विस् देश में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त अंग्रेजी केबिनेट के अर्थ में नहीं है। स्विस् देश में भी सामूहिक उत्तरदायित्व है। पर इसका अर्थ यह है कि परिषद् के निर्णय बहुमत से होते हैं और उस निर्णय के बाद वह परिषद का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री परिषद के निर्णय का विरोधी है तो वह अपने विरोध को राष्ट्रीय असेम्बली में प्रकट कर सकता है। पर ब्रिटेन में ऐसी परिस्थिति नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ सचमुच सामूहिक उत्तरदायित्व है। कैबिनेट के निर्णय के बाद वह निर्णय कैबिनेट का निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न पर मतभेद रखता है तो या तो वह मतभेद बातचीत के बाद समाप्त हो जाता है या वह पद त्याग करता है। मंत्रिमण्डल का सदस्य रहते हुए पार्लमेण्ट में वह अपना विरोध प्रकट नहीं कर सकता।

(५) स्विस् शासन-परिषद की बातचीत गुप्त इस अर्थ में नहीं रह सकती कि परिषद में भिन्न भिन्न दल के लोग होते हैं और मंत्रियों को अपने विरोध राष्ट्रीय असेम्बली में प्रकट करने का अधिकार है।

बृटिश मंत्रि-मण्डल की बैठक में की गयी बातचीत गुप्त रहती है। किसी को यह अधिकार नहीं है कि मंत्रियों को मंत्रि-मण्डल की कारवाई प्रकट करने को बाध्य करे।

(६) इंगलैण्ड में मंत्रि-मण्डल के सदस्यों का चुनाव साधारण-सभा के बहुमत दल में से प्रधान-मंत्री के द्वारा होता है। कुछ सदस्य सरदार सभा से भी ले लिये जाते हैं।

स्विस् देश में प्रधान मंत्री नहीं होता। मंत्रियों का चुनाव राष्ट्रीय असेम्बली के दोनों भवनों की संयुक्त बैठक में विभिन्न दलों में से होता है।

(७) इंगलैण्ड मे मंत्रियों को मुख्यतः साधारण सभा नहीं तो सरदार सभा का सदस्य होना जरूरी है।

स्विस् देश में मंत्रियों को राष्ट्रीय असेम्बली का सदस्य होना जरूरी नहीं है। पर सदस्यों में से ही लोग चुने जाते हैं।

(८) स्विस् देश में मंत्री चुने जाने के बाद राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्य अपना पद रिक्त कर देते हैं। उनके स्थान पर दूसरों का चुनाव हो जाता है। मंत्री लोग राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्य नहीं रह सकते। पर उन्हें दोनों भवनों में बैठने, बोलने का अधिकार है। पर वे वोट नहीं दे सकते।

इंगलैण्ड में इसकी आवश्यकता नहीं है कि मंत्री चुनने के बाद पद-त्याग कर दें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मंत्री चुन लिया गया है और पार्लमेण्ट का सदस्य नहीं है तो उसे छ महीने के भीतर किसी सभा का सदस्य होना आवश्यक होगा। ब्रिटिश मंत्रिगण सभा में बैठते, बोलते और वोट देते हैं। बहुमत दल के प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते सभा में उन्हें कानून निर्माण का नेतृत्व प्राप्त है। वल्कि मंत्रियों के सहयोग और सहायता बिना ब्रिटिश पार्लमेण्ट में कुछ भी पास होना असम्भव है। स्विस् देश में पार्टी संघटन और उसकी शक्ति इतनी नहीं होती कि स्विस् मंत्रि-मंडल के लोग राष्ट्रीय असेम्बली को अपने नियंत्रण में कर लें। पर असेम्बली में पार्टियाँ हैं और मंत्रिमण्डल के सदस्य व्यक्तिगत रूप में विभिन्न पार्टियों के प्रमुख सदस्य होते हैं। स्विस् देश में कोई आवश्यकता नहीं है कि पार्टी का नेता ही मंत्रि-मण्डल का सदस्य हो।

(९) स्विस् देश में मंत्रियों के किसी प्रस्ताव को राष्ट्रीय असेम्बली ने स्वीकार नहीं किया तो उन्हें पदत्याग करने की जरूरत नहीं पड़ती।

ब्रिटेन में मंत्रिमण्डल का कोई प्रस्ताव पार्लमेण्ट में पास न हो तो मंत्रि-मण्डल पदत्याग कर देगा।

(१०) स्विस् देश में मंत्रिमण्डल राष्ट्रीय असेम्बली की दोनों सभाओं के प्रति उत्तरदायित्व होता है। इंगलैण्ड में मंत्रिमण्डल का उत्तरदायित्व कामन-सभा और निर्वाचकों के प्रति होता है।

(११) स्विस् देश में शासन-परिषद को राष्ट्रीय असेम्बली भंग करने का अधिकार नहीं है। इगलैण्ड में मंत्रि-मंडल पार्लमेण्ट को भंग (विसर्जन) कर सकता है।

(१२) स्विस् देश की शासन-परिषद एक दल की नहीं होती इसलिए एक राजनीतिक विचार और एक नीति के पालन करने की भावना से प्रेरित नहीं होती। इसीलिए इसका निर्णय बहुमत के द्वारा होता है। किसी मंत्री को अपने विचार परिषद के निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय असेम्बली में व्यक्त करने का अधिकार है। इंग्लैण्ड में मंत्रिमण्डल के लोग एक ही राजनीतिक विचार और एक ही नीति से प्रेरित होते हैं। एक की गलती के लिए सारा मंत्रिमण्डल का उत्तरदायित्व है।

(१३) बृटिश मंत्रिमण्डल में संयुक्त उत्तरदायित्व होता है और पार्लमेण्ट के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर उन्हें एक साथ पदत्याग करना पड़ता है। स्विस् देश में शासन-परिषद के लिए कोई ऐसी बात नहीं है।

(१४) इंगलैण्ड में मंत्रिमण्डल में प्रधान मंत्री का नेतृत्व होता है। स्विस् देश में शासन-परिषद में किसी का नेतृत्व नहीं होता।

उपर्युक्त कारणों से बृटिश पद्धति को पार्लमेण्टरी सरकार या कैबिनेट पद्धति कहते हैं।

स्विस् देशकी पद्धति को मण्डलात्मक या समिति प्रधान शासन कहते हैं। इसमें पार्लमेण्टरी और अध्यक्षात्मक दोनों पद्धतियों के सिद्धान्त लिये गये हैं।

स्विस् शासन पद्धति और अमेरिकी शासन पद्धति की तुलना—

दोनों देशों की शासन-पद्धतियों के तुलनात्मक अध्ययन के पहले दोनों राज्यों के विधान की तुलना आवश्यक है।

(१) स्विस् देश का विधान संघात्मक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का विधान भी संघात्मक है।

(२) स्विस् देश की संघ-सरकार के अधिकार और कार्य विधान के द्वारा निश्चित हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ सरकार के अधिकार और कार्य विधान से निर्दिष्ट हैं।

(३) स्विस् देश में संघ-सरकार के कुछ अधिकारों में वृद्धि हुई है। संघ सरकार को अधिकार प्राप्ति विधान के संशोधन द्वारा हुई है। संयुक्त राज्य में संघ-सरकार के कार्यों और अधिकारों की अत्यधिक वृद्धि हुई है—वृद्धि अधिकतर—सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, संघीय पार्लमेण्ट के कानूनों द्वारा, प्रथा, परम्परा और थोड़े अधिकार विधान के संशोधन से भी बढ़े हैं।

(४) स्विस् देश में अवशिष्ट अधिकार कैन्टन को प्राप्त हैं। अमेरिका में भी अवशिष्ट अधिकार राज्यों को प्राप्त हैं।

(५) स्विस् देश में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर सरकार का संगठन नहीं है। कार्य-विभाजन का सिद्धान्त पूर्ण रूप से है।

अमेरिका में शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त पर विधान का निर्माण हुआ है। पर विधान के विश्लेषण से मालूम हो जाता है कि शक्ति-विभाजन के सिद्धान्त के बदले वह संतुलन और नियंत्रण का सिद्धान्त व्यवहारतः हो गया है।

(६) स्विस देश में संघ-सरकार को नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार नहीं है। अमेरिका की संघ सरकार को नागरिकों पर प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार है।

(७) स्विस् देश में संघीय न्यायालय को विधान की धाराओं पर निर्णय करने का तथा संघ की पार्लमेण्ट के कानूनों पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है।

अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को विधान-पद, संघ-पार्लमेण्ट और राज्यों की व्यवस्थापक-सभा द्वारा पास किये गये कानूनों पर निर्णय करने का अधिकार है।

(८) स्विस् देश में संघ-विधान के संशोधन पर जनमत-संग्रह (जनता का वोट) आवश्यक है। अमेरिका में विधान के संशोधन पर जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है।

(९) स्विस् देश में विधान सर्वोपरि है पर साथ ही साथ प्रत्यक्ष जन-मतदान की व्यवस्था के द्वारा जनता की प्रधानता मान ली गयी है। अमेरिका में विधान ही सर्वोपरि है।

(१०) अमेरिका में पार्टी संगठन ने राज्य और शासन के शक्ति-विभाजन

पद्धति के द्वारा बनाये हुए असहयोग या असम्बद्धता तथा शून्यता को पार दिया है। पार्टी संघटन ने शासन को एक सहयोग और एकता प्रदान की है। अन्यथा, विधान कार्य रूप में व्यवहारिक नहीं था। पर स्विस् देश में कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी संघटन वहाँ भी है। पर पार्टियों की इतनी शक्ति और प्रभाव स्विस् देश में नहीं है।

दोनों देशों की शासन पद्धतियाँः—

(१) संयुक्त-राज्य अमेरिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। उसका निर्वाचन जनता के द्वारा चार वर्ष के लिए होता है। स्विस् देश में शासन-परिषद के सदस्यों में से एक सदस्य एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा राज्य का अध्यक्ष चुना जाता है। वह व्यक्ति मंत्री और एक वर्ष के लिए अध्यक्ष रहता है।

(२) अमेरिका का राष्ट्रपति संघीय शासन का चार वर्ष तक सर्वेसर्वा रहता है। शासन का भार विधान के द्वारा और जनता की आँखों में राष्ट्रपति के ऊपर ही है। अर्थात् अमेरिका का राष्ट्रपति राज्य का वैधानिक प्रधान और साथ ही साथ शासन का प्रधान और संचालक भी है। स्विस् देश में राज्य का अध्यक्ष केवल एक वर्ष के लिए होता है। उसे कोई अधिकार नहीं है। वह केवल नाम मात्र का वैधानिक अध्यक्ष है। इसकी आवश्यकता राजकीय उत्सवों पर राज्य के प्रतिनिधित्व करने के लिए है।

(३) अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रि-मंडल के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन नियुक्तियों की स्वीकृति सिनेट से होती है जो प्रायः मिल जाती है। स्विस देश में राज्य के अध्यक्ष को मंत्रियों की नियुक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य का अध्यक्ष भी स्विस् देश की शासन-परिषद का एक सदस्य है। वह भी मंत्री है। सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रीय असेम्बली के दोनों भवनों की संयुक्त बैठक में होती है। मंत्री लोग राज्य संघ के अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

(४) राष्ट्रपति अपने मंत्रि-मण्डल की बैठकों में अध्यक्ष का काम करता है। प्रायः मंत्रिमण्डल की बैठकों में बातें तय की जाती हैं। वोट नहीं होता। क्योंकि सभी मंत्रिगण राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त और उसी के प्रति उत्तरदायी

होते हैं। राष्ट्रपति के विचार और झुकाव ही निर्णयात्मक होते हैं। निर्णय के लिए बहुमत का कोई प्रश्न नहीं उठता। स्विस् देश में राज्य-संघ का अध्यक्ष शासन-परिषद का चेयरमैन है। निर्णय बहुमत से होता है। अध्यक्ष को केवल अतिरिक्त वोट का अधिकार प्राप्त है। अध्यक्ष भी अन्य मंत्रियों की तरह एक मंत्री है। उसका कोई विशेष महत्व और प्रभाव अध्यक्ष होने के नाते नहीं रहता।

(५) राष्ट्रपति अपने मंत्रि-मण्डल का निर्माण अपने दल के सदस्यों में से करता है। या अपने सहयोगियों और साथियों को बनाता है। स्विस् देशकी शासन-परिषद् में विभिन्न पार्टियों के लोग लिये जाते हैं। एक से अधिक पार्टी का प्रतिनिधित्व रहता है।

(६) अमेरिका में मंत्रिमण्डल के सदस्य अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य नहीं होते। उन्हें कांग्रेस में जाकर बैठने, बोलने और वोट देने का अधिकार नहीं है।

स्विस् देश में मंत्री लोग राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्य नहीं होते पर असेम्बली के दोनों भवनों में जाकर बैठने और बोलने का अधिकार है। स्विस् देश के मंत्री लोग सभा में वादविवाद करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं तथा बिल उपस्थित करते हैं। यदि उनकी बातें स्वीकार न हों तो उन्हें पदत्याग की आवश्यकता नहीं होती।

(७) अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस में अपना सन्देश भेज सकता है। सन्देश स्वयं पढ़ सकता है या किसी के द्वारा भेजवा सकता है।

स्विस् देश के राज्य-संघ के अध्यक्ष को सन्देश भेजने का कोई अधिकार नहीं है।

(८) अमरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कांग्रेस के द्वारा पास किये गये बिल कानून नहीं हो सकते। स्विस् देश के राज्य-संघ के अध्यक्ष को राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा पास किये गये बिलों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा पास होने पर बिल कानून हो जाता है या जनता की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जनता की स्वीकृति रेफरेन्डम के द्वारा ली जाती है।

(९) अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अवसर पर कांग्रेस की बैठक बुलाने का अधिकार है। राज्य-संघ के अध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

(१) अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है और समय समाप्त होने पर किसी भी पार्टी का उम्मीदवार निर्वाचित हो सकता है। अतः पुन निंर्वाचन की प्रथा अमेरिका में नहीं है। रुजवेल्ट चौथी बार चुने गये। इसका अर्थ यह है कि निर्वाचन में इनके प्रतिद्वन्द्वी चार बार लगातार हारते गये। स्विस् देश में पुनर्निर्वाचन की प्रथा है। मंत्री लोग अपने कार्य-काल समाप्त हो जाने के बाद राष्ट्रीय असेम्बली की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में पुनः नियुक्त कर दिये जाते हैं। उन मंत्रियों को केवल अपने सौजन्य, ईमानदारी और कर्त्तव्य-परायणता से अपनी योग्यता सिद्ध करनी चाहिये। स्विस् देश अपने देश के अनुभवी व्यक्तियों की सेवा पुनर्निर्वाचन पद्धति से प्राप्त कर लेता है।

———

स्विस् देश की शासन-पद्धति का स्वरूप क्या है ?

यह सभात्मक (पार्लमेण्टरी) नहीं है।

क्योंकि – (१) राष्ट्रीय असेम्बली शासन-परिषद् को पदच्युत नहीं करती।

(२) शासन-परिषद् के सदस्य अपने प्रस्तावों के अस्वीकृत होने पर पदत्याग नहीं करते।

(३) राष्ट्रीय असेम्बली के द्वारा पास किये गये बिलों के जनता द्वारा अस्वीकृत हो जाने पर असेम्बली भंग नहीं होती।

(४) यह आवश्यक नहीं है कि मन्त्रिगण एक ही बहुसंख्यक दल का प्रतिनिधित्व करें। मन्त्रिगण प्रायः सभी प्रमुख दलों से लिये जाते हैं।

(५) राष्ट्रीय असेम्बली शासन-परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन साधारणतः अपने सदस्यों में से ही करती है। पर यह आवश्यक नहीं है कि वे असेम्बली के सदस्य रहें।

(६) शासन-परिषद् के सदस्य प्रमुख कैन्टनों में से लिये जाते हैं। कम से कम तीनों भाषा बोलने वाले प्रदेशों से अवश्य रहते हैं।

(७) वे राष्ट्रीय असेम्बली में बैठ सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं, भाषण कर सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। पर वे वोट नहीं दे सकते।

(८) प्रत्यक्ष जनमत-दान की व्यवस्था विधान में संशोधन करने तथा महत्वपूर्ण कानूनों पर जनता की स्वीकृति के लिए आवश्यक है। इस व्यवस्था से स्विस् देश एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली का देश है। स्विस् देश का विधान अध्यक्षात्मक भी नहीं है। क्योंकि—स्विस् देश के संघ-राज्य का अध्यक्ष अमेरिकी अर्थ में प्रधान और वास्तविक शासक और राष्ट्र के प्रधान के रूप

में नहीं है। वह संघीय शासन-परिषद के किसी भी सदस्य से बड़ा नहीं होता। वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता। वह केवल शासन-परिषद का चेयरमैन होता है।

स्विट्ज़रलैण्ड ने प्रतिनिधिमूलक प्रणाली को रखते हुए प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था करके दोनों का सामंजस्य किया है। अर्थात् इस देश में प्रतिनिध-मूलक शासन और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भलीभांति समन्वय है। साथ ही साथ यह न सभात्मक है और न अध्यक्षात्मक। गार्नर * के शब्दों में इसमें दोनों की कुछ विशेषताएँ साथ-साथ मिलती हैं। स्ट्रौंग * का कहना है कि इसमें सभात्मक और अध्यक्षात्मक प्रणालियों के गुण तो हैं परन्तु इनके दोष नहीं हैं। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि स्विट्ज़रलैण्ड की शासन-प्रणाली स्वयं एक वर्ग है। यह बेजोड़ है और आधुनिक काल में सभी आवश्यक यंत्रों से सुसज्जित राजनीतिक प्रयोगशाला है। छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों (कैन्टनों) की रक्षात्मक लीग से प्रारम्भ होकर, उपसंघ या राज्य-संघ में परिणत हुआ और अब एक पूर्ण संत्र राज्य है जिसकी देश-भक्ति नागरिकता और लोकतांत्रिक भावनाएँ सराहनीय हैं।

———

१—गार्नर—पालिटिकल साइन्स एन्ड गवर्मेन्ट पृ०—३४४

२—स्ट्रौंग—माडर्न कान्स्टीटयूशन्स, पृष्ठ—१०१

स्विस् देश में लोकतंत्र की सफलता क्यों हुई ?

इसमें सन्देह नहीं कि आज दुनियाँ के विभिन्न देश अनेक प्रकार की समस्याओं से परितप्त और अनुतप्त हैं। वैयक्तिक, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं, प्रश्नों तथा भेदों से प्रत्येक देश के नागरिक परीशान हैं। इन्हीं कारणों से अधिनायकवाद, पूँजीवाद, कम्यूनिज्म (साम्यवाद) तथा फासिटीवाद का प्रभुत्व समय-समय पर कितने ही देशों में हुआ। गृहयुद्ध, राष्ट्रीय युद्ध और विश्वयुद्ध इस विज्ञान और व्यवसाय के युग में भी साथ नहीं छोड़ते। दुनियाँ की इस विषम परिस्थिति में स्विट्ज़रलैण्ड जिस दृढ़ता के साथ शान्तिमय तरीकों से अपने राष्ट्रीय जीवन का संतुलन बनाये हुए है, वह केवल सराहनीय ही नहीं वरन विचारणीय और अनुकरणीय है।

लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए स्विस् देश में लोकतंत्र की सफलता और भी विशेष आकर्षण का विषय है।

भारत को अपनी नवार्जित स्वतंत्रता और नवस्थापित लोकतंत्र की रक्षा करनी है। इसे पूर्ण और स्थायी बनाना है।

स्विस् देश की तुलना भारतवर्ष से कई अंशों में की जा सकती है।

यों तो स्विस् देश बहुत छोटा है। भारतवर्ष बहुत बड़ा है। भारतवर्ष के मुकाबले में स्विस् देश केवल सागर में बूँद के समान है। पर कुछ अर्थों में दोनों देशों में समानता है। भारतवर्ष अधिकतर गाँवों और खेतिहरों का देश है। स्विट्ज़रलैण्ड यूरोप के मध्य में स्थित गाँवों और किसानों का देश है। चारो तरफ अभेद्य और असूच्य पहाड़ों की श्रेणियों से परिवेष्टित है। इस प्रकार

यूरोप के मध्य में रहते हुए भी यूरोप के अन्य देशों से कटा-हुआसा है। भारतवर्ष तीन तरफ समुद्र और एक तरफ हिमालय की श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस कारण एशिया महादेश के विभिन्न देशों से कटा हुआ सा है।

स्विटज़रलैण्ड चारो तरफ प्राकृतिक सीमा से घिरा हुआ होकर अपनी सभ्यता और संस्कृति के अपनाने और विकसित करने में सफलीभूत हुआ। इसी कारण स्विट्ज़रलेण्ड एक पृथक् देश और पृथक् राष्ट्र के रूप में बना। छोटे से देश में विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषा वाले यथा विभिन्न धर्म के मानने वाले रहते हैं। आज तक उनकी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं हुई। पर इस कारण स्विस् देश की राष्ट्रीयता में कोई भेद नहीं है। इतनी विभिन्नताओं के रहते हुए स्विस् देश के लोग एक राज्य और राष्ट्र के रूप में संगठित हैं।

भारतवर्षमें भी उसी तरह विभिन्न जातियाँ विभिन्न भाषाओंके बोलनेवाले तथा विभिन्न धर्म के माननेवाले रहते हैं। इन भिन्नताओं के बावजूद भी भारतवर्ष का एक सार्वभौमिक व्यक्तित्व है, उसकी एक सार्वभौमिक एकता है और उसकी एक सार्वभौमिक राष्ट्रीयता है।

दोनों देशों की परिस्थिति में कितना साम्य है। उनका लोकतंत्र पुराना हो चुका है। उनकी लोकतांत्रिक संस्थाएँ स्विस देश की आत्मा और संस्कृति को व्यक्त करती हैं।

अतः भारत के लिए स्विस देश की लोकतांत्रिक पद्धतियाँ ही नहीं पर लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जिन वैधानिक प्रथाओं तथा परम्पराओं और साथ ही साथ उदात्त नागरिक भावनाओं का अपने में उद्दीपन किया है उन्हें जानना और समझना आवश्यक है।

जितने भी राजनीतिक विधान बनते हैं उनके आदर्शों और उद्देश्यों की पूर्ति विधान के लिखित शब्दों के द्वारा नहीं होती। उन्हें प्रयोग में लाने के लिए और नागरिकों तथा विधान की विभिन्न धाराओं में सम्बन्ध जोड़ने के लिए एवं विधान के लिखित शब्दों की दुरूहता और कठोरता को कोमल और लचकदार बनाने के लिए परम्पराओं, प्रथाओं के द्वारा तथा परिस्थिति के उपयुक्त अर्थ लगाकर विधान के शब्दों को परिमार्जित करना पड़ता है।

स्विस् देश के लोकतंत्र को सफल तथा प्रयोगयुक्त बनाने में प्रथाओं और परम्पराओं ने बड़ी सहायता की है। साथ ही साथ स्विस् देश में विभिन्न स्वार्थों और वर्गों के रहते हुए भी पार्टियों का प्रभाव, विशेषतः विषाक्त प्रभाव, देश के राजनीतिक विकास में नहीं पड़ा। लोकतंत्र में पार्टियाँ अनिवार्य हैं। उनसे होनेवाली बुराइयाँ भी अवश्यम्भावी हैं। पर संसार भर में स्विट्ज़रलैण्ड ही एक देश है जहाँ पार्टियों का बुरा प्रभाव देश के विकास में नहीं पड़ा।

स्विस् देश के निवासियों में नागरिक भावनाओं का ऐसा संतुलन है तथा राजनीतिक चेतना का इतना सुन्दर विकास हुआ है कि वे पार्टियों के बहकावे, उनके असत्य प्रचारों तथा स्वार्थी स्थिर वर्गवालों और राजनीतिज्ञों के षडयंत्रों में नहीं आते।

मानव निर्मित विधान पूर्ण नहीं हो सकते। उनमें त्रुटियाँ और दोष रहेंगे। पर सेवा-भाव से प्रेरित देशहित की दृष्टि तथा ईमानदारी से अपूर्ण विधान भी पूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। स्विस् देश के विधान में कितनी ही अस्पष्ट और अपूर्ण वस्तुएँ हैं पर स्विस् देश के नागरियों की उपयुक्त भावनाओं के कारण विधान सुन्दर और उपयोगी सिद्ध हुआ है। विधान में संघ-सरकार को कुछ सम्मिलित कार्य और अधिकार प्राप्त हैं। विधान की धाराओं के सम्बन्ध में संदेह हो सकता है जिसके लिए अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता होती है। पर स्विस् देश में इन सम्बन्धों में कोई विशेष झन्झटें नहीं होतीं। विधान की भावनाओं के अनकूल स्विस् राष्ट्रीय असेम्बली सन्देहों का निराकरण करने की कोशिश करती है। असेम्बली अपने अधिकारों का दुरू-पयोग नहीं करती क्योंकि असेम्बली के सदस्य जानते हैं कि यदि कोई काम उपयुक्त ढंग से न हुआ राष्ट्र-हित की उपेक्षा हुई या किसी कैन्टन के अधि-कार पर किसी तरह का नियंत्रण हुआ तो जनता उसे अपने अधिकारों से ठीक कर लेगी।

पुनर्निर्वाचन की परम्परा चला कर शासन की सम्बद्धता स्थिर रखते हैं। उनके यहाँ व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों में भी बहुत कम उलटफेर होते हैं। यदि सदस्यों ने योग्यता का प्रदर्शन किया, ईमानदारी से कार्य किया तो कोई

कारण नहीं कि जनता उनके अनुभवों का लाभ न उठावे। व्यवस्थापक का शासक मण्डल के साथ निकटतर सम्बन्ध स्थापित है। एक दूसरे से लाभ उठाने की विधि है। संघीय शासनपरिषद् एक पार्टी का नहीं है। उसमें प्रमुख पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। इसलिए जनता उसे राष्ट्रीय सरकार पूरे अर्थ में समझती है। सरकार के प्रति लोगों की आस्था है। लोग इसके निर्णयों में विश्वास करते हैं और आदेशों का पालन करते हैं। यदि एक पार्टी की सरकार होती तो उसे इतना सहयोग और जनता का विश्वास प्राप्त नहीं होता।

शासनपरिषद् चूँकि एक दल का मंत्रिमण्डल नहीं है इसलिए परिषद में बहुमत से निर्णय करने की परिपाटी है। किसी भी सदस्य को जो बहुमत के निर्णय से सहमत नहीं है, उसे राष्ट्रीय असेम्बली में अपने विरोध को प्रकट करने का अवसर रहता है।

इसी तरह राष्ट्रीय असेम्बली के दोनों भवनों में मतभेद का अवसर बहुत ही कम होता है। मतभेद होने पर दोनों भवनों के प्रमुख व्यक्ति उसे सुलझा लेते हैं। अन्य देशों में दोनों भवनों के मतभेद से बिलों के पास होने में तथा अन्य शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ हो जाती हैं जिन कारणों से कुछ लोग द्वितीय सभा के विरोधी हो गये हैं। पर स्विस् देश के दोनों भवनों में काफी मेल रहता है। इसका कारण है कि दोनों भवनों में प्रायः एक ही तरह के तथा अधिकतर समानवर्ग के लोगों का ही अधिक प्रतिनिधित्व है। कोई स्थिर और स्वार्थी वर्ग का किसी भवन में विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है कि दोनों भवनों में मतभेद को अवसर प्राप्त हो।

पार्टियों की चख-चख तो एकाध कैन्टन में दिखलाई देती है पर राष्ट्रीय सरकार में तो पार्टियों के मतभेद से उत्पन्न क्षुब्ध वातावरण बिल्कुल ही नहीं रहता। कैन्टन में शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। अतः शासक और व्यवस्थापक दोनों ही जनता के सम्पर्क में रहते हैं। जनमत के द्वारा सभी का नियंत्रण होता है।

ब्राइस ने शासन की प्रगति पर अपनी सम्मति प्रकट की है जिसका संक्षिप्त रूप यह है—

संघ तथा कैन्टन सभी जगह प्रगतिशील समय के उपयुक्त तथा जनता की माँगों के अनुकूल कानूनों का निर्माण हुआ है।

शासन का खर्च बहुत कम है और साथ-ही-साथ शासन की शालीनता प्रवीणता और कार्यकुशलता प्रसिद्ध है। हर तरह की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रबन्ध है। राष्ट्र-निर्माण के अन्य विभागों की तरफ पूरा ध्यान रखा जाता है। पहाड़ी देश होते हुए जहाँ सड़क तथा पुल इत्यादि बनवाने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, काफी सड़कें बनी हुई हैं। सड़कें बहुत अच्छी और सुन्दर हैं। देश में शान्ति और सुव्यवस्था है। न्याय का प्रबन्ध अच्छा है। न्यायालय में बहुत कम खर्चना पड़ता है। स्थानीय स्वायत्त शासन अच्छे और सुन्दर ढंग से संगठित हैं। ईमानदारी से काम होता है। घूसखोरी का नाम नहीं है। कार्य बड़ी तत्परता और कुशलता से सम्पादित होता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अच्छा प्रबन्ध है। प्रत्येक नागरिक देश की रक्षा के लिए अपने कर्त्तव्य को जानता और समझता है।

व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित है और उसका आदर है। सार्वजनिक जीवन का स्तर ऊँचा है और राजनीतिक भ्रष्टाचार से कलंकित नहीं है। कैन्टन और कम्युन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वेच्छा से जनता की सार्वजनिक सेवा करते हैं। अपनी सेवाओं के लिए या तो कुछ नहीं लेते और लेते भी हैं तो बहुत थोड़ा।

देश में सामाजिक और नागरिक सभ्यता वास्तविक रूप में वर्तमान है। धनी और गरीब सभी में आपस में अच्छी भावना है। एक दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं है। आर्थिक असमानता जैसी अन्य देशों में है उस तरह की असमानता स्विस् देश में नहीं है। अमेरिका, इंगलैण्ड तथा फ्रान्स जैसे पूँजीपति स्विस् देश में नहीं हैं। अतः जो थोड़े से धनिक लोग हैं उनका उतना प्रभाव देश की राजनीति में नहीं है। व्यवस्थापक-सभा के सदस्यों तथा शासन-परिषद के सदस्यों पर धनिकों का प्रभाव नहीं है। अतः शासन और कानून पैसे के प्रभाव से मुक्त है।

समाजवादी पार्टी के उत्थान के पहले साठ सत्तर वर्षों तक स्विस् देश में

किसी तरह से दलगत राजनीति का प्रभाव नहीं था। पार्टियों के प्रचार से

लोग बहुत कम प्रभावित होते थे। धार्मिक झगड़े और मनमुटाव अब स्विस देश में नहीं है।

इस देश में थोड़े से समाजवादियों को छोड़कर पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं। राजनीति को पेशा बनाकर या उसी के आधार पर खाने का प्रबन्ध करके बहुत कम लोग रहते हैं। कैन्टन्न काउन्सिल के सदस्य हों या राष्ट्रीय असेम्बली के सदस्य हों वे पूरे समय तक राजनीतिज्ञ नहीं हैं। यदि उन्होंने राजनीति में भाग लिया है तो इसलिए कि राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी है। जनता की या राष्ट्र की सेवा करने की भावना है। या यह भी कहा जा सकता है कि कुछ लोगों में नाम कमाने की, मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। कुछ लोगों की व्यक्तिगत आकांक्षाएँ होती हैं। प्रायः सभी व्यवस्थापक किसी न किसी देश से सम्बन्धित हैं। कोई वकील है, कोई अवकाश प्राप्त कैन्टन का कर्मचारी है। कोई गाँव का अच्छा खेतिहर है। कोई अवकाश-प्राप्त सेना का जेनरल है, अथवा सौदागर है। इस तरह प्रायः सभी व्यवस्थापक को एक अपना कार्य है जिसे राजनीति से छुट्टी पाने पर करता है। दूसरे देशों में काफी संख्या में लोग पार्टियों के संगठन में लगे रहते हैं। उन्हें कोई दूसरा काम नहीं रहता। इसलिए वे अपनी पार्टी को चुनाव में झूठे या सच्चे मार्ग से विजयी बनाने की चेष्टामें लगे रहते हैं। दिन रात राजनीति में रहनेवाले व्यक्ति ही अन्तमें देश की शान्ति और तरह-तरह के खुराफातों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

पेशेवर राजनीतिज्ञों के नहीं रहने से राजनीति में कम गड़बड़ी होती है। राजनीतिक प्रभाव से धन कमाने की प्रवृत्ति नहीं होती। यही कारण है कि स्विस् देश का राजनीतिक जीवन शान्त, पवित्र और प्रति स्पर्धा हीन है। भ्रष्टाचार की कमी का यह एक कारण है।

स्विस् देश के विधान में एक विशेषता यह है कि स्विस् देश के लोग शासन से सम्बन्धित किसी विषय को 'एक व्यक्ति' के ऊपर नहीं छोड़ते। 'एक व्यक्ति का अधिकार' स्विस् देश में नहीं है। यह देश राष्ट्रीय कार्यों को पंचायत या समिति को ही देता है। अमेरिका जैसे सुदृढ़ लोकतंत्रवादी देश में एक व्यक्ति की शासन-पद्धति में लोग विश्वास करते हैं। पर स्विस् देश पंचायती पद्धति में ही विश्वास करता है।

राजकर्मचारियों को जनता के द्वारा निर्वाचित करने की पद्धति ने शासन और जनता को बहुत निकट ला दिया है। शासन में जनतांत्रिक भाव कूट-कूट कर भरा है। शासन में किसी तरह नौकरशाही मनोवृत्ति का उदय नहीं होता।

कानून-निर्माण में जनता के प्रत्यक्ष मतदान की प्रणाली ने जनतांत्रिक भावनाओं को और अधिक दृढ़ बनाया है। रेफरेन्डम और इनिसियेटिव का अनुकरण अन्य देशों ने भी करना शुरू किया है।

लोकतांत्रिक विधानों की सफलता में परम्पराएँ तथा प्रचलनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। परम्पराएँ, और प्रथाएँ विधान को स्थिरता तथा लोचकता प्रदान करती हैं। विधान के शब्दों से लोकतंत्र की सफलता होती तो यूरोप के कितने ही देशों में विशेषतः पोलैण्ड, जर्मनी या इटली इत्यादि में सफलता मिलती।

किसी देश के विधान का अनुकरण करके कोई देश लोक-तंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। लोकतंत्र की सफलता के लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है। जनता के मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। जनता यदि भावुक हो, तुनुकमिजाजी हो, गरम हो जाने वाली हो, तो लोकतंत्र का सफल होना कठिन है। स्विस् देश की जनता स्वभाव से भावुक नहीं है। वह किसी के बहकावे में नहीं आती। शीघ्रता और परिवर्तन की जल्द बाजी में विश्वास नहीं करती। प्रगति में विश्वास करते हुए भी सोच विचार कर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। देश की आवश्यकता को समझने की शक्ति है। पार्टियों या व्यक्तियों की धूर्तता उन्हें ठग नहीं सकती।

स्विस् देश की स्कूलों में नागरिकता की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। देश-प्रेम की भावना अत्यधिक है। कर्त्तव्य औरदेश हित को हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर रखता है। नागरिकता की भावना से प्रेरित प्रत्येक नागरिक अपने देश की संस्थाओं से प्रेम करता है। उसके प्रति अपने कर्त्तव्यों का यथाशक्ति पालन करता है।

देश-सेवा की भावना में कोई स्वार्थ नहीं होता। उस देश में सरकार की तरफ से कोई पदवी, मान-चिन्ह या पदक इत्यादि नहीं दिये जाते। अन्य

देशों में पार्टियां अपने पार्टी के लोगों को विशिष्ट स्थान आदि पदवियाँ दिलाते हैं। अतः लोगों का विशेष स्वार्थ रहता है। स्विस् देश में स्थिर स्वार्थ का कोई वर्ग नहीं है जो शासन पर अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव लादने की कोशिश करे। देशमें छोटे-छोटे किसान हैं। छोटे-छोटे किसानों के कारण वहां न बड़े जमींदार हैं और न श्रमिक वर्ग है जिसके न मकान हैं और न कोई जीवन का सहारा है। देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने का यह एक बड़ा कारण है कि स्विस् देश किसानों का देश है।

स्विस् देश का स्थानीय स्वायत्त शासन गाँवों की स्वतंत्रता और पंचायती शासन का आनन्द देता है। स्थानीय-स्वायत्त शासन बहुत पुराने हैं। इन्हीं स्थानीय स्वायत्त शासन की पद्धति ने स्विस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परम्परा का निर्माण किया है। स्विस देश की सारी लोकतंत्रीय पद्धति वहाँ के स्थानीय-स्वायत्त-शासन की आधार-शिला पर निर्मित है।

सोवियत-संघ

(दूसरा भाग)

सोवियत देश का राजनीतिक विकास

रूस सच्चे अर्थ में एक राष्ट्र नहीं है।—बहुत लोगों का विश्वास है कि रूस एक देश है अतः वह एक राष्ट्र है। किन्तु वास्तव में रूस एक देश नहीं है और न तो वह एक राष्ट्र है। १९१७ की क्रान्ति के पहले रूस एक साम्राज्य था जिसमें बहुत से देश सम्मिलित थे। पुराना रूस का साम्राज्य धीरे-धीरे निर्माण हुआ था। उन दिनों के सम्राट को ज़ार कहते थे। प्रत्येक ज़ार अपने समय में धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे देश को अपने आधिपत्य में करते गये और इस तरह बाल्टिक सागर से लेकर प्रशान्त महासागर तक और उत्तरी महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक साम्राज्य का विस्तार हो गया। यूरोप और एशिया के बहुत बड़े भूखण्डों को मिलाकर यह विशाल साम्राज्य बना।

यह साम्राज्य स्वरूप में एशियाई था पर रूसी साम्राज्य का केन्द्र रूस था जो यूरोप का अंग है। इसकी राजधानी मास्को थी। सेंटपिटर्सबर्ग जो बाद में पेट्रोग्राड तथा १९१७ की क्रान्ति के बाद लेनिनग्राड के नाम से प्रसिद्ध हुआ पिछले ज़ारों की राजधानी थी। परन्तु यह साम्राज्य एशियाई साम्राज्य समझा जाता था। इसकी सभ्यता तथा संस्कृति एशियाई देशों से अधिक मिलती थी।

पिटर महान ने रूसी साम्राज्य को यूरोपीय बनाने में बहुत कुछ उद्योग किया था। उसी के प्रयत्न से यूरोप के ढंग पर रूस का नया निर्माण हुआ। पिटर महान ने अपने यहाँ के नवयुवकों को पेरिस में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में यूरोप के राजनीतिक रंग-मंच पर रूस ने भी अपना हिस्सा बटाया। यूरोप की संतुलन नीति (Balance of Power) में रूस का एक तरफ होना आवश्यक था। फ्रान्स की राज्य क्रान्ति के बाद जब नेपोलियन का आविर्भाव हुआ और जब वह अपनी साम्राज्य-नीति

को प्रसारित करता जा रहा था तो उसे रूस में ही हार खानी पड़ी। नेपोलियन की हार का एक जबर्दस्त कारण यही था कि उसने रूस को परास्त करना चाहा। रूस की शक्ति अजेय नहीं थी। परन्तु रूस एक लम्बा चौड़ा देश था उसे जीतने के लिए बहुत अधिक धन, समय और सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी। अतः रूसी सम्राट अपने लम्बे चौड़े देश के कारण अजेय बने रहे।

राजनीतिक विकास—विस्तृत साम्राज्य, विभिन्न जातियाँ, अशिक्षित जनता, सम्राटों का सैनिकवाद, पुरातन ग्रामीण सभ्यता तथा पूर्वी परम्पराओं के कारण इस साम्राज्य में निरंकुश शासन ही दृढ़ होता गया। शासन सदैव निरंकुश बना रहा। समय-समय पर कुछ सम्राटों ने वैधानिक शासन स्थापित करने की चेष्टा की परन्तु वह बहुत अधिक दूर तक नहीं जा सका। शासक जनता के प्रतिनिधियों को सच्चा अधिकार या उत्तरदायित्व देने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतंत्र की लहर जो पश्चिमी यूरोप में चली थी, जिसके फलस्वरूप फ्रान्स, इटली, जर्मनी तथा आस्ट्रिया में भी वैधानिक शासन स्थापित हुए थे, उसका कोई भी प्रभाव रूस पर नहीं पड़ा।

जनतांत्रिक आन्दोलन—अलेकजेन्डर द्वितीय (१८५९–१८६६) ने १८६१ में दासत्व प्रथा उठा दी तथा आर्थिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। किसानों की दशा में कुछ सुधार हुआ। परन्तु जमींदारों की शक्ति को सम्राट किसी तरह कम न कर सका। प्रान्तों, तथा जिलों में कुछ हद तक स्थानीय स्वायत्त शासन का श्रीगणेश हुआ। स्थानीय स्वायत्त शासन के कारण देश में एक नयी लहर उठी। लोगोंमें जागृति आयी। देश भर में राजनीतिक सुधार का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। परन्तु १९ वीं सदी के पिछले हिस्सों में ही इसका कुछ प्रभाव दृष्टिगत हुआ। शासकीय क्षेत्रों में राजनीतिक सुधार के आन्दोलन को लोग क्रान्ति का सूचक समझते थे। सम्राट तथा उनके अनुयायियों ने अन्दोलन को दबाने की ही कोशिश की। फलस्वरूप जनतांत्रिक आन्दोलन के नवयुवक कार्लमार्क्स के संदेश की तरफ झुकने लगे और कार्ल मार्क्स के समाजवादी दल के सदस्य बन गये। इधर रूस-जापान में युद्ध (१९०४–१९०५) छिड़ गया। रूस अपनी सारी शक्ति और विस्तृत साम्राज्य के रहते हुए भी एक छोटे से एशियाई राज्य जापान से हार गया। इस राष्ट्रीय

अपमान से देश में सरकार के प्रति क्रोध, घृणा तथा राज्य में परिवर्तन की माँग अधिकाधिक बुलन्द होने लगी। कितने ही स्थानों में राज-कर्मचारी तथा जनता में संघर्ष हो गया। गुप्त राजनीतिक दल कायम हो गये। कितने ही स्थानों पर राज्य-कोष को लूटने का भी प्रयास किया गया। तरह-तरह के गुप्त पर्चे और अखबार छपने लगे। बड़े-बड़े नगरों में, कारखानों में मजदूरों का संगठन हुआ और वे हड़ताल करने लगे। किसानों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। बड़े-बड़े जमींदारों के महलों और भवनों पर आक्रमण हुए। विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़कर राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेना शुरू किया।

१९०५ का विधान—सन १९०५ में जनता को शान्त करने के लिए ज़ार ने कुछ आज्ञाएँ निकालीं। १९०५ का विधान बना। इस विधानके अनुसार मंत्री लोग सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। सम्राट को राष्ट्रीय पार्लमेण्ट के द्वारा पास किये गये कानून को अस्वीकार करने का अधिकार था। दो सभाओं की एक राष्ट्रीय पार्लमेण्ट स्थापित हुई।

दो व्यवस्थापक सभाओं में—(१) साम्राज्य काउन्सिल (२) डूमा।

साम्राज्य काउन्सिल द्वितीय सभा थी जिसमें आधे सदस्य सम्राट के द्वारा मनोनीत होते थे और आधे प्रान्तीय असेम्बलियों, जमींदारों, कामर्स चैम्बरों, चर्च और विश्वविद्यालयों के द्वारा नव वर्ष के लिए चुने जाते थे।

डूमा में साधारण जनता का प्रतिनिधित्व था।

डूमा में कितने ही उदार पक्ष तथा उग्र पक्ष के लोग चुने गये थे। उग्र पक्ष के लोगों ने यह घोषणा की कि रूसी पार्लमेण्ट का कार्य कानून बनाना नहीं बल्कि क्रान्ति करना था। दो बार डूमा बर्खास्त कर दी गयी। निर्वाचन-अधिकार सीमित कर दिया गया।

रूस की यही राजनीतिक दशा थी जब रूस ने प्रथम महायुद्ध में भाग लिया। सरकारी कर्मचारी केवल अयोग्य ही नहीं थे बल्कि पूरे भ्रष्ट थे। सेना बिल्कुल निकम्मी थी और अच्छी तरह से सिपाहियों को सैनिक शिक्षा भी नहीं दी गयी थी। अतः जो सेनाएँ युद्धस्थल में भेजी गयी थीं, वे केवल कट जाने के लिए ही प्रस्तुत थीं। शहरों तथा नगरों में अन्न वितरण की व्यवस्था

बहुत ही त्रुटिपूर्ण थी। युद्ध के समय में वह व्यवस्था बिल्कुल टूट-सी गयी और लोग भूखों मरने लगे। शहरों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। उधर डूमा (व्यवस्थापक-सभा) ने भी बर्खास्त होने से इन्कार कर दिया। बिजली की तरह एक शहर से दूसरे शहर में क्रान्ति की लहर फैल गयी।

१९१७ की राज्य क्रान्ति—इस समय केरेन्सकी के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल का निर्माण हुआ था। परन्तु केरेन्सकी ऐसे समय में सरकार का प्रधान बना जब परिस्थिति अत्यन्त बिगड़ चुकी थी। सेना और सरकार दोनों परिस्थिति को नियंत्रण करने में असमर्थ थे। सोवियतों की सर्व रूसी कांग्रेस में जो नवम्बर के प्रथम सप्ताह में बुलायी गयी थी किसी पार्टी का बहुमत नहीं था। फिर भी बोलशेविकों ने ६ नवम्बर की रात को अपनी लाल सेना के के द्वारा विन्टर प्रासाद तथा अन्य सरकारी इमारतों को घेर लिया। सरकारी सिपाही चुपचाप रहे या क्रान्तिकारियों से जा मिले। केरेन्सकी भाग गया। मेनशेविक तथा अन्य दक्षिण पक्षीय समाजवादी डेमोक्रैट कांग्रेस की बैठक से अनुपस्थित हो गये और दूसरे वामपक्षीय बोलशेविकों से जा मिले। इस तरह लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट दल ने अपनी सरकार का निर्माण किया। सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। सोवियत कांग्रेस ने पिपल्स् कमिसार की एक काउन्सिल का निर्माण किया। लेनिन इस काउन्सिल का चेयरमैन था। यही काउन्सिल सोवियत देश की नयी सरकार हुई। इस सरकार ने युद्ध से अपने देश को पृथक कर लिया और पृथक सन्धि मित्रराष्ट्रों से कर ली। यह सन्धि रूस के लिए अपमान-जनक थी परन्तु रूस के इन नये शासकों ने उसे स्वीकार किया। क्योंकि युद्ध से अपने देश को पृथक कर वे अपनी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था ठीक करना चाहते थे।

इसके बाद नयी सरकार ने कितने ही नये नियम जारी किये। निजी सम्पत्ति समाप्त कर ली गयी। रेलवे, बैंक, फैक्टरियां, खानें तथा जमीन सभी जप्त कर ली गयी और उस पर सर्वहारों का अधिकार हो गया। ज़ार और उनके परिवार को फांसी दे दी गयी। बड़े बड़े जमींदार, ताल्लुकेदार, सरकारी कर्मचारी तथा विद्वानों की हत्याएं हुईं। पुरातन चर्च समाप्त कर दिया

गया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में देश एक कम्युनिस्ट राज्य के रूप में परिणत हो गया।

१९१८ का सोवियत विधान—रूस की सर्व सोवियत कांग्रेस ने कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा निर्मित विधान को "रसियन सोशलिस्ट फेडरेटेड रिपबलिक के लिए विधान स्वीकार कर लिया। यह विधान अन्य देशों की तरह जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधान निर्मात्री सभा द्वारा नहीं बना था। परन्तु यह विधान देश का प्रारम्भिक विधान हो गया और इसी के अनुसार कार्य होने लगा। पांच वर्षों के बाद यही विधान सोशलिस्ट सोवियत प्रजातंत्रों की सारी यूनियन के लिए आधार हो गया।

१९२३ का विधान—१९२३ के विधान से रूस सात प्रजातंत्रों का एक संघीय प्रजातंत्र हो गया। सात प्रजातंत्रों में—रूस, श्वेतरूस, यूक्रेन, तुर्कोमान, उजबेक, ताजिक, और ट्रान्सकौकेसियन प्रजातंत्र थे। सोवियतों की यूनियन कांग्रेस ही सर्वोच्च राजनीतिक संस्था थी। शहरी सोवियतों तथा देहाती सोवियतों के प्रतिनिधियों द्वारा यूनियन कांग्रेस का निर्माण होता था। सोवियत का अर्थ था श्रमजीवी काउन्सिल। २५००० श्रमजीवी पर एक प्रतिनिधि तथा ग्रामीण सोवियतों में १२५००० किसानों पर एक प्रतिनिधि चुना जाता था। जो लोग पहले ज़ार की सरकार के कर्मचारी थे तथा किसी तरह के शोषक थे, वे निर्वाचन के अधिकार से वंचित कर दिये गये।

यूनियन कांग्रेस की अनुपस्थिति में सर्वोच्च व्यवस्थापन अधिकार एक केन्द्रीय शासन समिति (Central Executive Committee) को दिया गया था। इस केन्द्रीय समिति को प्रेजिडियम के नियुक्त करने का अधिकार था। इसके अतिरिक्त शासन का कार्य करने के लिए एक मंत्रिमंडल या कमिसारों की यूनियन काउन्सिल थी। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय शासन-समिति करती थी परन्तु व्यवहारतः इनकी नियुक्ति कम्युनिस्ट दल के नेताओं द्वारा होती थी। प्रत्येक कमिसार एक शासकीय विभाग का प्रधान था जिसे दूसरे देशों में मंत्री कहते हैं। कमिसार काउन्सिल की आज्ञा तथा राजकीय आदेश यूनियन के सभी प्रजातंत्रों में एक समान लागू थे। यूनियन के अन्तर्गत प्रत्येक प्रजातंत्र

के अलग विधान थे और अलग-अलग सोवियत सरकारें थीं। कानून की दृ
से प्रत्येक प्रजातंत्र स्वतंत्र थे परन्तु यूनियन सरकार की सभी आज्ञाओं के
मानना पड़ता था।

सोवियतों की यूनियन कांग्रेस

इसमें दो सभाएं थीं

(१) सोवियत-आफ-नेशनलिटिज

(२) सोवियत-आफ दि यूनियन

केन्द्रीय शासन-समिति की नियुक्ति
यूनियन कांग्रेस के द्वारा

प्रेजिडियम	यूनियन काउन्सिल आफ-कमिसारस

यह विधान १९३६ तक चलता रहा। १९३५ की छठी फरवरी को यूनियन की सातवीं सोवियत कांग्रेस ने यूनियन के विधान को संशोधित और परिवर्द्धित करने के लिए केन्द्रीय शासन-समिति को एक विधान कमिशन नियुक्त करने का अधिकार दिया। केन्द्रीय शासन-समिति ने ७ फरवरी १९३५ को अपने प्रथम सेसन में ३१ व्यक्तियों का एक विधान कमिशन नियुक्त किया।

सोवियत देश का नव समाज

सोवियत विधान को समझने के लिए यह आवश्यक है कि १९३६ के विधान के पहले सोवियत देश के समाज में जो नये परिवर्तन हुए वे जान लिये जायँ। १९२४ से लेकर १९३५ तक सोवियत देश में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए। देश की आर्थिक व्यवस्था में इतने बड़े-बड़े सुधार हुए जिससे एक नये समाज का निर्माण हुआ। १९२४ तक कम्युनिस्टों की पहली आर्थिक नीति कार्यान्वित हो रही थी। उस समय कुछ हद तक पूँजीवाद किसी रूप में रहने दिया गया था। प्रगति क्रमशः पूँजीवाद से समाजवादी व्यवस्था की तरफ थी। व्यवसाय का ८० फी सदी समाजवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया था परन्तु पूँजीवादी अभी कम से कम २० प्रतिशत व्यवसाय पर अपना प्रभुत्व जमाये हुए थे। उत्पादन अभी युद्ध के पूर्व कालीन स्तर तक नहीं पहुंच सका था।

जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध था, जमींदार वर्ग समाप्त हो गया था पर अभी तक कृषक पूंजीपति वर्ग तथा मध्यम कृषक वर्ग (कुलक) पर्याप्त संख्या में भरे पड़े थे। दूसरी तरफ छोटे छोटे असंख्य किसान थे जिनके खेत छोटे छोटे थे तथा उनकी प्रणाली मध्यकालीन थी। हाँ, कुछ राज्य की तरफ से राज्य के फार्म तथा ग्रामीणों के सामूहिक फार्म प्रारम्भ हो चुके थे। राज्य-फार्म तथा सामूहिक फार्म अभी कमजोर थे और मध्यम वर्ग की संख्या अधिक थी।

व्यापार में ५० या ६० प्रतिशत व्यापार समाजवादी व्यवस्था में आ गया था और बाकी ५० प्रति शत सौदागरों, मुनाफाखोरों, और व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले व्यवसायियों के हाथ में था। १९२४ में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का यही स्वरूप सोवियत देश में था।

१९३६ में कम्युनिस्टों की नवीन आर्थिक प्रणाली पूर्ण रूप से कारगर हो चुकी थी। आधुनिक टेकनिकल तथा वैज्ञानिक विकास से बड़े बड़े व्यवसायों का प्रबन्ध हो गया था। मशीन बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। व्यवसाय के क्षेत्र से पूंजीवाद का पूर्णरूप से सफाया हो चुका था। समाजवादी व्यवस्था से व्यवसाय का प्रबन्ध हो गया था। उत्पत्ति का समाजवादी स्वरूप ही सर्वत्र प्रधान था। साथ ही साथ उत्पत्ति अपने पूर्वावस्था ही पर नहीं पहुँची थी वरन् बहुत आगे बढ़ चुकी थी।

कृषि के क्षेत्र में कुलक बहुत कम हो गये थे। उनकी संख्या १०० में २ या ३ ही रह गयी थी। छोटे छोटे व्यक्तिगत रूपसे खेती करने वाले किसान भी समाप्त प्रायः हो चले थे। खेती अधिकतर तीन तरह से हो रही थी—राज्य के बड़े बड़े फार्म, सामूहिक खेती (Couective farm) तथा सरकारी खेती (Cooperative farm)। सामूहिक फार्मों पर १९३६ में ३१६,००० ट्रैक्टर काम कर रहे थे जिनकी ५,७००,००० अश्व शक्ति थी। राज्य के फार्मों पर ४००,००० ट्रैक्टर थे। जिनकी ७, ५८०,००० अश्व शक्ति थी।

जहाँ तक व्यापार का सम्बन्ध था, सौदागर, मुनाफाखोर तथा व्यक्तिगत रूप से व्यवसाय करने वाले बड़े रोजगारी समाप्त हो गये थे। सारा व्यापार राज्य, सामूहिक फार्म तथा कोआपरेटिव समितियों के हाथ में था। इस प्रकार सोवियत व्यापार मुनाफाखोरों तथा पूंजीवादियों के बिना नवीन रूप से विकसित हो चुका था।

इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक जीवन में समाजवादी व्यवस्था का पूर्ण अधिकार हो गया था।

"अतः मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण समाप्त करके और उत्पत्ति के साधनों तथा औजारों पर समाजवादी अधिकार स्थापित करके सोवियत समाज की नींव रखी गयी। समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में गरीबी, बर्बादी, बेकारी तथा संकट का नाम मिट गया और इस तरह प्रत्येक नागरिक को सुखी तथा सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने के लिए अवसर प्राप्त हो गया।"

—स्तालिन के शब्द।

आर्थिक जीवन के परिवर्तन होने से सोवियत देश का समाज भी परिवर्तित हो गया। समाज का श्रेणी-विभाजन समाप्त हो गया। जमींदार वर्ग पहले ही स्वत्व हीन हो चुका था। दूसरे शोषक वर्गों की भी वही दशा थी। व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र से पूंजीवादी वर्ग का निष्क्रमण हो गया। कृषि क्षेत्र में कुलक (मध्यम वर्ग किसान) वर्ग भी समाप्त हो गया। व्यापारी और मुनाफाखोरों का कहीं पता न रहा। इस प्रकार नयी व्यवस्था में शोषण करने वाले वर्ग का पूर्ण रूप से निष्क्रमण हो गया।

अब केवल तीन वर्ग के लोग रह गये—मजदूर, किसान और बुद्धजीवी।

मजदूर वर्ग अब पुराना शोषित वर्ग नहीं था। पूंजीवादी वर्ग को हटाकर उत्पत्ति के सारे साधनों तथा औजारों पर इसने अपना प्रभुत्व जमा लिया। पूंजीवादी वर्ग के निष्क्रमण होने से मजदूरों के शोषण का प्रश्न ही नहीं रहा। उनको शोषित करने वाला कोई वर्ग रहा ही नहीं। मजदूरों को शोषण से पूरी मुक्ति मिल गयी। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग सोवियत के एक नये वर्ग में परिणत हो गया।

किसान भी पुराने अर्थ में किसान नहीं रह गये। इन्हें शोषण करने वाले जमींदार और व्यापारी वर्ग भी समाप्त हो गये। किसानों में मध्यम वर्ग भी खतम हो गया। अब किसान सामूहिक खेती या कोआपरेटिव खेती करने वाला किसान बन गया है। निजी स्वत्व या व्यक्तिगत धन के आधार पर किसान-वर्ग का संगठन नहीं हुआ है बल्कि सामूहिक परिश्रम ही व्यवस्था का आधार माना गया है।

बुद्धजीवी वर्ग भी बिल्कुल नये ढंग का है। पुराना बुद्धजीवी वर्ग जो पूंजीवादियों के संकेत पर कार्य करता था या पूंजीवादी सभ्यता का आधार स्तम्भ था, बिल्कुल समाप्त हो गया। अब मध्यम वर्ग या सामन्त शाही वर्ग से आने वाले बहुत ही कम बुद्धजीवी हैं। इनकी संख्या बहुत थोड़ी है। मध्यम वर्ग, सामन्त वर्ग या पूंजीवादी वर्ग तो रहा ही नहीं। अतः जो पहले के लोग बचे हुए हैं, उनकी संख्या नगण्य है। अधिकतर मजदूर और किसान वर्ग के

नवयुवक ही नये बुद्धजीवी हैं। यही अधिकतर डाक्टर, इंजीनियर, टेकनिसियन इत्यादि हैं। पहले बुद्धजीवियों को पूंजीपतियों की सेवा करनी थी पर अब तो नये सोवियत समाज की सेवा करनी है। इनका कार्य अब एक नये वर्गहीन समाजवादी समाज की रचना करना है।

इस तरह सोवियत देश में श्रेणी-विभाजन समाप्त करके नये समाज की स्थापना की गई है जिसमें एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संघर्ष नहीं है। लोगों के स्वार्थ विपरीत नहीं हैं। बल्कि समाज में एक ही स्वार्थ, एक ही हित, एक ही आदर्श और एक ही वर्ग विहीन समाज का उद्देश्य है।

नये विधान की विशेषताएँ

सोवियत संघ एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है। यह बहुत से राष्ट्रों का समूह है। सोवियत यूनियन में ६०० राष्ट्रों, राष्ट्रीय वर्गों और राष्ट्रीय-जातियों का एकीकरण है। अतः जो राज्य एक देश और एक राष्ट्र है उनसे सोवियत यूनियन भिन्न है अतः इसके विधान से तथा राष्ट्रीय राज्यों के विधान से अन्तर होगा। १९२२ में समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों की यूनियन बनाने का निर्णय हुआ था। यूनियनके विभिन्न जातियों का संघ समानता और स्वेच्छा पूर्ण एकीकरण के सिद्धान्त पर अवलम्बित है। १९२४ में रूसियों के प्रति अभी पूर्ण विश्वास प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उस समय पृथकता की मनोवृत्ति वर्तमान थी। यही कारण था कि उस समय एक संघ स्थापित हुआ। इस संघ के स्थापित हुए कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये। इस बीच में सोवियत समाज में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। पूंजीवाद और समाजवाद का जड़ से उन्मूलन हो गया। सारा समाज समाजवादी सिद्धान्त पर अवलम्बित है। समाज में शोषक वर्ग नहीं है और न समाज विभिन्न स्वार्थी वर्गों में विभाजित है। इसलिए विभिन्न जातियों के स्वार्थों का कोई संघर्ष नहीं है। सभी जातियों का एक ही ध्येय है। वह है समाजवादी सिद्धान्त के आधार पर एक वर्ग विहीन समाज का विकास। आपस में किसी तरह का वर्ग द्वेष नहीं है। शक्ति श्रमिकों के हाथ में है जिनमें सदैव एक ही प्रेरणा कार्य करती है। यूनियन के हर एक भाग में श्रमिकों की एक ही राष्ट्र-भावना तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावना कार्य करती है।

सोवियत विधान का प्रारूप बारह या चौदह वर्षों में नवीन जीवन से उत्पन्न भावनाओं तथा परिस्थितियों के अनुकूल है। सोवियत विधान अन्तिम विधान या आदर्श विधान नहीं है। १९३६ का विधान १९२२ से लेकर

१९३५ के परिवर्तित परिस्थिति को ही व्यक्त करता है। १९३५ तक समष्टिवाद (कम्युनिज्म) का केवल प्रथम या प्रारम्भिक स्वरूप ही स्थापित हो सका था। अतः समष्टिवाद के प्रथम स्वरूप में जिस सिद्धान्त के आधार पर कार्य हुआ वह अन्तिम स्वरूप के सिद्धान्त से पृथक है। प्रथम चरण का सिद्धान्त था—"प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार से प्रत्येक अपने कार्य के अनुसार" (From each according to his abilities, to each according to his work) समष्टिवादके ऊँचे स्तर पर यह सिद्धान्त बदलकर दूसरे रूपमें हो जायगा। उस समय "प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार से" प्रत्येक अपनी आवश्यकता के अनुसार।" (From each according to his abilities to each according to his needs.) सिद्धान्त लागू होगा। वह स्तर अभी दूर है। इस प्रकार १९३६ के विधान में समष्टिवाद का वह आदर्श स्वरूप नहीं है जिसे मार्क्स ने कहा था। वह तो अभी होना ही है।

सोवियत यूनियन के विधान का आधार स्तम्भ समाजवाद है। अर्थात् पूंजीवाद का जड़ से उन्मूलन हो गया और भूमि, जंगल, कारखाने तथा उत्पत्ति के अनेक साधनों पर समाजवादी प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा बहुमत की दरिद्रता और अल्पसंख्यकों की विलासिता शोषण तथा शोषक वर्ग का निष्क्रमण, एवं बेकारी की समाप्ति सदा के लिए दूर हो गयी। शरीर से योग्य व्यक्ति के लिए कार्य करना अनिवार्य तथा गौरवपूर्ण कर्त्तव्य है। "जो काम नहीं करता, वह भोजन नहीं करेगा।" के सिद्धान्त पर समाजवादी विधान का निर्माण हुआ है। कार्य करने का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को कार्य मिलने (नौकरी) का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, शिक्षा का अधिकार—ये सभी विधान के द्वारा प्राप्य है।

सोवियत विधान इस सिद्धान्त को भी स्वीकार करता है कि अब समाज में विरोधी भिन्न-भिन्न वर्ग नहीं हैं। भिन्न-भिन्न वर्ग जिनका स्वार्थ एक दूसरे से टकराता था, अर्थात् समाज भिन्न-भिन्न वर्गों में बंटा हुआ वर्ग प्रतिद्वन्द्विता से आक्रान्त नहीं है। बल्कि समाज में केवल श्रमिकों और किसानों का वर्ग है। अन्य विधानों की तरह राष्ट्रीय आधार पर सोवियत विधान नहीं बना है। इसका आधार अन्तर्राष्ट्रीयता है। कम्युनिस्ट आदर्श के अनुसार सभी

राष्ट्र और जातियों को समान अधिकार है। वर्ण, भाषा, सांस्कृतिक स्तर, राजनीतिक विकास के स्तर या और किसी तरह के भेद से राष्ट्रों के अधिकारों में असमानता नहीं हो सकती। उनका विश्वास है कि राष्ट्रों और जातियों के पूर्व और प्राचीन अवस्था या परिस्थिति तथा उनकी कमजोरी या मजबूती के बावजूद भी प्रत्येक को मानव समान के आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में पूर्ण रूप से समान अधिकारों के उपभोग करने का अवसर प्राप्त होना चाहिये।

यूनियन विधान की अन्य विशेषता यह है कि वह पूर्ण रूप से लोक तांत्रिक है। नागरिकों के अधिकारों में कोई भेद नहीं है। प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त है। जनता के मौलिक अधिकारों में समानता ही नहीं वरन् किसी तरह की सीमाबद्धता तथा संरक्षण नहीं है। नागरिकों की श्रेणी में कोई भेद नहीं है। विधान नागरिकों के अधिकारों को केवल घोषित ही नहीं करता बल्कि उन अधिकारों के प्रयोग या उपयोग की स्वीकृति देता है। अधिकारों के उपयोग के लिए कानून बनाये गये हैं। जैसे विधान प्रत्येक नागरिक को काम देने की स्वीकृति देता है—तो उसके लिए व्यवस्थापक सभाओं की तरफ से कानून बने हैं तथा उपयुक्त विभाग लोगों के काम की खोज करता है। यूनियन में लोकतंत्र श्रमिकों का लोकतंत्र है। जिसका अर्थ यूनियन में रहने वाले प्रत्येक श्रमिक से है। श्रमिक के बाहर कोई नहीं है। अत: सोवियत विधान में किसी तरह नागरिक भेद नहीं है। किसी के लिए कोई संरक्षण नहीं है। सबको पूर्ण रूप से समान अधिकार प्राप्त है। सोवियत देश की इकाइयों में भी भेद नहीं है। सबको शक्ति के विकास के लिए समान अधिकार प्राप्त है। अतः स्टालिन के शब्दों में "यूनियन विधान दुनियां का सबसे उत्कृष्ट लोकतंत्र है।"

सोवियत यूनियन एक संघ राज्य है

सोवियत यूनियन एक संघ राज्य है। यूनियन विधान की १३ वीं धारा के अनुसार यह यूनियन समान अधिकार के आधार पर समाजवादी सोवियत प्रजातंत्रों की स्वेच्छा-पूर्ण संघटन के रूप में स्थापित किया गया है।

विधान में यूनियन के कार्यों का विवरण

१४ वीं धारा में यूनियन सरकार के कार्यों का क्षेत्र निश्चित है। अतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान की नाईं संघ राज्य का कार्य क्षेत्र विधान में स्पष्ट रूप से लिखित है। संघ की इकाई का कार्य-क्षेत्र विधान में लिखित नहीं है। १५ वीं धारा के अनुसार विभिन्न प्रजातंत्रों को यूनियन के कार्य-क्षेत्र के बाहर कार्य करने का अधिकार है। अतः विधान के इस नियम के अनुसार विभिन्न प्रजातंत्रों को अधिकार वे ही हैं जो अवशिष्ट हैं। अर्थात् यूनियन के कार्य के बाद जो अवशिष्ट कार्य हैं वे संघ की इकाइयों को प्राप्त हैं।

संघ की इकाइयों को पृथक होनेका अधिकार प्राप्त है

विधान की सत्रहवीं धारा के अनुसार यूनियन के विभिन्न प्रजातंत्रों को यूनियन से अलग हो जाने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु व्यवहार रूप में यह कार्य कठिन है। सोवियत यूनियन की सरकार कम्युनिस्ट दल से संगठित और प्रभावित है। यूनियन में कोई दूसरी पार्टी कार्य नहीं कर सकती। कोई दूसरा नया दल संगठित नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रजातंत्र के अन्तर्गत कम्युनिस्ट दल का संगठन यूनियन की सार्वदेशिक कम्युनिष्ट दल से सम्बन्धित है। अतः विधान के इस नियम का अर्थ कुछ भी नहीं है। कोई प्रजातंत्र यह सोच ही नहीं सकता कि यूनियन से वह पृथक हो जाय।

यूनियन का कानून सर्वत्र एक ही तरह से मान्य—यूनियन के कानून सर्वत्र एक ही तरह से मान्य हैं।

यूनियन-कानून की श्रेष्ठता—यदि यूनियन और किसी प्रजातंत्र के कानूनों में कोई संघर्ष हो तो यूनियन का कानून मान्य होगा।

एक नागरिकता

सम्पूर्ण यूनियन में एक ही नागरिकता है। सोवियत यूनियन के सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता का कानून है। किसी भी प्रजातंत्र का नागरिक यूनियन का नागरिक है।

नये विधान की रूप रेखा

सोवियत यूनियन समाजवादी लोकतंत्रों का संघ है। इसका नाम सोवियत ोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूनियन (अर्थात् सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ) है। संघ के सभी लोकतंत्रों के समान अधिकार हैं। संघ का आधार ऐच्छिक है। इसमें सोलह लोकतंत्र हैं। कुछ पूर्ण स्वायत्त शासन-युक्त तथा कुछ अर्द्ध-स्वायत्त-शासन क्त प्रदेश हैं।

ाज्य का संघटन

विभिन्न लोकतंत्रों के संघ होने के कारण सोवियत यूनियन का कार्य-क्षेत्र ीमित है। यूनियन का कार्य तथा अधिकार यूनियन विधान में लिखित है। यूनियन के प्रमुख कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, युद्ध और शान्ति, यूनियन में नये प्रदेशों को सम्मिलित करना, यूनियन की रक्षा तथा सेनाओं का प्रबन्ध, यूनियन की आर्थिक योजनाओं की व्यवस्था, बैंकों, व्यवसायिक और ृषि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ, ट्रांसपोर्ट और यातायात के साधन, मुद्रा और क्रेडिट वस्था, राज्य इन्श्योरेन्स का संघटन, ऋण प्राप्त करना तथा देना, जमीन ानों, जंगलों तथा जल के प्रयोग और व्यवहार के लिए बुनियादी सिद्धान्तों ी व्यवस्था, शिक्षा और जन-स्वास्थ्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों की रूपरेखा निश्चित रना, श्रम-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था, न्याय पद्धति और न्याय-विधि, ूनियन की नागरिकता सम्बन्धी कानून तथा विदेशियों के अधिकार सम्बन्धी ानून।

ूनियन सरकार ा कार्य-क्षेत्र

यूनियन विधान की चौदहवीं धारा के अन्तर्गत दिये हुए विषयों के ऊपर ूनियन सरकार का ही एक मात्र अधिकार है।

सोवियत यूनियन १९१७ की राज्य-क्रान्ति के बाद सोवियत लोकतंत्री संघ के रूप में परिणत हुआ। इसके पूर्व यह जारों का साम्राज्य था। इ प्रकार यह केन्द्रीय-शासन प्रधान देश था। देश की विशालता, विभिन्न जातियों और संस्कृतियों की उपस्थिति तथा शासन की सुविधा के लिए आवश्यक हो जाता है कि शासन संघीय आधार पर संघटित हो। पर सोवि का यह संघ स्वेच्छापूर्ण इस अर्थ में नहीं है कि प्रत्येक लोकतंत्र स्वतंत्र थे अपनी इच्छा से संघ में प्रविष्ट हुए। सोवियत देश में एक ही राजनीतिक पा है। अन्य पार्टियाँ नहीं है। अतः कम्युनिष्ट पार्टी के निश्चय, इच्छा प्रस्ताव के अनुसार सोवियत राज्य का कार्य-क्रम निश्चित होता है।

विधान की सत्रहवीं धारा के अनुसार प्रत्येक लोकतंत्र को संघ से पृ होने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस धारा का व्यवहारिक महत्व कितना कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा संचालित राज्य की मशीन कभी सोच नहीं सकती विभिन्न लोकतंत्रों को एक दूसरे से पृथक् होना है। कम्युनिज्म के सिद्धा के आधार पर संघटित नवसमाज में विरोधात्मक श्रेणियाँ नहीं हैं। सभी लोक एक ही भावना, उद्देश्य तथा कार्यक्रम से अभिप्रेरित है। अतः इस अधि का व्यवहारिक अर्थ नहीं है।

सोवियत यूनियन की पार्लमेण्ट

सोवियत यूनियन के शासन में चार प्रधान संस्थाएँ हैं।

(१) सोवियत यूनियन की सर्वोच्च सोवियत (पार्लमेण्ट) (२) प्रेजिडियम (३) मंत्रि-मण्डल (४) सर्वोच्च न्यायालय।

सोवियत यूनियन की पार्लमेण्ट को सर्वोच्च सोवियत कहते हैं।

सोवियत यूनियनकी पार्लमेण्ट

यूनियन पार्लमेण्ट में दो सभाएँ हैं। (१) यूनियन सोवियत (२) राष्ट्र-जातियों की सोवियत (सोवियत आफ नेशनालिटिज)।

यूनियन सोवियत का निर्वाचन यूनियन के नागरिकों के द्वारा होता है।

प्रथम सभा

निर्वाचन की दृष्टि से यूनियन निर्वाचन जिलों में बटा है। ३००,००० जनता पर एक डिपुटी चुना जाता है।

द्वितीय सभा

राष्ट्र-जातियों की सोवियत—इस सभा का निर्वाचन प्रत्येक प्रजातंत्र, पूर्ण स्वायत्त-शासनयुक्त प्रजातंत्र, अर्द्ध-स्वायत्त शासनयुक्त प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के द्वारा होता है। प्रत्येक प्रजातंत्र से पचीस, पूर्ण-स्वायत्त शासनयुक्त प्रजातंत्र से ग्यारह, अर्द्ध-स्वायत्त शासनयुक्त प्रदेशों से पाँच और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र से एक डिपुटी लिया जाता है। दोनों सभाओं का कार्य काल चार वर्ष के लिए है। दोनों सभाओं के अधिकार समान हैं। दोनों सभाओं में एक साथ ही बिल दोनों सभाओं के बहुमत द्वारा स्वीकृत हो गया तो उसे पास समझना चाहिये। पार्लमेण्ट के द्वारा कानून पास कर लेने पर यूनियन के प्रेजिडियम के अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से यूनियन के प्रजातन्त्रों की सभी भाषाओं

में प्रकाशित होता है। दोनों सभाएँ अपने-अपने अध्यक्ष को चुनती हैं। अध्यक्षों को सभाओं के कार्यक्रम और कार्य-विधि को उपर्युक्त रूप से निभाने का उत्तरदायित्व है। दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में बारी बारी से दोनों सभाओं के अध्यक्ष अध्यक्षता का काम करते हैं।

यूनियन के प्रेज़िडियम के द्वारा सर्वोच्च सोवियत की बैठकें साल में दो बार बुलायी जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर या किसी एक प्रजातन्त्र की मांग पर सोवियत पार्लमेण्ट की बैठक का असाधारण अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

सोवियत पार्लमेण्ट को यूनियन के विषयों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यूनियन विधान की चौदहवीं धारा में यूनियन के विषयों का उल्लेख है।

सोवियत यूनियन की पार्लमेण्ट यूनियन के प्रेज़िडियम, यूनियन के मंत्रि-मंडल (काउन्सिल आफ यूनियन कमिसारस) और यूनियन के सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में चुनती है।

यूनियन की पार्लमेण्ट आवश्यकता पड़ने पर हिसाब जाँच करने या किसी वस्तु की छानबीन करने के लिए कमिसन नियुक्त करता है।

पार्लमेण्ट का सदस्य, पार्लमेण्ट की स्वीकृत के बिना गिरफ्तार नहीं हो सकता और न उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है।

दोनों सभाओं में मतभेद होने पर दोनों सभाओं से समान संख्या के आधार पर मतभेद निवारण कमिसन नियुक्त होता है यदि कमिसन निर्णय पर नहीं पहुँच सकता या उसका निर्णय किसी सभा को मान्य नहीं हुआ तब वह बिल दुबारा दोनों सभाओं में विचारार्थ प्रस्तुत होता है। यदि इसके बाद भी दोनों सभाओं में समझौता न हो तो प्रेज़िडियम पार्लमेण्ट को भंग करने की घोषणा करके नये निर्वाचन का प्रबन्ध करेगा।

———

सोवियत यूनियन का प्रेज़िडियम

प्रेजिडियम जैसी संस्था अन्य देशों में नहीं है। इसका प्रथम प्रयोग सोवियत यूनियन ने किया है। राजनीतिक विज्ञान तथा वैधानिक प्रयोग में सोवियत यूनियन की यह एक नयी देन है। सोवियत यूनियन में राज्य का कोई प्रधान नहीं है। अन्य देशों में राज्य के प्रधान को प्रायः सरकार का प्रधान माना जाता है। यहाँ सरकार का अर्थ सामूहिक अर्थ में है। अर्थात् राज्य का प्रधान शासन व्यवस्थापक तथा न्याय विभाग तीनों का प्रतीक होता है। यों तो विधानों के नियम के अनुसार कितने स्थानों में राज्य का प्रधान केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। कहीं वह शासन का प्रधान अधिकारी होता है। अधिनायक-तन्त्र में अधिनायक सभी विभागों का प्रधान है। उसका आदेश सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है।

सोवियत यूनियन में सरकार का एकात्मक प्रधान नहीं माना गया है। प्रेसिडेन्ट (अध्यक्ष) की जगह पर प्रेजिडियम है। प्रेजिडियम एक मण्डल या समिति प्रधान संस्था है।

प्रेजिडियम का निर्वाचन

यूनियन का सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में यूनियन के प्रेजिडियम का निर्वाचन होता है। प्रेजिडियम में प्रेजिडियम का एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा प्रेजिडियम के चौबीस साधारण सदस्य होते हैं। प्रेजिडियम अपने सभी कार्यों के लिए सोवियत पार्लमेण्ट के प्रति उत्तरदायी है। सोवियत पार्लमेण्ट अन्य देशों की पार्लमेण्ट की तरह व्यवहारिक रूप में बहुधा नहीं बैठती। अर्थात् इसकी बैठकें बहुधा नहीं हुआ करतीं। सोवियत

प्रेजिडयम का वैधानिक स्थान

यूनियन एक बहुत विशाल महादेश है। इसकी सीमा यूरोप और एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है। यों तो विधान में साल में दो बार बैठक बुलाने के लिए उल्लेख है और आवश्यकता पड़ने पर असाधारण अधिवेशन भी हो

सकता है। पर उसका अधिवेशन कैसा होगा ? जिसमें एक हजार से भी अधिक सदस्य हों। आज की पार्लमेण्टों में बिलों पर विचार, वाद-विवाद नहीं हो पाता। क्योंकि सभा के समक्ष बहुत कार्य होते हैं। कार्यों की बहुलता और समय की कमी तथा सभा की भीड़ में कोई उपयुक्त ऐसा वातावरण नहीं रहता कि ठंढे दिमाग से बिना घबड़ाहट के विचार हो। इस तरह सोवियत पार्लमेण्ट तो प्रायः रिपोर्ट सुनने और उसे स्वीकृत करने के लिए होगी, ऐसी ही परिस्थिति में प्रेजिडियम की आवश्यकता है। प्रेजिडियम सोवियत यूनियन की धारा सभा का कार्य करेगा। विधान के अनुसार सोवियत पार्लमेण्ट की अनुपस्थिति में इसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अतः प्रेजिडियम सोवियत पार्लमेण्ट के स्थान पर बहुधा उसका सारा कार्य सम्पादित करेगा।

इस तरह प्रेजिडियम एक व्यवस्थापक तथा कुछ शासन-सम्बन्धी कार्य करने की एक नयी वैधानिक संस्था है।

शासन सम्बन्धी कार्य दो भागों में बँट दिये गये हैं। कुछ का उत्तरदायित्व प्रेजिडियम के ऊपर है और बाकी सभी कार्य मंत्रमण्डल को प्राप्त हैं।

प्रेजिडियम को सभी कार्य दिये गये हैं जो किसी भी राज्य के प्रधान को दूसरे देश में दिये जाते हैं। राज्य के प्रधान को व्यवस्थापक तथा शासन सम्बन्धी दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रेजिडियम सोवियत पार्लमेण्ट की अनुपस्थिति में प्रधानतः व्यवस्थापक का कार्य करेगा और उन कार्यों को करेगा जो उसे विधान की ४९ वीं धारा द्वारा प्राप्त है।

४९ वीं धारा के प्रेजिडियम के कार्य

१—सोवियत यूनियन की पार्लमेण्ट की बैठक बुलाना।

२—राजकीय आदेश (decree) जारी करना।

३—यूनियन में कार्यरूप में चलाने वाले कानून का अर्थ निश्चित करना।

४—यूनियन के विधान की ४७ वीं धारा के अनुसार यूनियन पार्लमेण्ट भंग करना (dissolving) और नये निर्वाचन का आदेश जारी करना।

५—अपने विवेक (इनिसियेटिव) पर जनता के मत लेने का प्रवन्ध (Referendum) करना या यूनियन के किसी प्रजातन्त्र की माँग पर जनमत संग्रह करना।

६—यूनियन के मंत्रिमण्डल तथा यूनियन के विभिन्न प्रजातन्त्र के मंत्रिमण्डल के आदेशों और निर्णयों को रद्द करना यदि वे यूनियन के कानून के अनुकूल न हों।

७—यूनियन पार्लमेण्ट की बैठकों के अन्तरिम समय में यूनियन मंत्रिमण्डल के चेयरमैन की सिफारिश पर मंत्रियों को नियुक्त तथा पदच्युत करना।

८—यूनियन की गौरव-उपाधि * तथा पदक और राज्य-चिन्हों † से विभूपित तथा वितरित करना।

९—क्षमा प्रदान के अधिकार का प्रयोग करना।

१०—सैनिक उपाधि, कूटनीतिक पदवियाँ तथा विशेष उपाधियाँ देना।

११—यूनियन की शस्त्रसेना के हाइकमान की नियुक्ति तथा पदच्युत करना।

१२—सोवियत पार्लमेण्ट की बैठकों के अन्तरिम समय में यूनियन के ऊपर आक्रमण होने पर यूद्ध स्थिति की घोषणा करना या आवश्यकता होने पर आक्रमणों के विरुद्ध परस्पर रक्षा की अन्तराष्ट्रीय सन्धि के अनुसार प्रतिज्ञा को पूरा करना।

१३—पूर्ण या आंशिक रूप से सैनिक सेवा के लिए नागरिकों को आदेश जारी करना।

१४—अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों को स्वीकृति देना।

विदेशी राष्ट्रों के यहाँ यूनियन के राजदूतों तथा प्रतिनिधियों की नियुक्ति और उन्हें वापस बुलाना।

१६—विदेशी राष्ट्रों द्वारा प्रेषित राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाणपत्र या प्रत्यावर्तनपत्रों को लेना।

१७—यूनियन की रक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक

* Titles of Honour † Orders

सुव्यवस्था और शान्ति के हित में सम्पूर्ण यूनियन में अथवा भिन्न प्रदे स्थानों में फौजी कानून (martial law) घोषित करना।

प्रेजिडियम का कार्यकाल

सोवियत पार्लमेण्ट का कार्यकाल विधान के अनुसार चार वर्ष का अतः प्रेजिडियम का भी कार्यकाल चार वर्ष का सोवियत पार्लमेण्ट के कार्यकाल समाप्त होने पर कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही भंग हो जाने पर प्रे डियम तब तक काम करता है जब तक सोवियत पार्लमेण्ट के नव निर्वाचन के बाद नये प्रेजिडियम का चुनाव नयी पार्लमेण्ट संयुक्त बैठक में न हो जाय।

सोवियत यूनियन की सरकार

सोवियत यूनियन में शासन का प्रबन्ध एक मन्त्रिमण्डल के हाथ में है।

त्रि-मण्डल

उसे काउन्सिल आफ पिपल्स कमिसारस कहते हैं। यह काउन्सिल यूनियन की कार्यकारिणी शासन-परिषद् है।

की नियुक्ति

सोवियत यूनियन की पार्लामेन्ट की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है।
में निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं।

१—सोवियत यूनियन की मंत्रि-परिषद् के चेयरमैन।

२—सोवियत यूनियन की मन्त्रिपरिषद् के वाइस चेयरमैन।

३—यूनियनके राज्य योजना कमिसन(State Planning Commission) चेयर मैन।

४—सोवियत नियन्त्रण कमिसन के चेयरमैन।

५—सोवियत यूनियन के मन्त्रि-गण।

६—कलासमिति के चेयरमैन।

७—उच्च शिक्षा-समिति के चेयरमैन।

८—स्टेट बैंक के बोर्ड के चेयरमैन।

सोवियत पार्लमेण्ट के कार्यकाल तक मन्त्रि-मण्डल का कार्यकाल होता है।

र्य काल

सोवियत पार्लमेण्ट एक बार चार वर्ष के लिए चुनी जाती है। यूनियन विधान की ४७वीं धारा के अनुसार यदि यूनियन पार्लमेन्ट भंग होजाती है और उसका नव-र्वाचन होता है तो नयी पार्लमेण्ट नयी सरकार को नियुक्त करेगी। नयी सरकार की नियुक्ति में मंत्रिमण्डल अपना काम करता है।

उत्तरदायित्व

यूनियन विधान की ६५ वीं धारा के अनुसार मंत्रि-मण्डल यूनि[illegible] पार्लमेण्ट के प्रति अपने सारे कार्यों के लिए उत्तरदा[illegible] है। यूनियन पार्लमेण्ट की बैठकों के अन्तरिम काल[illegible] मंत्रि-मण्डल सोवियत यूनियन के प्रेजिडियम के प्र[illegible] उत्तरदायी होगा।

मंत्रियों का अधिकार

प्रचलित कानूनों के आधार पर मंत्रि-मण्डल को निर्णय और आदे[illegible] जारी करने तथा उन कानूनों के प्रयोग और व्यवहा[illegible] के ऊपर निरीक्षण करने का अधिकार है। मंत्रि-मण्ड[illegible] यूनियन के आर्थिक और शासन सम्बन्धी विषयों [illegible] अन्तर्गत प्रत्येक प्रजातंत्र के मंत्रि-मण्डलों के निर्[illegible] तथा आदेश और यूनियन के मंत्रियों की सूचनाओं या आदेश को स्थगित क[illegible] सकता है। अर्थात् यूनियन का मंत्रि-मण्डल शासन और आर्थिक प्रश्नों [illegible] जिसका सम्बन्ध यूनियन से हो सकता है यूनियन के अन्तर्गत विभिन्न प्रजा[illegible] तंत्रों के मंत्रि-मण्डलों के निर्णय अथवा आदेश को स्थगित कर सकता है।

मंत्रिमण्डल का कार्य

यूनियन विधान की ६८ वीं धारा के अनुसार काउन्सिल के निम्नलिखि[illegible] कार्य हैं। सारे यूनियन और प्रत्येक प्रजातंत्रों के मंत्रि[illegible] के कार्य तथा उनके शासन के अन्तर्गत अन्य संस्था[illegible] आर्थिक तथा सांस्कृतिक सभी को उचित निर्देश दे[illegible] और उनके कार्यों का समन्वय करना। राष्ट्रीय आर्थि[illegible] योजना और राजकीय आय-व्यय के अनुमान-पत्र के अनुसार कार्य तथा सा[illegible] और मुद्रा-पद्धति को दृढ़ करने के लिए नियम बनाना और प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था की रक्षा के लिए नियम बनाना [illegible] कार्य करना तथा राज्य के हितों की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों [illegible] रक्षा करना।

विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्ध को उपयुक्त रूप से परिचालित करना।

सैनिक सेवा के लिए नागरिकों की वार्षिक संख्या निश्चित करना [illegible] देश की शस्त्र-सेना के विकास और सम्यक् संघटन की व्यवस्था कर[illegible]

आर्थिक, सांस्कृतिक तथा रक्षात्मक संघटन और विकास के लिए मंत्रि-मण्डल के अन्तर्गत केंद्रीय-शासन और विशेष समितियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना।

विधान के शब्दों से पता नहीं चलता कि यूनियन पार्लमेण्ट के सदस्यों में से ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है या बाहरसे भी।

मंत्रियोंको पार्लमेण्ट की बैठकों में भाग लेने का अधिकार

विधान की परम्परा से मंत्री बाहर से भी हो सकते हैं। पार्लमेण्ट में उन्हें बैठने का अधिकार प्राप्त है। किसी बिल या प्रस्ताव पर उन्हें बोलने का भी अधिकार है। यूनियन विधान की ७१ वीं धारा के अनुसार यूनियन पार्लमेण्ट का कोई सदस्य कोई प्रश्न मंत्रि-मंडल के किसी सदस्य से पूछ सकता है। मंत्रियों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं में जाने का अधिकार है। प्रश्न पूछे जाने के बाद विधान के नियम से केवल तीन दिन के अन्दर ही उत्तर देना आवश्यक है।

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को पृथक् पृथक् विषय दिये जाते हैं। अतः प्रत्येक मंत्री अपने कार्य का प्रबन्ध करता है और अपने

मंत्रियोंके कार्यका विभाजन

विभागके लिए उत्तरदायी है। सभीका क्षेत्र निश्चित रहता है। मंत्री अपने विभाग के कार्य के लिए सारे देश का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। अपने विभाग का कार्य प्रत्यक्ष रूप से अपने ही प्रबन्ध से करने अथवा उसके लिए अधिकारी व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।

मंत्री दो तरह के हैं। एक सारे यूनियन के लिए और दूसरे प्रत्येक प्रजातंत्र के अन्तर्गत उस प्रजातंत्र के क्षेत्र में कार्य की देख रेख के लिए। यूनियन मंत्रि-मण्डल का कार्य क्षेत्र विधान से निश्चित है। उसी तरह प्रत्येक प्रजातंत्र का कार्य-क्षेत्र उस प्रजातंत्र के विधान से निश्चित होता है। यूनियन विधान की ७७ वीं धारा के अनुसार सारे यूनियन के लिए विभिन्न छत्तीस मंत्रियों का संघटन है। उसी तरह यूनियन के विभिन्न प्रजातंत्रों में बाइस मंत्रियों का संघटन है।

सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायालय

सोवियत यूनियन में न्याय करने के लिए निम्नलिखित न्यायालयों की स्थापना है।—सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायालय, यूनियन के प्रजातंत्रों के सर्वोच्च न्यायालय, जनपदों, प्रदेशों, अर्द्धस्वतंत्र प्रजातन्त्रों तथा अर्द्धस्वतंत्र प्रदेशों का न्यायालय, यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय और जनता के न्यायालय।

सोवियत यूनियन का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय यूनियन तथा प्रजातंत्रों के जितने न्यायालय हैं सबके न्याय सम्बन्धी कार्यों की देखरेख तथा निरीक्षण करता है।

न्यायधिशों का निर्वाचन

सोवियत यूनियन की पार्लमेण्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है। विशेष अदालतों के न्यायधीशों का भी निर्वाचन होता है। प्रत्येक प्रजातंत्र तथा अन्य शासकीय क्षेत्रों की पार्लमेण्ट अपने यहाँ के सर्वोच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। न्यायाधीश स्वतंत्र हैं और केवल कानून के प्रति ही उत्तरदायी हैं।

यूनियन का एक प्रोक्यूरेटर-जेनरल होता है। इसकी नियुक्ति सात वर्ष के लिए होती है। यूनियन की तरफ से अभियोग चलाने की स्वीकृति प्रोक्यूरेटर-जेनरल ही होता है। सोवियत संघ के नागरिकों तथा पदाधिकारियों, सभी मंत्रियों, तथा उनके अन्तर्गत सभी संस्थाओं के द्वारा कानून के अनुसार आचरण वर्त्तने के ऊपर सर्वोच्च निरीक्षण का अधिकार यूनियन के प्रोक्यूरेटर-जेनरल को प्राप्त है। हर प्रजातंत्र में भी प्रोक्यूरेटर-जेनरल होते हैं जिनकी नियुक्ति यूनियन के प्रोक्यूरेटर-जेनरल के द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है।

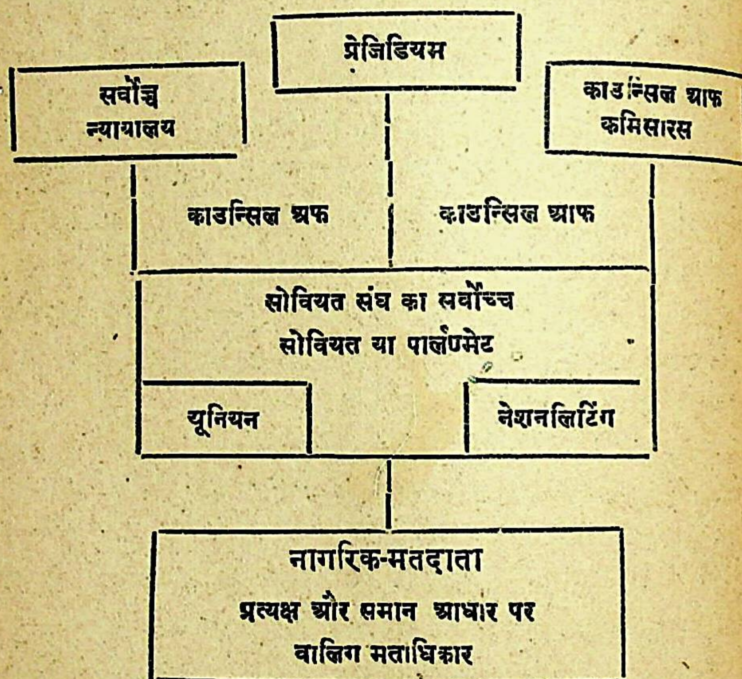
कुछ विशेष मुकदमे जिनके लिए विशेष नियम बने हुए हैं उन्हें छोड़कर सभी मुकदमे न्यायालयों में प्रकाश्य रूप से सुने जाते हैं। अभियुक्त को अपने मुकदमे की पैरवी करने का अधिकार है। कुछ मुकदमों को छोड़कर सभी न्यायालयों में जनता के असेसरों की सहायता से मुकदमों का फैसला होता है।

(यूनियन विधान का संशोधन)

यूनियन विधान का संशोधन यूनियन की पार्लमेण्ट के द्वारा हो सकता है। संशोधन के लिए पार्लमेण्ट की विशेष बैठक की आवश्यकता है। पुनः पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं के पृथक् पृथक् दो तिहाई बहुमत के द्वारा स्वीकृत हो जाने पर विधान में संशोधन हो जाता है।

विधान में संशोधन दोनों सभाओं के केवल साधारण बहुमत से नहीं होता। किसी संशोधन पर सोवियत यूनियन और राष्ट्र-जाति सोवियत अर्थात् दोनों सभाओं के दो तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक है।

१९३६ के विधान के अनुसार
सोवियत संघ की शासन-व्यवस्था



नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य

१९१७ की रूसी क्रान्ति के बाद जो अस्थायी सोवियत विधान प्रारम्भ हुआ, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। उस समय सोवियत राज्य नया था। क्रान्ति के संक्रमण काल में नागरिकों के अधिकार की बातें चल नहीं सकतीं। उस समय विधान का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं था। राज्य का स्वरूप अधिनायकतंत्र के आधार पर संगठित थी। इसी क्रान्ति के विरोध में प्रतिक्रियात्मक क्रान्ति का भय था। नये सोवियत राज्य की नींव दृढ़ नहीं हुई थी। प्रतिक्रियात्मक शक्तियों तथा स्थिर स्वार्थवादियों की शक्ति बिलकुल नष्ट नहीं हुई थी। १९३६ में विधान का नया स्वरूप बना। सोवियत राज्य स्थायी हो गया। प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ समाप्त हो गयीं। क्रान्तिके विरोध में उसकी क्रान्ति का भय नहीं रहा।

१९३६ के विधान का स्वरूप पर्याप्त रूप में लोकतांत्रिक हो गया। इसके पूर्व कम्युनिष्टों के ऊपर कितने आक्षेप होते थे और कितनी आलोचनाएँ होती थीं। उनमें एक यह भी थी कि सोवियत देश में व्यक्तियों को कोई स्वतंत्रता नहीं है। अतः नये विधान के निर्माताओं ने इस विधान में मौलिक अधिकारों की धाराओं का उल्लेख किया।

सोवियत विधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों का जैसा उल्लेख है, उसे देखकर यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं कि वैसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख दुनिया के किसी विधान में नहीं है। यह असाधारण है। लेकिन ऐसे मौलिक अधिकारों के रहते हुए समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर यह कहना कठिन हो जाता है कि सचमुच मौलिक अधिकार के अनुसार लोगों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा कहाँ तक होती है। परिस्थिति

कुछ साफ नहीं मालूम पड़ती। "आज भी पचालक अफसरों की तरफ से कड़ाई और मनमाने ढंग की काररवाई के प्रमाण मिलते हैं, दमन और प्रेसों पर जेन्सर तथा अनेक तरह के गुप्त न्याय और प्रतिशोधात्मक दण्ड लोगों को विधान के शब्दों पर विश्वास करने से रोकते हैं।" ‡

अधिकारपत्र की धाराएँ भी साफ हैं कि भाषण, प्रेस और समूह बनाने की स्वतंत्रता श्रमिकों के हित और समाजवादी प्रणाली के आदर्श के अनुसार ही प्राप्त हो सकती हैं। अर्थात् शासन-प्रणाली के विरुद्ध भाषण लेख और सभा करने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन फिर भी इस नये विधान के बाद से एक नयी धारा चल रही है जिसमें व्यक्ति सामूहिक जीवन के बन्धनों से कुछ मुक्त हो रहा है। अब से अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्माण में अधिक स्वतंत्रता है।

नये विधान के अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त है। नागरिक अधिकारों में लिङ्ग भेद नहीं है।

इसकी विशेषता यह है कि सोवियत देश में बसने वाली विभिन्न राष्ट्रीक (राष्ट्रीय-वर्ग) और जातियों को समान पद और अधिकार प्राप्त है। किसी तरह का कोई राष्ट्रीय या जातिगत भेद कानून के निर्माण, प्रतिनिधित्व तथा सरकारी पदों के प्राप्त करने में नहीं है।

प्रत्येक व्यक्ति को (१) कार्य प्राप्त करने (२) कार्य करने का निश्चित और सीमित समय करके 'अवकाश' का आनन्द प्राप्त करने (३) वृद्धा-अवस्था, रोग, अयोग्यता का इंश्योरेन्स (४) निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा तथा ऊँची शिक्षा (५) विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता तथा धर्म के विरुद्ध में प्रचार करने की स्वतंत्रता (६) भाषण, लेख, प्रेस और सभा करने की स्वतंत्रता (६) ट्रेड-यूनियन (व्यापार संघ), कोआपरेटिव सोसाइटिज (सहकारिता सभाएँ), युवक-संघटन, और अन्य सभाएँ (८) व्यक्ति, निवासस्थान और पत्रव्यवहार की संरक्षता तथा न्यायालय के निर्णय या प्रसेक्यूटर की स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति को कैद न करने की स्वतंत्रता विधान के द्वारा सुरक्षित है।

सम्पत्ति का प्रश्न—जिस सम्पत्ति का स्वरूप बदल कर समाजवादी स्वरूप

‡ गवर्नमेन्टस् आफ यूरोप—ओग—पृष्ठ ६१२

हो गया है (जैसे भूमि, खानें, फैक्टरियाँ, रेलवे, बैंक तथा अन्य वस्तुएँ) उसकी रक्षा करना तथा उसे संघटित करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। कुछ ऐसी वस्तुएँ भी हैं जो निजी या व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में स्वीकृत हैं। निवासस्थान, मोटर, हथियार तथा अन्य गृह के सामान—ये व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित हैं। इन वस्तुओं को प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकता है। लेकिन किसी वस्तु का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के श्रम का शोषण करने में नहीं किया जा सकता। अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों का भी उल्लेख विधान में हुआ है। अधिकारों की सुविधा या उपभोग बिना कर्त्तव्यों के पूरा किये नहीं हो सकता।

प्रत्येक नागरिक के लिए विधान और देश के साधारण कानून और राजकीय आदेशों को मानना एक महान उत्तरदायित्व तथा कर्त्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है।

सोवियत देश श्रमिकों और किसानों का संघ है। अतः उस संघ में श्रम की महिमा विशेष रूप से स्वीकृत है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रमिक शिष्टता सुरक्षित रखना कर्त्तव्य समझा गया है। सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना, समाजवादी समाज के नियमों का आदर करना, समाजवादी सम्पत्ति की रक्षा करना तथा इस सिद्धान्त से काम करना कि जो काम नहीं करेगा वह नहीं खायगा और लाल सेना में अनिवार्य सैनिक सेवा के नियमों के अन्तर्गत सेवा करना प्रत्येक सोवियत नागरिक का कर्त्तव्य है।

कम्युनिस्ट पार्टी

जिस देश में अधिनायकतंत्र के आधार पर शासन-प्रणाली संगठित होती है, वहाँ सारा अधिकार राजकीय, आर्थिक और सामाजिक एक सुव्यवस्थित, सुसंघटित तथा सुनियंत्रित राजनीतिक समूह में केन्द्रित हो जाता है। ऐसा सुसंघटित दल इटली में फैसिस्ट दल था। जर्मनी में नात्सी पार्टी या राष्ट्रीय समाजवादी दल था। इसी तरह का सुसंघटित दल सोवियत देश में है। यह दल पहले बोलशेविक पार्टी के नाम से प्रसिद्ध था। अब यह कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। अधिनायकवादी देशों में वह शक्तिशाली दल केवल शासन ही नहीं करता बल्कि कानून की दृष्टि से ऐसे देश में केवल एक ही पार्टी रह सकती है। कोई दूसरी वैध पार्टी नहीं हो सकती। जैसा कहा गया है कि सोवियत संघ में दूसरी पार्टियाँ रह सकती हैं परन्तु शर्त यह होगी कि एक पार्टी शासन करेगी और बाकी सभी पार्टियाँ जेल के सिकचों के अन्दर होंगी।

रूस ही सर्व प्रथम दुनियाँ में एक पार्टी राज्य (एक दलीय शासन प्रणाली राज्य) के रूप में हुआ। लेनिन और उनके साथियों ने दुनियाँ को एक पार्टी राज्य की प्रणाली और कल्पना प्रदान की।

सोवियत देश में विधान की दृष्टि से शासन-व्यवस्था और पार्टी संगठन दोनों पृथक पृथक हैं। सोवियत देश की केन्द्रीय राजधानी मास्को से लेकर प्रजातंत्रों, प्रान्तों, जिलों, नगरों और दूर-दूर गाँवों तक दोनों का पृथक संगठन साथ साथ स्थापित है। दोनों के केन्द्रीय कार्यालय, कांग्रेस, कौंसिल कर्मचारी, कोष, समाचारपत्र और अन्य मशीनरी साथ-साथ कार्य करते हैं। कानूनी दृष्टि से या सरकारी तौर पर सरकार कानून बनाती है, आदेश देती है, परराष्ट्र सम्बन्ध का संचालन करती है, शासनभार संभालती है, सेना और सामुद्रिक बेड़ा पर नियंत्रण करती है। पर वास्तविक रूप में पार्टी का ही

शासन और पार्टी ही शासन करती है। राज्य के बड़े-बड़े कर्मचारी जो शासन का संचालन करते हैं वे दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय के संचालक हैं। अर्थात् पर्याप्त संख्या में नागरिकों की दो स्थितियाँ हैं (१) राज्य कर्मचारी और (२) कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता। सरकार के प्रधान कर्मचारियों का चुनाव पार्टी ब्यूरो के द्वारा होता है। स्टालिन पार्टी ब्यूरो तथा अन्य ब्यूरो के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। वह केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी समिति के जेनरल सेक्रेटरी [प्रधान मंत्री] हैं। पार्टी की राजनीतिक ब्यूरो [पॉलित ब्यूरो] के द्वारा शासन नीति तथा अन्य नियमों के निर्माण की योजना स्थिर की जाती है। पार्टी के पॉलित ब्यूरो के द्वारा निश्चित नीति और योजना सरकार की भी नीति और योजना है। स्टालिन के शब्दों में पार्टी सरकार की नीति का संचालन और निर्देशन करती है। वास्तविकता की दृष्टि से पार्टी ही सरकार है केवल स्वरूप में नहीं। कम्युनिस्ट अधिनायकवाद का अर्थ कम्युनिस्ट पार्टी का अधिनायकवाद है। सत्रह करोड़ जनसंख्या में बीस लाख व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी का संगठन ऐसा है जिसमें लोकतांत्रिक पद्धति के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।

पार्टी का अपना सिद्धान्त और संगठन है। इसके अपने राजनीतिक और आर्थिक सिद्धान्त हैं। जिनके प्रति पार्टी के प्रत्येक सदस्य को पूरी निष्ठा रखनी होगी। इसका संगठन इस ढंग का बना हुआ है कि सारी वृत्ति एक केन्द्रीय नियंत्रण की तरफ है। पार्टी के सिद्धान्त अधिकतर कार्लमार्क्स के सिद्धान्तों से लिये गये हैं। मार्क्स की तरह कम्युनिस्ट पार्टी वर्तमान पूँजीवादी समाज के सिद्धान्तों और संस्थाओं को त्याज्य और घृणित समझती है और इसका समूल नाश चाहती है। जब तक समाज में एक समूह अपने श्रम के द्वारा और दूसरा समूह दूसरे के श्रम का शोषण करेगा तब तक दोनों समूहों में वैमनस्य चलता रहेगा और सामाजिक विकास का एक मात्र साधन वर्ग-युद्ध या श्रेणी-संघर्ष होगा। राज्य का कोई भी स्वरूप क्यों न हो—वह निजी सम्पत्ति की रक्षा, गरीबों के ऊपर धनिक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित रखने का साधन तथा वर्तमान आर्थिक और सामाजिक विषय को स्थायी बनाने का मशीन मात्र है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में प्रचलित लोकतंत्र वास्तविक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि मध्यम वर्ग

का शासन है। अतः सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए पूँजीवादी आधार पर निर्मित राज्य और सरकार की मशीनरी को समाप्त करना आवश्यक है। मार्क्स का ख्याल था कि राज्य की समाप्ति वैसे ही समाज में सम्भव होगी जहाँ बहुत अधिक व्यवसायिक उन्नति होने के कारण पूँजीवाद ने ऐसी शक्तियों और परिस्थितियों को जन्म दिया हो जिससे स्वयं उसका नाश सुलभ हो। लेनिन और उनके साथियों ने बड़े साहस के साथ रूस जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसी व्यवस्था थी कि समाजवादी राज्य क्रान्ति १९१७ में सम्भव हो सकी। कृषि प्रधान देश के लिए मार्क्स के सिद्धान्त के अनुसार मार्क्स के बताये हुए मार्ग उपयोगी नहीं थे। पर लेनिन और उनके साथियों के परिश्रम से रूस में राज्य-क्रान्ति सफल हुई। पूँजीवाद का अन्तिम नाश और मध्यम वर्गीय सरकार की समाप्ति हिंसात्मक पद्धति से तथा राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके श्रमिकों के सुनियोजित कार्य के द्वारा ही सम्भावित हो सकता है।

कार्लमार्क्स का सिद्धान्त है कि श्रमिक वर्ग के प्रभुत्व में राज्य की महत्ता कम होती जायगी और धीरे-धीरे वह स्वयं समाप्त हो जायगी क्योंकि श्रमिक वर्ग सर्वप्रथम पूँजीवाद से विहीन श्रेणीहीन सहकारी समाज में स्वतंत्रता की प्राप्ति करेगा।

सर्वहारा दल प्रथमतः राज्य की मशीनरी को हिंसा के द्वारा अपने अधिकार में कर लेगा और राज्य के साधनों का प्रयोग समाज के स्थिर स्वार्थवाले वर्ग को समाप्त करने में किया जायगा। अन्य सभी शक्तियों का दमन होगा जो श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व में सामूहिक समाज की स्थापना में बाधा उपस्थित करेंगे। एक बार अधिकारारूढ़ होने पर साम्यवाद निजी सम्पत्ति का नाश करेगा और श्रमिकों के शासन की स्थापना करेगा। इस तरह एक सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापित होने के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा करेगा। एक तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की स्थापना करके संसार भर में प्रचार और आन्दोलन के द्वारा सभी देशों में क्रान्ति करने का कार्यक्रम रखा गया। पर द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर मित्रराष्ट्रों की सहायता प्राप्त करने तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय समाप्त कर दिया गया। पर युद्ध समाप्त होने के बाद पुनः कामिन फार्म की स्थापना हुई है जिसका मुख्य ध्येय दुनियाँ के सर्व

देशों में कम्युनिज्म का प्रचार तथा कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति को संघटित करना है। इसका अन्तिम उद्देश्य, सर्वहारा राज्यों की एक अन्तर्राष्ट्रीय जाति की स्थापना करके सभी देशों के श्रमिकों द्वारा नियंत्रित एक राज्य, जो सभी दुनियाँ के लिए होगा तथा जहाँ जातिगत तथा राष्ट्रीय सीमाएँ समाप्त हो जायँगी—निर्माण करना है। यह सारा कार्य कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा होगा जो समाजवादी व्यवस्था के विकास तथा दृढ़ करने के संघर्ष में श्रमिकजनों के लिए अग्रणी का काम करती है।

पार्टीकी सदस्यता

सोवियत यूनियन में एक ही राजनीतिक पार्टी कार्य कर सकती है। वह है कम्युनिस्ट पार्टी। १९१७ में जब बोलशेविकों ने राज्य पर अधिकार कर लिया तो उस समय समाजवादी लोकतंत्रीय पार्टी के बोलशेविकों की संख्या २००,००० थी। इसके बाद पार्टी के सदस्यों की संख्या काफी बढ़ गयी। १९३३ में सदस्यों की संख्या ३,०००,००० और १९३८ में २,०००,००० सदस्य थे जिसमें पूरे सदस्य और उम्मीदवार भी सम्मिलित थे। यों भी बहुत से लोग जो पार्टी के सदस्य नहीं हैं और अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं—पार्टी के सहायक और पोषक हैं। कुछ लोग पार्टी से सहानुभूति रखते हैं। इनकी भी एक श्रेणी है। पार्टी के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ायी जा सकती है। पर साधारणतः सदस्यता की शर्तें काफी ऊँची रखी जाती हैं ताकि ऐसे ही लोग पार्टी के सदस्य हों जो पार्टी की शिष्टता और उसके नियम को अच्छी तरह पालन कर सकें। सोवियत यूनियन का निवासी यदि पार्टी का सदस्य होना चाहता हो तो उसे पार्टी के पुराने और अच्छे दो या तीन सदस्यों से सिफारिश के साथ आवेदन-पत्र अपने नगर की पार्टी की शाखा में देना होगा। स्थानीय पार्टी शाखा उस व्यक्ति के बारे में खोज पूछ करने के बाद यदि उसे योग्य समझेगी तो उसका आवेदनपत्र स्वीकृत करेगी। एक वर्ष से लेकर पाँच वर्षों तक उसे उम्मीदवार के रूप में पार्टी का कार्य करना होगा। इस बीच की कड़ी परीक्षा में यदि वह सफल हो जाय तो उसे पार्टी की सदस्यता प्राप्त हो जायगी। कड़ी परीक्षा की शर्तें ये हैं—उसे अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर पार्टी की सदस्यता नहीं प्राप्त करनी होगी। उसका कोई अदृश्य उद्देश्य भी नहीं होना चाहिये। उसे कम्युनिस्ट सिद्धान्त

में पूर्ण रूप से विश्वास करना होगा और उसके सिद्धान्तों के अनुरूप कार्य करना होगा। उसमें मध्यम वर्गीय भावनाओं का अवशेष तनिक भी नहीं रहना चाहिये। उसे नागरिक उत्तरदायित्व और कर्त्तव्यों का ज्ञान रखना होगा। धर्म और मादक सेवन से विरत होना होगा। इतनी कड़ी शर्तें रखी गयी हैं।

प्रत्येक व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकता। प्राइवेट सौदागर, पादड़ी तथा कुलाक लोग पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। अन्य लोग अपने कार्य और सामाजिक परिस्थिति के अनुसार सरलतापूर्वक या कठिनाई से सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। कारखानों या खानों में पाँच वर्ष तक काम किये हुए श्रमिकों को केवल एक वर्ष की उम्मीदवारी के बाद पूरी सदस्यता मिल जाती है। सामूहिक किसान, फार्म श्रमिक, छोटे कारीगर तथा प्राइमरी स्कूल अध्यापकों के लिए पाँच ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर के द्वारा आवेदनपत्र देना होगा जो पाँच वर्ष तक सदस्य रह चुके हों। इनलोगों को दो वर्ष तक उम्मीदवारी करनी पड़ती है। सिविल सरविस वाले, अन्य पेशा के लोग तथा बुद्धिजीवी लोगों के लिए दस वर्ष के पुराने पाँच सदस्यों के हस्ताक्षर से आवेदनपत्र देना पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए पाँच वर्ष तक उम्मीदवारी की प्रतीक्षा रहती है। साधारणतः हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की प्रधानता पार्टी में रहनी चाहिये। पार्टी में स्त्रियों के लिए बीस प्रतिशत तक की व्यवस्था है।

यदि पार्टी के अन्दर प्रवेश पाना कठिन है तो उससे बाहर आना सहल है। कोई सदस्य पार्टी से त्यागपत्र दे सकता है। इसके लिए उसके ऊपर कोई

पार्टी से निष्कासन

बाध्यता नहीं है कि वह बराबर पार्टी का सदस्य बना रहे। कभी वह अपनी इच्छा से अपना सम्बन्ध पार्टी से तोड़ सकता है। यदि वह स्वयं त्यागपत्र न देना चाहे पर पार्टी के प्रति अपने कर्त्तव्यों से उदासीन हो जाय या किसी तरह पार्टी के हाईकमाण्ड को उसके कार्यों या गतिविधि पर सन्देह हो जाय तो उसकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जायगी।

समय-समय पर दुनियाँ के पत्रों में समाचार निकलते हैं कि रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से बहुत लोगों का निष्कासन हुआ। १९३४-३६ में बहु

अधिक लोग पार्टी की सदस्यता से पृथक् कर दिये गये। नियम की इतनी कड़ाई थी कि बचे हुए सदस्यों को अपनी सदस्यता के कार्ड को पुनर्जीवित करना पड़ा था। इसी निष्कासन का यह फल था कि पार्टी के सदस्यों की संख्या ३,०००,००० से २,०००,००० हो गयी।

पार्टी रजिस्टर का निरीक्षण तथा उसकी जाँच-पड़ताल एक पार्टी नियंत्रण कमिसन के द्वारा होता है। प्रति वर्ष कम से कम पाँच प्रतिशत नाम काट दिये जाते हैं। पार्टी से निकालने के अनेक तरह के कारण होते हैं। पार्टी के विरुद्ध कार्य, पार्टी या उसके नेताओं की प्रकाश्य रूप में समालोचना, पार्टी का चन्दा न देना, पार्टी के अन्दर गुटबन्दी स्थापित करना, पार्टी के आदेश को न मानना या अवहेलना करना, सोवियत सरकार के विरुद्ध प्रचार या उसकी निन्दा, अधिकार का दुरुपयोग, काले बाजार वालों का साथ देना, धार्मिक उत्सवों में भाग लेना तथा शराब पीना इत्यादि—ऐसे ही कार्यों पर पार्टी की सदस्यता से पृथक् होना पड़ता है। लेनिन का यह ख्याल था कि सदस्यता कम कर दो और पार्टी सुदृढ़ होगी। इसी सिद्धान्त से प्रायः कार्य होता है।

सदस्यों का उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य

पार्टी अपने सदस्यों पर बहुत कड़ा नियन्त्रण रखती है। पार्टी के सदस्य को कोई रहस्यात्मक प्रतिज्ञा नहीं करनी पड़ती। किसी विशेष ढंग या रंग की कमीज पहनने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए विशेष टोपी, चिह्न या बैज, अथवा सबके लिए एक सामान्य वस्त्र नहीं है। कोई विशेष ढंग की सलामी नहीं है। परन्तु जब सदस्य अपना प्रोवेसनरी काल समाप्त कर लेता है और परीक्षा में खरा उतर आता है तब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसका नाम अपने रहनेवाले नगर या गाँव की पार्टी शाखा के रजिस्टर में लिख जायगा और साथ ही साथ मास्को में भी उसका नाम दर्ज हो जाता है। सदस्यता के साथ बहुत तरह के उत्तरदायित्व रहते हैं। सदस्य होने पर उसे प्रारम्भिक फीस देनी पड़ती है। पुनः पार्टी कोष में प्रति मास २० कोपेकस् से लेकर तीन प्रतिशत अपनी आय का देना पड़ता है। तीन प्रतिशत उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आमदनी ५०० रूबल्स से अधिक

है। इतना ही नहीं अपनी आमदनी में से प्रायः जनोपयोगी संस्थाओं में चन्दा देने अथवा मेमोरियल या कोई अन्य देश-प्रेम सम्बन्धी कार्य में देना पड़ता है।

बिना किसी विरोध या हिचकिचाहट के किसी नीति या कार्य के सम्बन्ध में पार्टी निर्णय स्वीकार करना होगा। पार्टी के विनय और शील को बड़ी कड़ाई के साथ मानना पड़ता है। पार्टी के सभी आदेशों और आज्ञाओं को शिरोधार्य करना होगा। यह मानना होगा कि उसका समय और उसकी शक्ति अब उसकी नहीं है बल्कि वह पूर्ण रूप से पार्टी के कमान्ड में है। उसको अपने ऊपर आनेवाले खतरों या कठिनाइयों से तनिक भी डरना नहीं होगा। देश और पार्टी के राजनीतिक जीवन में पूर्णरूप से सक्रिय भाग लेना होगा। केवल शान्तिरूप से पार्टी के शुभचिन्तक बन जाने से काम नहीं चलता। पार्टी के लिए बिना किसी मूल्य के सेवा करनी होगी। पार्टी के कार्यक्रम या सिद्धान्त के प्रचार के लिए जनता में जाना, सभा का आयोजन करना, सभा का संचालन करना, पार्टी के द्वारा निश्चित कार्यक्रम या प्रदर्शन में भाग लेना, नये भर्ती हुए सदस्यों को उपदेश देना, कमेटियों में बैठना और सक्रिय भाग लेना, अपने सैद्धान्तिक स्तर को ऊँचा उठाने की कोशिश करना, मार्क्सवाद + लेनिनवाद के सिद्धान्तों को अध्ययन करना, पार्टी के महत्वपूर्ण राजनीतिक और संघटनात्मक निर्णयों को अच्छी तरह जानना, जो लोग पार्टी में नहीं है उन्हें पार्टी के सिद्धान्तों और कार्यक्रमों से अवगत कराना, (प्रारम्भ) प्रोवेसन की अवस्था में पायी हुई शिक्षा को राजनीतिक शिक्षा का केवल प्रारम्भ समझना और उस शिक्षा को विशेष क्लासों, सेमिनारों तथा स्कूलोंके द्वारा समुन्नत करना, राज्य और श्रम की शिष्टता और विनय क अनुशासन को मानते हुए एक आदर्श उपस्थित करना, अपने कार्य के कौशल या टेक्निक को अच्छी तरह जानना, सदैव अपने उत्पादन और कार्य की कुशलता और गुण के स्तर को ऊँचा उठाना, अधिक धन पैदा करने वाले पेशाओं और व्यवसायों से विरत होना, लाभ प्राप्त करने की इच्छा न प्रकट करना, अपनी आय की बचत को पेन्शन फन्ड और पब्लिक फन्डमें देना, धार्मिक संघों से पृथक् रहना और अनुशासन की भावना स्वार्थहित से विरत तथा सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना—थोड़े में यही पार्टी अनुशासन के लिए प्रत्येक सदस्य को या प्रारम्भिक उम्मेदवार को करना पड़

है। पार्टी के सदस्य होने से कुछ विशेषता रहती है। नौकरी मिलने में सुविधा रहती है। प्रोमोशन इत्यादि में इसका विचार किया जाता है। कितनी ही अन्य बातोंमें जैसे अस्पताल तथा आरामगृहों में प्रवेश में प्रधानता दी जाती है। पार्टी अपने सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखती है। परन्तु कर्तव्य और सेवा का प्रथम स्थान है। यदि कर्तव्यपालन करने और उत्तरदायित्व निबाहने में कोई ढिलाई हुई तो पार्टी नियंत्रण कमिसन के अंकुश से बचना कठिन है।

कम्युनिस्ट राज्य के संस्थापकों ने इस बात को समझ लिया था कि उनके प्रयोग की सफलता आगे आनेवाली संतानों पर निर्भर करती है। भविष्य की सन्तानों अथवा वर्तमान पीढ़ी के लोगों को नहीं मालूम है कि बोलशेविक लोगोंको रूसकी जारशाहीके साथ कैसा संघर्ष करना पड़ा था। इतिहास के पढ़ने और किसी क्रान्ति में स्वयं भाग लेने वाले में भेद होता है। इतिहासके पढ़ने से क्रमबद्ध विकास का ज्ञान होता है। पर क्रान्ति में कैसा घोर संघर्ष हुआ प्रतीत नहीं होता। जारशाही के द्वारा किये गये दमन और अत्याचारों की नृशंसता का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता। अतः नयी पीढ़ी के लोगों को साम्यवाद के सिद्धान्त से अवगत कराने तथा उसके प्रति निष्ठा जगाने के लिए एक संगठन स्थापित किया गया। उसे सोवियत संघमें कमसोमोल* कहते हैं। नवयुवक संगठनको नवयुवक कम्युनिस्ट लीग भी कहते हैं। सारे यूनियन की एक आधारभूत संस्था है। सारे यूनियन भर में करीब २ दो लाख शाखाएँ हैं—प्रत्येक शाखा को सल भी कहते हैं। इसकी शाखा कारखानों, माध्यमिक स्कूलों, विश्वविद्यालयों, और सामूहिक फार्मों तक विस्तृत है। करीब पचास लाख सदस्य कम्युनिस्ट युवक संघ में हैं। सदस्यता पुरुष और स्त्री सभी के लिए है। पन्द्रह वर्ष से लेकर तीस वर्ष की उम्र तक के लोग युवक-संघ में सम्मिलित होते हैं। कम्युनिस्ट या गैर कम्युनिस्ट सभी परिवारों से लड़के लड़कियाँ संघ में लिये जाते हैं। गैर-कम्युनिस्ट परिवार के लोगों के लिए कमसोमोल के दो सदस्यों के हस्ताक्षर से जिनकी सदस्यता कम से कम दो वर्ष पुरानी है एक आवेदन पत्र देना होगा और एक

नवयुकों का संगठन

* Comsomol | All Union Communist League of youth.

वर्ष तक प्रोबेसन के रूप में कार्य करना होगा। उसके बाद युवक-संघ की सदस्यता प्राप्त होती है। पार्टी के अनुशासन की अपेक्षा युवक-संघ का अनुशासन उतनी कड़ाई के साथ वर्ता नहीं जाता। फिर भी संघ के अनुशासन के लिए पर्याप्त नियम हैं और उनकी अवहेलना पर लोगों का निष्कासन हो जाता है। इस संघ का प्रधान उद्देश्य युवकों और युवतियों को साम्यवाद के सिद्धान्त और कार्यक्रम की जानकारी कराना है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि तीस वर्ष की उम्र के बाद लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो जायँगे या कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता युवक-संघ की सदस्यता पर ही निर्भर करती है। परन्तु यह विश्वास किया जा सकता है कि वह दिन भी आयगा कि नियमानुसार कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य वही व्यक्ति होगा जो युवक-संघ का सदस्य रह चुका है। युवक-संघ के सदस्यों का प्रधान कर्तव्य स्वाध्याय है। पर गत बीस वर्षोंके अन्दर युवक-संघ ने बहुत बड़े कार्य किये हैं। बड़े निर्माण कार्यों में सहयोग, अशिक्षित वोटरों को शिक्षा देना, हवाई जहाज चालक की शिक्षा देना, बड़े-बड़े शहरों में गृहविहीन और अवारे बच्चोंको पकड़ना और उन्हें अनुशासन के अन्दर लाना और नये कार्यों तथा नवयुवकों की संस्थाओं के लिए नेतृवृन्द तैयार करना इस तरह के कार्य संघ के द्वारा होते हैं। इसके बाद नवयुवकों का दूसरा संगठन है जिसमें दस वर्ष से लेकर सोलह वर्ष की उम्र के लड़के आते हैं। इन्हें प्रारम्भिक या 'पायनियरस'* कहते हैं। इनकी संख्या करीब साठ लाख है। तीसरा संगठन उन बच्चों का है जिनकी उम्र आठ से दस वर्ष की है। इन्हें लघु अक्टूबरिष्ट † कहते हैं। पुराने रूसी कलेण्डर के हिसाब से बोलशेविक क्रान्ति अक्टूबर १९१७ में हुई थी। उसी अक्टूबर क्रान्ति की स्मृति में छोटे बच्चे के संगठन को लघु अक्टूबरिष्ट के नाम से पुकारते हैं। इन छोटे बच्चों के संगठनों में प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। किसी भी नये या पुराने वर्ग के बच्चे लिये जाते हैं। कोमसोमोल में ही अधिक साम्यवादी सिद्धान्त के प्रचार, सामाजिक उपयोगी श्रम की आदत डालना तथा प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है। मास्को सरकार १९३७ में बनाये गये नियम के अनुसार

---

* Pioneers † Little Octoberist

सभी बच्चों को पूर्व सैनिक शिक्षा में लाने तथा बच्चों की रेजिमेन्ट बनाने की योजना चला रही है।

पार्टी का संगठन "लोकतांत्रिक केन्द्रीयता" ※ के सिद्धान्त पर आधारित है। इस सिद्धान्त के अनुसार चार मुख्य बातें हैं। (१) छोटे और बड़े सभी पार्टी के कर्मचारियों तथा अंगों का चुनाव (२) उपयुक्त पार्टी में संगठनों के प्रति निर्वाचित कर्मचारियों और पार्टी के अंगों का उत्तरदायित्व (३) अल्प संख्यकों की बहुसंख्यकों के प्रति पूर्णरूप से अधीनता और पार्टी अनुशासन की मान्यता (४) उच्चतर पार्टी संगठनों के अन्तर्गत और अधीनस्थ संस्थाओं के द्वारा इनके निर्णयों और आदेशों का पालन। पार्टी संगठन के सबसे छोटी इकाई में कम से कम तीन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो किसी कारखाने खान, सेना की रेजिमेन्ट, स्टोर, दफ्तर, विश्वविद्यालय, ग्राम, स्कूल और सामूहिक फार्म पर बनायी जा सकती है। यों तो प्रत्येक विभाग में तथा बड़े कारखानों के एक-एक विभाग में एक इकाई का संगठन होता है जिसका कार्य पार्टी के हितों का ध्यान रखना और अपने क्षेत्र में जितने लोगों से सम्पर्क है उसमें पार्टी की नीति और सिद्धान्त का प्रचार करना है। इन्हें पहले 'सेलस' † कहते थे पर अब सरकारी तौर पर इसे 'प्रारम्भिक पार्टी संस्था' ‡ कहते हैं। प्रारम्भिक पार्टी संगठन की संख्या करीब-करीब एक लाख पैंतीस हजार है और बड़े संगठनों में सेक्रेटरी तथा कमेटियों का चुनाव होता है। इनसे ऊपर जितनी कमेटियां या कांग्रेस हैं वे सभी निर्वाचित है। अतः सिद्धान्त के अनुसार पार्टी की संस्थाएँ प्रतिनिधिमूलक हैं। प्राइमरी संस्थाओं के द्वारा चुने हुए डेलीगेट (प्रतिनिधि) नगर और ग्रामीण जिलों के पार्टी कमेटियों का निर्माण करते हैं।। नगर और जिला कमेटियां प्रान्तों या प्रादेशिक कमेटियों के लिए डेलीगेट चुनती हैं। ये डेलीगेट प्रान्तीय कमेटियों को बनाते हैं। प्रान्तीय कमेटियों के द्वारा निर्वाचित डेलीगेट यूनियन के प्रत्येक जनतंत्र ⁑ की पार्टी कांग्रेस का निर्माण करते हैं। जनतंत्र की कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित डेलीगेट सर्व यूनियन

पार्टी का संगठन

※ Democratic Centralism

† Cells ‡ Primary party organs. ⁑ Republics

कांग्रेस का निर्माण करते हैं। उत्तरदायित्व और नियंत्रण का तार ऊपर से नीचे की तरफ है जो बिल्कुल शृंखलाबद्ध है। ऊपर को प्रत्येक संस्था अपने ठीक नीचे की संस्थाओं के द्वारा निर्वाचित होती है और अपने अधिकृत संस्थाओं के ऊपर पूरा अधिकार रखती है। पार्टी के सिद्धान्तों और नियमों के प्रतिकूल उनके किसी भी कार्य को संशोधित करने तथा अस्वीकार करने का अधिकार ऊपर वाली संस्थाओं को है।

सर्व यूनियन कांग्रेस ही पार्टी के या पार्टी के लिए बड़े २ महत्वपूर्ण निश्चयों के लिए उत्तरदायी है। यों तो सिद्धान्त की दृष्टि से नीचे की संस्थाओं की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व यूनियन कांग्रेस करती है। पर व्यवहार में सर्व-यूनियन कांग्रेस बड़े विषयों पर या सैद्धान्तिक प्रश्नोंपर निर्णय करती है और वह निर्णय सर्व मान्य होता है। पार्टी का सारा संगठन पिरामिड की तरह है। पिरामिड के शिखर पर सर्व-यूनियन कांग्रेस है। यह कांग्रेस पार्टी के नियमों के अनुसार तीन वर्ष में एक बार होती है। पार्टी के लिए यूनियन कांग्रेस ही सर्वोच्च अधिकारी संस्था है। इसे यूनियन की पार्टी संस्थाओं के रिपोर्टों को सुनने और स्वीकार करने का तथा पार्टी के कार्यक्रम और नियमों को संशोधित करने और पुनर्विचार करने का अधिकार है। इस कांग्रेस में करीब करीब दो हजार से अधिक डेलीगेट आते हैं। प्रत्येक डेलीगेट के साथ स्थानापन्न डेलीगेट भी रहते हैं। इस तरह की बड़ी सभा में किसी प्रश्न पर वाद-विवाद या पार्लमेण्टरी ढंग के विचार नहीं हो सकते। अतः कांग्रेस की बैठक में निश्चित प्रस्ताव ही प्रस्तुत किये जाते हैं। इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करके कांग्रेस अपने निश्चय करती है।

सर्व-यूनियन कांग्रेस

सर्वयूनियन कांग्रेस तीन प्रधान पार्टी के अधिकारियों का निर्माण करती है। सबसे प्रमुख और प्रथम संस्था केन्द्रीय समिति है। इसमें सत्तर सदस्य होते हैं और अड़सठ स्थानापन्न सदस्य भी रखे जाते हैं। यह केन्द्रीय समिति कांग्रेस की बैठकों के अन्तरिम समय में पार्टी के सभी कार्यों का निर्देश करती है। कांग्रेस की बैठकें बहुत कम होती हैं और अब तो और कम होने लगी हैं। कांग्रेस तो जो कुछ उसके समक्ष प्रस्तुत होता

केन्द्रीय समिति और इसकी सहायक संस्थाएं

है उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। केन्द्रीय समिति की इतनी धाक और उसका इतना विश्वास है कि उसके सारे कार्य और प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत हो जाते हैं। कांग्रेस की अपेक्षा केन्द्रीय समिति ही सर्वोच्च पार्टी अधिकारी है। परन्तु यह समिति भी प्रायः लगातार कार्य नहीं करती। नियम के अनुसार चार महीने में एक बार ही इसकी बैठक होनी चाहिये। अतः समिति की अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए दस व्यक्तियों की छोटी सी समिति है जिसे राजनीतिक ब्यूरो या पॉलित-ब्यूरो * कहते हैं। इस समिति का निर्वाचन केन्द्रीय समिति गुप्त मतदान के द्वारा करती है। सबसे प्रधान और प्रमुख यही समिति है। इसी समिति के चेयरमैन १९२४ तक लेनिन थे और उनकी मृत्यु के बाद स्टालिन हैं। व्यवहार में स्टालिन ही पॉलित-ब्यूरो के दस सदस्योंको मनोनीत करते हैं जिन्हें "धानिक दृष्टि से केन्द्रीय समिति चुनती है। एक दूसरी समिति का निर्वाचन केन्द्रीय समिति के द्वारा होता है जिसका नाम संगठन-ब्यूरो † है। इसमें भी दस ही सदस्य होते हैं। स्टालिन ही इन सदस्यों को भी मनोनीत करते हैं और केन्द्रीय समिति चुनती है। संगठन-ब्यूरो का काम पार्टी की सभी संस्थाओं का निरीक्षण तथा पार्टी के कार्यक्रम का प्रचार और नये सदस्यों की भर्ती का नियंत्रण है।

एक तीसरी संस्था जो केन्द्रीय समिति चुनती है वह है—चार सदस्यों का सचिवालय ‡। १९२२ से ही सचिवालय के प्रधान स्टालिन हैं। स्टालिन पार्टी के सेक्रेटरी जेनरल भी हैं।

१९३० में पार्टी की सर्व-यूनियन कांग्रेस की सत्रहवीं बैठक के निर्णय के अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समिति के अतिरिक्त बाइस सदस्यों की एक निरीक्षण समिति () और एकसठ सदस्योंका पार्टी नियंत्रण कमिसन§ नियुक्त करती है। निरीक्षण समिति का कार्य केन्द्रीय पार्टी संस्थाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण पार्टी संस्थाओं के आय-व्यय का निरीक्षण करना है। नियंत्रण कमिसन

पार्टी नियंत्रण कमिसन

* Polit Bureau or Politi cal Bureau † Org bureaw
‡ Secretariat. () Auditing Committee
§ Party Control Commission

पार्टी की आत्मा या चेतावना का सामूहिक रक्षक है *। कमिसन पार्टी के सदस्यों की लिस्ट सुरक्षित रखता है। समितियों की बैठकों का निरीक्षण पर्यवेक्षक† के द्वारा करता है। पार्टी के सन्देहात्मक या अभक्त सदस्यों को परीक्षा के लिए बुलाता है। १९३४ से यह कमिसन राज्य की सभी संस्थाओं और कार्यों के निरीक्षण में सोवियत नियंत्रण कमिसन के साथ सहयोग करता है। यह सम्बन्ध प्रमाणित करता है कि सोवियत नियंत्रण कमिसन एक सरकारी संस्था होते हुए भी किस तरह शासन करने वाली पार्टी के अधीन कार्य कर रहा है। सोवियत नियंत्रण कमिसन के सदस्य पार्टी कांग्रेस के द्वारा मनोनीत होते हैं। इस तरह शासन पर पार्टी का पूर्ण नियंत्रण है।

तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय या कोमिनटर्न

दुनियाँ में शायद ही कोई ऐसा देश है जहाँ कम्यूनिस्ट पार्टी न हो। विभिन्न राज्यों और उपनिवेशों की करीब पैंसठ कम्युनिस्ट पार्टियाँ एक संघ में सम्मिलित थीं जिसे तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय या कोमिनटर्न कहते हैं। इस संगठन के विधान के द्वारा सारा अधिकार पांच सौ सदस्यों की एक जागतिक कांग्रेस के आधीन रहती है। इस संस्था का छठा अधिवेशन १९३५में हुआ था। कांग्रेस के एक अधिवेशन के बाद दूसरे अधिवेशन तक के अन्तरिम समय में एक प्रबन्ध कारिणी समिति कार्य करती है जिसमें ४६ सदस्य थे और जिसका एकमात्र आदर्श सभी सम्भव साधनोंसे जिसमें हिंसात्मक पद्धति सम्मिलित है—अन्तर्राष्ट्रीय मध्यमवर्गसे अधिकारण-अपहरण करके सोवियत जनतंत्र की स्थापना करना था। इस महासंस्था में सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी भी एक सदस्य और अंग थी। अन्य सदस्यों की तरह सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना सदस्य शुल्क देती रही है। यद्यपि मतदान की दृष्टिसे यह पार्टी अल्पमत में ही थी पर अन्य दृष्टियों से तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय में इसका स्थान महत्त्वपूर्ण है। मास्कोमें ही इस संस्था का प्रधान केन्द्र और कार्यालय था। इस जागतिक कांग्रेस के सभी निर्णय सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी तथा

---

* Collective Keeper of the party Conscience.

† Observer

अन्य पार्टी सदस्यों के ऊपर समान रूप से लागू किये जाते थे। सर्व-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी और तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय में बहुत घनिष्ठ आंगिक सम्बन्ध रहा है। निश्चय ही दोनों संस्थाओं में एक ही व्यक्ति का अन्तरागमन नहीं था फिर भी स्टालिन कोमिनटर्न की प्रबन्धकारिणी के बहुत दिनों तक सदस्य रहे हैं। पर जो हो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय की एक इकाई रही है।

कोमिनटर्न और सोवियत सरकार में क्या सम्बन्ध है?

क्या सोवियत सरकार कोमिनटर्न के हाथ में है। या सोवियत सरकार के हाथ में कोमिनटर्न है? इस प्रश्न पर बहुत वाद-विवाद है। सोवियत सरकार की काफी समालोचनाएँ हुई हैं कि तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय को सोवियत देश की छत्र-छाया में रहकर कार्य करने का अवसर प्राप्त है। सोवियत सरकार इस महासंस्था को आर्थिक सहायता के द्वारा पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। दोनों में समान व्यक्ति पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। कोमिनटर्न की तरह सोवियत सरकार भी दुनियां की क्रान्ति में विश्वास करती है और उसी तरह आचरण करती है।

इन समालोचनाओं के प्रत्युत्तर में मास्को का निम्नलिखित जवाब है—(१) जो लोकतांत्रिक राज्य अपने राज्य की सीमा के भीतर कम्युनिस्ट पार्टियों को कार्य करने की स्वीकृति देते हैं, उन्हें सोवियत यूनियन की समालोचना करने का कोई कारण उपस्थित नहीं है कि क्यों सोवियत यूनियन अपने यहाँ सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के सम्मिलित प्रधान कार्यालय को प्रोत्साहित करता है। (२) सोवियत पार्टी उसी तरह अपनी सदस्यता का शुल्क देती है जिस तरह अन्य देश की कम्युनिस्ट पार्टियाँ देती हैं। और सोवियत सरकार कोई भी आर्थिक सहायता कोमिनटर्न को नहीं देती। (३) जिस तरह रैमजे मैकडोनाल्ड दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय के पदाधिकारी थे उसी तरह स्टालिन भी तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के पदाधिकारी हो सकते हैं। (४) अन्वेक्षण से यह प्रकट हो जायगा कि बहुत बार कोमिनटर्न और सोवियत सरकार की नीति में मतभेद रहे हैं जैसे केलाग पैक्ट को सोवियत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की परन्तु

कोमिनटर्न ने इसकी तीव्र आलोचना की थी। (५) १९३५ की तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के अधिवेशन में हुए वाद-विवाद तथा निर्णय इस बात के प्रर्याप्त प्रमाण हैं कि कोमिनटर्न का ढंग पहले की अपेक्षा नरम या उदार और समझौता की तरफ है। (६) सोवित सरकार एक पृथक् वस्तु है और कोमिनटर्न उससे अलग है।

फिर भी वस्तुस्थिति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। सिद्धान्त और विवाद समस्याओं को सुलझाते नहीं। इतना तो सर्वमान्य है कि सर्व-यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी का अत्यधिक प्रभाव कोमिनटर्न की संस्थाओं और विचारों में रहता है और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत सरकार के नियंत्रण और संगठन में सर्व प्रधान दल है इस तरह अप्रत्यक्ष ही सही पर निकट का सम्बन्ध सोवियत सरकार और कोमिनटर्न में है। यदि पार्टी को कोमिनटर्न के निर्णय मान्य हैं और पार्टी के द्वारा सरकार संचालित होती है—तो कोमिनटर्न का प्रभाव सोवियत सरकार पर अवश्य पड़ता है। पुनः जब सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी कोमिनटर्न के निर्णयों को प्रभावित करती है—और वही पार्टी सोवियत सरकार का संचालन करती है—तो किस तरह एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण और प्रभाव डालते होंगे सहज में ही सुबोध और सुगम्य है। हर तरह से सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी का प्रभाव सर्वोपरि है।

सोवियत सरकार, सोवियत देश की कम्युनिस्ट पार्टी, और कोमिनटर्न में बहुत साम्य है—प्रधानतः इनके आदर्श समान हैं। भेद तो कार्य के साधन और गति में है।

व्यवहारिक कारणों से सोवियत सरकार पूंजीवादी राष्ट्रों से कार्यकारी सम्बन्ध ही रखती है पर उसका अपना आन्तरिक क्रान्तकारी आदर्श तो अडिग ही है।

विधान के ये मौलिक नियम सन् १९३६ में पास हुए थे।

———

समाज का संगठन

सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र-संघ श्रमिकों और किसानों का एक समाजवादी राज्य है।

सर्वहारा अधिनायकतंत्र की स्थापना तथा पूँजीपतियों और जमींदारों के अधिकार-पतन से श्रमिकजनों के प्रतिनिधियों की सोवियतों का विकास हुआ और उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। श्रमिकजनों के प्रतिनिधियों की सोवियतें सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ के राजनीतिक आधार हैं।

सोवियत संघ में सारा अधिकार नगर और गांवों के श्रमिकजनों का है जो श्रमिक जनों के प्रतिनिधियों की सोवियतों में संगठित हैं।

मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण, उत्पादन के यंत्रों तथा साधनों पर निजी स्वामित्व तथा पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था समाप्त करके उत्पादन के यंत्रों और साधनों पर समाजवादी स्वामित्व तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की पूर्णतः स्थापना हुई है जो कि सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ का आर्थिक आधार है।

सोवियत संघ में समाजवादी सम्पत्ति, राज्य सम्पत्ति, या कोआपरेटिव और कलेकटिव (समष्टि) फार्म सम्पत्ति के रूप में है।

राज्य सम्पत्ति का अर्थ—सारी जनता का स्वामित्व।

कलेकटिव फार्म—सामूहिक फार्म की सम्पत्ति।

कोआपरेटिव—सहकारिता सभाओं की सम्पत्ति।

यूनियन के विधान की छठी धारा के अनुसार जमीन, प्राकृतिक धरोहरें (खानें) जल, जंगल, मिलें, कारखाने, खानें, रेल, जल और आकाश का यातायात, बैंक, पोस्ट, टेलीग्राफ, वार्तावहन, टेलीफोन, राज्य की तरफ से संगठित कृषि सम्बन्धी व्यवस्था (राज्य के फार्म, मशीनरी और ट्रैक्टर स्टेशन

इत्यादि) म्युनिसिपल व्यवसाय तथा शहरों के अत्यधिक मकान, व्यवसायिक स्थान ये सभी राज्य की सम्पत्ति हैं अर्थात इनपर सारी जनता का अधिकार है।

कलेकटिव फार्म (सामूहिक फार्म) और कोआपरेटिव संगठनों में पबलिक व्यवस्थायें (Enterprises) जिनमें उनके पशु, हथियार, सामूहिक फार्म तथा सहकारिता संस्थाओं की उपज, तथा उनके रहने के सामान्य निवास स्थान—ये सभी कलेकटिव फार्म और सहकारिता संस्थाओं की सामान्य रूप से समाजवादी सम्पत्ति है।

कलेकटिव फार्म के प्रत्येक परिवार के पास कलेकटिव फार्म व्यवसाय से होनेवाली सामान्य आधारभूत आय के अतिरिक्त निजी प्रयोग के लिए एक छोटा सा भूखण्ड होता है और उसमें छोटी सी खेती, रहने का गृह, पशु, मुर्गी-व्यवसाय तथा छोटे छोटे कृषि-सम्बन्धी हथियार व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में रहता है।

कलेकटिव फार्म वाली जमीन लोगों को बिना किसी कर (टक्स) के दी जाती है और वह उन्हें बराबर के लिए प्राप्त है।

समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ जो सोवियत संघ में प्रधान आर्थिक व्यवस्था के रूप में है, व्यक्तिगत किसानों की छोटी निजी आर्थिक व्यवस्था तथा हस्तकौशल पर आधारित निजी श्रम जिसमें दूसरों के श्रम का शोषण नहीं है कानून के द्वारा मान्य है।

नागरिकों का निजी सम्पत्ति का अधिकार अपनी आमदनी और खर्च के कार्यों से बचत पर, वासस्थान और सहायक-गृह व्यवसाय पर, घरेलू व्यवस्था की वस्तुओं पर, निजी प्रयोग और सुविधा की वस्तुओं पर तथा निजी सम्पत्ति का उत्तराधिकार, कानून के द्वारा सुरक्षित है।

राज्य की राष्ट्रीय आर्थिक योजना के अनुसार जन-सम्पत्ति की वृद्धि, श्रमिक-जन के भौतिक और सांस्कृतिक स्तर को क्रमशः ऊँचा उठाने, सोवियत संघ की स्वतंत्रता को संघटित करने तथा इसकी रक्षात्मक शक्ति की वृद्धि के दृष्टिकोण से सोवियत संघ का आर्थिक जीवन निर्देशित और निश्चित होता है।

सोवियत संघ में प्रत्येक योग्य शरीर वाले व्यक्ति के लिए काम करना कर्त्तव्य और मान का प्रश्न है—जो इस सिद्धान्त के अनुकूल है कि—जो काम नहीं करेगा, वह नहीं खायेगा।

सोवियत संघ में समाजवाद का जो सिद्धान्त प्रयोग किया जाता है—प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार से, "प्रत्येक को अपने कार्य के आधार पर"

"From each according to his abrility to each according to his work."

राज्य का संघटन

सोवियत सोसलिस्ट रिपब्लिक्स यूनियन (सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ) एक संघ राज्य है। समान अधिकार वाले सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रों के ऐच्छिक आधार पर निर्मित यह संघ है।

इसमें सोलह प्रजातंत्र हैं—

रूसी सोवियत संघीय समाजवादी प्रजातंत्र
यूक्रेन की सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र
ब्यीलोरूसी सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
अजरबैजां सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
जौर्जियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
आर्मेनियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
तुर्कमेन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
उजबेक सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
ताजिक सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
कजाख सोवियत समादवादी प्रजातंत्र
किरगिज सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र
करेलो फिनिश सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र
मोलडेवियन सोवियत समाजवादी प्रजातन्त्र
लिथूनियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र
लटवियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र

एस्थोनियन सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र

यूनियन सरकार का कार्य-क्षेत्र और अधिकार निम्नलिखित विषयों पर है–

यूनियन सरकार का कार्यक्षेत्र

१—यूनियन का अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में प्रतिनिधित्व तथा दूसरे राज्यों के साथ सन्धि करना और उसे स्वीकार करना।

२—युद्ध और शान्ति के प्रश्न।

३—यूनियन में नये प्रजातंत्रों को सम्मिलित करना।

४—यूनियन के विधान-प्रयोग पर नियंत्रण तथा यूनियन विधान के साथ यूनियन के विभिन्न प्रजातंत्रों के विधानों की साम्यता और अनुरूपता को निश्चित करना।

५—यूनियन के प्रजातंत्रों की सीमाओं के परिवर्तनों की स्वीकृति देना।

६—यूनियन के प्रजातंत्रों में नये अर्द्ध-स्वतंत्र प्रजातंत्रों तथा नये जनपदों और प्रदेशों के निर्माण की स्वीकृति।

७—यूनियन की रक्षा का संगठन तथा यूनियन की सेनाओंका प्रबन्ध।

८—राज्य की मनपली (monopoly एकाधिकार) के आधार पर विदेशी व्यवसाय का प्रबन्ध।

९—राज्य की सुरक्षा (security) का प्रयत्न।

१०—यूनियन की राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं की व्यवस्था।

११—यूनियनके एक राजकीय बजट (आय-व्यय का अनुमान पत्र) तथा आय और कर जो कि यूनियन के विभिन्न प्रजातन्त्रों और स्थानीय शासनों को जाते हैं, उसकी स्वीकृति।

१२—बैंकों, व्यवसायिक और कृषि सम्बन्धी व्यवस्थाएँ तथा सारे यूनियन से सम्बद्ध व्यापारिक और अन्य व्यवस्थाएँ।

१३—ट्रांसपोर्ट और यातायात के साधनों की शासन-व्यवस्था।

१४—मुद्रा और क्रेडिट व्यवस्था (credit system) का प्रबन्ध।

१५—राजकीय (state) इनश्योरेन्स का संगठन।

१६—ऋण प्राप्त करना तथा देना।

१७—जमीन, खानों, जंगलों तथा जल के प्रयोग और व्यवहार के लिए बुनियादी सिद्धान्तों की व्यवस्था।

१८—शिक्षा और जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तों की व्यवस्था।

१९—राष्ट्रीय आर्थिक आंकड़े (statistics) की एक सामान्य पद्धति का संघटन।

२०—श्रम कानूनों के सिद्धान्तों की व्यवस्था।

२१—न्याय-पद्धति तथा न्याय-विधि पर कानून फौजदारी और दीवानी अदालतों की कार्य-विधि।

२२—यूनियन की नागरिकता से सम्बन्ध रखने वाले कानून तथा विदेशियों के अधिकार सम्बन्धी कानून।

२३—सारे यूनियन में क्षमा प्रदान की आज्ञा (acts of amne-ty)।

यूनियन की सत्ता उपर्युक्त दिये गये विषयों तक ही सीमित है। इन विषयों को छोड़ कर अन्य विषयों पर प्रत्येक प्रजातन्त्र स्वतन्त्र रूप से अपना राजकीय अधिकार प्रयोग करता है। यूनियन सरकार यूनियन राज्यकी सत्ता के अधिकारों की रक्षा करती है।

प्रत्येक प्रजातन्त्र का अपना अपना विधान ह जो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है। उनका विधान यूनियन के विधान के अनुकूल पूर्ण रूप से बना हुआ है।

संघ से पृथक होने का अधिकार

विधान की सत्रहवीं धारा के अनुसार प्रत्येक प्रजातंत्र को यूनियन से पृथक् होने का पूर्णरूप से अधिकार प्राप्त है। परन्तु इस धारा का केवल वैधानिक महत्व है। प्रत्येक प्रजातंत्र सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र है। सारे यूनियन में केवल एक ही राजनीतिक दल है। वह कम्युनिस्ट पार्टी है। दूसरी कोई पार्टी नहीं है। इसलिए पृथक होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनियन के प्रजातन्त्रों की सीमा उनकी स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं हो सकती।

यूनियन के द्वारा बनाये गये कानून सारे यूनियन में एक तरह बर्ते जाते हैं। प्रत्येक प्रजातन्त्र में समान रूप से यूनियन कानून लागू होता है।

यदि यूनियन के किसी कानून के साथ यूनियन के किसी प्रजातन्त्र का कानून संघर्ष में आवे तो ऐसी हालत में यूनियन का कानून सर्वमान्य होगा।

यूनियन के सभी नागरिकों के लिए यूनियन की एक नागरिकता लागू होती है। यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्र के प्रत्येक नागरिक यूनियन के (सारे सोवियत संघ) नागरिक हैं।

यूनियन (सोवियत संघ) के सर्वोच्च राज्य-अधिकारी

यूनियन की राज्यसत्ता की सर्वोच्च संस्था यूनियन (सोवियत संघ) की सर्वोच्च सोवियत (सुप्रीम सोवियत) है।

सम्पूर्ण यूनियन की पार्लमेंएट या व्यवस्थापक-मण्डल यूनियन की सर्वोच्च सोवियत उन सभी अधिकारों का प्रयोग करती है जो विधान की चौदहवीं धारा के अनुसार यूनियन (सोवियत संघ) को प्राप्त हैं, बशर्ते कि विधान के द्वारा वे अधिकार यूनियन की शासकीय संस्थाओं जो सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं अर्थात् यूनियन की प्रेज़िडियम, यूनियन की लोक (peoples) कमिसारों की काउन्सिल तथा यूनियन की लोक कमिसरियट के कार्य-क्षेत्र में न आते हों।

यूनियन (सोवियत संघ) के व्यवस्थापन (कानून सम्बन्धी) अधिकार केवल यूनियन की सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त हैं।

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत में दो सभाएं हैं। १—यूनियन सोवियत (Soviet of the Union) २—राष्ट्रजाति सोवियत (Soviet of Nationalities)

यूनियन सोवियतका निर्वाचन यूनियन सोवियत ३००.००० जनसंख्या के लिए एक डिपुटी के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों से यूनियन के नागरिकों के द्वारा चुनी जाती है।

राष्ट्रजाति सोवियत का निर्वाचन यूनियन के प्रजातंत्रों, अर्द्ध-स्वतंत्र (autonomous) प्रजातन्त्रों अर्द्ध-स्वतंत्र प्रदेशों तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों के द्वारा प्रत्येक प्रजातंत्र से, पचीस आटोनोमस प्रजातंत्र से ग्यारह, आटोनोमस प्रदेशों से पाँच, और प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र से एक डिपुटी के आधार पर होता है।

दोनों सभाओं में एक नागरिकों का तथा दूसरी विभिन्न राष्ट्रीय जातियों तथा जातियों का प्रतिनिधित्व करती है।

कार्यकाल यूनियन की सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन चार वर्ष के लिए होता है। दोनों सभाओं कार्यकाल एक ही है।

समान अधिकार यूनियन की दोनों सभाओं को अर्थात् यूनियन सोवियत तथा राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय-वर्ग सोवियत के अधिकार समान हैं। दोनों सभाओं अर्थात् यूनियन सोवियत तथा राष्ट्रीयवर्ग सोवियत को समान रूप से किसी भी कानून के प्रारम्भ या पेश करने का अधिकार प्राप्त है।

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं के द्वारा प्रत्येक सभा के साधारण बहुमत से स्वीकृत बिल कानून हो जाता है।

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा पास किये गये कानून यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्रकी भाषा में यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम के अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर से प्रकाशित होता है।

सेसन (अधिवेशन) यूनियन सोवियत तथा राष्ट्रीयवर्ग सोवियत दोनों सभाओं की बैठकें एक साथ प्रारम्भ तथा एक साथ समाप्त होती हैं।

यूनियन सोवितका चेयरमैन यूनियनसोवियत यूनियन सोवियतके लिए एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुनती है।

राष्ट्रीयवर्ग सोवितका चेयरमैन राष्ट्रीय वर्ग सोवियत राष्ट्रीय-वर्ग सोवियत की बैठकों के लिए एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुनती है।

यूनियन सोवियत और राष्ट्रीय-वर्ग सोवियत के अध्यक्ष अपनी अपनी सभाओं की बैठकों में अध्यक्ष का काम करते हैं और इन सभाओं की कार्यविधि का संचालन करते हैं।

सयुंक्त बैठक यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठकों में क्रम से यूनियन सोवियत तथा राष्ट्रीयवर्ग सोवियत के अध्यक्ष अध्यक्षका काम करते हैं।

बैठकों का बुलाना यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की बैठकें यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम के द्वारा वर्ष में दो बार बुलायी जाती हैं। विशेष बैठकें प्रेजिडियम के द्वारा अपने विवेक के अनुसार अथवा यूनियन के किसी एक प्रजातंत्र की मांग पर बुलायी जाती हैं।

दोनों सभाओं का मतभेद निवारण यूनियन सोवियत और राष्ट्रीय-वर्ग सोवियत के आपसी मतभेद पर, वह प्रश्न दोनों के द्वारा समान आधार पर निर्मित एक निर्णायक कमिसन (Conciliation Commission) को निर्णय करने के लिए सिपुर्द किया जाता है। यदि निर्णायक कमिसन किसी एक समझौता पर नहीं पहुँच सकता या इसका निर्णय किसी एक सभा को मान्य नहीं हुआ तब वह प्रश्न दुबारा सभाओं के द्वारा विचार किया जाता है। इसके बाद भी दोनों सभाओं में समझौता न हो सके तो यूनियन के सर्वोच्च सोवियत का प्रेजिडियम सर्वोच्च सोवियत को भंग कर देगा और नव-निर्वाचन की आज्ञा घोषित करेगा।

दोनों सभाएँ क्रेडेनसियल कमिसन अलग अलग चुनती हैं जो प्रत्येक सभा के सभी सदस्यों के प्रमाण का परीक्षण करती हैं। क्रेडेनसियल कमिसन के निर्णयों पर सभाएँ सदस्यों के प्रमाणपत्र (Credentials) को स्वीकार करती या डिपुटियों के निर्वाचन को रद करती हैं।

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत जब आवश्यकता समझती है तब किसी विषय पर छानबीन करने के लिए इनक्वायरी और इनवेसटिगेसन कमिसन नियुक्त करती है। सभी संस्थाओं और राज्य-कर्मचारियों का कर्तव्य हो जाता है कि कमिसन की मांगों को पूरा करें और आवश्यक वस्तुएं तथा कागज-पत्री कमिसन को अर्पित कर दें।

व्यवस्थापक सदस्योंके कैद न होनेकी स्वतंत्रता यूनियन की सर्वोच्च सोवियत का कोई सदस्य सर्वोच्च सोवियत की स्वीकृतिके बिना कैद नहीं होसकता और न अभियोग चलाया जा सकता है। जब यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की बैठकें न होती हों तो यूनियनके प्रेज़ि-डियम की स्वीकृति के बिना कोई सदस्य न कैद

हो सकता और न उसपर अभियोग चलाया जा सकता है।

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर या इसके कार्यकाल समाप्त होनेके पूर्व ही भंग हो जाने पर यूनियन की सर्वोच्च सोवियत का प्रेज़िडियम यूनियन की नव-निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत द्वारा यूनियन के प्रेज़िडियम की नियुक्ति तक अपना अधिकार रखता है।

सभाओंके भंग होनेपर प्रेज़िडियमका अधिकार नये प्रेज़िडियम की नियुक्ति तक

दोनों सभाओं के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर या कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग हो जाने पर यूनियन का प्रेज़िडियम कार्यकाल समाप्त होने पर या भंग होने के बाद अधिक से अधिक दो महीने के भीतर ही नये निर्वाचन की घोषणा करेगा।

निर्वाचनके बाद नयी सर्वोच्च सोवियत की बैठक पुराने प्रेज़िडियम (जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है) के द्वारा एक महीने के भीतर बुलायी जायगी।

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में यूनियन की सरकार की नियुक्ति होती है, जिसका नाम यूनियन की लोक (पिपुल्स) कमिसारों की काउन्सिल है।

यूनियन की सरकार की नियुक्ति (५६वीं धारा)

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रेज़िडियम का निर्वाचन होता है। प्रेज़िडियम में प्रेज़िडियम का एक अध्यक्ष, सोलह उपाध्यक्ष, एक मन्त्री तथा प्रेज़िडियम के चौबीस सदस्य होते हैं।

४८वीं धारा प्रेज़िडियम का निर्वाचन (निर्माण)

यूनियन की सर्वोच्च सोवियत का प्रेज़िडियम सर्वोच्च सोवियत के प्रति अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

यूनियन के प्रेज़िडियम के निम्नलिखित कार्य हैं।

४९वीं धारा प्रेज़िडियम के कार्य

१—यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की बैठकें बुलाना।

२—यूनियन के जो कानून जारी हो चुके हैं, उनका अर्थ निश्चित करता है तथा आज्ञाएँ या डिक्री (आदेश) (decrees) जारी करता है।

३—यूनियन विधान की ४७वीं धारा के अनुसार यूनियन की सर्वोच्च सोवियत को भंग करने का अधिकार तथा नव-निर्वाचन की घोषणा का अधिकार।

४—अपने विवेक (इनसियेटिव) पर रेफरेनड्स (जनता का मत लेना) का प्रबन्ध करना या यूनियन के किसी प्रजातंत्र की मांग पर जनता के मत लेने का प्रबन्ध करना।

५—यदि कानून के अनुकूल न हों तो यूनियन की पिप्लस कमिसारों की काउन्सिल तथा यूनियन के किसी प्रजातंत्र की पिप्लस कमिसारों की काउंसिल के निर्णय और आज्ञाओं को रद करना।

६—यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की बैठकों के अन्तिम समय में यूनियन के पिप्लस कमिसरों को यूनियन पिप्लस कमिसारों की काउन्सिल के चेयरमैन की सिफारिश पर पद-मुक्त करना तथा नियुक्त करना जिन्हें बाद में यूनियन की सर्वोच्च सोवियत को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

७—डेकोरेसन्स् देना तथा यूनियन की गौरव‡उपाधि वितरण करना।

८—क्षमा के अधिकार का प्रयोग करना।

९—यूनियन की शस्त्र सेना के ऊँचे अधिकारियों की नियुक्ति तथा पद-मुक्त करना।

१०—यूनियन की सर्वोच्च सोवियत की बैठकों के अन्तरिम समय में यूनियन के ऊपर सशस्त्र आक्रमण होने पर 'युद्ध की परिस्थिति (state of war) घोषित करना या जब कभी आवश्यकता हो अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार किसी आक्रमण के विरोध में एक दूसरे की रक्षा की प्रतिज्ञा को पूरा करना।

११—पूर्ण या आंशिक रूप से सैनिक-सेवा ॐ के लिए नागरिकों के लिए आज्ञा जारी करना।

१२—अन्तर्राष्ट्रीय संधियों की स्वीकृति देना।

‡ Titles of Honour ॐ Mobilization

१३—विदेशी राष्ट्रों के यहाँ यूनियन के प्लेनिपोटेनसियरी प्रतिनिधियों की नियुक्ति और उन्हें वापस बुलाना।

१४—विदेशी राष्ट्रों के द्वारा भेजे गये राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण-पत्र तथा प्रत्यावर्तन पत्रों को लेना।

१५—यूनियन की रक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था और शान्ति के हित में सम्पूर्ण यूनियन में अथवा भिन्न प्रदेशों या स्थानों में फौजी कानून (Martiallaw) घोषित करना।

सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ की सरकार

(Government of the U. S. S. R.)

पिप्लसकमिसारों की काउन्सिल

सोवियत सोसलिस्ट प्रजातंत्रों की यूनियन के राज्य-अधिकारी की सबसे बड़ी शासकीय संस्था या अंग यूनियन की पिप्लस कमिसारों की काउन्सिल है। यह काउन्सिल पार्लमेण्टरी देशों के मंत्रि-मण्डल या कैबिनेट की तरह है। यह काउन्सिल यूनियन की कार्यकारिणी या शासन-परिषद है।

पिप्लस् कमिसार की यह काउन्सिल यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है तथा सर्वोच्च सोवियत की बैठकों के अन्तरिम समय में यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रजिडियम के प्रति उत्तरदायी है।

काउन्सिल का कार्य

जो कानून कार्यान्वित हो रहे हैं उनके आधार पर काउन्सिल अपने निर्णयों तथा आज्ञाओं को जारी करती है तथा उन कानूनों के प्रयोग और व्यवहार के ऊपर निरीक्षण रखती है। काउन्सिल के निर्णय और उसकी आज्ञाएँ यूनियन भर में सर्वत्र एक समान मान्य हैं। यूनियन विधान की ६८ वीं धारा के अनुसार काउन्सिल के निम्नलिखित कानूनी कार्य हैं।

१—सारे यूनियन तथा प्रत्येक प्रजातंत्र के पिप्लस कमिसरियटों के कार्य तथा उनके शासन के अन्तर्गत अन्य संस्थाओं, आर्थिक तथा सांस्कृतिक—सभी को निर्देश करना तथा समन्वय करना।

२—राष्ट्रीय आर्थिक योजना और राजकीय बजट के अनुसार कार्य करने के लिए तथा साख (Credit) और मुद्रा पद्धति (monetary system) को दृढ़ करने के लिए नियम बनाना और प्रबन्ध करना।

३—सार्वजनिक शान्ति और सुव्यवस्था की रक्षा के लिए नियम और कार्य करना तथा राज्य के हितों की रक्षा और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना।

४—विदेशी राष्ट्रों के सम्बन्धों में साधारण निर्देश रखना तथा करना।

५—सैनिक सेवा के लिए नागरिकों की वार्षिक संख्या निश्चित करना तथा देश की शस्त्र सेना के विकास और सम्यक् संघटन की व्यवस्था करना।

६—आर्थिक, सांस्कृतिक तथा रक्षात्मक संघटन और विकास के लिए पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन और विशेष समितियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति करना।

प्रत्येक प्रजातंत्र की पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल की आज्ञा और निर्णय तथा यूनियन के पिपूलस कमिसारों की सूचनाएँ या आदेशों को यूनियन की पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल को स्थगित करने का अधिकार होगा जो ६८ वीं धारा के अनुसार यूनियन के क्षेत्र में आनेवाले आर्थिक तथा शासन सम्बन्धी विषयों से सम्बन्ध रखते हैं।

यूनियन की पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा नियुक्त होती है और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं।

१—यूनियन के पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल के चेयरमैन।

२—यूनियन के पिपूलस कमिसारों की काउन्सिल के वाइस-चेयरमेन।

३—यूनियन के राज्ययोजना कमिसन (State Planning Commission) के चेयरमैन।

४—सोवियत कन्ट्रोल कमिसन के चेयरमैन।

५—यूनियन के पिपूलस कमिसार।

६—आर्टस कमिटी के चेयरमैन।

७—हायर एजुकेशन (ऊच शिक्षा) कमेटी के चेयरमैन।

८—स्टेट बैंक के बोर्ड के चेयरमैन।

यूनियन की सरकार या किसी एक पिपुलसकमिसार (मंत्री) से यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के किसी सदस्य के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर लिखित या मौखिक जिस सभा का प्रश्न हो उसमें अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर देना होगा।

प्रश्न पूछने और उत्तर देने का अधिकार

यूनियन की पिपुलस् कमिसारों को यूनियन के क्षेत्र में आनेवाले राज्य-शासन के सभी कार्यों का निर्देश तथा प्रबन्ध करना पड़ता है।

पिपुलस् कमिसारों का कार्य

यूनियन की पिपुलस् कमिसारों को प्रत्येक पिपुलस कमिसरियट के क्षेत्र की सीमा के भीतर प्रचलित कानूनों के आधार पर तथा यूनियन की पिपुलस कमिसारों की काउन्सिलके निर्णयों और आज्ञाओं के आधार पर आदेश और निर्देश करने का अधिकार है और कानूनों और आज्ञाओं की कार्यवाही पर निरीक्षण करने का अधिकार है।

सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र यूनियन के पिपुलस कमिसरियट से सारे यूनियन या यूनियन के प्रजातंत्र कमिसरियटों से मतलब है।

सारे यूनियन के पिपुलस कमिसरियट को प्रत्यक्षतः या स्वयं नियुक्त लोगों के द्वारा सारे यूनियन भर में राज्य के शासन के भिन्न-भिन्न अंगों का संचालन करना होता है।

इसी तरह यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्र के पिपुलस् कमिसरियटों को नियमतः प्रजातंत्र के शासन के भिन्न-भिन्न अगों का संचालन करना पड़ता है। वे प्रत्यक्षतः योजनाओं सम्बन्धी व्यवस्था में उन्हीं कार्यों को करते हैं जो कि एक सम्पूर्ण यूनियन की सर्वोच्च सोवियत के प्रेजिडियम द्वारा स्वीकृत एक लिस्ट में दी हुई हो।

सम्पूर्ण यूनियन की पिपुलस् कमिसरियट में पचीस विभाग हैं।

प्रत्येक प्रजातंत्र के पिपुलस् कमिसरियट में सोलह विभाग हैं।

यूनियन के प्रजातंत्रों में राज्य अधिकारीके रूप में सबसे बड़ी संस्था

यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्र की राज्य सत्ता की सब से बड़ी संस्था प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत है।

संघ की इकाई— अर्थात् प्रजातंत्रोंकी व्यवस्थापक सभा

संघ की प्रत्येक इकाई या उपांग भी एक-एक प्रजातंत्र हैं। संघ के ये अभिन्न अंग हैं। इनका विधान अलग है और संघ के विधान के स्वरूप ही है। जिस तरह सम्पूर्ण यूनियन की पार्लमेण्ट है जिसे यूनियन की सर्वोच्च सोवियत कहते हैं उसी तरह यूनियन के प्रत्येक प्रजातंत्र म अलग-अलग व्यवस्थापक-सभा है। उन्हें भी उस प्रजातत्र की सर्वोच्च सोवियत कहते हैं।

प्रत्येक प्रजातंत्र में एक ही सभा होती है। संघ में दो सभाएँ हैं।

प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल चार वर्ष का होता है।

कार्यकाल

सभा में प्रतिनिधित्व का आधार प्रजातंत्र के विधान के द्वारा होता है।

प्रत्येक प्रजातंत्र के लिए उस प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत ही एक मात्र पूर्णरूपेन व्यवस्थापक-सभा है।

व्यवस्थापक सभाका कार्य

प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत १—अपने प्रजातंत्र के विधान को स्वीकृत करती है तथा यूनियन के विधान की १६ वीं धारा के अनुकूल संशोधन कर सकती है। २—अर्द्ध-स्वतंत्र (autonom

ous) प्रजातंत्र (जो प्रजातंत्र का एक भाग होता है) के विधान को स्वीकृत करती है और इनकी सीमा को निश्चित करती है।

३—प्रजातंत्र के आय-व्यय-अनुमान पत्र तथा राष्ट्रीय-आर्थिक योजना को स्वीकार करती है।

४—प्रजातंत्र के न्यायालय के द्वारा दण्डित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान तथा मुक्त करने के अधिकार को प्रयोग करती है।

५—अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में यूनियन-प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व स्थापित करना।

प्रत्येक प्रजातंत्र के प्रेज़िडियम की नियुक्ति

प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत प्रजातंत्र के लिए प्रेज़िडियम को चुनती है जिसमें प्रेज़िडियम का एक अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष, एक मंत्री तथा कुछ सदस्य होते हैं।

प्रत्येक प्रजातंत्र के प्रेजिडियम के अधिकार प्रजातंत्र के विधान के द्वारा निश्चित रहते हैं।

प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत अपनी बैठकों की अध्यक्षता के लिए एक चेयरमैन और कुछ उपाध्यक्ष को चुनती है।

प्रत्येक प्रजातंत्र के शासक मण्डल की नियुक्ति

प्रत्येक प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत अपने प्रजातंत्र की सरकार की नियुक्ति करती है जिसे प्रजातन्त्र के पिपल्स् कमिसारों की काउन्सिल कहते हैं।

———

यूनियन के प्रजातंत्रों की सरकार

यूनियन के प्रत्येक प्रजातन्त्र में पिप्लस् कमिसारों की काउन्सिल सब से बड़ी शासन करनेवाली संस्था है। यह काउन्सिल मंत्रि-मण्डल या शासन-परिषद के रूप में कार्य करती है। इसकी नियुक्ति या निर्वाचन प्रत्येक प्रजातन्त्र की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा होती है और सर्वोच्च सोवियत के प्रति कार्यों के लिए उत्तरदायी है। काउन्सिल में निम्नाङ्कित सदस्य होते हैं—

१—उस प्रजातन्त्र के पिप्लस् कमिसारों की काउन्सिल के चेयरमैन।

२—वाइस-चेयरमैन।

३—राज्य योजना कमिशन के चेयरमैन।

४—विभिन्न विभागों के पिप्लस् कमिसार के एक्कीस विभाग विधान में किये गये हैं।

५—आर्टस् ऐंड मिनिसट्रेसन के प्रधान।

६—सम्पूर्ण यूनियन के पिप्लस् कमिसारों के प्रतिनिधि।

नोट—पिप्लस् कमिसार का अर्थ मंत्री से है जो इंग्लैण्ड और अमेरिका में सेक्रेटरी-आफ-स्टेट कहे जाते हैं।

ये मंत्री अपने प्रजातन्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत शासन के प्रत्येक अंग के लिए उत्तरदायी हैं और उसका प्रबन्ध करते हैं। यूनियन के तथा प्रजातन्त्र के प्रचलित कानूनों और यूनियन की पिप्लस कमिसारों की काउन्सिल, प्रजातन्त्र की कमिसारों की काउन्सिल तथा यूनियन की पिप्लस कमिसारों की सूचनाएँ तथा आदेश के आधार पर प्रजातन्त्र के मंत्रिगण आज्ञा या आदेश जारी करते हैं। प्रत्येक प्रजातन्त्र की पिप्लस कमिसरियट अपने अधीनस्थ विभागों का प्रबन्ध करते हैं—तथा यूनियन के पिप्लस कमिसरियट से सम्बन्ध रखने वाले विभागों के लिए तथा प्रजातन्त्र की पिप्लस कमिसरियट की काउन्सिल के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

अर्द्ध-स्वतन्त्र प्रजातंत्रों का विधान

अर्द्ध-स्वतंत्र प्रजातन्त्र वे प्रजातंत्र हैं जो पूर्ण रूप से स्वतन्त्र प्रजातंत्र नहीं हैं। संघ में कुछ ऐसे प्रजातंत्र हैं जिनमें कुछ क्षेत्र अपनी विशेष संस्कृति, भाषा, अथवा अन्य विशेषताओं के कारण एक प्रादेशिक स्वतन्त्र इकाई के रूप में संगठित कर दिये गये हैं। परन्तु ये प्रादेशिक स्वतंत्र क्षेत्र संघ की इकाई नहीं हैं। किसी प्रजातंत्र के ही अंग हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि संघ के स्वतंत्र पूर्ण रूप से पृथक अंग के रूप में आ सकें। अतः उन्हें प्रादेशिक स्वतंत्रता देकर किसी प्रजातंत्र के भाग के रूप में ही रखा गया है।

इस तरह के अर्द्ध-स्वतंत्र प्रजातंत्र की एक व्यवस्थापक सभा होती है। उस प्रादेशिक स्वतंत्र प्रजातन्त्र की अपनी सर्वोच्च सोवियत है। यह सर्वोच्च सोवियत उस अर्द्ध-स्वतंत्र प्रजातंत्र की व्यवस्थापक-सभा है।

सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन उस प्रजातंत्र के नागरिकों के द्वारा होता है। इसका कार्य काल चार वर्ष का होता है। इस तरह प्रत्येक प्रादेशिक स्वतन्त्रता प्राप्त प्रजातन्त्र के अपने विधान हैं। उन विधानों में उन प्रदेशों की विशेषताओं का ध्यान रखा गया है। उन प्रादेशिक स्वतन्त्र प्रजातन्त्रों के विधान यूनियन के प्रजातन्त्रों के विधान के अनुकूल होते हैं।

उस आटोनोमस प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत अपने यहाँ के प्रेजिडियम और पिपुल्स कमिसार की काउन्सिल को अपने विधान के अनुसार निर्वाचित और नियुक्त करती है।

स्थानीय संस्थाओं का संघटन

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जनपद, निश्चित क्षेत्र (Regions) स्वतंत्र क्षेत्र (autonomous regions), क्षेत्र, जिले, शहर तथा ग्रामीण स्थानीय

क्षेत्र जिसमें ग्राम इत्यादि(Stanitsas,villages,hamlets, Kishlaks and auls हैं, कहे जाते हैं। इन स्थानोंका शासन-प्रबन्ध श्रमिकजनों के सदस्यों की सोवियत (Soviets of working peoples. deputies) के द्वारा होता है। श्रमिकजनोंके सदस्यों की सोवियत का निर्वाचन प्रत्येक स्थान के श्रमिकजन के द्वारा दो वर्ष के लिए होता है। सोवियत में प्रतिनिधित्व का आधार प्रत्येक प्रजातंत्र के विधान से निश्चित रहता है। स्थानीय सोवियत अपने अधीनस्थ कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अपने-अपने क्षेत्र में शान्ति-सुव्यवस्था का प्रबन्ध स्थानीय सोवियतों के ऊपर है। स्थानीय आय-व्यय का अनुमानपत्र निश्चित करना, स्थानीय आर्थिक तथा सांस्कृतिक संघटनों और विकासों का प्रबन्ध करना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नियम और कानूनों का पालन कराना इत्यादि इनके मुख्य कार्य हैं।

ये स्थानीय सोवियत अपने कार्य-क्षेत्र के भीतर तथा अपने अधिकार के अनुसार निर्णय करती हैं और आदेश देती हैं।

स्थानीय सोवियत अपने शासन तथा प्रबन्ध की देख-रेख के लिए एक प्रबन्ध-समिति नियुक्त करती है। प्रबन्ध-समिति में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एक मंत्री और कुछ सदस्य होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा एक मंत्री ही होते हैं। प्रबन्ध-समिति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारी उन सोवियतों के प्रति उत्तरदायी होते हैं जिनके द्वारा उनका निर्वाचन होता है।

———

यूनियन का न्यायालय

सोवियत संघ में न्याय करने के लिए निम्नलिखित न्यायालयों की स्थापना है—सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय, यूनियन के प्रजातंत्रों का सर्वोच्च न्यायालय, जनपदों, प्रदेशों, अर्द्ध-स्वतंत्र प्रजातंत्रों तथा अर्द्ध-स्वतंत्र प्रदेशों के न्यायालय, यूनियन के सर्वोच्च सोवियत के द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय और जनता के न्यायालय।

कानून के अन्तर्गत कुछ मुकदमों को छोड़ कर सभी न्यायालयों में जनता के असेसरों की सहायता से मुकदमों का फैसला होता है।

सोवियत संघ का सर्वोच्च न्यायालय सब से बड़ा न्यायालय है। सोवियत संघ तथा संघ के प्रजातंत्रों के जितने न्यायालय हैं, सबके न्याय सम्बन्धी कार्यों की देखरेख तथा निरीक्षण सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा पाँच वर्ष के लिए सोवियत संघ के सर्वोच्च न्यायालय तथा विशेष न्यायालयों का निर्वाचन होता है।

संघ के प्रजातंत्रों की सर्वोच्च सोवियत प्रजातंत्र के सर्वोच्च न्यायालयों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए करती है।

आटोनोमस प्रजातंत्र की सर्वोच्च सोवियत आटोनोमस प्रजातंत्र के सर्वोच्च न्यायालयों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए करती है।

जनपदों, प्रदेशों तथा अर्द्ध स्वतन्त्र प्रदेशों के श्रमिकजनों के डिपुटियों की सोवियत के द्वारा इन जनपदों, प्रदेशों तथा अर्द्ध-स्वतंत्र प्रदेशों के न्यायालयों का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए होता है।

जनता के न्यायालयों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए वयस्क, समान तथा गुप्त मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक जिला के नागरिकों के द्वारा होता है।

न्यायालयों की कारवाई प्रजातंत्रों, प्रदेशों, क्षेत्रों, राष्ट्रीय क्षेत्रों या अर्द्ध-स्वतंत्र प्रदेशों और प्रजातंत्रों की भाषाओं में होता है। जो व्यक्ति जिस स्थान की भाषा नहीं जानता और उसके मुकदमे की सुनवाई उस स्थान में हो रही हो तो उसे दोभाषिये (Interpreter) के द्वारा मुकदमे की कारवाई जानने तथा अपनी भाषा के प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है।

कानून के अन्तर्गत आनेवाले मुकदमे जिनके लिए विशेष नियम बने हुए हैं, उनके अतिरिक्त सभी मुकदमे सोवियत संघ के न्यायालयों में प्रकट रूप से सुने जाते हैं और अभियुक्त को अपने मुकदमे की पैरवी करने का अधिकार है।

न्यायाधीश स्वतंत्र हैं और केवल कानून के प्रति ही उत्तरदायी हैं।

सोवियत संघ के नागरिकों तथा पदाधिकारियों, सभी मंत्रियों तथा उनके अन्तर्गत सभी संस्थाओं के द्वारा कानून के अनुसार आचरण के ऊपर सर्वोच्च निरीक्षण का अधिकार सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जेनरल को प्राप्त है। सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के द्वारा सात वर्ष के लिए सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर जेनरल की नियुक्ति होता है।

प्रजातंत्रों, जनपदों, प्रदेशों, अर्द्ध-स्वतंत्र प्रजातंत्रों तथा प्रदेशों के प्रोक्यूरेटर-जेनरलों की नियुक्ति सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जेनरल के द्वारा पाँच वर्ष के लिए होती है।

प्रदेशों, जिला और शहर के प्रोक्यूरेटरों की नियुक्ति संघ के विभिन्न प्रजातंत्रों के प्रोक्यूरेटरों के द्वारा सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर-जेनरल की स्वीकृति पर पाँच वर्ष के लिए होती है।

प्रोक्यूरेटर के आफिस तथा उसके विभिन्न अंग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तथा किसी भी स्थानीय संस्थाओं के अन्तर्गत और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। वे केवल सोवियतसंघ के प्रोक्यूरेटर-जेनरल के अधीन हैं।

नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य

सोवियत संघ के नागरिकों को कार्य करने का अधिकार है—अर्थात् कार्य की प्राप्ति तथा कार्य के परिमाण और कोटि (Quality)

११९ वीं धारा — के अनुसार श्रमफल का अधिकार सुरक्षित है। राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समाजवादी संगठन, सोवियत समाज की उत्पादन-शक्तियों का क्रमशः विकास, आर्थिक संकटों की संभावना का लोप तथा बेकारी के उन्मूलन के द्वारा कार्य करने का अधिकार निश्चित रूप से सुरक्षित है।

सोवियत संघ के नागरिकों को आराम और अवकाश का अधिकार है। आराम और अवकाश का अधिकार निम्नलिखित रूपों

१२०वीं धारा — से सुरक्षित है—पुतलीघरों (Factories) और आफिस (दफ्तरों) में आठ घन्टे काम करने का नियम, परिश्रम वाले व्यवसायों में केवल सात या छः घन्टे काम करके तथा दूकानों में जहाँ विशेष कर परिश्रम का काम रहता है केवल चार घन्टे काम करके, पुतलीघरों तथा दफ्तरों में काम करने वालों को पूरे वेतन पर वार्षिक छुट्टियों का नियम बनाकर, सैनेटोरियम (क्षयगृह) की स्थापना करके तथा श्रमिकजनों के लिए आराम गृह तथा क्लबों के प्रबन्ध के द्वारा नागरिकों के आराम और अवकाश का अधिकार सुरक्षित है।

सोवियत यूनियनके नागरिकोंको शिक्षा का अधिकार है। यह अधिकार सार्वजनीन अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

१२१वीं धारा — के द्वारा सुरक्षित है—जिसमें निःशुल्क उच्चतर शिक्षा सम्मिलित है, बहुसंख्यक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में सरकारी स्कालरशिप देकर शिक्षित करना, स्कूलों में प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम के द्वारा शिक्षा देना और फैक्टरियों, राज्य के फार्मों, मशीन और ट्रैक्टर स्टेशनों, स्वतंत्र विशेष और टेकनिकल सामूहिक फार्मों तथा श्रमिकजनों की कृषि की ट्रेनिंग के द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध है।

१२२वीं धारा सोवियत यूनियन में स्त्रियों को पुरुषों के साथ आर्थिक, राज्यसम्बन्धी, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त हैं।

कोई किसी जाति और राष्ट्रीय-वर्ग का क्यों न हो—आर्थिक, सरकारी, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तथा अन्य जन कार्यों सम्बन्धी सभी क्षेत्रों में सोवियत संघ के नागरिकों का समान अधिकार कानून के द्वारा अमिट रूप से सुरक्षित है।

१२३वीं धारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षतः अधिकारों में किसी तरह की रुकावट या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जाति या राष्ट्रीयता के कारण नागरिकों के लिए विशेषाधिकारों की स्थापना तथा किसी तरह का जातीय या राष्ट्रीय पार्थक्य, घृणा और निन्दा का प्रतिपादन कानून के द्वारा दण्डनीय है।

नागरिकों के लिए विश्वास की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए सोवियत संघ में चर्च राज्य से तथा स्कूल चर्च से पृथक कर दिया गया है। धार्मिक पूजन की स्वतंत्रता तथा धर्म-विरुद्ध प्रचार करनेकी स्वतंत्रता सभी नागरिकोंके लिए मान्य है।

१२४वीं धारा

समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा श्रमिकजनों के हितों के अनुरूप सोवियत संघ के नागरिकों के द्वारा— क—भाषण की स्वतंत्रता (Freedom of speech) ख—प्रकाशन की स्वतंत्रता (Freedom of press) ग—संगठन की स्वतन्त्रता जिसमें जनता की सभाएँ भी सम्मिलित हैं–(Freedom of Assembly,including the holding of mass meetings) घ—सड़कों पर जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने की स्वतन्त्रता—(Freedom of street processions and demonstrations)

१२५वीं धारा

श्रमिकजनों तथा उनके संघटनों के लिए छापने वाले प्रेस, कागज, पबलिक गृह, सड़कें, यातायात की सुविधाएँ तथा इन अधिकारों के प्रयोग के लिए अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके इन नागरिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है।

श्रमिकजन के हितों के अनुरूप तथा जनता के राजनीतिक कार्यों और

संघटन करने की शक्ति को विकसित करने के लिए—

१२६वीं धारा सोवियत संघ के नागरिकों को सार्वजनिक संगठनों में—जैसे ट्रेडयूनियनों, सहकारिता संघों, युवक संगठनों व्यायाम और रक्षात्मक संगठनों, सांस्कृतिक, टेकनिकल और वैज्ञानिक संघों में सम्मिलित होने का अधिकार स्वीकृत है और श्रमिकवर्ग में बहुत ही क्रियाशील और राजनीतिक चेतना प्राप्त नागरिक और श्रमिकजन में दूसरे वर्ग के लोग—सोवियत संघ के कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होते हैं, जो कि समाजवादी व्यवस्था को विकसित तथा सुदृढ़ करने के संघर्ष में श्रमिकजनों का अभिमुख है और राज्य तथा जनता सम्बन्धी श्रमिकजन के सभी संगठनों का अगुआ है।

सोवियत संघ के नागरिकों को व्यक्ति की रक्षा का अधिकार प्राप्त है। अर्थात् कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता,

१२७ वीं धारा किसी तरह मान भंग नहीं कर सकता। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पवित्रता अधिकार के द्वारा स्वीकृत है। कोई व्यक्ति बिना किसी न्यायालय के निर्णय तथा प्रोक्युरेटर की स्वीकृति के कैद नहीं हो सकता।

१२८ वीं धारा नागरिकों के गृहों की पवित्रता और पत्र-व्यवहार को गुप्त रखने का अधिकार कानून के द्वारा सुरक्षित है।

सोवियत संघ विदेशी नागरिकों को जो श्रमिकजन के हितों की रक्षा में दण्डित किये गये हों या वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी

१२९ वीं धारा कार्यों या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में दण्डित किये गये हों, उन्हें अपने यहाँ शरण देता है और यह कानून के द्वारा अधिकार प्राप्त है।

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे सोवियत संघ के विधान के अनुसार कार्य करें, कानूनों को मानें,

१३० वीं धारा श्रम की शिष्टता को सुरक्षित रखें, सार्वजनिक कर्तव्यों को ईमानदारी से करें और समाजवादी व्यवहार के नियमों का आदर करें।

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सार्वजनिक
समाजवादी सम्पत्ति को समाजवादी व्यवस्था का अटूट और
१३१ वीं धारा पवित्र आधार मानते हुए उसे देश के लिए सम्पत्ति और
शक्ति का साधन तथा सभी श्रमिकजनों की समृद्धि और
संस्कृति का भी साधन समझकर उसे सुरक्षित रखें और उसकी रक्षा करें।

सार्वजनिक समाजवादी सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध करनेवाले व्यक्ति जनता के शत्रु हैं।

सभी वयस्कों के लिए सैनिक सेवा कानून के द्वारा अनिवार्य है। सोवियत
१३२ वीं धारा संघ की शस्त्र सेना में सैनिक सेवा सोवियत संघ के
नागरिकों के लिए गौरवपूर्ण कर्तव्य है।

सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक का देश की रक्षा करना पवित्र कर्तव्य है।
मातृभूमि के प्रति विश्वासघात करनेवाले, राज-भक्ति
१३३ वीं धारा की शपथ को तोड़नेवाले, शत्रुओं की तरफ भाग जाने-
वाले, राज्य का सैनिक शक्ति को क्षति पहुँचाने वाले,
तथा देश के विरुद्ध गुप्तचर का काम करने वाले के लिए कानून के अनुसार
अधिकाधिक घृणित अपराध समझ कर कठिन से कठिन दण्ड की व्यवस्था है।

निर्वाचन-पद्धति

सोवियत यूनियन में जितनी सोवियतें हैं उनके सभी सदस्य गुप्त मतदान
से प्रत्यक्ष तथा समान वयस्क मताधिकार के आधार
१३४ वीं धारा पर निर्वाचकों के द्वारा चुने जाते हैं। सोवियतों में
यूनियन की सर्वोच्च सोवियत से लेकर गाँव, हैमलेट,
किशलाक और आउल सभी छोटे और बड़े सोवियत सम्मिलित हैं।

प्रत्येक नागरिक जिसकी अवस्था अठारह वर्ष की हो चुकी है और वह
किसी भी जाति या राष्ट्रीयवर्ग, धर्म, शिक्षा तथा
१३५ वीं धारा निवास स्थान की योग्यता, सामाजिक स्थान, जन्म,
धनका स्तर या भूत काल में किसी तरह का कार्य या
राजनीतिक विचार का रहा हो—वोट देने का और स्वयं भी चुने जाने का
अधिकार रखती है। पागल, या न्यायालय के द्वारा दण्डित या निर्वाचन

अधिकारों से वंचित व्यक्ति वोट नहीं दे सकते और न उम्मीदवार हो सकते हैं।

१३६ वीं धारा — डिपुटियों का निर्वाचन समान आधार पर होता है। प्रत्येक नागरिक को केवल एक वोट प्राप्त है और सभी नागरिक निर्वाचन में समान आधार पर भाग लेते हैं।

१३७ वीं धारा — स्त्रियों को निर्वाचनका अधिकार है और पुरुषों के साथ निर्वाचित होने का समान अधिकार है।

१३८ वीं धारा — लाल सेना में काम करने वाले नागरिकों को निर्वाचन का अधिकार प्राप्त है और दूसरे नागरिकों के साथ समान आधार पर निर्वाचित होने का अधिकार है।

१३९ वीं धारा — डिपटियों (प्रतिनिधियों) का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। गाँव और शहर की सभी सोवियत से लेकर सर्वोच्च सोवियत का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्वीकृत है।

१४० वीं धारा — प्रतिनिधियों (डिपुटि लोगों) का निर्वाचन गुप्त मतदान के द्वारा होता है।

१४१ वीं धारा — निर्वाचन-क्षेत्र के अनुसार उम्मीदवारों को मनोनीत करने का सिद्धान्त है। जनता की संस्थाएँ, श्रमिकों के संघटित समूह कम्युनिस्ट पार्टी संगठन, ट्रेड यूनियन, सहकारी नव-युवक संघटन और सांस्कृतिक संगठनों को उम्मीदवारों के मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है।

१४२वीं धारा — प्रत्येक डिपुटी का कर्त्तव्य है कि वह अपने कार्यके विषयमें अपने निर्वाचकों को और श्रमिक जनों के डिपुटियों की सोवियतके कार्यपर रिपोर्ट दें। कोई भी डिपुटी निर्वाचकों के बहुमत के निर्णय पर नियम के अनुसार वापस बुलाया जा सकता है।

शस्त्र, पताका और राजधानी

१४३वीं धारा — सोवियत यूनियन का शस्त्र हँसिया और हथौड़ा है जो सूर्य की किरणों में चित्रित दुनियां के चित्र पर अंकित होता है और नाज की बालियों से घिरा रहता है, जिस पर निम्नलिखित शब्द रहते हैं—"दुनियां के सभी

देशों के मजदूरो, एक हो।" आर्मस् की चोटी पर पांच तीर वाला स्टार होता है।

१४४ वीं धारा सोवियत यूनियन की राज्य-पताका लाल कपड़े की होती है जिस पर स्वर्ण में पताका के एक कोने पर हँसिया और हथौड़ा और उसके ऊपर एक पांच तीर वाला स्टार बना होता है।

१४५ वीं धारा सोवियत यूनियन की राजधानी मास्को में है।

विधान में संशोधन

१४६ वीं धारा सोवियत यूनियन का विधान सोवियत यूनियनकी सर्वोच्च सोवियत के निर्णय के द्वारा हो सकता है। संशोधन के लिए प्रत्येक सभाका (सर्वोच्च सोवियतकी दोनों सभाओं) का पृथक पृथक् बहुमतके द्वारा होना चाहिये।

१९४४ में विधान में संशोधन हुआ है।

१८वीं धारा में 'अ' और 'ब' दो उपधाराएँ जोड़ी गयी हैं।

१८ (अ)—सोवियत संघ के प्रत्येक प्रजातन्त्र को विदेशी राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने और समझौता करने का अधिकार है; तथा कूटनीतिक और कनसुलर प्रतिनिधियों के नियुक्त करने का अधिकार है।

१८ (ब)—प्रत्येक प्रजातन्त्र को अपने पृथक् प्रजातंत्र का सैनिक संगठन करने का अधिकार है।

———

आलोचनात्मक विचार

१९३६ के संशोधित विधान के अनुसार सोवियत यूनियन एक पूर्ण और समाजवादी तथा साम्यवादी लोकतन्त्र है। जहाँ तक विधान का प्रश्न है वहाँ तक सोवियत यूनियन की तरह लोकतांत्रिक विधान कहीं नहीं है। सोवियत यूनियन की सर्वोच्च सोवियत में दो सभाएँ हैं—यूनियन सोवियत और राष्ट्रजाति की सोवियत। यूनियन सोवियत के लिए तीन लाख जनता पर एक डिपुटी (प्रतिनिधि) का निर्वाचन होता है। यूनियन सोवियत के सदस्यों की संख्या बारह सौ है। इसी तरह राष्ट्र जाति की सोवियत में छः सौ सदस्य हैं। राष्ट्र जाति की सोवियत का निर्माण सोवियत यूनियन की विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों, धार्मिक समुदायों तथा भाषा सम्बन्धी प्रादेशिक समुदायों के प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। दोनों सभाओं के समान अधिकार हैं। दोनों की बैठकें एक साथ प्रारम्भ होती हैं और एक ही साथ समाप्त होती हैं। सर्वोच्च सोवियत की बैठक वर्ष में दो बार होती है। सर्वोच्च सोवियत प्रेजिडियम तथा मंत्रि-मंडल की नियुक्ति करता है। सोवियत यूनियन की सर्वोच्च सोवियत से लेकर प्रान्तीय, स्थानीय, तथा ग्रामीण सोवियतों का निर्वाचन अठारह वर्ष के ऊपर सभी व्यक्तियों के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। १९३६ के विधान के अनुसार उन सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार मिल गया है जिन्हें मतदान के अधिकार से वंचित किया गया था।

क्या सोवियत यूनियन लोकतन्त्र है?

सोवियत यूनियन का विधान बिलकुल समाजवादी और साम्यवादी लोकतन्त्र के आधार पर बना है। समाज विभिन्न हित या स्वार्थ वाले वर्गोंमें विभाजित नहीं है। श्रमिक वर्ग, किसान तथा बुद्धिजीवी यही तीन वर्ग सोवियत यूनियनके नागरिक हैं। तीनोंका ध्येय एक ही है। कोई

एक ही राजनीतिक दल का अधिकार

वर्ग एक दूसरे का शोषक नहीं है, किसी का स्वार्थ किसी से टकराता नहीं। अतः आर्थिक आधारपर भिन्न पार्टियोंके लिए कोई भी गुंजाइश सोवियत यूनियन में नहीं है। आर्थिक समस्याओं की विभिन्नता के कारण राजनीतिक भेद उत्पन्न होता है। आधुनिक राजनीति का आधार आर्थिक समस्याएँ हैं। अतः आर्थिक आधार पर भेद की अनुपस्थिति में राजनीतिक भेद उत्पन्न होने की बात ही नहीं उठती। फिर भी सोवियत प्रणाली की यह एक विशेषता है कि वह विभिन्न राजनीतिक दलों की व्यवस्था में विश्वास नहीं करता। इङ्गलैंड में अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में दो राजनीतिक दल थे परन्तु बीसवीं सदी में तीन राजनीतिक दल हो गये। परन्तु पार्टियों के लिए यह आवश्यक है कि वे वैधानिक ढंग से कार्य करने में विश्वास करें तथा विधान के मौलिक नियमों का पालन करें। तभी इङ्गलैंड की तरह दो राजनीतिक दलों से व्यवस्थित शासन चल सकता है। परन्तु इङ्गलैंड और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर बहुत से ऐसे प्रमुख राष्ट्र हैं जहाँ अनेक राजनीतिक दलों का आविर्भाव हुआ। छोटे छोटे अनेक दलों के कारण जर्मनी तथा फ्रांस में स्थायी सरकारों का निर्माण नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दो दलों—रिपबलिकन और डेमोक्रैटिक में कोई विशेष भेद नहीं है। जिन भेदों को लेकर ये दल कायम हुए थे वे भेद तो समाप्त हो गये। अब तो केवल सामाजिक समस्याओं को लेकर निर्वाचनों के समय दोनों दलों में भेद हो जाता है। अन्यथा दोनों दलों में कोई मौलिक अन्तर नहीं रह गया है। दक्षिणी अमेरिका, एशिया में मध्य पूर्व, चीन, यूरोप के नये राष्ट्र इन सब में उपयुक्त दो राजनीतिक दलों का विकास नहीं हो सका। इसी कारण से पार्लमेण्टरी लोकतन्त्र विफल रहा।

इस तरह लोकतन्त्र के लिए विभिन्न तथा अनेक पार्टियों के रहने से स्थायी सरकार का निर्माण नहीं हो सकता। यह भी प्रश्न उन्हीं देशों के लिए है जहाँ पार्लमेण्टरी पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण होता है। यदि स्विस् पद्धति की सरकार हो तो ऐसी अवस्था में दो दलों की अनिवार्यता नहीं है। पर स्विस् पद्धति का शासन-मण्डल स्विस् देश की परिस्थिति और

उसके राष्ट्रीय चरित्र और आचरण के कारण स्थायी है। फ्रांस जैसे देशमें जहाँ प्रमुख सात या आठ दल हैं, स्विस् पद्धति का शासन-मण्डल नहीं चल सकता। मंत्रियों में इतना भेद हो जायगा और इतनी खींचातानी होगी कि शासन के ठप हो जाने की आशंका अधिक है। विभिन्न दलों का एक शासन निर्माण करके शासन को चलाना सरल नहीं है। शासन के लिए एक मौलिक एकता में विश्वास, एक समान कार्यक्रम की एकता तथा एक राजनीतिक शिष्टता तथा विनय की आवश्यकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि लोकतन्त्र के लिए विभिन्न दलों का रहना अनिवार्य नहीं है।

सोवियत यूनियन की विभिन्न सोवियतों में ऐसे भी सदस्य खड़े होते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं। ट्रेड यूनियन (व्यापार संघ) मजदूर संघ, कोआपरेटिव सोसाइटी (सहकारी समिति), कलेक्टिव फार्म्स (सामूहिक फार्म) तथा कला, विज्ञान और ज्ञान सम्बन्धी संघों के द्वारा सदस्य मनोनीत किये जाते हैं। ग्राम, नगर, जिला तथा प्रान्तीय सोवियतों में बहुत से ऐसे सदस्य रहते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं हैं। सैकड़ों सोवियतों में ऐसे ही सदस्यों का बहुमत है। सोवियत विधान के नियम के द्वारा विभिन्न तरह के संघों को अपने-अपने पृथक् और स्वतन्त्र प्रतिनिधियों के मनोनीत करने का अधिकार है।

एक दलीय प्रणाली के दोषों को दूर करने के लिए रेफरेन्डम, इनिसियेटिव तथा रिकाल की प्रथा चलायी जा सकती है। स्विट्जरलैण्ड तथा संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के कतिपय राज्यों में इन प्रणालियों का प्रयोग हुआ है। पर अनुभव यही बतलाता है कि जनता ने अपने वोट के द्वारा जनता की उपयोगी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया है। अतः इन प्रणालियों के द्वारा जनता का राज्य स्थापित हो सकेगा सन्देहात्मक है। छोटे-छोटे देशों में ये प्रणालियाँ अधिकतर कारगर हो सकती हैं या अधिकाधिक सफलता पूर्वक प्रयोग में लायी जा सकती हैं। बड़े बड़े देशों में इनका प्रयोग अधिक सफल न हो सकेगा। किसी प्रश्न या प्रस्ताव पर बड़े-बड़े देशों में एक जनमत 'हाँ' या 'नहीं' के रूप में प्राप्त होना कठिन है।

कुछ लोगों का ख्याल है कि स्वतन्त्र विचार और स्वतन्त्र भाषण के अधिकार राजनीतिक जनतन्त्र की कसौटी हैं। पर इस तरह से देखने पर यह कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैण्ड एक बहुत ही पिछड़ा जनतन्त्र है क्योंकि स्विस् विधान के अनुसार स्विस् जनतन्त्र का कोई नागरिक जेसुइट आर्डर या कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता।

किसी विषय पर कानून पास बनने के पूर्व वाद-विवाद

जनतन्त्र का एक मुख्य ध्येय है कि जो कुछ कानून बने उसमें जनता की इच्छा सम्मिलित होनी चाहिये। अर्थात् जनता की इच्छा के अनुकूल ही कानून पास होने में जनतन्त्र की सफलता है। अब प्रश्न यह है कि किसी विषय पर जनता की इच्छा जानने का कौन सा अच्छा ढंग हो सकता है। धारा सभा में बिल पास करके जनता के वोट के लिए रखना श्रेयस्कर होगा जैसा स्विट्जरलैण्ड में होता है या जनता की इच्छा जान लेने के बाद धारा सभा के द्वारा पास होना चाहिये। सिडनी वेब * के मत से किसी विषय पर कोई कानून पार्लमेण्ट के द्वारा पास होने के पूर्व उसे जनता के विभिन्न संघों और संस्थाओं में भेजकर और उन्हें उस पर पूर्ण रूप से विचार करके अपने मत को व्यक्त करने का अवसर देकर उनकी राजनीतिक और आर्थिक शिक्षा को पूर्ण करने का अच्छा ढंग हो सकता है। सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं में वादविवाद तथा स्वतन्त्र विचारों के आदान-प्रदान से अपने मत को प्रकट करके सरकार को किसी कानून के स्वरूप को निश्चित करने में सहायता तथा बल पहुँचाने का अच्छा तरीका है। सोवियत यूनियन के १९३६ के विधान के स्वरूप पर देश की सारी संस्थाओं, संघों, तथा समितियों ने विचार-विमर्श किया था। जनता की माँग पर विधान के प्रारूप की कई लाख प्रतियाँ सारे यूनियन में वितरित की गयीं। छोटे छोटे पैमफ्लेटों तथा समाचार-पत्रों के द्वारा भी प्रारूप का अधिकतम प्रचार हुआ था। प्रत्येक फार्म, फैक्टरी, स्कूल और श्रमिकों के क्लब में विचार-विमर्श हुआ था। सभी

---

* Soviet Communism by Sydney Web, Introduction.

मिलाकर ५२७,००० सभाएँ हुई थीं जिसमें ३६ मिलियन जनता ने भाग लिया था। एक मिलियन का अर्थ होता है दस लाख। विधान कमिसन के पास १३४००० सुझाव के रूप में संशोधन प्राप्त हुए थे। इन सभी सुझावों को उपयुक्त रूप में व्यवस्थित करके उनपर विधान सभा की बैठकों में पूर्ण रूप से विचार हुआ तथा कुछ संशोधन स्वीकार किये गये। इस तरह का रेफरेन्डम विधान के इतिहास में बेजोड़ है। इस तरह का विचार-विमर्श प्रत्येक ट्रेड-यूनियन, भोक्ता-सहकारी समितियों, स्थानीय सोवियतों, कारखानों, क्लबों में हुआ करता है। कौन सा प्रश्न यूनियन पार्लमेण्ट में या स्थानीय पार्लमेण्ट में जाना चाहिये, या किसी विषय पर किस रूप में कार्य हो रहा है तथा किस रूप में होना चाहिये—इत्यादि विचार हुआ करता है। जनता इन समितियों, संघों, सोवियतों के द्वारा अपने विचारों को स्वतन्त्रता पूर्वक व्यक्त करती है। इन्हीं तरीकों से कोई व्यक्ति अपने देश का उत्तरदायी तथा कारगर नागरिक बन सकता है। बड़े-बड़े देशों के लिए तथा देश के लोगों में जन-जागृति का इससे अच्छा ढंग क्या हो सकता है। स्वायत्त शासन या उत्तरदायी शासन की शिक्षा का यह बहुत ही उपयुक्त और सुन्दर तरीका है।

क्या जनतन्त्र के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य है ?

इङ्गलैण्ड और अमेरिका ही राजनीतिक पार्टियों के आदर्श रूप में सर्व प्रथम उदाहरण रहे हैं। इङ्गलैण्ड की राजनीतिक पार्टियों के इतिहास से यह बात प्रकट हो जाती है कि इङ्गलैण्ड में भी केवल दो ही दल नहीं रहे हैं। थोड़े-थोड़े समयों के अन्तर पर प्रायः तीन दल इङ्गलैण्ड की राजनीति में काम करते रहे हैं। राजनीतिक दलों के भेदभाव से जनता में तरह-तरह की आशंकाएँ और सन्देह उत्पन्न हो जाते हैं। राजनीतिक दलों के कारण देश की राजनीतिक एकता समाप्त हो जाती है और जब से राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की कमी होती गयी और आर्थिक समस्याएँ देश के सामने प्रमुख होती गयीं तब से राजनीतिक दलों के प्रचार, कार्य पद्धति में भेद होता गया। उनकी कार्यप्रणाली में द्वेष और हिंसा का भाव भरता गया। देश के सामूहिक हित के स्थान पर अपने स्वार्थ और दल

का स्वार्थ प्रधान होता गया। दो विश्व-युद्धों के बादसे तथा दुनियां की आर्थिक अन्तर निर्भरता के कारण जब कुछ राजनीतिक दल विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय से अन्तर्राष्ट्रीय हो गयी और उसका क्षेत्र विस्तृत हो गया तब से राजनीतिक दलों की निष्ठा और देशभक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हर देश की परिस्थिति एक ही नहीं होती। इङ्गलैण्ड और अमेरिका जैसे सुशिक्षित और राजनीतिक तथा नागरिक समस्याओं की जानकारी रखने वाले तथा राजनीतिक परम्पराओं से युक्त देशों की प्रणाली से तथा भारत जैसे राजनीतिक परम्पराओं से विहीन, गरीब तथा अशिक्षित जनता से भरे हुए देश में चलने वाली प्रथा या प्रणाली में भेद होना आवश्यक है।

राजनीतिक समस्या के सुलझ जाने के बाद भारत में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के सुलझाने की बात रह जाती है। पर इन समस्याओं के सुलझाने में कौन सी प्रणाली ग्राह्य होगी? जनतांत्रिक या अधिनायक तंत्रवादी। इस समय भारत में जनतंत्र और समाजवाद तथा साम्यवाद की दुहाई देने वाली बहुत सी पार्टियां हैं और उनके कार्य-क्रम में एक दूसरे से बहुत कुछ समानता है पर वे अलग-अलग दलों में बँटे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि, व्यक्तिगत आकांक्षा, नेतृत्व का प्रश्न, तथा अधिकार-लिप्सा की प्रवंचना से ये दल पृथक्-पृथक् कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार वैधानिक ढंग से काम करने की प्रवृत्ति इनमें नहीं है। इनका प्रचार बहुधा द्वेषपूर्ण, रोषपूर्ण, तथा हिंसात्मक है। देश में इनके प्रचारों तथा कार्यप्रणाली से एक अशान्ति और बेचैनी पैदा हो गयी है। इनके द्वारा एक देशहित का सामूहिक मोरचा नहीं बल्कि देश को नीचे गिराने वाले कार्य हो रहे हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित यूरोप में सभी जनतंत्रों की यही दशा हुई। इटली, पुर्तगाल, स्पेन, पोलैण्ड, ग्रीस, आस्ट्रिया तथा कुछ बाल्टिक और बालकन देशों में जनतंत्र की जगह पर अधिनायकतंत्रों की स्थापना हुई। जर्मनी का वाइमार विधान पूर्ण जनतांत्रिक होते हुए भी हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी के रूप में १९३३ में परिणत हो गया। केवल सोवियत यूनियन तथा टरकी जनतंत्र में ही सरकार का स्थायित्व बना रहा। इंग्लैण्ड में १९३१ में मजदूर सरकार की हार के बाद से करीब १९४६ तक राष्ट्रीय सरकार का ही

शासन रहा, जिसमें कनजरवेटिव पार्टी (अनुदारदल) का ही बहुमत था। विपक्षी दल नाम मात्र का था। अमेरिका में प्रसिडेनसियल (अध्यक्षात्मक) सरकार तथा आपस में किसी विशेष मतभेद नहीं होने के कारण रिपबलिक या डेमोक्रैटिक दल किसी की भी सरकार हो कोई विशेष बात अमेरिकी राजनीति में नहीं होती। चुनाव के समय कुछ स्थानीय या सामयिक प्रश्न पर दोनों दलों के कार्यक्रम बन जाते हैं और निर्वाचन में किसी प्रश्न के बजाय पार्टी के नेताओं और संचालकों की कार्यप्रणाली और प्रभाव के कारण हार या जीत होती है। अतः यह कोई आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि एक, दो या तीन राजनीतिक दलों का होना बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य समझा जाय। इन दलों के कारण देशों को अधिक हानि होती है।

राजनीतिक दलों के स्थान पर विभिन्न कार्यों और व्यवसायों में लगे हुए लोगों के व्यवसायिक संघ, विभिन्न तरह के पेशाओं में लगे हुए लोगों की यूनियन, सहकारी समितियां, उत्पादकों की समितियां, उपभोक्तासंघ तथा वकील, डाक्टर, इनजिनियर, शिक्षक तथा अन्य बुद्धजीवी लोगों के संघ ही देश और राष्ट्र की विभिन्न सभाओं में जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को अनुभव तथा संघटन, शासन की क्षमता इत्यादि सभी उपयुक्त गुण प्राप्त रहेंगे जो जनतांत्रिक असेम्बलियों या मंत्रिमंडलों में आवश्यक रहेगा। राजनीतिक दलों के द्वारा दोषपूर्ण, पक्षपातपूर्ण सदस्य मनोनीत करने की नीति से अपरिपक्व, अनुभवहीन, शासनप्रणाली से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट और बेईमान लोग निर्वाचित हो जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जानते रहने पर भी ऐसे सदस्यों को वोट देना पड़ जाता है जिसका चरित्र दोषपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति पार्टी में अपना प्रभाव रखते हैं और अपने को किसी निर्वाचनक्षेत्रों से उठने के लिए अनिवार्य सा बना लेते हैं और पार्टी के चुनने वालों को कोई चारा नहीं होता।

अतः पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ देशों में पार्टियों ने देश-प्रेम की भावना को जगाया है। लोगों में नागरिक भावना का उद्दीपन किया है। अपने कार्यों से देश को राजनीतिक एकता प्रदान की है। जनतन्त्र को स्थायी बनाने में तथा चालू करने में सहायता दी

है। दूसरी तरफ पार्टियों ने देश की एकता को छिन्नभिन्न किया है। देश में गृहयुद्ध फैलाकर देश का नाश किया है। लोगों में द्वेष, घृणा तथा अन्य अशोभन कार्यों को फैलाया है। परन्तु सैद्धान्तिक वाद-विवाद से क्या होता है? जनतन्त्र हो या अधिनायक तन्त्र, पार्टियाँ रहेंगी। जनतन्त्र में एक से अधिक और अधिनायकतन्त्र में केवल एक। एक से अधिक पार्टियों के रहने से जनतन्त्र सुरक्षित रहेगा और जनता आर्थिक दृष्टि से सुखी रहेगी तथा उसका नैतिक और आध्यात्मिक स्तर ऊँचा होगा, नहीं कहा जा सकता। किसी एक पार्टी की सरकार हो और उस पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी न हो तो उस राज्य को अधिनायकतन्त्र कहेंगे और इस ढंग का अधिनायकतन्त्र जनतन्त्र अर्थात् डेमोक्रैसी से खराब होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह की एक पार्टी सरकार को अधिनायकवादी सरकार कहेंगे, कोई आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय चीन की सरकार जिसके नेता च्यांगकाई शेक थे ऐसी ही सरकार थी। राष्ट्रीय चीन में कोमिन्तांग के मुकाबले में कोई शक्तिशाली पार्टी कुछ दिनों तक नहीं पनप सकी। कोमिन्तांग पार्टी को छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों का संगठन करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं थी पर कोई दूसरी मजबूत वैधानिक पार्टी कोमिन्तांग के मुकाबले में नहीं बन सकी। कोमिन्तांग सरकार को वैधानिक सरकार माना जाता था। उस सरकार को लोग विशेषतः यूरोप और अमेरिका के लोग लोकतांत्रिक सरकार मानते थे। टर्की में कमालपाशा का दल ही सर्वेसर्वा है। कोई दूसरी पार्टी अब तक शक्तिशाली नहीं हो सकी जो कमालपाशा के राष्ट्रीय दल को हरा सके।

भारतवर्ष में कांग्रेस ही सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्रीय दल है। इसकी हार इसकी असफलताओं के कारण होगा। पाकिस्तान में एकमात्र मुसलिम लीग ही राजनीतिक केन्द्र का प्रतीक है। यदि सोवियत देश में कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है और अन्य राजनीतिक पार्टियों के संगठित होने का अवसर प्राप्त नहीं है, इसी से सोवियत प्रणाली अधिनायकवादी नहीं कही जा सकती। सोवियत देश में साम्यवाद के सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में कम्युनिस्टपार्टी साधन है और सोवियत पद्धति को स्थायी बनाने

तथा उसे राजनीतिक और सामाजिक एकता प्रदान करने और उसे संघटित करने में कम्युनिस्टपार्टी सबसे बड़ी सहायता प्रदान करती है।

यदि कम्युनिस्टपार्टी सोवियत देश में अन्य पार्टी को कार्य करने दे तो सोवियत प्रणाली का अन्त हो जायगा और उसकी सफलता समाप्त हो जायगी। साम्यवादियों का ख्याल है कि जो उनके सिद्धान्त को नहीं मानता वह साम्यवादी नहीं हो सकता। वे यह भी मानते हैं कि उनका साध्य सर्वोत्तम और अन्ततोगत्वा सब मानव जाति के कल्याण के लिए है। अतः सर्वहारा अधिनायकतन्त्र (प्रोलेतेरियत डिक्टेटरशिप) केवल अन्तरिम काल के लिए ही है। इस अन्तरिम काल में साम्यवाद के विरोधियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। अन्तरिम काल के समाप्त होने पर ऐसी व्यवस्था हो जायगी, तथा ऐसा स्वाभाविक वातावरण बन जायगा जब राजनीतिक अधिकारों पर नियन्त्रण की आवश्यकता नहीं रह जायगी। अर्थात् राज्य जो शोषण का साधन और स्थिर स्वार्थ वालों की शक्ति का केन्द्र रहा है, अनावश्यक हो जायगा। समाज में एक ही वर्ग होगा। कोई स्थिर स्वार्थ का वर्ग न होगा। लोगों के हितों में कोई भेद न होगा। नागरिक सच्चे नागरिक भावों से उद्वेलित होंगे। दण्ड-प्रयोग की आवश्यकता न होगी। पुलिस को चोर, डाकुओं, षडयंत्रकारियों, हत्यारों तथा अन्य सामाजिक अपराधियों को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्तियों की प्रायः समाप्ति हो जायगी। सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सभी काम करेंगे। काम करने पर कोई भूखों न मरेगा। बिना काम किये हुए भोजन नहीं मिलेगा। अतः पुलिस और मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरह राज्य की समाप्ति हो जायगी।

पर इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य के समाप्त हो जाने पर नियम न होंगे। सबको अपने मनसे किसी भी कार्य को करने की छुट्टी हो जायगी। नियम रहेंगे और लोग नियम के अनुसार कार्य करेंगे। राज्य की कल्पना शोषकों के सहायक के रूप में तथा अधिकार हीन व्यक्तियों के दमन करनेवाली संस्था के रूप में न देखकर राज्य एक नैतिक, सामाजिक तथा हितकारिणी संस्था के रूप में दिखलाई पड़ेगा। राज्य पुलिस और सैनिक राज्य के बदले सामाजिक हित-

साधक संस्था के रूप में परिणत हो जायगा। इसलिए अन्तरिम काल में प्रतिक्रियात्मक-क्रान्ति के भय से साम्यवादी सोवियत देश में पाश्चात्य ढंग की लोकतांत्रिक प्रणाली को मानने में हिचकते हैं। फिर भी उनका कहना है कि लोकतन्त्रीय देशों में कौन-सा सच्चा लोकतन्त्र स्थापित है? संयुक्तराष्ट्र अमेरिका में निग्रो लोगों के साथ कौन-सा व्यवहार होता है। इङ्गलैण्ड में कितने ही लोग गरीब हैं। स्वयं इङ्गलैण्ड दुनियाँ में अभी तक साम्राज्य रखकर कितनी पिछड़ी हुई जातियों को गुलाम बनाये हुए है। क्या साम्राज्यवादी राज्य सचमुच लोकतन्त्र की भावनाओं से प्रेरित हो सकता है? क्या मनुष्य एक तरफ लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता का प्रेमी होगा और दूसरी तरफ वह साम्राज्यवादी और गुलामी का प्रेरक होगा। दो विरोधी भावनाएँ साथ-साथ चल सकती हैं?

अतः सोवियत देश की प्रणाली एक नयी प्रणाली है। उनका एक आदर्श है। वह आदर्श मानव आदर्श है। एक वर्गविहीन समाज की स्थापना जिसमें कोई शोषक न होगा। सबके समान अधिकार होंगे। कोई स्वार्थी वर्ग न होगा। वहाँ ऊँच और नीच का भेद-भाव न होगा। धनी और गरीब न होंगे। काले और गोरे अर्थात् रंग, वर्ण, जाति, धर्म तथा लिङ्ग का भेद नहीं होगा।

सोवियत देश में शोषण समाप्त हो चुका है। जमींदारी प्रथा, पूँजीवादी प्रणाली, मध्यमवर्ग, धर्म और सम्प्रदाय के नाम पर भेद और ठगी सभी समाप्त हो गये हैं। सबका एक स्वार्थ है—साम्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार समाज को स्थायी बनाना। अतः सभी के उद्देश्य और आदर्श समान हैं। साधन में भेद हो सकता है। अतः कम्युनिस्टपार्टी के अन्दर बहुत सी छोटी और बड़ी संस्थाएँ हैं। जिनका संगठन पिरामिड की तरह बना हुआ है। एक का सम्बन्ध दूसरे से लगा हुआ है। विभिन्न संस्थाओं को विभिन्न समस्याओं के ऊपर विचार-विनिमय का अधिकार है। अतः उनकी दृष्टि में यह प्रयोगात्मक जनतन्त्र प्रणाली है।

इसमें सन्देह नहीं कि यह एक नयी व्यवस्था है। प्रचलित प्रणालियों से भिन्न है। उसका अपना आदर्श है और उसके अपने तरीके हैं। सोवियत प्रणाली को तौलने में, उसके ऊपर निर्णय देने में इन्हीं बातों को ख्याल में

रखना होगा। कोई प्रणाली इसी लिए खराब नहीं है कि किसी के आदर्श से भिन्न है। वह इसलिए खराब नहीं कही जा सकती कि उसके साधन हिंसात्मक हैं।

अहिंसात्मक और हिंसात्मक साधन की बात यूरोप के देश नहीं उठा सकते। साम्राज्यवादी, पूँजीवादी तथा रंग और वर्णविभेद में विश्वास करने वाली जातियां हिंसात्मक साधन की बात करके सोवियत प्रणाली को बुरा नहीं कह सकतीं।

दुनियाँ में केवल एक ही देश है—वह है भारत, जिसने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक पद्धति से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का तरीका निकाला। महात्मा गाँधी के आदर्श तथा साम्यवाद के आदर्श में अत्यधिक समानता है। लेकिन भेद दोनों के साधन में है। महात्मा गाँधी साध्य की पवित्रता के साथ साधन की भी पवित्रता को मानते हैं। मार्क्सवादी तथा लेनिनवादी साधन की पवित्रता को नहीं मानते। उनकी दृष्टि में साध्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन प्रयोग में लाया जा सकता है।

महात्मा गाँधी अहिंसा को साध्य और साधन दोनों ही मानते हैं।

मार्क्सवादियों के यहाँ अहिंसा जैसी वस्तु नहीं है। अतः साध्य और साधन की पवित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता।

अहिंसा को साध्य और साधन मानने से महात्मा गाँधी ने मनुष्य के मूल्य को स्वीकार किया है। मनुष्य—या मानवता सर्वोपरि है। अतः मनुष्य की हत्या करके, हिंसा करके, प्राप्त की हुई वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्योंकि उनका ख्याल था कि हिंसा से प्राप्त वस्तु हिंसा के द्वारा ही रखी जा सकती है। द्वेष और घृणा से प्रेम और सौहार्द की स्थापना नहीं हो सकती। इस लिए गाँधी जी गृहयुद्ध, राष्ट्रीय युद्ध और अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध—सभी तरह के युद्ध के विरोधी थे। मार्क्सवादी और लेनिनवादी युद्ध के विरोधी नहीं हैं। वे उसी तरह युद्ध के विरोधी हैं जिस तरह यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य विरोधी हैं।

गाँधीवाद—व्यक्ति से प्रारम्भ होकर समष्टि तक जाता है और

व्यक्ति को समष्टि में समाप्त नहीं कर देता। व्यक्ति का एक समुचित स्थान समाज में स्वीकृत है। व्यक्ति को अपनी दुनियाँ निर्माण करने का अर्थात् अपनी छिपी हुई शक्ति को विकास करने का अवसर प्राप्त है।

मार्क्सवाद में समष्टि के समक्ष व्यक्ति की पूछ नहीं है। व्यक्ति साधन मात्र है। यद्यपि उसके आदर्शों में कोई ऐसी असगत बात नहीं है।

गाँधीवाद मार्क्स के सामाजिक विकास के भौतिक अर्थ से सहमत नहीं होता। भौतिकता सामाजिक विकास में एक प्रमुख और आवश्यक साधन है। गाँधीवाद यह भी मानता है कि किसी समय में किसी वस्तु की प्रधानता हो जाती है। यहाँ पर साम्यवाद के सिद्धान्त और उसकी व्यवहारिक प्रणाली के ऊपर विचार नहीं करना है। यह पुस्तक वैधानिक प्रणाली से सम्बन्धित है। अत: केवल प्रसंग मात्र दिया गया है। कुछ लोग सोवियत प्रणाली के विरोधी हो जाते हैं क्योंकि वे साम्यवाद के विरोधी हैं। सोवियत प्रणाली में कितनी ही वस्तुएँ हो सकती हैं जो उपयुक्त न हों सचमुच सोवियत राजनीतिक प्रणाली में कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो नयी हैं और राजनीतिक के विज्ञान में उनकी नयी देन है।

सोवियत राजनीतिक प्रणाली को समझने के लिए आवश्यक है कि सोवियत संघ की नयी आर्थिक पद्धति तथा नये सामाजिक संघटन को समझा जाय। इस नये आर्थिक और सामाजिक ढाँचे पर सोवियत राजनीतिक पद्धति का निर्माण हुआ है। इसकी तुलनात्मक समीक्षा से ही पता चलेगा कि सोवियत देश ने अन्य देशों से क्या लिया है।

सोवियत विधान के अनुसार सोवियतसंघ की राज्यसत्ता सोवियतसंघ की पार्लमेण्ट में है। इसे सर्वोच्च सोवियत कहते हैं।

सोवियत राजनीतिक प्रणाली से अन्य देशों की तुलना:—

ब्रिटिश विधान के अनुसार ब्रिटेन की राज्यसत्ता राजा के साथ पार्लमेण्ट में है। राजा के अधिकार नाम मात्र के हैं। अत: वास्तविक अधिकार पार्लमेण्ट को ही है।

सर्वोच्च सोवियत में दो गृह हैं—यूनियन की सोवियत और राष्ट्र जातियों की सोवियत।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट में दो गृह हैं—सरदार गृह और साधारण गृह (हाउस आफ लॉर्डस् और हाउस आफ कामन्स)

सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं को समान अधिकार है। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं को समान अधिकार नहीं हैं। सरदार सभा को आर्थिक बिलों पर अधिकार नाम मात्र का है। कामन सभा से आर्थिक बिल पास हो जाने के एक मास बाद सरदार सभा की स्वीकृति या अस्वीकृति के साथ राजा के हस्ताक्षर के बाद कानून हो जाता है। अन्य बिलों पर एक वर्ष का प्रतिषेधात्मक अधिकार प्राप्त है।

सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाएँ जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। चूँकि सोवियत राज्य संघ राज्य है अतः एक सभा में प्रत्येक राष्ट्रीय जातियों का प्रतिनिधित्व है। दूसरी सभा में नागरिक प्रतिनिधित्व भौगोलिक आधार पर है।

ब्रिटिश पार्लमेण्ट में—सरदार सभा में दो तरह के सदस्य हैं। (१) वंशक्रमागत (२) मनोनीत जीवन सदस्य।

कामन सभा जनता के द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर चुनी जाती है। वयस्क बालिग मताधिकार है। सर्वोच्च सोवियत के लिए भी गुप्त मतदान के आधार पर वयस्क बालिग मताधिकार है। सोवियत संघ एक संघ राज्य है—अतः सर्वोच्च सोवियत का अधिकार क्षेत्र सीमित है। विधान की चौदहवीं धारा में दिये हुए विषयों पर ही सर्वोच्च सोवियत कानून बना सकती है। ब्रिटेन एक केन्द्रीय राज्य है—अतः ब्रिटिश पार्लमेण्ट को किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके अधिकार सीमित नहीं हैं। कामन सभा पाँच वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। सर्वोच्च सोवियत का कार्य काल चार वर्ष के लिए होता है। सर्वोच्च सोवियत की बैठक प्रेजिडियम के द्वारा कम से कम साल में दो बार बुलायी जानी चाहिये।

कामन सभा की बैठक विधान के नियम के अनुसार एक वर्ष में कम से कम एक बार आय-व्यय के अनुमान पत्र को पास करने के लिए बुलायी जाती है। कामन सभा और सरदार सभा की बैठकों में वाद-विवाद पर्याप्त रूप में होता है।

सर्वोच्च सोवियत की बैठक में अधिकतर मंत्रिमण्डल के कार्यों पर स्वीकृति

की मुहर की जाती है । अथवा मंत्रिमण्डल के प्रस्तावों या बिलों को स्वीकार किया जाता है । सभा में सदस्यों की संख्या इतनी पर्याप्त रहती है कि वाद-विवाद नहीं हो सकता । सर्वोच्च सोवियत की बैठकें कम होती हैं । पार्लमेण्ट की बैठकें अधिक होती हैं—प्रायः तीन अधिवेशन अवश्य होते हैं—ग्रीष्मकालीन, शरतकालीन और हेमन्तकालीन । यों तो जब आवश्यकता होती है—पार्लमेण्ट की बैठक बुला ली जाती है । मन्त्रिमण्डल वास्तविक रूप में कामन सभा के प्रति उत्तरदायी है । सभी क़ानून पार्लमेण्ट में प्रस्तुत होते हैं । उनके पास होने में पाँच तरह की विधि को पूरा करना पड़ता है । अतः कामन सभा की बैठक बहुत हुआ करती है । इसके साथ सरदार सभा की बैठक हुआ करती है । क्योंकि कामन सभा से बिल पास होकर सरदार सभा में जाता है ।

सर्वोच्च सोवियत की अनुपस्थिति में इसके सभी कार्य सोवियत संघ के प्रेजिडियम के द्वारा सम्पादित होते हैं । अतः प्रेजिडियम ही अधिकतर कार्य करता रहता है ।

सोवियत संघ की सरकार को काउन्सिल आफ पिपल्स् कमिसारस् कहते हैं ।

सोवियत यूनियन की सरकार—

ब्रिटेन की सरकार का प्रधान राजा है । उसकी सहायता के लिए एक काउन्सिल है जिसे कैबिनेट कहते हैं । काउन्सिल को मन्त्रिमण्डल भी कहा जाता है । कैबिनेट एक विशेष अर्थयुक्त पद है ।

सोवियत यूनियन के विधान के अनुसार सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में सँघ की सरकार या मंत्रिमण्डल का निर्वाचन होता है । इस मन्त्रिमण्डल को काउन्सिल आफ पिपल्स् कमिसारस् कहते हैं । राजनीतिक रूप में कम्युनिस्ट पार्टी के चोटी के नेता सर्वोच्च सोवियत की बैठक के पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति काउन्सिल में रखे जाय और उसी निश्चय के अनुसार सर्वोच्च सोवियत की बैठक में नाम प्रस्तावित हो जाते हैं और उस पर मतदान ले लिया जाता है । सभाओं के सदस्यों में अधिकतर कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य रहते हैं अतः उनके चुने जाने में कोई सन्देह नहीं रहता । यह तो एक वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति की जाती है ।

पिपलस् कमिसारों की काउन्सिल का एक चेयरमैन और कई वाइस चेयरमैन होते हैं।

ब्रिटेन में नये निर्वाचन के बाद कामन सभा के बहुमत दल का नेता ब्रिटिश नरेश के द्वारा निमंत्रित होता है और वह निमंत्रण स्वीकार करके राजा से मिलता है। राजा उसे मन्त्रिमण्डल निर्माण के लिए अधिकार देता है। नेता स्वयं राजा के द्वारा प्रधान मंत्री बना दिया जाता है और उसकी सिफ़ारिश पर उसी के दल के प्रमुख लोग मंत्रिमण्डल के सदस्य नियुक्त हो जाते हैं। उसी की इच्छा के अनुसार मंत्रियों में विभागों का वितरण होता है। इस प्रकार मंत्रिमण्डल तैयार होता है। राष्ट्रीय संकटों अथवा युद्ध इत्यादि के अवसरों पर संयुक्त मंत्रिमण्डल बनता है। उस समय सभा के अन्य दल के लोग भी मंत्रिमण्डल में नियुक्त किये जाते हैं।

इस तरह ब्रिटिश मंत्रिमण्डल पार्लमेण्ट के प्रति केवल वैधानिक ही नहीं राजनीतिक या वास्तविक रूप से भी उत्तरदायी है।

पिपलस् कमिसारों की काउन्सिल विधान के अनुसार सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है पर उसकी अनुपस्थिति में सोवियत संघ के प्रेजिडियम के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रेजिडियम पिपलस् कमिसारों की काउन्सिल के निर्णयों को तोड़ सकता है। उनकी आज्ञाओं को रद कर सकता है। उनको पद से मुक्त कर सकता है। काउन्सिल के चेयरमैन की राय से किसी भी व्यक्ति को काउन्सिल का सदस्य बना सकता है। इस तरह के अधिकार इङ्गलैण्ड में ब्रिटिश नरेश को नहीं है।

प्रेजिडियम के अधिकार अधिकतर वे ही हैं जो प्रायः अन्य देशों में राज्य के प्रधान को दिये जाते हैं। हाँ, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो अन्य किसी देश के प्रधान को प्राप्त नहीं हैं।

इङ्गलैण्ड में प्रेजिडियम के कुछ अधिकार कैबिनेट को प्राप्त हैं और कुछ अधिकार ब्रिटिश नरेश को प्राप्त हैं जो कैबिनेट की राय से उसे करना पड़ता है। इङ्गलैण्ड का विधान लिखित और अलिखित दोनों है। यह एक केन्द्रीय राज्य है।

सोवियत यूनियन एक बहुराष्ट्रीय संघ राज्य है। विधान लिखित है।

पर सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी प्रधानता है कि सोवियत राज्य की नीति, संघटन और निर्देशन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही होता है। राज्य की सारी मशीन का संचालन कम्युनिस्ट पार्टी करती है। अन्य किसी पार्टी का कोई हाथ इसमें नहीं हो सकता। इसलिए संघ विधान होते हुए भी कार्यप्रणाली की दृष्टि से इसका स्वरूप एक केन्द्रीयात्मक राज्य की तरह हो गया है।

ब्रिटेन एक जाति या एक राष्ट्र का राज्य है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के संघटन हैं। पार्टियाँ अपने कार्य-क्रम का स्वतन्त्रता पूर्वक प्रचार करती हैं। राज्य की सारी मशीन का संचालन पार्टियाँ नहीं करतीं।

पार्टियाँ पार्लमेण्ट के लिए उम्मीदवार मनोनीत करती हैं। पुनः निर्वाचन होने के बाद नियम के अनुसार कामन सभा का बहुमत दल सरकार का निर्माण करता है। इसमें सन्देह नहीं कि पार्टियों का प्रभाव सरकार के ऊपर पड़ता है। पर पार्टियों का प्रभाव वहीं तक है जितनी दूर तक विधान के द्वारा स्वीकृत है। पर सोवियत यूनियन की राज्य मशीनरी का पूर्णरूप से संचालन कम्युनिस्ट पार्टी करती है। कम्युनिस्ट पार्टी स्वयं एक केन्द्रीय संघटन है। एक ही केन्द्र से कम्युनिस्ट पार्टी की सारी मशीन का स्वरूप तथा उसकी नीति का संचालन होता है। यों तो देखने में प्रान्तीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय संघटन है। पर नियंत्रण के द्वारा पार्टी का केन्द्रीयकरण हो गया है। ऐसी वस्तु इंगलैण्ड के राजनीतिक जीवन में नहीं है।

इङ्गलैण्ड पार्लमेण्टरी डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य वास्तविक रूप में वर्तमान है। सोवियत देश का विधान देखने में पार्लमेण्टरी डेमोक्रैसी की तरह मालूम होता है पर वास्तव में नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा होता है। उसका नियंत्रण एक व्यक्ति के द्वारा होता है। पालितब्यूरो सोवियत यूनियन की सभी संस्थाओं को नियंन्त्रित करता है। उसी के निर्देश से यूनियन के प्रेजिडियम, मंत्रिमण्डल, तथा विशिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है।

स्विस् देश और सोवियतसंघ की तुलना

स्विट्ज़रलैंड का विधान संघात्मक है। सोवियत संघ का विधान भी संघात्मक है। सोवियत संघ की स्थापना १९१७ की राज्यक्रान्ति के बाद ज़ारशाही को पदच्युत करके हुई। अर्थात् एक साम्राज्य से यह सोवियत संघ में परिणत हुआ। स्विट्ज़रलैण्ड तेरह कैन्टनों की रक्षात्मक लीग से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे एक राज्य संघके रूप में बना। स्विस् संघ १८४७ के गृहयुद्ध के बाद पूर्णरूप से राज्य-संघ के रूप में मान्य हो गया। १८४८ में इसका विधान बना। दोनों देशों के विधान लिखित हैं। दोनों देशों में विधान के अनुसार संघ-सरकार के अधिकारों और कार्यों का उल्लेख हुआ है। स्विसदेश में अवशिष्ट अधिकार कैन्टनों को प्राप्त हैं।

सोवियत संघ में भी अवशिष्ट अधिकार प्रत्येक प्रजातंत्र को प्राप्त है। स्विस् देश में संघ का कैन्टन के साथ सम्मिलित अधिकार क्षेत्र हैं। सोवियत संघ के विधान में कोई सम्मिलत अधिकारों का उल्लेख नहीं है। स्विस् देश के संघीय न्यायालय को कानूनों की वैधता पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। संघ का व्यस्थापक-मण्डल कैन्टन के द्वारा पास किये गये कानूनों को वैध घोषित कर सकता है। सोवियत संघ में यूनियन का प्रेजडियम यूनियन के विभिन्न प्रजातंत्रों क मंत्रि-मण्डलों के आदेशों और निर्णयों को रद्द कर सकता है, यदि वे यूनियन के कानून के अनुकूल न हों। स्विसदेश के विधान में जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं है। सोवियत संघ के विधान में जनता के मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्योंका पूरा-पूरा उल्लेख है। स्विस् देश में दोहरी नागरिकता का नियम है।

सोवियत संघ में एक ही नागरिकता का नियम है।

स्विस् देश की संघ सरकार जनता पर प्रत्यक्ष कर नहीं लगा सकती।

सोवियत संघ में संघ-सरकार को प्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार है। स्विस् देश में संघ का अध्यक्ष शासन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह एक वर्ष के लिए स्विस् पार्लमेण्ट की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में चुना जाता है।

सोवियत संघ में यूनियन का कोई प्रधान या अध्यक्ष नहीं है। सोवियत देश में प्रेजिडियम की व्यवस्था की गयी है। इसे कानून बनाने तथा शासन सम्बन्धी दोनों तरह के अधिकार प्राप्त हैं। स्विस् संघ के अध्यक्ष को अध्यक्ष की हैसियत से कोई अधिकार नहीं है। सोवियत देश में अन्य देशों के प्रधानों के अधिकार और कार्य प्रेजिडियम को प्राप्त हैं।

स्विस् देश की राष्ट्रीय असेम्बली में दो सदन हैं—राज्य परिषद और राष्ट्र-परिषद।

दोनों सभाओं के समान अधिकार हैं। व्यवहार में राज्य-परिषद राष्ट्र-परिषद की इच्छाओं का आदर करती है। राज्य-परिषद में प्रत्येक कैन्टन से दो सदस्य आते हैं और जो अर्द्ध कैन्टन हैं, उनसे केवल एक।

सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत में दो सदन हैं—सोवियत यूनियन और सोवियत आफ नेशनेलिटिज। दोनों के समान अधिकार हैं।

राष्ट्र-जाति की सोवियत में प्रत्येक प्रजातन्त्र का प्रतिनिधित्व है। पूर्ण प्रजातन्त्रों के पचीस प्रतिनिधि आते हैं और अन्य इकाइयों के ग्यारह, पाँच और एक क्रम से लिये जाते हैं। दोनों देशों की सभाओं में एक साथ ही बिलों का प्रस्ताव होता है। सभाओं की बैठकें एक साथ प्रारम्भ होती हैं।

स्विस् देश की शासन-परिषद अन्य देशों से भिन्न है। शासन-परिषद ही पूरे शासन के लिए उत्तरदायी है। शासन-परिषद पार्लमेण्टरी नहीं है। यह मण्डलात्मक शासन है।

सोवियत संघ में शासन के कार्य और अधिकार प्रेजिडियम और मंत्रि-परिषद में बँटे हुए हैं। देखने में शासन पार्लमेण्टरी मालूम होता है। मंत्रि-परिषद सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है और इसकी अनुपस्थिति में प्रेजिडियम के प्रति।

स्विस् देश के मंत्रियों का चुनाव राष्ट्रीय असेम्बली की दोनों सभाओं की सयुक्त बैठक में होता है।

सोवियत संघ के मंत्रियों तथा प्रेजिडियम का चुनाव सर्वोच्च सोवियत की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में होता है। स्विस् देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का भी चुनाव दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में छः वर्ष के लिए होता है।

सोवियत संघ में सर्वोच्च सोवियत की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए होती है। स्विस् देश की शासन-पद्धति में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण की व्यवस्था है। रेफरेन्डम और इनिसियेटिव के द्वारा जनता अपना मत देती है।

सोवियत संघ में रेफरेन्डम की व्यवस्था है। पर कानून-निर्माण का अधिकार सर्वोच्च सोवियत और उसकी अनुपस्थिति में यूनियन के प्रेजिडियम को है।

स्विस् देश में विभिन्न पार्टियाँ कार्य करती हैं। विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि एक साथ संघीय शासन-परिषद में कार्य करते हैं।

सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी कार्य करती है।

कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी संगठित नहीं हो सकती। राज्य की सारी मशीन को कम्युनिस्ट पार्टी ही संचालित करती है। स्विस् देश में पार्टियाँ शासन का संचालन नहीं करतीं। सोवियत संघ का विधान संघात्मक और विकेन्द्रित है पर कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे केन्द्रियता प्रदान की है।

स्विस् देश का विधान लोकतंत्रात्मक है।

सोवियत संघ का विधान स्वरूप में लोकतंत्रात्मक है, पर व्यवहार में एक पार्टी के शासन के द्वारा ही संचालित है स्विस् देश की शासन-प्रणाली प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र है।

सोवियत संघ की शासन-प्रणाली भी प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के आधार पर है। परन्तु एक पार्टी के द्वारा शासन की व्यवस्था से लोकतंत्रात्मक पद्धति न रहकर एकात्मक दलगत शासन हो गया है। यही कारण है कि लोग इसे

अधिनायकतन्त्र भी कहते हैं। स्विस् देश में प्रतिनिधि मूलक लोकतन्त्र के साथ-साथ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की भी व्यवस्था है।

सोवियत संघ में प्रत्यक्ष लोकतन्त्र की व्यवस्था नहीं है। स्विस् देश का विधान संतुलन के सिद्धान्त के आधार पर बना हुआ है। अर्थात् पार्लमेण्टरी और अध्यक्षात्मक सरकार की पद्धतियों को मिलाकर बना है। सोवियत संघ में पार्लमेण्टरी और प्रेजिडियम पद्धति को मिलाया गया है। स्विस् देश दुनियाँ में सबसे सुन्दर लोकतन्त्र का उदाहरण है। सोवियत संघ में एक दल-प्रणाली शासन की प्रधानता है।

स्विस् देश एक राष्ट्रीय राज्य नहीं है। इसमें भिन्न-भिन्न जातियाँ और धर्म के मानने वाले हैं। सोवियत संघ में अनेक जातियाँ और विभिन्न धर्म वाले हैं। स्विस् देश में कोई एक भाषा राष्ट्र भाषा के रूप में नहीं है। सोवियत संघ में भी एक भाषा राष्ट्र भाषा नहीं है। पर रूसी भाषा संघ के लोगों के लिए जानना आवश्यक है। वह रूसी भाषा संघ की अन्तर्प्रान्तीय भाषा है।

पुस्तक में प्रयोग किये गये हिन्दी शब्दों का अर्थ

जनतंत्र	—	Republic
लोकतांत्रिक	—	Democratic
कैन्टन	—	स्विस् देश के प्रान्त
संघ	—	League
केन्द्रीय शासक मण्डल	—	Central Executive or Federal Executive
संशोधन	—	Amendment
संघ विधान	—	Federal constitution
एकाधिकार	—	Monopoly
विश्वास की स्वतंत्रता	—	Freedom Of Faith
पूजा की स्वतंत्रता	—	Freedom Of Worship
व्यवस्थापक मण्डल	—	Legislature
राज्य-संघ की जनता	—	People of The Confederation
संघीय काउन्सिल	—	Fedoral Council
मण्डलात्मक शासन समिति प्रधान शासन	}	Plural or Collegial Executive
प्रतिनिधित्व	—	Representation
अवशिष्ट-अधिकार	—	Residuary rights
साम्राज्य काउन्सिल	—	Imperial Council
डूमा	—	Duma, Russian Parliament
सर्वोच्च न्यायालय	—	Supreme Court

जिन शब्दों की आवश्यकता इस पुस्तक में पड़ी है

Absolute	—	पूर्ण, अनियंत्रित
Adjournmnt	—	काम रोकना, कार्य स्थगित करना
Arbitrary	—	स्वेच्छाचारी
Assembly	—	धारा सभा, व्यवस्थापिका सभा
Autocracy	—	निरंकुश तंत्र
Autonomy	—	स्वराज्य

Ballot — मत-पत्र
Ballot Box — निर्वाचन-बक्स, पेटी
Bourgeoisie — मध्यम वर्ग
Bureaucracy — नौकरशाही
Bye-election — उपनिर्वाचन
Bye-law — उपनियम
Budget — आय-व्यय, अनुमान पत्र
Cabinet — मंत्रिमण्डल
Cabinet Government— मंत्रिमण्डलात्मक सरकार
Caucus — किसी पार्टी की गुप्त कमेटी जो पार्टी की संघटन-नीति और कार्यक्रम को नियंत्रित करे।
Communism — साम्यवाद
Constitution — विधान, संविधान
Flexible Constitution—सुलभ परिवर्तनशील विधान
Constitutional — विधान सम्बन्धी, संवैधानिक
Council Of state — राज्य-परिषद्
Court martial — सैनिक न्याय सभा
Customs — आयात-निर्यात कर
Diet — सभा
Democracy — लोकतंत्र, प्रजातंत्र
Dictatorship — तानाशाही, अधिनायकवाद
Elector — निर्वाचक
Electoral College— निर्वाचक मण्डल
Federal — संघीय
Federal Court — संघ न्यायालय
Proportional Representation—आनुपातिक प्रतिनिधित्व
Referendum — जनमत-संग्रह
Initiative — प्रस्तावाधिकार

सहायक ग्रन्थ सूची

स्विट्ज़रलैण्ड

१—मुनरो (Munroe) गवर्नमेंटस् आफ यूरोप
२—औग (F. A. Ogg) यूरोपियन गवर्नमेंटस् ऐन्ड पालिटिक्स
३—स्ट्रांग (C. F. st rong) माडर्न पोलिटिकल कनसटिट्यूसनस
४—ब्राइस (Bryce) माडर्न डेमोक्रैसी प्रथम भाग
५—हेज़ (Hayes) पोलिटिकल ऐन्ड सोसल हिसट्री आफ माडर्न यूरोप दूसरा भाग
६—ब्यूल (R. L. buell) डेमोक्रैटिक गवर्नमेण्टस् इन यूरोप
७—गार्नर (Garner) पोलिटिकल साइन्स ऐन्ड गवर्नमेंटस्
८—ब्रुकस् (R. C. Brooks) गवर्नमेंटस् ऐन्ड पालिटिक्स आफ स्विट्ज़रलैण्ड
९—स्पेन्डर (Spender) दी गवर्नमेंण्ट आफ मैनकाइन्ड
१०—राम ऐन्ड शर्मा माडर्न गवर्नमेण्टस्
११—सूद गवर्नमेण्टस् आफ स्विटज़रलैण्ड ऐन्ड यू० एस० एस० आर०

सोवियत-संघ

१—मास्को पबलिकेशन—कनसटिट्यूसन आफ यू० एस० एस० आर०
२—सीडनी वेब —दी सोवियत कम्यूनिज्म
३—मुनरो —दी गवर्नमेण्टस् आफ यूरोप
४—आग —यूरोपियन गवर्नमेण्टस् ऐन्ड पालिटिक्स
५—बैटसेल (W. R. Batsell.) सोवियत रूल इन रूस
६—हारपर (S. N. Harper) दी गवर्नएट आफ सोवियत यूनियन
७—स्ट्राँग (A. L.Strong) दी नीउ सोवियत कनसटिट्यूसन
८—स्लोन (P. Sloan) सोवियत डेमोक्रैसी
९—लास्की (H. J. Laski) कम्यूनिज्म
१०—गुरियन (W. Gurian.) बोलशेविज्मः थियरी ऐन्ड प्रैकटिस
११—हूकर (C. B. Hoover) दी इकोनोमिक लाइफ आफ सोवियत रसा
१२—ट्राटस्की माइ लाइफ
१३— „ दी रसियन रीवोल्यूशन

शुद्धि-पत्र

पाठकों से नम्र निवेदन है कि अनेक स्थानों की ग़लतियों को सुधार कर पढ़ने की कृपा करें।

पृ० संख्या	पंक्ति	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
६	२७	Guu	Gun
८	७	संघीय	संघीय
८	१५	को	के
९	११	अन्तिम	इस
१३	२	में	से
१४	६	प्रस्यावित	प्रस्तावित
१६	१९	उन्हीं	इन्हीं
२३	१८	अधकार	अधिकार
२५	शीर्षक	स्विट्ज़रलैण्ध	स्विट्ज़रलैण्ड
३०	८	Speoil	Spoil
४९	८	Intornalinal	International
५०		Ocial	Social
४६	९	साशन-परिषद्	शासन-परिषद्
१००	११	Couective	Collective
,,	,,	सरकारी	सहकारी
१३७	११	धानिक	वैधानिक
१३७	अन्तिम पंक्ति	Bareaw	Bureau
१४३	७	Alrility	Ability
१५३	८	Marlia!law	Martial-law
१५२	६	अन्तिम	अन्तरिम

जहाँ शब्द छूट गये हैं—

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	
१६	१२	सदस्यों के बाद "में"
१६	१७	क्षेत्र से के बाद '।' का चिन्ह होना चाहिये।
३७	३	ब्रैकेट के बाद '।' का चिन्ह
११४	२३	४९ वीं [illegible] के बाद 'समुदाय' शब्द होना चाहिये।

जहाँ शब्द अधिक हो गये हैं—

१००	२०	इस प्रकार
१००	२१	था
१०७	६	कस्तुरिका [illegible]
